मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2014

(23 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 11]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई 2014

(23 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डॉ सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेता, प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी कितने दिन की छुट्टी लेकर गये हैं. प्रतिदिन नहीं आ रहे हैं. क्या सदन का बायकॉट कर रखा है?

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वेशपुरा जिला भिण्ड में गेहूँ उपार्जन

1. (*क्र. 1471) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला ग्वालियर (म. प्र.) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक/क्यू/खाद्य/पीडीएस/समर्थन मूल्य/2011/1503 ग्वालियर दिनांक 25-7-2011 के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वैशपुरा जिला भिण्ड द्वारा गेहूँ उपार्जन में अनियमितता का जाँच प्रतिवेदन आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल को भेजा था? (ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जाँच अधिकारी द्वारा समर्थन मूल्य पर वैशपुरा संस्था में गेहूँ बेचने वाले किसानों के सम्पूर्ण रकबे को न दर्शाकर केवल एक ही ग्राम का रकबा दर्शाकर बोनस राशि के वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है? (ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि श्री हरनारायण पुत्र श्री बिलाशी निवासी ग्राम जमुहॉ द्वारा 28.50 क्विंटल एवं श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह ग्राम नानपुरा द्वारा 16 क्विंटल गेहूँ खरीदी पंजी अनुसार ही विक्रय किया था परन्तु जाँच अधिकारी द्वारा जान बूझकर असत्य रिपोर्ट देकर श्री हरनारायण पुत्र बिलाशी से 285 क्विंटल एवं श्री अनिल कुमार सिंह से 64 क्विंटल गेहूँ समर्थन मूल्य पर बेचना बताया है? (घ) जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा किस दिनांक को जांच की गई तथा किन-किन किसानों के रकबा देखकर कथन लिए थे? यदि नहीं, तो क्यों वर्ष 2011-12 में किसानों से असत्य जाँच के आधार पर वसूली की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (ङ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वैशपुरा द्वारा गेहूँ खरीदी का असत्य जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुंवर विजय शाह) : (क) से (ग) जी हां. (घ) जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 23-7-2011 को जांच की गई. जांच प्रतिवेदन समिति के उपार्जन अभिलेख एवं किसानों द्वारा गेहूँ के बोए गए रकबे की जानकारी (राजस्व) विभाग से प्राप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, इस कारण किसानों के कथन की आवश्यकता नहीं थी. जांच प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार, लहार द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी. प्रतिवेदन में किसानों के गेहूँ के बोए गए रकबे एवं उपार्जन मात्रा में अंतर की जानकारी प्राप्त होने पर जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करने के निर्देश कलेक्टर भिण्ड को दिए जाकर प्रतिवेदन चाहा गया है. प्रतिवेदन प्राप्त होने तक किसानों से बोनस की राशि की वसूली की कार्यवाही रोकने के निर्देश कलेक्टर भिण्ड को दे दिए गए हैं. (ङ) कलेक्टर भिण्ड से जांच प्रतिवेदन पर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.

डॉ गोविन्द सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों से संबंधित प्रश्न किया है. समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की गई. जिन किसानों को मान लीजिए 100 क्विंटल बेचने की तो उन्होंने आधा ही बेचा है. उसके बाद शिकायत हुई. शिकायत में सम्पूर्ण दस्तावेज जांच अधिकारी को दिये गये. जांच अधिकारी ने जानबूझकर प्रमाणित दस्तावेज होने के बाद भी 21 किसानों के खिलाफ गलत रिपोर्ट दी. लगातार 4 साल से नोटिस गये, जांच चलती रही. किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गये और जब वे उच्च न्यायालय में न्याय मांगने गये तो ग्वालियर उच्च न्यायालय ने कह दिया कि यह सहकारिता का मामला है इसलिए सहकारिता के न्यायालय में जाईये. वे वहां भी गये लेकिन 4 साल भटकने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिला और जब गिरफ्तारी आदेश जारी हुए तब वे किसान हमारे पास आये. हमने निवेदन किया. विभाग में चिट्ठी लिखी. चार महीने पहले दस्तावेजी प्रमाण भी दिये. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों का कोई दोष नहीं था लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी ने, जिसके विरुद्ध EOW में भी प्रकरण दर्ज है, लगातार 4 साल से किसानों को परेशान कर रखा है केवल इसलिए कि प्रत्येक किसान से कहा था

आप सब मिलकर हमें 50 हजार रुपये दे दो. लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं दी. मंत्रीजी, आपके जवाब में भी आ गया कि हमने जो आरोप लगाये कि गलत रिपोर्ट दी वह जांच रिपोर्ट में भी सिद्ध हो चुका है कि उसने फर्जी रिपोर्ट देकर किसानों को प्रताड़ित किया. क्या माननीय मंत्रीजी, इस भ्रष्ट अधिकारी को जिसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आपके यहां भी दर्ज है.

अध्यक्ष महोदय - सीधे प्रश्न कर दें.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, क्या आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध तत्काल निलंबित कर वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण दर्ज करेंगे?

कुंवर विजय शाह - अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रकरण लहार विपणन सहकारी समिति जिला भिण्ड की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वेशपुरा में गेहूं उपार्जन से संबंधित है. बहुत सारी शिकायतें थीं. वहां के 21 किसानों ने अपना गेहूं वहां बेचा. जितनी जिसकी पात्रता थी, उससे ज्यादा गेहूं बेचने की शिकायतें मिली हैं. जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है, जांच कराने का प्रश्न है. हमने कलेक्टर को फिर दिनांक 6.7.14 को पत्र लिखा है. इसमें 2-3 मुद्दे ऐसे आ रहे हैं. हम भोपाल से कमिश्नर, फूड को भिजवा रहे हैं, वे स्वयं जाकर इन सारे प्रकरणों को देखेंगे और जांच रिपोर्ट आने के बाद हम उचित कार्यवाही करेंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, आपने अपने जवाब में स्वीकार कर लिया है कि असत्य रिपोर्ट है. जबकि आप जांच करा चुके हैं. यह तो टालने का, बचाने का मामला है. भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आपका प्रयास है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे विभाग में और रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी को पटवारियों के, राजस्व निरीक्षण के और बैंक के प्रमाणित कराकर दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं. पंजी तक लगा दी है कि इतना उन्होंने बेचा है. इसके बाद जांच का कोई मामला नहीं है. अगर इसमें कोई मामला नहीं था तो आपने इसमें जांच कैसे स्वीकार कर ली कि हमारी इसमें बात सही है?

अध्यक्ष महोदय - जांच कराने के लिए वे बोल रहे हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, अब जांच किस बात की? जांच के ऊपर कौन-सी जांच? अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में बहुत अन्याय हुआ है, 4 वर्ष उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़े, सब जगह भटकते रहे, जब गिरफ्तारी का नोटिस तहसीलदार के द्वारा आ गया, तब वे परेशान होकर फिर आए. इसमें हमें न्याय मिला, लेकिन न्याय अभी भी पूरा नहीं है, न्याय तो पूरा तब होगा, जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल निलंबित करें, जांच अगर आपको करानी है, उसके पक्ष में करानी है तो बाद में देख लेना. लेकिन जब आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि जांच में दोषी है, अध्यक्ष महोदय, (XXX)

(XXX)आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय - यह विलोपित कर दें, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, अब ज्योति शाह तो इसमें नाम लिखकर आ गया है. हमारे पास जो जानकारी है उसमें यह है. वह खाद्य अधिकारी है. क्या आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित कर अगर आप न्याय चाहते हैं और किसानों के हितैषी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं, जबकि किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी की है, क्या ज्योति शाह को आप निलंबित करके जांच कराएंगे? जांच तो है नहीं, इसमें कार्यवाही करना है. उसको आप निलंबित कर कार्यवाही करेंगे?

कुंवर विजय शाह - अध्यक्ष महोदय, केवल 2 प्रकरण हैं जिसमें किसानों की बात है.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, 2 नहीं, 21 हैं.

कुंवर विजय शाह - अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने गड़बड़ी की है और अपनी क्षमता से ज्यादा गेहूं बेचा है, उसमें तो डॉ. गोविन्द सिंह जी और श्री मथुरा सिंह जी भी हैं, अब इनकी भी हम क्या जांच करा लें?

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल स्पष्ट है, आपके पास में प्रमाण हैं और जब प्रमाण हैं तो उसको आप निलंबित करेंगे कि नहीं. आपने स्वीकार कैसे किया? यह 21 किसानों का मामला है. वे 4 साल भटकें हैं, वे हाईकोर्ट गये, सभी जगह गये, न्याय नहीं मिला, तब विधानसभा में आए हैं.

कुंवर विजय शाह - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न उठा रहे हैं उनका नाम भी है कि 250 क्विंटल पात्रता थी और 356 क्विंटल इन्होंने बेच दिया है.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं, अगर मेरा गलत है, 21 में एक भी आदमी का तो मैं यहां सदन में शक्ल नहीं दिखाऊंगा(XXX)....आप बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दीजिए, आप किसी को बचाने का काम मत करिए. आपने फिर स्वीकार कैसे कर लिया कि गलत हुआ है.

कुंवर विजय शाह - अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हम कमिश्नर को यहां से भेज रहे हैं, उसकी जांच रिपोर्ट 5-7 दिन में आ जाएगी, थोड़ी भी गलती होगी तो अधिकारी को हम सस्पेंड कर देंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा बताएं?

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - उन्होंने समय-सीमा बता दी है, उस पर आपको संतुष्ट होना चाहिए.

कुंवर विजय शाह - अध्यक्ष महोदय, 7 दिन.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, 7 दिन में अगर गलत पाई गई तो निलंबित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय - अब हो गया, प्रश्न क्रमांक 3 श्री यादवेन्द्र सिंह अपना प्रश्न करें.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, 7 दिन का आपने कहा है यदि दोषी पाई तो..

अध्यक्ष महोदय - नहीं, इसमें यदि आ गया, डॉक्टर साहब आप वरिष्ठ सदस्य है, आपकी बात समय-सीमा सहित आ गई है.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अन्याय इस प्रदेश में किसानों के साथ हो रहा है और आप किसानों के हितैषी हैं.

अध्यक्ष महोदय - आपकी बात आ गई है.

कुंवर विजय शाह - अध्यक्ष महोदय, हमारा कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे.

प्रश्न संख्या (2) (अनुस्थित)

हत्या के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही

3. (*क्र. 364) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जयमंगल सिंह S/o श्री क्षमा प्रताप सिंह ग्राम पवैया वि. स. क्षेत्र नागौद की हत्या दिनांक 10-1-2014 की दरम्यानी रात को हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाना नागौद में हुई थी? (ख) यदि प्रश्नांश ''क'' हां, तो क्या आरोपी पकड़े जा चुके हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? विवरण दें? (ग) यदि प्रश्नांश ''ख'' नहीं पकड़े गये तो क्यों? आरोपियों के विरुद्ध कब तक तक कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हां. थाना नागौद, जिला सतना में अपराध क्र. 16/2014 धारा 302 भा. द. वि. पंजीबद्ध किया गया है. (ख) उक्त घटना में आरोपी अज्ञात होने के कारण नहीं पकड़े जा सके हैं. (ग) घटना के आरोपी अज्ञात हैं, अत: इनके पकड़े जाने के संबंध में समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है. अज्ञात आरोपियों की पतारासी एवं गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं.

श्री यादवेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के थाना नागौद के अंतर्गत 10.1.2014 को मंगल सिंह का मर्डर हुआ. उसके बाद से कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है. जिनके उपर शक है उनके परिवार वालों को टी.आई. के द्वारा बुलाया गया और उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया गया. 6-महीने पूरे हो चुके हैं आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस प्रयास कर रही है.

अध्यक्ष महोदय- कृपया सीधे प्रश्न कर लें.

श्री यादवेन्द्र सिंह- प्रश्न यही है कि 7.1.2014 को मंगल सिंह का मर्डर हुआ है. उसके बाद से आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गये हैं और जिसको पुलिस पकड़ भी लाती है तो उसको पैसा लेकर छोड़ देती है.

श्री बाबूलाल गौर-अध्यक्ष महोदय,यह सत्य है कि 10.1.2014 को,रात को 9 बजे, 11-1-2014 की सुबह 7 बजे के बीच, मृतक मंगल सिंह की हत्या अज्ञात आरोपी द्वारा की गई. दिनांक 8.7.2014 को आज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी कराये जाने हेतु पांच हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया. वे खटिया पर लेटे थे, किसी ने उनका गला घोट कर हत्या कर दी. पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सतना के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु गठित की गई. पूरी कार्यवाही की जा रही है. न तो, जो अज्ञात अपराधी है उसके बारे में कोई शिकायत है कि कौन व्यक्ति है और यह कहना गलत है कि पैसे ले देकर के मामला निपटाया गया है.

श्री यादवेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं. मुलजिम को चार बार बुलाया गया, पूरा गांव कह रहा है, मगर चाहे जिस वजह से हो उसको टी आई, के द्वारा छोड़ा गया और नागौद थाने में 90 प्रतिशत अपराध टी.आई. के द्वारा लेन देन करके , आज तक चाहे चोरी हो चाहे डकैती हो. कोई भी पकड़े नहीं गए हैं.

अध्यक्ष महोदय—उसमें जांच के लिए एक टीम बनाई गई है और उसमें पता देने वाले को ईनाम की राशि घोषित की है.

श्री यादवेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी किसी डी.एस.पी. रेंक के आधिकारी से जांच करवाये तभी मैं संतुष्ट हूं.

श्री बाबूलाल गौर- माननीय अध्यक्ष महोदय,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उसकी जांच कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ये जो कह रहे हैं कि लेन-देन करके कार्यवाही होती है, इन शब्दो को

विलोपित किया जाय. बिलकुल साधारण तरीके से आरोप लगा दिया जाता है. ये तो बहुत आसानी से कोई भी कह देगा कि लेन-देन हो रहा है. उसका कोई प्रमाण दें.

श्री यादवेन्द्र सिंह-रोज पकड़े जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—एडिशनल एस.पी.उसकी जांच कर रहे हैं.

श्री यादवेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, टी.आई. को ससपेण्ड किया जाय. बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है. जब तक जांच होती है तब तक उसको थाने से अलग किया जाय.

श्री बाबूलाल गौर—नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है.

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ग्वालियर द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

4. (*क्र. 2079) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड भितरवार एवं घाटीगाँव में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 1 अप्रैल, 2012 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य किस-किस मद से कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृति से किस-किस स्थान पर किस ठेकेदार/एजेन्सी से कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? उक्त निर्माण कार्यों की वर्तमान में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? उक्त कार्यों में से किन कार्यों की गुणवत्ता खराब होने सम्बन्धी शिकायतें किसके द्वारा की गई है? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) कार्यालय विकास आयुक्त म. प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 5067, दिनांक 11-6-2013 तथा कार्यालय कार्यपालन यांत्रिकी सेवा ग्वालियर का पत्र क्रमांक 2326, दिनांक 29-6-2013 एवं पत्र क्रमांक 184, दिनांक 10-1-2014 के पत्रों के संबंध में मोहना-ककैटो रोड से ककैटो गाँव तक एवं जखौदा की पुलिया से कंचन सिंह के पुरा तक पहुँच मार्ग के निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? विधान सभा में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्नकर्ता के परिवर्तित अतां. प्र. सं. 2 (क्र. 19) दिनांक 8-7-2013 पर आश्वासन क्र. 11 के पालन में उक्त दोनों रोड अभी तक क्यों पूर्ण नहीं हो सकी, स्पष्ट करें? अब इन रोडों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ग्वालियर में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार. उल्लेखित कार्यों की शिकायत प्रकाश में नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, ककैटो ग्राम (जनसंख्या 384) नवीन राजस्व ग्राम घोषित है, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर बनाये गये कोरनेटवर्क में शामिल नहीं होने से, ककैटो मार्ग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों के अनुरूप स्वीकृत नहीं हुआ. जखौदा रोड से खुदावली (जनसंख्या 684) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्मिलित है. जखौदा की पुलिया से कंचनसिंह के पुरा तक पहुंच मार्ग (कंचनसिंह का पुरा राजस्व ग्राम न होने से) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों अनुसार प्रस्तावित नहीं है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार.

श्री लाखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न (ख) के उत्तर में मंत्री जी ने लिखा है –प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया,ककैटो ग्राम (जनसंख्या 384). अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर सौ फीसदी असत्य है. जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये मेरे पास निर्वाचन की रिझल्ट शीट है. 2013 में जब वहां वोट जले थे तो वहां टोटल वोटर थे 835. उसमें से 525 वोट पड़े. 286 , यानि

54 प्रतिशत कांग्रेस को मिले. उसके बावजूद आपका उत्तर आ रहा है कि वहां पापुलेशन 384 है और उसमें फिर लिख दिया है कि पापुलेशन कम होने की वजह से ये कोर-नेटवर्क मे शामिल नहीं है. यह भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पहले माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में उत्तर दिया था ,मेरे परिवर्तित प्रश्न क्रमांक 2(क्र.19) दिनांक 8.7.2013 को आपने आश्वासन दिया था कि इन दोनों सड़कों को आप तत्काल निर्माण करा देंगे और आज आप कह रहे हैं कि यह उस नियम में ही नहीं आता. जबकि आपकी नालेज में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसकी डीपीआर तैयार हो गई है, बस आपका सहयोग लग जाए तो यह जंगल में गांव है, उस गांव में रोड बन जाएगा. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता कि आपके विभाग ने जो आपको असत्य जानकारी दी है, इसमें थोड़ा सुधार करवाएं और अगर मेरी बात गलत है तो निर्वाचन आयोग से जानकारी ले लें.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत या सुदूर ग्राम संपर्क योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं, 2001 की जनसंख्या के आधार पर बन रही हैं. अभी भारत सरकार ने अपने नार्म्स में, अपने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है. 2001 में जो जनसंख्या है, वह ककैटो ग्राम की जनसंख्या 384 थी. इस कारण से जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, अभी बढ़ गई होगी और भी लोग आ गए होंगे. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह असत्य बोल रहे हैं, लेकिन 12-13 वर्ष हो गए, 2001 की जनसंख्या और अभी 2014 मतलब 13-14 वर्ष हो गए हैं तो जनसंख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती है. लेकिन हम एक बंधन के अंदर हैं, एक लक्ष्मण रेखा हमारे सामने हैं, 2001 की जनसंख्या का आधार है. हमने भारत सरकार से पिछले महीने ही एक प्रस्ताव किया है, जब नई सरकार बनी थी कि अभी की जनसंख्या के आधार पर ही नई स्वीकृतियां दी जाएं और नया नियम बनाया जाय. लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिन दो सड़कों के बारे में एक

मोहना-ककैटो और दूसरी जखौदा का आपने कहा है तो जखौदा के लिए सुदूर ग्राम संपर्क सड़क योजना, हालांकि यहां तक कंचन सिंह का पुरा राजस्व ग्राम नहीं है.

श्री लाखन सिंह यादव—यह तो कनेक्टेड रोड है. राजस्व ग्राम नहीं है, यह खुड़ावली में कनेक्टेड है और उसी में आता है, यह बीच में छोटा सा पुरा बाद में डल गया है, लेकिन अभी यह राजस्व हो गया है.

श्री गोपाल भार्गव—बीच में आपका जखौदा तक तो बना है, उस मजरे टोले को जोड़ने के लिए जहां तक एप्रोच रोड का सवाल है, उसको हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज ही लेकर उसकी स्वीकृति देते हैं. जहां तक मोहन ककैटो का है, हम इसको भी देखते हैं, चूंकि हमने पहले इसलिए कहा था, हमे जनसंख्या की उतनी जानकारी नहीं थी, हमने कहा था कि शायद यह छूट गया होगा, लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि चूंकि स्थापित मापदंड उसके हैं, इसलिए जनसंख्या के नियम का हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं. कोई और दूसरा तरीका होगा तो हम बनवा देंगे. एक जो आपने कंचन सिंह का पुरा का कहा है , उसे हम जुड़वाने का काम अभी कर देंगे.

श्री लाखन सिंह यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कंचन सिंह का पुरा माननीय मंत्री जी अभी बन रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ककैटो वाला है, इसमें जो पापुलेशन की जानकारी दे रहे हैं, वह जानकारी शतप्रतिशत असत्य है, इसको आप चाहें तो.

अध्यक्ष महोदय—वह स्वीकार तो कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि वह 2001 की है. परीक्षण करा लेंगे, बोल तो रहे हैं.

श्री लाखन सिंह यादव—वह तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उसको जोड़ नहीं सकते हैं. जब 835 वहां वोट हैं, तो फिर पापुलेशन 384 कैसे हो सकीत है?

अध्यक्ष महोदय—वह स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बात असत्य नहीं है. वह कह रहे हैं कि उसकी कार्यवाही करवा रहे हैं.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 2001 के मापदंड पर स्वीकृतियां होती हैं, जब नियम बदल जाएंगे और 2013-14 जो कुछ भी तय होगा..

श्री लाखन सिंह यादव—आप यह बताएं कि यदि पापुलेशन आज के मापदंड से ठीक आ रही है तो उसको आप कब बनवा देंगे?

श्री गोपाल भार्गव—आज के मापदंड का कोई नियम नहीं है. यह भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए जाता है, उनके पास सेन्सस का रिकार्ड है, इसलिए नहीं कर सकते.

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न हो गया, आपका काम भी हो गया है. उत्तर में स्पष्ट है.

श्री लाखन सिंह यादव—पापुलेशन अगर आपके नियम के मुताबिक है तो क्या आप उस रोड को बनवा देंगे?

अध्यक्ष महोदय—परीक्षण करवाने का बोल दिया है, आपने सुना नहीं है.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जवाब आ जाय, आपसे विनम्र प्रार्थना है.

अध्यक्ष महोदय—एक सड़क की स्वीकृति दे दी, दूसरी का उन्होंने कहा कि हम परीक्षण करा लेंगे. अब उसमें रह क्या गया है. सब बोल तो दिया है.

श्री लाखन सिंह यादव—वह घोषणा तो करें कि यदि वहां पापुलेशन है तो उस रोड को बना देंगे, यही तो मैं कह रहा हूं.

श्री रामनिवास रावत-- अगर वो परीक्षणोपरांत नार्म्स के अंतर्गत है वह स्वीकृत कराने के लिए प्रस्ताव भेज देंगे.

वन मंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)—अध्यक्ष महोदय, ये लाखन सिंह जी की तरफ से बोल रहे हैं तो क्या मैं भार्गव साहब की तरफ से बोल सकता हूँ (हंसी)अध्यक्ष महोदय, अब सदन मे वकालतनामें लगने लगे(हंसी)

श्री गोपाल भार्गव—वैसे जो कह रहे हैं, जगल की सड़क है तो डा. साहब बोल ही सकते हैं(हंसी)

श्री लाखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, आपकी(मंत्रीजी) की तरफ से आ जाए.

श्री गोपाल भार्गव-- आप कह दें, फारेस्ट से ही बन जाएगा(हंसी) अध्यक्ष महोदय, हम इसको किसी न किसी रुप में मुख्यमंत्री सुदूर ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत ले लेंगे.

जिला धार में पेयजल वितरण हेतु टेंकर का प्रदाय

5. (*क्र. 1593) श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में जिला पंचायत द्वारा पेयजल परिवहन हेतु टेंकर किस निधि से प्रदाय किये गये हैं? विधानसभावार स्वीकृत राशि व टेंकरों की संख्या बतायें? (ख) क्या यह सही है कि प्रदाय किये गये टेंकर जिला पंचायत सदस्यों के नाम लिखकर उनके द्वारा उनके घर से ग्राम पंचायतों को वितरण किया जाना था? यदि नहीं, तो विधान सभा क्षेत्र मनावर में श्री निरंजन डावर जिला पंचायत सदस्य मनावर का नाम टेंकरों पर क्यों लिखा गया तथा उनके घर से ग्राम पंचायतों को वितरण क्यों किये गये? (ग) कार्य एजेंसी का नाम बतायें? (घ) क्या उक्त योजना की जानकारी क्षेत्रीय विधायकों को नहीं देना थी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) धार जिले में जिला पंचायत धार द्वारा पेयजल परिवहन हेतु 13वां वित्त आयोग अंतर्गत परफारमेंस ग्रांट से टेंकर प्रदाय किये गये हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार. (ख) जी नहीं. जिला पंचायत धार द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि/जनपद/जिला पंचायत सदस्य के नाम टेंकरों पर लिखे जाने के आदेश नहीं दिये गये हैं. कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय किये गये टेंकरों पर उनके स्तर से जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित कराये गये थे. संबंधित ग्राम पंचायतों के टेंकरों पर अंकित नाम हटाये जाने के संबंध में प्रदाय एजेंसी को निर्देश जारी कर नाम हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार. (ग) कार्य एजेंसी का नाम एमपीस्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड धार है. (घ) योजनांतर्गत कराये जाने वाले कार्य की जानकारी जिला पंचायत की सक्षम प्रशासन समिति द्वारा नामांकित/सहयोजित क्षेत्रीय विधायकों को दी जाना थी. चूंकि परफारमेंस ग्रांट मद से कार्य स्वीकृत कराये जाने हेतु जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है. म. प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 47 (4-ग) में निहित व्यवस्था अनुसार जिला पंचायत की प्रत्येक समिति हेतु 2 विधान सभा सदस्यों को सहयोजित किये जाने का प्रावधान है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार. जिला पंचायत धार में नवनिर्वाचित मान. विधायकों की समितियों में सहयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अतः टेंकरों की जानकारी मान. विधायकों की नहीं दी जा सकीं है.

श्रीमती रंजना बघेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से धार जिले में टेंकर क्रय के बारे में मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया. उसमें पूरे धार जिले में लगभग 6 करोड़ 21 लाख की लागत के 1172 टेंकर हैं उसमें अभी 3 तारीख से 701 टेंकर में मनावर विधानसभा में 220 में से 130 टेंकर दिनांक 3 जुलाई से बांटे गये और 8 जुलाई को मेरे संज्ञान में आया कि वार्ड क्रमांक 23 के जनपद सदस्य के घर पर 170 टेंकर खड़े थे.अध्यक्ष महोदय,चूंकि जिला पंचायत के विकास कार्यों की सुपरवीजन की इकाई जनपद होती है तो जनपद के माध्यम से टेंकर वितरण करना था तो टेंकर वार्ड क्रमांक 23 के सदस्य के घर से बांटे और मनावर विधानसभा में जनपद सदस्य के तीन वार्ड हैं 23,24 और 25 तो वार्ड क्रमांक 23 के सदस्य चूंकि वे विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने पूरी विधानसभा में उनका नाम लिखकर के दिये हैं तो मेरे प्रश्न (ख) के उत्तर में दिया है कि टेंकर घर से नहीं बांटे गये और नाम नहीं लिखे और हटा दिये गये. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत है. मैं यह टेंकर में नाम लिखा हुआ यह फैक्स मैंने कल बुलाया है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि टेंकर की जो एजेन्सी है उस एजेन्सी ने डायरेक्ट वार्ड क्रमांक 23 के सदस्य के घर से प्रदाय किया जबकि जनपद से करना था, माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में लाया था, टेंकरों की सब क्लीपिंग्स भी मेरे पास है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि एमपी एग्रो द्वारा माननीय सदस्य के घर से जो बांटा है इस तरह की अनियमितता की है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही होगी?

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन के द्वारा जिलों के लिए, जनपदों के लिए परफार्मेंस ग्रांट के अंतर्गत 13 वें वित्त आयोग की राशि दी जाती है. किसी भी जिला पंचायत सदस्य के लिए, अध्यक्ष के लिए,जनपद अध्यक्ष के लिए, सदस्य के लिए किसी को भी यह अधिकारी नहीं है कि वे अपना नाम उन टेंकरों के ऊपर लिखवाये.माननीय सदस्यों के नाम भी या वहां के लोगों के नाम भी लिखे नहीं जा सकते. उसमें ज्यादा से ज्यादा यह लिखा जाएगा कि यह

परफार्मेंस ग्रांट की या 13 वें वित्त आयोग की राशि है. इसके बावजूद भी यदि किसी ने लिखाया है तो यह पूर्णत: गलत है और मैंने तो अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उसको साफ करें और जिन लोगों ने लिखवाया है, यदि अधिकृत रुप से लिखवाया है, अब अनाधिकृत रुप से कोई भी पेंट ले जाए, वार्निश ले जाए, लिख दें, उस पर गूद दे तो उसमें हम नहीं कह सकते लेकिन यदि ऐसा लिखा गया है तो यह नियम विरुद्ध है और इस पर जो कुछ भी उचित होगा, इसको हम देखेंगे, कार्यवाही करेंगे. हमने निर्देशित किया था कि इसको मिटायें, अलग करें, यह आपका पैसा नहीं है, आपके अधिकार का नहीं है, इसके लिए नियम है, यह अपना नाम लिखवा के यहां पर यह नहीं बता सकते कि यह आपका पैसा है . इस कारण से यदि ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसकी जांच करा लेंगे और यदि नियम विरुद्ध कुछ हुआ होगा तो उस पर कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे.

श्रीमती रंजना बघेल—माननीय अध्यक्ष महोदय,जांच की आवश्यकता है नहीं, मेरे पास क्लीपिंग्स हैं, मेरे पास जो विधानसभा में विधायकों को टेब दिये गये थे, उस टेब में वह सब क्लीपिंग्स हैं, आप सीधे एग्रो पर कार्यवाही करें कि उन्होंने एक वार्ड के सदस्य का नाम लिखकर के पूरी विधानसभा में कैसे बांट दिया. दूसरा ये है कि टैंकरों की क्वालिटी हल्की है और उसके टायर काफी खराब है और 750 लीटर वाला टैंकर है. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गांव में करीब 8 से 12 मजरे होते हैं और एक मजरे में लगभग 200 घर होते हैं इसलिए 750 लीटर वाले टैंकर का औचित्य नहीं है वहाँ 55 लीटर वाला टैंकर चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सीधे-सीधे अनियमितता की गई है, राशि का दुरुपयोग हुआ है. मेरा मंत्री जी से कहना है कि 6 करोड़ 21 लाख के जो 701 टैंकर हैं, वह जनपद में एकत्रित करके गणना की जाए क्योंकि बैक डेट में कुछ सरपंचों से प्राप्ति की रसीद ली है. इनकी एकत्रित करके गणना की जाए, इनकी जाँच कराई जाए क्योंकि टैंकर में इस राशि का दुरुपयोग हो रहा है मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो टैंकर खरीदी की धार जिले

में परफार्मेंस की शेष राशि है, उससे टैंकर खरीदी निरस्त की जाकर उस राशि से पाइपलाइन की योजना कराई जाए. क्योंकि पाइपलाइन गांवों में बहुत आवश्यक है.

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न पूछ लीजिये .

श्रीमती रंजना बघेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें टैंकर खरीदी की जो राशि बाकी है उसमें संशोधन करके पाइपलाइन की योजना हेतु आदेश देंगे क्या.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें, जनपद पंचायते राशि स्वीकृत करती हैं .वहाँ पर पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने टैंकर ख़रीद लिये. शासन यह निर्देशित नहीं कर सकता है कि अमुक-अमुक काम में आप इसको व्यय करेंगे. लेकिन जो गाइडलाइन्स राज्य सरकार औऱ भारत सरकार की बनाई गई , उन्नके बाहर कोई नहीं जा सकता है. अब टैंकर मूलभूत आवश्यकता में आते हैं लेकिन जैसा माननीय सदस्या ने कहा है कि पेयजल के लिए पाइपलाइन भी मूलभूत आवश्यकता है , हम निर्देशित करेंगे कि प्राथमिकता से इसको किया जाये. जहाँ तक टैंकर की क्षमता या गुणवत्ता में गड़बड़ी का सवाल है वह लिखकर दे दें और क्लीपिंग भी दे दें तो हम उसकी जाँच करा लेंगे यदि भुगतान नहीं हुआ है तो भुगतान रोक देंगे औऱ अगर भुगतान हो भी गया होगा तो हम उसकी वसूली के लिए भी कार्यवाही कर देंगे.

खण्डवा जिले में आपराधिक घटनाएं

6. (*क्र. 2433) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में विगत तीन वर्षों में चोरी, हत्या, लूट एवं अवैध गौवंश परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए? क्या सभी प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं? (ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पुलिस कार्यवाहियों से इन आपराधिक घटनाओं में कमी आई है? क्या खण्डवा पुलिस बल के पास पर्याप्त आधुनिक वाहन एवं सुरक्षा के उपाय उपलब्ध हैं? (ग) आपराधिक प्रकरणों की रोकथाम के लिये पुलिस विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? क्या ये उपाय अपराधों की रोकथाम के लिये कारगर सिद्ध हो रहे हैं? (घ) यदि नहीं, तो खण्डवा जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्या गृह विभाग जिले में अतिगोपनीय एवं त्वरित कार्यबल जैसे विशेष पुलिस स्टाफ की नियुक्ति एवं नवीन संसाधन प्रदान करने पर विचार कर रहा है? (ङ) यदि हां, तो क्या खण्डवा पुलिस बल को अत्याधुनिक संसाधनों से लेस किया जाएगा, यदि हां, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी हां. खण्डवा पुलिस बल के पास पर्याप्त आधुनिक बल एवं सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध हैं, जिससे आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल रही है. उक्त प्रकरणों में कमी/वृद्धि की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) पुलिस विभाग द्वारा जन सहभागिता एवं जागरूकता तथा सर्विलोंस सिस्टम के माध्यम से अपराधों की रोकथाम हेतु प्रयास किये जा रहे हैं. (घ) खण्डवा जिले के लिये बल एवं संसाधन संबंधी कोई प्रस्ताव या योजना शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है. (ङ) बजट उपलब्धता पर अत्याधुनिक संसाधनयुक्त करने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है. समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

श्री देवेन्द्र वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडवा के दादा जी धाम में दर्शन हेतु लगभग तीन चार लाख लोग पधारते हैं .गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहाँ एक ओर लाखों लोगों के भीड़ थी, वही एक पर्टीकुलर क्षेत्र में लगभग....

अध्यक्ष महोदय-- आप सीधे प्रश्न पर आ जाएं.

श्री देवेन्द्र वर्मा--- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही कर रहा हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि लगभग एक घन्टे तक एक क्षेत्र में पथरावबाजी होती रही और वहाँ पर पुलिस एक डेढ़ घंटे के बाद पहुंची है.

अध्यक्ष महोदय--- यह कब का मामला है.

श्री देवेन्द्र वर्मा--- यह गुरुपूर्णिमा का है.

अध्यक्ष महोदय--- लेकिन यह इस प्रश्न में नहीं है.

श्री देवेन्द्र वर्मा--- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो थाने हैं और जैसा प्रश्न का जवाब आया है कि पर्याप्त पुलिस बल है , वहाँ पर एक एक थाने में लगभग 80 से 85 पद संख्या स्वीकृत है और उसके विपरीत 30 35 जवान हैं . मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहाँ पर अतिरिक्त थाना, पदम नगर के लिए लंबे समय से प्रस्तावित है. क्या उसको स्वीकृत करेंगे और इसी प्रकार जो पुलिस बल की कमी है उसे पूर्ण करेंगे. दूसरा मेरा निवेदन है कि सांप्रदायिक तनाव में सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र खंडवा है तो उसके लिए कुछ विशेष अभियान या प्रयास या कार्ययोजना शासन द्वारा बनाई जाएगी.

श्री बाबूलाल गौर--- माननीय अध्यक्ष महोदय,जो जानकारी आपने चाही है वह हमने परिशिष्ट(अ) पर संलग्न की है. दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमने बताया है कि जी हाँ, खंडवा पुलिस बल के पास पर्याप्त आधुनिक बल एवं सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध हैं जिससे आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल रही है उक्त प्रकरणों में कमी/वृद्धि की जानकारी परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है . अब इन्होंने जानकारी माँगी दूसरी और प्रश्न कर रहे हैं कोई अन्य कि वहाँ पर कितनी पुलिस है कितनी नहीं है. अब जो प्रश्न का उत्तर है वही तो मैं दूंगा. आप कह रहे हैं कि वहाँ इतनी जनता इकट्ठी हुई अब यह प्रश्न उद्भूत नहीं हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- हाँ , यह उद्भूत नहीं हो रहा है. मैंने भी उनसे कहा था.

श्री बाबूलाल गौर--- अब यह जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ आप बतायें कि कितनी कमी है . हमारी दृष्टि से वहाँ पर कमी नहीं है.

श्री देवेन्द्र वर्मा--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न में बताया है कि मेरे क्षेत्र में दो थाने हैं दोनों थानों में कितनी पद संख्या स्वीकृत हैं और कितने जवान हैं. आपने जवाब दिया है कि पर्याप्त पुलिस बल है. मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ 80 से 85 पद स्वीकृत हैं और उसके विपरीत 30-30, 35-35 जवान हैं.

श्री बाबूलाल गौर--- अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त बल हैं अगर यह चाहेंगे तो मैं अलग से भी जानकारी दे दूंगा.

श्री देवेन्द्र वर्मा--- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चौकी लंबे से प्रस्तावित है उसे थाने में उन्नयन करने की. अध्यक्ष महोदय, यदि वह स्वीकृत हो जाता है तो बहुत कुछ, सांप्रदायिक तनाव में हर महीने छोटे छोटे त्यौहार पर पथरावबाजी और अग्निकांड की घटनाएँ हो रही हैं.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी, वे चौकी चाहते हैं तो....

श्री बाबूलाल गौर-- अध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- विचार कर लेंगे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव के संबंध में

7. (*क्र. 1243) श्री दीवानसिंह विठ्ठल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत किये जाने के क्या विभागीय प्रावधान हैं? (ख) बड़वानी जिले में योजना के प्रारम्भ से वर्तमान तक कौन-कौन से ग्रामों में उक्त योजना में मार्ग निर्माण हुए हैं? कि. मी. सहित बतावें? क्या यह सही है कि निर्माण से पाँच वर्ष तक ठेकेदार की मरम्मत करने की गारंटी होती है? यदि हां, तो ठेकेदारों ने जिले की कौन-कौनसी सड़क की मरम्मत की है? (ग) क्या यह भी सही है कि पाँच वर्ष पश्चात् ठेकेदार की गारंटी समाप्त हो जाती है? यदि हां, तो अब इन सड़कों की मरम्मत के क्या प्रावधान हैं? जिले में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनको पाँच वर्ष से अधिक हो गये हैं? (घ) क्या यह सही है कि राखी बुजुर्ग से धावड़ी मार्ग की हालत जीर्ण-शीर्ण हो गई है? यदि हां, तो इसका संधारण कौन करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्माण कार्य के पैकेज की पूर्णता तिथि के पश्चात् आगामी 5 वर्षों तक की गारंटी अवधि में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार से मार्ग का रख-रखाव कराया जाता है. गारंटी अवधि के पश्चात् आगामी पाँच वर्षों तक संधारण एवं रिन्युअल के लिये राज्य शासन मद से नवीन निविदा आमंत्रित कर संधारण एवं रिन्युअल का कार्य कराया जाता है. (ख) बड़वानी जिले में योजना प्रारंभ दिनांक से वर्तमान तक 351 ग्रामों में मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है तथा निर्माणाधीन मार्गों का 49 ग्रामों में निर्माण कराया जा रहा है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार. जी हां. पांच वर्ष की गारंटी अवधि के संधारित किए गये मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार एवं पांच वर्ष की गारंटी के पश्चात् संधारित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार. (ग) जी हां. जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार. बड़वानी जिले में ऐसी 82 सड़कें हैं, जिनको निर्मित हुए पांच वर्ष से अधिक का समय हो गया है. (घ) राखी बुजुर्ग से धावड़ी मार्ग वर्तमान में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराये जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है. ठेकेदार के विरद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही कर ठेका निरस्त किया गया है. नवीन एजेन्सी हेतु निविदा आमंत्रण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है. नवीन एजेंसी निर्धारण उपरान्त मार्ग का शेष निर्माण कार्य एवं संधारण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार कराया जाएगा.

श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़वानी जिले की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जितने सड़क के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके विषय को लेकर मेरा प्रश्न है और अभी कुल 351 गाँवों में सड़कों का काम हुआ है जिसमें जिन सड़कों का काम हुआ है उसमें मैंने प्रश्नांश (क) में रखरखाव और मरम्मत संबंधी पूछा है. मंत्री जी का उसमें जवाब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत...

अध्यक्ष महोदय-- आप यह मत पढ़िए, आप तो पूरक प्रश्न पूछ लीजिए. उसमें सारी बातें हैं.

श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल-- अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि 5 वर्षों के अन्तर्गत गारंटी में जो ठेकेदार जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, ऐसे 82 मार्ग हैं, उसके रखरखाव में कहीं से कहीं तक ठेकेदार का कोई ध्यान नहीं रहा है इसलिए मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि क्या मंत्री जी यह बताएँगे कि जो एजेन्सी, ठेकेदार है, यह 82 गाँव जो हैं, जिनका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माण काम हुआ है और उसके बाद रखरखाव में कहीं से कहीं तक उनका ध्यान नहीं रहा और सारी सड़के खस्ता हालत में हैं, ऐसी स्थिति में मंत्री जी से यह निवेदन है कि वे समय सीमा में रहते हुए इन सड़कों का रखरखाव का कार्य पूर्ण करवा लेंगे? साथ ही 121 जो सड़कें हैं जिनका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो कार्य हुआ है, जिनका संधारण होना है, चूँकि वह ठेकेदार से अलग मामला हो गया तो, विभाग द्वारा वह काम किया जाना है, तो संधारण के लिए, रिन्युअल के लिए जो राज्य शासन मद से निविदाएँ आमंत्रित होना हैं, तो वह निविदाएँ कब आमंत्रित हो जाएँगी? उसकी समय सीमा बताएँ.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों के लिए 5 वर्ष नहीं हुए हैं, उन सड़कों की देखरेख रखरखाव की जो जिम्मेदारी है, वह एजेन्सी की है, ठेकेदार की है, 5 वर्षों के बाद हमने सड़क की भौतिक स्थिति के आधार पर हमने उसके रखरखाव का प्रावधान करके रखा है, पर्याप्त राशि है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, यदि 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो उन सारी सड़कों का, वैसे तो हमारा यह काम रुटीन में चलते ही रहता है, लेकिन उन सड़कों को हम फिर से चिन्हित करके और उनके नवीनीकरण का काम करवा देंगे 5 साल की उसमें भी गारंटी होती है और 5 साल तक वह गारंटी अवधि के अन्तर्गत काम करने का और उसकी मरम्मत करने का जो निर्माण के बाद में 5 साल होते हैं वह और फिर 5 साल में फिर मेंटेनेंस का काम विभाग के द्वारा करवाया जाता है.

श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांश (घ) में मैंने यह पूछा है कि क्या यह सही है कि राखी बुजुर्ग से धावड़ी मार्ग की हालत जीर्ण-शीर्ण हो गई है. उस प्रश्न का मंत्री जी का जो उत्तर आया है कि धावड़ी मार्ग शीघ्रतः ठेकेदार....

अध्यक्ष महोदय-- यह कहाँ पूछा है.

श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल-- यह पूछा है, प्रश्नांश (घ) में है. ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही कर ठेका निरस्त कर दिया गया है और नवीन एजेन्सी हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है. मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि नवीन एजेन्सी हेतु निविदाएँ संबंधी कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? समय सीमा बताएँ.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, 20 मार्च 2014 को इसका टेंडर निरस्त किया गया था, जो ठेकेदार था इसमें, इसकी नवीन निविदाएँ आमंत्रित करने की समय सीमा का पूछा है, चूँकि बार बार रीटेंडर करने पर भी ठेकेदार नहीं मिलते हैं इस कारण से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एजेन्सी तय हो जाए और इसका काम फिर से शुरू हो जाए.

म. प्र. पुलिस बल की शारीरिक दक्षता बनाये रखने हेतु विशेष प्रशिक्षण की योजना

8. (*क्र. 2984) श्री जयभान सिंह पवैया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म. प्र. पुलिस बल के लिये शारीरिक दक्षता (फिजिकल फिटनेस) बनाए रखने हेतु कोई मापदण्ड एवं विशेष योजना बनाई गई है? यदि हां, तो वह क्या है? (ख) म. प्र. पुलिस बल के जवानों व अधिकारियों के लिये कार्य के दबाव से निपटने की मानसिक क्षमता बढ़ाने हेतु योग एवं ध्यान जैसे प्रशिक्षण तथा वर्कशॉप निरंतर कराने की योजना है? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) म. प्र. पुलिस में भर्ती हुये नव आरक्षकों कौ बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक क्षमता (फिजीकल फिटनेस) बनाये रखने हेतु बाह्य प्रशिक्षण के अंतर्गत पी. टी., परैड, यू. ए. सी., शरीर शौष्ठव, एक्सरसाईजेस, रोड रनिंग, आब्सटिकल, शटलरेस तथा खेल व जिम कराया जाता है. (ख) अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य के दबाव से निपटने एवं मानसिक क्षमता बढ़ाने हेतु योग एवं ध्यान प्रति सप्ताह कराया जाता है तथा समय-समय पर इससे संबंधित प्रशिक्षण, वर्कशाप एवे सेमीनार भी आयोजित कराये जाते हैं.

श्री जयभान सिंह पवैया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस की एफीसिएंसी और शारीरिक दक्षता को लेकर जो सवाल पूछा था उसका जो उत्तर आया है वह मेरे मूल प्रश्न से थोड़ा हटकर है. मैंने पूछा है कि मध्यप्रदेश पुलिस बल की शारीरिक दक्षता बनाये रखने के लिये क्या कोई

मापदंड और योजना बनाई गई है ? मुझे उत्तर दिया गया है कि नव आरक्षकों को भर्ती के समय शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है. मैंने नव-आरक्षकों के बारे में सवाल नहीं किया है. मैंने प्रश्न किया है कि मध्यप्रदेश पुलिस बल जिसमें हमारा विशेष सशस्त्र बल और होमगार्ड भी शामिल है. हमारा सोचना यह है सेवा-काल चलते-चलते पुलिस के जवान और अधिकारी भी स्थूलकाय हो जाते हैं. 55 साल के हेड-कांस्टेबल या कांस्टेबल से उम्मीद करें कि वह दौड़कर आपराधियों को पकड़ ले, मैं किसी राज्य की पुलिस की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ लेकिन हमारा एसएएफ और उत्तर प्रदेश की पीएससी के जवानों को खड़ा करके हम तुलना करें. मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण की व्यवस्था पुलिस के जवानों के लिये की गई है जैसे कि प्रतिदिन का रोल काल होता है क्या रोल काल में व्यायाम की व्यवस्था जोड़ी गई है? दूसरा प्रश्न यह है कि कार्य का दबाव पुलिस के लोगों पर बहुत रहता है. इस दबाव से निपटने के लिये सारे विश्व में ध्यान और योग की व्यवस्था को सांइटिफिकली स्वीकार किया गया है. क्या पुलिस विभाग में इस तरह की ध्यान, योग की व्यवस्था चलाई जा रही है. एक प्रश्न मेरा अवकाश को लेकर है कि 27x7 की ड्यूटी पुलिस के जवानों की रहती है क्या उसमें अल्टरनेट-डे में कोई ऑफ देने की योजना है?

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पहली बार आपने पुलिस की पीड़ा को समझा है अन्यथा लोग हमेशा पुलिस की आलोचना ही करते हैं. आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है. अभी तक जो पुलिस की व्यवस्था है उसमें पुलिस लाइन में हर मंगलवार व शुक्रवार को पीटी व परेड होती है. कहीं-कहीं हमने ध्यान का भी कार्यक्रम रखा है. पुलिस के जवान जो कि 16-16 घंटे काम करते हैं उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इसलिये हम यह सोच रहे हैं कि उनको कुछ पौष्टिक पदार्थ दिये जायें. इस बजट में हम पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था करेंगे.

श्री जयभान सिंह पवैया—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आहार को लेकर नहीं है वह आप दें उसके लिये धन्यवाद. लेकिन योग, ध्यान और व्यायाम की रेगूलर ट्रेनिंग या क्रम की व्यवस्था आपकी ओर से किये जाने की योजना है क्या ? मेरा जोर इस बात पर है कि ऐसा नहीं हो रहा है. साप्ताहिक योग और ध्यान से काम नहीं चलता है रोल कॉल में अगर यह व्यवस्थायें हों या हेड क्वार्टर्स पर जो प्रतिदिन का दूसरे बलों का काम है उसमें यदि इसे जोड़ा जायेगा तो प्रदेश की पुलिस की कार्यक्षमता में बहुत सुधार होगा, एफीसिएंसी कम हो रही है.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में पिछले 3-4 सालों में 25 हजार से अधिक लोगों की भर्ती की गई है. 60-70 हजार पुलिस बल की कमी थी. 5 हजार नई भर्तियां हम और कर रहे हैं ताकि 13-14 घंटे पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ रहा है उसे हम 12 या 10 घंटे करेंगे और महीने में एक दिन की छुट्टी अतिआवश्यक करेंगे. यह खर्च बहुत बड़ा है 60-70 हजार भर्तियां एक साथ नहीं कर सकते हैं. उनके लिये मकान बनाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं उनकी पीटी और ध्यान की भी व्यवस्था कर रहे हैं, वेलफेयर की भी स्कीमें हैं जिनका इस बजट में प्रावधान है यह बजट 690 करोड़ का है उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे.

ग्राम पंचायत रजाखेड़ी बाजार बैठकी से आय-व्यय संबंधी

9. (*क्र. 2377) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बुधवार एवं रविवार को साप्ताहिक हॉट बाजार में व्यापारी/दुकानदारों से बाजार बैठकी/वसूली राशि ली जाती है? हां या नहीं? (ख) यदि हां, तो वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 तक बुधवार एवं रविवार को साप्ताहिक हॉट बाजार से कितनी बाजार बैठकी से आय प्राप्त होती है कि वर्षवार एवं माह अप्रैल 2014, मई 2014 और जून 2014 की जानकारी साप्ताहिक हॉट बाजार के मानक से देवें? (ग) हॉट बाजार से होने वाली आय से पंचायत द्वारा वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 में क्या-क्या कार्य/व्यय किया गया.

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) जानकारी †संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ग) जानकारी †संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

इन्जी. प्रदीप लारिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में जवाब दिया गया है कि 4 वर्षों से पंचायत बाजार बैठकी की वसूली कर रही है. चार वर्ष पहले ठेका पद्धति थी उससे पंचायत को कितनी आय होती थी और अभी पंचायत बाजार बैठकी वसूल कर रही है इसमें कितने कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति का क्या आधार है, उनको प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, वार्षिक कर्मचारियों पर कितना व्यय होता है ?

श्री हरदीप सिंह डंग – माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्नकाल को दो घंटे करा जाए साब. यह तेईसवें नंबर पर नाम है पांचवां दिन मेरा नंबर आआया था और मेरे को चांस नहीं लग रहा कि तेईसवें नंबर पर पहुंच जाएंगे

अध्यक्ष महोदय – पहले तो आ चुके आपके नंबर.

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता) - अध्यक्ष महोदय, दो घंटे चलाया तो साढ़े बारह बज जाएंगे.

श्री प्रदीप लारिया – (XXX)

श्री देवेन्द्र वर्मा - अध्यक्ष महोदय, वीर जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और 12 बजे तक प्रश्नकाल किया जाए.

एक माननीय सदस्य – (XXX)

अध्यक्ष महोदय - कार्यवाही से इसे निकल दीजिये.

श्री गोपाल भार्गव - माननीय अध्यक्ष महोदय,(हंसी आने पर)

श्री जीतू पटवारी – भार्गव जी, आप तो गुस्से में ही दिखते आज हंसते हुए भी बहुत अच्छे लग रहे हो आप. और हंसो.

श्री गोपाल भार्गव - माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सब अपने हैं किसी पर गुस्सा नहीं होता मैं न कभी करते हैं. माननीय सदस्य ने जो व्यय में प्रश्न पूछा है इसके बारे में भी परिशिष्ट में दिया हुआ है. कर्मचारियों के वेतन के बारे में जो आपने पूछा तो कर्मचारियों के वेतन पर 2 लाख 76 हजार 300 रुपये.

इंजी. प्रदीप लारिया – यह तो जवाब में है. मैं यह चाह रहा था कि जब चार वर्ष पूर्व ठेका पद्धति से था उस समय क्या आय होती पंचायतों को.

श्री गोपाल भार्गव - माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेका पद्धति से यही तो लिखा है 2011-12 की. जो परिशिष्ट में दिया है. अरे, प्रदीप यह बताओ करना क्या है.

इंजी.प्रदीप लारिया - मेरा यह कहना है 6 लाख 15 हजार ठेका पद्धति से आता था और अभी जो आय हुई है 31 लाख 45 हजार के आसपास आय हुई है. यदि 6 लाख 15 हजार

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

जो ठेका पद्धति से आय होती थी अगर आपके जवाब से 10 परसेंट भी जोड़ लिया जाए तो

आपकी जो आय है 31 लाख वह आ रही है लेकिन जो 13 लाख कर्मचारियों पर व्यय हो रहा है तो यदि यह ठेका पद्धति से होता तो 31 लाख 45 हजार रुपये शुद्ध आय होती. मेरा कहना है कि 13 लाख रुपये पंचायत को हानि हुई है. रजाखेड़ी,मकरोनिया,खास तौर पर पूरे प्रदेश में नगर सीमा से जो पंचायतें लगी हैं लगातार वहां जनसंख्या बढ़ रही है.

अध्यक्ष महोदय – आप सीधा प्रश्न कर लीजिये कि क्या ठेका पद्धति से देंगे क्या.

इंजी.प्रदीप लारिया - मेरा यह कहना है चाहे वह बाजार बैठकी का विषय हो चाहे आपका भवन निर्माण की अनुमति से जुड़ा हो. जो 13 लाख रुपये की हानि हुई है दूसरा जो बाजार बैठकी है भवन निर्माण की अनुमति है और संपत्ति कर पंचायतों का होता है इसकी क्या समीक्षा कर उन पंचायतों के विकास में लगाएंगे क्या ?

श्री गोपाल भार्गव - माननीय अध्यक्ष महोदय, 73 और 74 वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों के लिये अधिकार मिले हैं कि किस तरह से वह करों की वसूली करें. किस तरह से करारोपण करें किस तरह से अपनी आय में वृद्धि करें. पूर्व में जब यह व्यवस्था थी कि वह ठेका पद्धति से होता था बाद में उसको परिवर्तित करके बाजार बैठकी विभागीय तरीके से पंचायतों ने अपने कर्मचारियों द्वारा करवाई है इसमें यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है हम इसकी भी जांच करा लेंगे और बाजार बैठकी के अलावा विभिन्न प्रकार की जैसे भवन निर्माण की स्वीकृतियां हैं तथा अन्य प्रकार की जो आय है यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी तो हम उसकी भी जांच करा लेंगे यह बहुत बड़ा विषय नहीं है, ग्राम पंचायत का है, इसको हम दिखवा लेंगे.

इंजीनियर प्रदीप लारिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मकरोनिया, रजाखेड़ी, गंभीरिया इनकी आबाली एक लाख से ज्यादा है इसके लिये कोई विकास की योजना माननीय मंत्री जी बनाएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय—इस बार में आप मंत्री जी से बात कर लीजियेगा.

प्रश्न क्रमांक-10

संदिग्ध मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही

10. (*क्र. 2816) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के पुलिस थाना ब्यौहारी, जयसिंह नगर, सीधी तथा देवलौंद अंतर्गत वर्ष 2008 से मार्च, 2014 में संदिग्ध मौतों की कितनी सूचनाएं थानों में प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितने मामलों में पुलिस द्वारा न्यायालय में चालानी कार्यवाही की गई और कितने में खात्मा कार्यवाही की गई है? कितने में जांच जारी है? (ख) कौन-कौन से मामले ऐसे हैं, जिनमें थाना प्रभारी द्वारा खात्मा और खारिजी पेश किए गये थे, जो अस्वीकृत किये हैं? तथा अतिरिक्त जांच के आदेश दिये गये हैं? (ग) क्या ऐसे मामलों में विशेष विवेचक नियुक्त किये जायेंगे? ताकि अपराधी पकड़े जा सकें और उन्हें सजा दिलाई जा सके? यदि हां तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) शहडोल जिले के पुलिस थाना ब्यौहारी, जयसिंह नगर, सीधी तथा देवलौंद अंतर्गत वर्ष 2008 से मार्च 2014 तक कुल 75 संदिग्ध मौतों की सूचनाएं थानों में प्राप्त हुई हैं. जांच उपरान्त 21 मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया. 17 प्रकरणों में पुलिस द्वारा न्यायालय में चालानी कार्यवाही की गई है. 2 प्रकरणों में खात्मा कार्यवाही एवं 1 प्रकरण में खारजी की कार्यवाही की गई है. 1 प्रकरण में विवेचना जारी है. थानावार जानकारी ††सलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) खात्मा, खारिजी के अस्वीकृत प्रकरणों की जानकारी निरंक है. (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना ब्यौहारी, जयसिंहनगर सीधी, एवं देवलोक मेरा प्रश्न संदिग्ध मौतों से संबंधित था जैसा कि मंत्री जी का जवाब आया है कि 75 संदिग्ध मौतों की सूचना प्राप्त हुई, जांच उपरांत 21 मामलों का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, शेष प्रकरण को कब तक पंजीबद्ध किया जायेगा, प्रकरणों की विवेचना में विलंब क्यों हो रहा है, चूंकि प्रकरण इतने पुराने होते हैं उनकी विवेचना में काफी विलंब किया जाता है इसकी विवेचना कब तक करा ली जायेगी और शेष प्रकरणों को कब तक पंजीबद्ध कर दिया जायेगा ?

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में सब स्पष्ट है इसके बाद भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शहडोल जिले के थाना ब्यौहारी, जयसिंहनगर, सीधी, देवलोक अंतर्गत वर्ष 2008 से मार्च 2014 इन्होंने छः वर्षों का पूछा है अब इतनी लंबी अवधि की कार्यवाही देने में समय लगेगा. इसमें 75 संदिग्ध मौतों की सूचना प्राप्त हुई है, 21 मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, 17 प्रकरणों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत है, 2 प्रकरणों में खात्मा कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, 1 प्रकरण में खाती कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, 1 प्रकरण में विवेचना जारी है उसमें आरोपी अज्ञात हैं, न्यायालय द्वारा अस्वीकृत खात्मा निरंक हैं,

शेष 54 प्रकरणों में, 48 मर्ग मामलों में एसडीएम द्वारा कार्यवाही की जा रही है और छः मर्ग प्रकरणों में जांच की कार्यवाही लंबित है.

प्रश्न क्रमांक 11

जिला सहकारी बैंक पन्ना में भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

11. (*क्र. 1753) श्री उमंग सिंघार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 5-3-2014 को ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 82 एवं 152 में सदन में चर्चा के दौरान माननीय गृह मंत्रीजी ने जिला सहकारी बैंक पन्ना की ऋण उप समिति व अधिकारियों के ऊपर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में हुये भ्रष्टाचार में अमानगंज, पवई व शाहनगर में एफआईआर होना एवं प्रकरण में कार्यवाही में जो विलम्ब हुआ है उसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने हेतु प्रश्न दिनांक को ही निर्देश देना स्वीकार किया था? (ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या जांच कराई गई? यदि कराई गई तो कब एवं किस अधिकारी से एवं जांचोपरान्त किन-किन अधिकारियों को विलम्ब से प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए दोषी पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही हुई? आरोपियों को कब-कब गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों कब तक कर लिया जायेगा? (ग) क्या यह सही है कि सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं पन्ना द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-3-2014 के माध्यम से जिनके खिलाफ दो वर्ष पूर्व में दिनांक 22-3-2012, 11-4-2012 एवं 13-4-2012 को विभिन्न थानों में एफआईआर पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये थे, उनके नाम एफआईआर से पृथक् करने के लिए लिखा गया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पवई ने उपरोक्त संबंधित आरोपियों के विरुद्ध अपने पत्र दिनांक 19-3-2014 के माध्यम से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के तारतम्य में अभियोजन की स्वीकृति मिल गई? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक स्वीकृति मिल जाएगी? (घ) क्या यह उचित है कि एक तरफ पुलिस उसी विभाग द्वारा दिए एफआईआर हेतु आवेदन को पंजीबद्ध कर जांच उपरन्त दोषियों के खिलाफ दिनांक 19-3-2014 को अभियोजन की स्वीकृति मांग रही है वहीं दूसरी तरफ 26-3-2014 को वही विभाग उन्हीं दोषियों के नाम एफआईआर से पृथक् करने के लिये पुलिस विभाग को लिख रहा है? यदि नहीं, तो क्या इन्हें पुलिस की जांच प्रभावित करने का दोषी नहीं माना जाएगा? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे? यदि करेंगे, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हां. (ख) जी हां. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर से. श्री भुवन सिंह गोरे, निरीक्षक एवं श्री बी. के पाठक, निरीक्षक की त्रुटि पाई गई. श्री भुवन सिंह गोरे को 6 माह के लिये पदोन्नति से वंचित रखे जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है. श्री बी. के पाठक को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण दण्डित नहीं किया जा सका. आरोपियों की गिरफ्तारी का विवरण †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी हां. अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में है. (घ) जी नहीं. पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 92/12 से किसी भी आरोपी का नाम पृथक् नहीं किया गया है.

श्री उमंग सिंघार—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न (ग) के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है कि अभियोजन की स्वीकृति प्रचलन में है. अभियोजन की स्वीकृति की समय-सीमा बतायें और पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 54/14 अमानगंज एवं 32 /14 शाहनगर इसमें किन किन आरोपियों के नाम किस-किस आधार पर पृथक किये गये थे, इसकी विवेचना कब तक पूर्ण हो जायेगी.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अपराध क्रमांक 54/14 में व्यक्तियों के नाम जिनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है उनके नाम हैं श्री आबिद अली तत्कालीन शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक शाखा अमानगंज, नंबर दो श्री के. एल. रैकवार, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना इसकी सूची परिशिष्ट में दी गई है इसको आप भी पढ़ लीजियेगा.

श्री उमंग सिंघार—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अभियोजना की स्वीकृति आप कब-तक देंगे, दोनों प्रकरणों में विवचेना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रकरणों के अंदर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुरैद से दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रकरण अनुसंधान में है. 32/14 का प्रकरण भी अनुसंधान में है उसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में ऋण स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रकरण अनुसंधान में है जैसे ही संबंधितों से कागजात प्राप्त हो जाएंगे तुरंत कार्यवाही की जायेगी.

श्री उमंग सिंघार—माननीय अध्यक्ष महोदय, विवेचना की समय सीमा चाह रहा हूं.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कागजात होंगे, तभी तो विवेचना होगी.

श्री उमंग सिंघार—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनिवास रावत जी के ध्यानाकर्षण में भी माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि शीघ्रातिशीघ्र होगी उसमें भी चार महीने हो गये हैं.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्यवाही कर रही है.

अध्यक्ष महोदय—जैसे ही जानकारी आयेगी कार्यवाही होगी.

श्री उमंग सिंघार--माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी जवाब दिया था ध्यानाकर्षण में रामनिवास रावत जी के इसमें अब फिर अभी बोल रहे हैं, यह कौन सी बात हुई ?

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब जल्दी करेंगे.

श्री उमंग सिंघार--विवेचना की समय सीमा बतायें.

अध्यक्ष महोदय--उन्होंने कहा तो है दस्तावेज उपलब्ध होते ही.

श्री उमंग सिंघार--कब कहा ? यह तो शीघ्रातिशीघ्र.

प्रश्न संख्या (12)--(अनुपस्थित).

प्रश्न संख्या (13)--

अंजनी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला (छतरपुर) के फर्जी निर्वाचन के संबंध में

13. (*क्र. 3167) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011 में तत्का. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं छतरपुर द्वारा अप्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छतरपुर जिले की अंजनी प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या. का नवीन निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था? (ख) क्या उक्त आदेश प्रतिकूल होने से उक्त संस्था का निर्वाचन निरस्त हो चुका है? हां तो तत्संबंधी निरस्तीकरण आदेश की प्रति देते हुए बतावें कि निरस्तीकरण आदेश दिनांक से उक्त संस्था का संचालक मण्डल पुन:जीवित/अस्तित्व में आने से उसके शेष कार्यकाल को बहाल करते हुए कार्यभार सौंपने के आदेश दिए गए हैं, तो आदेश की प्रति प्रस्तुत करें, यदि नहीं तो इस गंभीर अनियमितता के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? (ग) क्या उक्त प्रतिकूल आदेश पारित करने वाले सहा. पंजीयक एवं निर्वाचन में संलिप्त अधि./कर्म. को निर्वाचन में अनियमितताएं बरतने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध प्रश्न दिनांक तक निलंबन/एफआईआर दर्ज कराने/सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई है? हां तो अधि./कर्मचारियों के नामवार प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें, यदि नहीं की गई, तो क्यों? औचित्य बताएं? (घ) शासन, उक्त संस्था के तत्का. संचालक मण्डल के शेष कार्यकाल को बहाल करते हुए तत्काल कार्यभार सौंपने के आदेश/निर्देश जारी कर सभी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? हां, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) जी हां, निर्वाचन विवाद प्रकरण में न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-2-2014 से निर्वाचन निरस्त हो चुका है. आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर. निर्वाचन निरस्तीकरण आदेश दिनांक से पूर्व संचालक मण्डल के शेष कार्यकाल को बहाल करने के आदेश नहीं दिये गये, पूर्व संचालक मण्डल सहकारी अधिनियम की धारा 53(1) के अंतर्गत अधिकृमित था, इस हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है. (ग) जी हां, निर्वाचन में अनियमितता के कारण तत्कालीन सहायक पंजीयक श्री जी. पी. प्रजापति के विरुद्ध दिनांक 25-2-2014 को विभागीय जांच संस्थित की गई, श्री चतुरेश तिवारी, निर्वाचन अधिकारी एवं श्री कृपाल कुम्हार संस्था के प्रभारी अधिकारी को दिनांक 11-5-12 को निलंबित किया गया था. वर्तमान में श्री जी. पी. प्रजापति, श्री चतुरेश तिवारी श्री कृपाल कुम्हार के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है. (घ) जी नहीं, पूर्व संचालक मण्डल के शेष कार्यकाल को बहाल करने के आदेश नहीं दिये गये, पूर्व संचालक मण्डल सहकारी अधिनियम की धारा 53(1) के अंतर्गत अधिकृमित था, दोषियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री मानवेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर क, ख और ग में स्वीकार किया है कि ऐसा हुआ है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अंजनी प्राथमिक उप सहकारी भण्डार का निर्वाचन यदि जब विधि शून्य घोषित हो गई है, तो जो तात्कालिक समिति थी संचालक मंडल, उसको उन्होंने चार्ज दिलवाने का कोई आदेश पारित किया है कि नहीं ?

श्री गोपाल भार्गव--माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, इस कारण से उसका आदेश संभव नहीं है.

श्री मानवेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई साल का कार्यकाल होता है, अभी उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और चूंकि यह संचालक मंडल जो दूसरा था, इसमें 250 सदस्य थे, इसमें 13 अवैधानिक तरीके से जोड़कर यह संचालक मंडल की नियुक्ति की गई थी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि ढाई साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, इस कारण उसे पुन:स्थापित करने का जो कार्यकाल को बहाल करने का माननीय मंत्री जी की तरफ से आदेश होगा ? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा.

श्री गोपाल भार्गव--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये संभव नहीं है कि उक्त भंडार के तत्कालीन संचालक मंडल के शेष कार्यकाल को इसलिये बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि तत्कालीन संचालक मंडल सहकारी अधिनियम की धारा 53 (1) के तहत् भंग था तथा नवीन संचालक मंडल का निर्वाचन हो चुका था, इसके पश्चात् न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश, दिनांक 29.3.2012 के विरूद्ध राज्य सहकारी अधिकरण में द्वितीय अपील की गई थी, जिसमें सहकारी अधिकरण के द्वारा न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश, दिनांक 29.3.12 को निरस्त कर दिया गया है.

श्री मानवेन्द्र सिंह--मैं अंतिम प्रश्न में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि यह जो आदेश हुए हैं, इसमें जो भी अनियमिततायें हुई हैं, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री जी एफ.आई.आर. करेंगे ?

श्री गोपाल भार्गव--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे और यदि कोई विधि विरूद्ध काम हुआ होगा, तो कार्यवाही करेंगे.

प्रश्न संख्या (14)--..

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव

14. (*क्र. 1633) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं? जिनका निर्माण पूर्ण हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है? (ख) उक्त सड़कों की गारंटी/मेन्टेनेंस अवधि पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा उक्त सड़कों के मेन्टेनेंस की क्या व्यवस्था की गयी है? विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-सौनसी सड़कें रख-रखाव की श्रेणी हैं? (ग) उक्त सडकों के मेन्टेनेंस हेतु विभाग के पास कुल कितनी राशि है? अथवा प्राप्त की गयी है? (घ) विभाग द्वारा कुक्षी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद की सड़कों के मेन्टेनेंस पर कितनी राशि व्यय की गयी? सड़कों सहित व्यय की विस्तृत जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में कुल 43 सड़कें हैं जिनका निर्माण पूर्ण हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है. (ख) उक्त सड़कों की गारंटी/मेन्टेनेंस अवधि पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा उक्त सड़कों के आगामी पांच वर्षों तक मेन्टेनेंस हेतु राज्य शासन मद से राशि स्वीकृत कर मेन्टेनेंस व्यवस्था की गयी है. निर्माण पूर्णता के 5 वर्ष पश्चात् की सड़कों की जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''अ'' में तथा 5 वर्ष अंतर्गत की सड़कों की जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार. (ग) उक्त सड़कों के 5 वर्ष तक मेन्टेनेंस हेतु कुल रुपये 2246.59 लाख की राशि स्वीकृत है. (घ) विभाग द्वारा कुक्षी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत निर्माण के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी 43 सड़कों पर मेन्टेनेंस हेतु रुपये 778.25 लाख की राशि व्यय की गयी है. जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क के बारे में मैंने जो प्रश्न किया था, उस परिप्रेक्ष्य में मैं तीन प्रश्न और माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं . पहला प्रश्न यह है कि सड़कों की गारंटी और मेन्टेनेन्स की अवधि की सीमा क्या थी, उसके पूर्व ही सड़क खराब हो गई ?

श्री गोपाल भार्गव--माननीय अध्यक्ष महोदय, गारंटी की समय सीमा सिर्फ 5 वर्ष होती है.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल--माननीय मंत्री जी, कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कें बनी हैं, जिनकी 5 वर्ष की अवधि थी, वह भी अभी जर्जर स्थिति में हैं, दूसरा आपने जो मेन्टेनेन्स के लिये सरकार की तरफ से इतना पैसा दिया, तो कहीं न कहीं प्रश्नचिन्ह लगता है तो मेरा यह प्रश्न है कि कहीं न कहीं उसमें गुणवत्ताहीन रोड बनी है, जो 5 वर्ष की अवधि में थी और जो खराब हो गई हैं, उसके लिये भी सरकार को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ गया, इसलिये कहीं न कहीं मेरे मन में यह भाव है कि जो ठेकेदार हैं, उपयंत्री हैं, उन्होंने इसका सही प्राक्कलन नहीं किया और कहीं न कहीं उस वजह से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी कमेटी

बनाकर यहां से भेजेंगे, जिससे उसकी व्यवस्थित जांच हो पाये और अगर गुणवत्ताहीन रोड बने हैं और सरकार का इतना पैसा इसमें व्यय हो चुका है, तो उन पर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिये.

श्री गोपाल भार्गव--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य ने कहा है निर्माण के साथ ही 5 वर्षों तक मेन्टेनेन्स का काम ठेकेदार का है और यदि उसमें यह सदस्य कह रहे हैं कि घटिया और सबस्टेंडर्ड सड़क बनी है, तो हम यहां भोपाल से मुख्यालय से अपने चीफ इंजानियर को भेजकर उसकी जांच करा लेंगे, यदि घटिया निर्माण होगा, तो हम उसके लिये भी ठेकेदार के विरूद्ध, संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे और वहां का कोई स्थानीय हमारा योजना का अधिकारी उसमें दोषी होगा, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल--धन्यवाद.

प्रश्न संख्या-15 (अनुपस्थित)

सड़क निर्माण के अनुबंध हेतु लंबित प्रस्ताव

16. (*क्र. 3479) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत पैकेज नं. एम. पी. 42 यू. पी. जी. (03) की सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में अनुबंध हेतु विभाग के पास लंबित है? वस्तुस्थिति से अवगत करावें? (ख) यदि अनुबंध किया जा चुका है, तो उसकी तिथि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराकर अनुबंध की शर्तों सहित जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? स्पष्ट जानकारी दें? (घ) दोषियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी? यदि हां तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, प्रश्नांश में उल्लेखित पैकेज का अनुबंध किया जा चुका है. (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में अनुबंध दिनांक 30-3-2013 को किया गया है, वर्तमान में कार्य अप्रारंभ है. (ग) जी हां, मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्रस्ट में परिवर्तन किये जाने से कार्य प्रारंभ नहीं हो सका. मार्ग के 00 से 3.00 कि.मी. के भाग में मार्ग के समीप स्टोन क्रेशरों के कारण भारी वाहनों के आवागमन को दृष्टिगत रख उक्त मार्ग का क्रस्ट रिवीजन किया गया. इसके पश्चात् कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 20-1-2014 को मार्ग के शेष भाग 3.00 से 8.00 कि.मी. में भी क्रेशर स्थापित किये जाने की सूचना के आधार पर शेष भाग का भी क्रस्ट रिवीज़न प्रस्ताव तैयार किया गया, जो वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है. स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जा सकेगा. अतः उक्त कार्य प्रारम्भ न होने के लिये कोई भी दोषी नहीं है. (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री के.के.श्रीवास्तव -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न किया था, उसका उन्होंने उत्तर दिया है कि यह सड़क का जो अनुबंध एजेंसी से, ठेकेदार से हुआ है, वह 30.3.13 को हुआ है. 30.3.13 के बाद भी काम नहीं हुआ. काम की अवधि13 महीने थी, बाद में उसमें बताया है कि 0 से 3 किलोमीटर तक भारी आवागमन के कारण वहां पर क्रस्ट रिवीजन के चलते यह काम प्रारंभ नहीं हो सकता. मैं पूछना चाहता हूं कि 3 किलोमीटर के आगे वाली रोड पर काम प्रारंभ क्यों नहीं हुआ. फिर जानकारी में यह आया है कि 20.1.2014 तक 8 वें किलोमिटर तक की भी जानकारी कलेक्टर के यहां से मिली है कि वहां भी आवागमन है. वहां पर क्रेशर स्थापित किया जाना है. भविष्य की संभावनाओं के कारण भी अगर यह ऐसे चलेगा तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन संभावनाओं पर यह काम प्रारंभ नहीं हो सका.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, क्रस्ट अपग्रेडेशन के कारण यह काम पूरा नहीं हो पा रहा था, अब यह काम पूरा हो गया है. माननीय सदस्य कहीं का कोई हिस्सा छूट गया हो,तो बता दें, हम उसे करवा लेंगे.

श्री के.के.श्रीवास्तव -- अध्यक्ष महोदय, यह पूरा रोड का काम प्रारंभ ही नहीं हुआ है. कहीं भी काम की शुरआत ही नहीं हुई है.

अध्यक्ष महोदय -- काम पूरा ही हो गया, कोई पोर्शन छूट गया हो तो वह बता दीजिये.

श्री के.के.श्रीवास्तव -- अध्यक्ष महोदय, नहीं, काम बिलकुल प्रारंभ ही नहीं हुआ है.

अध्यक्ष महोदय --ठीक है बैठ जाइये, उत्तर ले लीजिये.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आई है, अब क्रस्ट अपग्रेडेशन हो गया है और इसमें यदि माननीय ससदस्य की जानकारी में कुछ ऐसा है, जैसा कि मैंने अभी

कहा. यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी लिखकर दे दें. हम कल तक कोई अधिकारी को भेजकर उसको दिखवा लेंगे.

श्री के.के.श्रीवास्तव -- मंत्री जी, धन्यवाद.

प्रश्न संख्या-17 (अनुपस्थित)

मध्यप्रदेश में ए.पी.एल. (सामान्य) श्रेणी के राशनकार्डधारियों को राशन नहीं दिये जाने के संबंध में

18. (*क्र. 3133) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ए.पी.एल. श्रेणी के राशनकार्डधारियों को किस सन् से कौन-कौनसी राशन सामग्री प्रदाय किये जाने संबंधी आदेश शासन द्वारा किये गये थे, तथा उक्त आदेश को जारी करते समय शासन की मंशा क्या थी? (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में ए.पी.एल. राशनकार्डधारियों को मिट्टी का तेल, गेहूं, शक्कर व अन्य सामग्री वितरित नहीं की जा रही है? यदि हां, तो कब से? किसके आदेश से यह योजना बन्द की गई है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) यदि प्रश्नांश ''ख'' का उत्तर हां है तो इस योजना को बन्द करने की शासन की मंशा क्या है? (घ) क्या शासन पुनः ए.पी.एल. राशनकार्डधारियों को पूर्व की भांति राशन सामग्री वितरित करने पर विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुंवर विजय शाह) : (क) मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना के समय से ए.पी.एल. श्रेणी के व्यक्तियों को राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है. 1997 के पूर्व ए.पी.एल. को बी.पी.एल. के समान ही सामग्री दी जाती थी. 1997 में ए.पी.एल. श्रेणी अलग की जाकर उन्हें बी.पी.एल. और अन्त्योदय परिवारों से कम मात्रा में गेहूं, चावल और केरोसीन उपलब्ध कराया जाता था. शासन की मंशा यह थी कि गरीबों को प्राथमिकता के रूप में गेहूं, चावल, शक्कर एवं केरोसीन दिया जाए और आवंटन शेष होने पर ए.पी.एल. श्रेणी को सामग्री दी जाए. (ख) जी नहीं. 1 मार्च, 2014 से ए.पी.एल. राशनकार्डधारियों में से ऐसे जरूरतमंद समूहों की पहचान की गई है जिन्हें अति रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जाए और ऐसे परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. शेष परिवारों को उनकी सक्षमता के कारण अति रियायती दर पर सामग्री वितरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, आदेश की प्रति †संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार. (घ) जी नहीं, प्रश्नांश ''ख'' अनुसार.

एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रश्नांश ख के उत्तर में अवगत कराया गया है कि एपीएल राशन कार्डधारियों में से जरुरतमंद समूहों की पहचान कराई गयी है, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जावे, उन्हें बीपीएल परिवारों की भांति सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. शेष परिवारों को उनकी सक्षमता के कारण अति रियायती दर पर सामग्री वितरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सक्षम परिवार तथा अक्षम परिवारों की पहचान किसके आदेश से कब की गई है. सक्षम और अक्षम मानने के मापदण्ड क्या थे, किस संस्था या अधिकारी, कर्मचारियों को

उक्त श्रेणी की पहचान का जिम्मा सौंपा गया था, कितने परिवार सक्षम तथा कितने परिवार अक्षम पाये गये हैं.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछें.

एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार -- अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि गरीबी रेखा का जो कार्ड और सक्षम एवं अक्षम के जो कार्ड बनाये गये हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं. जो गरीब हैं, उनके राशनकार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न पूछ लीजिये. समय समाप्त हो रहा है.

एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार -- अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिये, इसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है. मेरा प्रश्न यह था कि जो सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड धारक थे, उनको राशन दिया जायेगा कि नहीं दिया जायेगा.

कुंवर विजय शाह -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, 8-10 प्रश्न हैं. आप लिखित में दे दें, तो मैं लिखित में जवाब दे दूंगा. दूसरा, जैसा कि आपने चाहा है, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम लोग सुधार कर रहे हैं और राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम लागू होने के बाद अत्यन्त गरीब, बीपीएल और कुछ प्राथमिकता परिवार की जो लिस्ट है, वह अगर आपके पास नहीं पहुंची है, तो मैं दे दूंगा. मध्यप्रदेश शासन ने यह निश्चित किया है कि जिनको आवश्यकता है, खास करके ये समस्त रिक्शा चालक, मजदूर, भवन निर्माण, वृद्ध आश्रम, घरेलू काम काजी, फेरी वाले, वनाधिकार वाले, रेल्वू के कूली, बंद पड़ी इकाइयों के मजदूर, श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, समस्त कोटवार, अनुसूचित जाति और जनजाति के वह सब लोग जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अधिकारी, कर्मचारी में नहीं आते हैं और जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या मध्यप्रदेश की.मैं यह सदन को बताना

चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश है और हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, रामविलास जी ने इसकी तारीफ की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह माना जाता है कि यह समाज गरीब तबके के हैं, उन सबको एक रुपये किलो अनाज की श्रेणी में शामिल किया गया है और यह समस्त जानकारी मैं आपको लिखित में उपलब्ध करा दूंगा.

एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार -- अध्यक्ष महोदय, एक रुपये किलो में गेहूं अभी कहीं नहीं मिल रहा है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

नियम 267(क) के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय-- निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायेंगी.

1. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
2. (इंजी.) प्रदीप लारिया
3. डॉ.रामकिशोर दोगने
4. श्री दिव्यराज सिंह
5. श्री दुर्गालाल विजय
6. श्री के.के. श्रीवास्तव
7. श्री रामनिवास रावत
8. पं. रमेश दुबे
9. श्री नारायण त्रिपाठी
10. श्री ठाकुरदास नागवंशी

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्णयानुसार प्रदेश के कृषि मंत्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज होकर जांच के लिये चला गया है.

अध्यक्ष महोदय-- बिना सूचना के नहीं बोले.

मंत्री, संसदीय कार्य (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)-- असत्य जानकारी है. असत्य वाचन फिर से शुरू होने लगा है.कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है.

अध्यक्ष महोदय--इसको कार्यवाही से निकाल दें.

श्री रामनिवास रावत-- क्या हाईकोर्ट का निर्णय नहीं हुआ.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- फिर से असत्य वचन, कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है.

श्री रामनिवास रावत-- यह रिकार्ड में क्यों नहीं आयेगा.

अध्यक्ष महोदय-- बिना सूचना के कृपया न बोलें.

...व्यवधान...

पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. **जीवाजी विश्वविद्यालय ,ग्वालियर(मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13**

मंत्री,उच्च शिक्षा (श्री उमाशंकर गुप्ता) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर(मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 पटल पर रखता हूं.

2. **राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2011-2012 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रेषित मुख्य आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां)**

मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (क्रमांक-4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे संधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2011-2012 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां) पटल पर रखता हूं.

...व्यवधान...

श्री मुकेश नायक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जबलपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर लोकायुक्त ने संबंधित मंत्री के खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला रजिस्टर्ड किया है. और जब तक माननीय मंत्री महोदय इस्तीफा नहीं देंगे हम सदन में उनको सुनने के लिये तैयार नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- यह बात ठीक नहीं है. बगैर नियम प्रकिया के इस तरह बात करना उचित नहीं है. आप विधिवत मामला उठाईये. यह कोई बात नहीं है, अखबार में पढ़कर के आये और यहां पर शून्यकाल में मामला उठा दिया, यह उचित नहीं है.

श्री मुकेश नायक-- लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है.

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- आपके पास में कोई जानकारी नहीं है, धारहीन आरोप लगा रहे हैं और कोई सूचना नहीं है. किसी प्रकार के नियम प्रकिया की कोई सूचना नहीं है. आप किसी नियम के तहत आईये आपको अवसर दिया जायेगा, पर इस तरह से आरोप लगाने का अवसर शून्यकाल में नहीं दिया जाता है. यह सूचना काल भी नहीं है . जो समाचार आया उसको आपने बता दिया. इसकी कोई आवश्यकता नहीं है.

श्री मुकेश नायक-- मंत्री के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाये.

अध्यक्ष महोदय-- इसकी कोई आवश्कयता नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल असत्य वाचन कर रहे हैं.

श्री मुकेश नायक-- बिल्कुल असत्य बात नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अगर है तो बतायें उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है.

श्री मुकेश नायक -- मंत्री जी यह बतायें कि क्या हाईकोर्ट ने उन पर प्रकरण दर्ज करने के लिये कोई निर्देश दिया है.

अध्यक्ष महोदय-- आप तो सीधे प्रश्न ही पूछने लगे हैं. आप वरिष्ठ सदस्य हैं.कोई जानकारी नहीं है, किसी नियम में आपने दिया नहीं है.

श्री मुकेश नायक-- मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं. मैं सदैव आपके अनुशासन में हूं, आपकी बात सुनने के लिये तैयार हूं. और आपके निर्देशों का पालन करूंगा.

अध्यक्ष महोदय-- आप नियम प्रक्रिया के तहत मामला लाईये . आपको अनुमति देंगे. यह उचित नहीं है.

श्री मुकेश नायक- जबलपुल उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त को किस तरह के निर्देश दिये हैं.यह सदन जानना चाहता है.

अध्यक्ष महोदय-- यह उचित नहीं है. यह रिकार्ड में नहीं आयेगा.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री रामनिवास रावत-- भार्गव जी व्यवस्था का प्रश्न शून्यकाल में नहीं होता.

अध्यक्ष महोदय-- शून्यकाल समाप्त हो गया. ध्यानाकर्षण. आगे बढ़ गये हैं.

श्री रामनिवास रावत-- सरकार पर संवैधानिक संकट है. एक मंत्री पर मामला दर्ज हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, चलते हुये सदन में माननीय मंत्री जी को यह अधिकार है कि वह अपना वक्तव्य दे सकते है. हम उनसे मांग करते हैं कि वक्तव्य देकर के स्थिति को स्पष्ट करें कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया है.

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात आ गई . कृपा करके बैठ जायें.

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात आ गई. अब आप कृपया बैठ जायें.(व्यवधान)

श्री उमाशंकर गुप्ता-- अध्यक्ष महोदय, तथ्यहीन बातों को सदन में रखकर उस वक्तव्य की मांग कर रहे हैं जिसका अभी कोई सिर-पैर ही नहीं है. (व्यवधान)

श्री मुकेश नायक-- क्या आप किसी नियम-प्रक्रिया के तहत घपले कर रहे हो?

अध्यक्ष महोदय-- कृपया आप बैठ जायें. यह बात ठीक नहीं है. आप सब लोग बैठ जायें. कृपया कार्यवाही चलने दें. आप बिना नियम-प्रक्रियाओं के बोलते हैं यह उचित नहीं है.

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दे. (व्यवधान) हम आपका संरक्षण चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय-- सिर्फ श्री दुर्गालाल विजय सदस्य का ध्यानाकर्षण आयेगा. शेष कुछ भी रिकार्ड में नहीं आयेगा और इस संबंध में की गई सारी बातें विलोपित की जाती हैं.

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

श्योपुर जिला क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बरगवां रोड से आमेर गांव,धोवनी रोड से बैनीपुरा, कुहांजापुर रोड से राजौरा करियादेह रोड से मेहरवानी एवं बुढेरा से झरेर गांव तक की करोड़ो की लागत से बनी ये सड़के गारंटी पीरियड समाप्त होने के पूर्व ही उखड़ कर जर्जर स्थिति में पहुंच गई हैं । विभागीय अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदारों को नोटिस देकर इन जर्जर हुई सड़कों को न तो सुधार हेतु निर्देशित किया और न ही इसकी आवश्यकता समझ रहे हैं । इन सड़को पर से गुजरने वाले यात्रियों एवं यातायात को गुजरने के दौरान कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जर्जर होने के कारण करोड़ो की लागत से बनी उक्त सड़को का लाभ न तो आम नागरिकों को मिल पाया है और न ही इन मार्गो के निर्माण पर खर्च की जाने वाली राशि का समुचित उपयोग ही हो पाया है । इन मार्गो के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के कारण इनके गारंटी पीरियड में ही जर्जर हो जाने के कारणों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने एवं संबंधित ठेकेदारों से इन मार्गो का अविलम्ब सुधार करवाए जाने की आवश्यकता है । इस कार्यवाही में विलम्ब के कारण नागरिकों में असंतोष एवं निराशा व्याप्त है ।

श्री जितू पटवारी-- (XXX)

श्री मुकेश नायक-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- आप जबरजस्ती नहीं कर सकते.(व्यवधान)

श्री के डी देशमुख--(XXX)

श्री रणजीत सिंह गुणवान-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- ध्यानाकर्षण प्रारंभ हो गया. कृपया आप लोग बैठ जायें.

श्री मुकेश नायक-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- कुछ भी रिकार्ड में नहीं आ रहा है.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- श्री गोपाल भार्गव जी ध्यानाकर्षण का उत्तर दे दें. (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- कोई बात रिकार्ड में नहीं आ रही है.

श्री मुकेश नायक-- (XXX)

श्री जितू पटवारी-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है. बात आ गई और आप क्या चाहते हैं? सरकार की तरफ से भी बात आ तो गई. आप बैठ जाईये.

श्री जितू पटवारी-- (XXX)

श्री मुकेश नायक-- (XXX)

(किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री के खिलाफ एक समाचार पत्र में प्रकाशित कथित समाचार को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आ गये और नारे लगाने लगे.)

(XXX) **आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)- माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर परियोजना कियान्वयन इकाई के इंजीनियर्स एवं कंसलटेंसी के इंजीनियर्स, राज्य स्तर पर स्टेट क्वालिटी मॉनीटर एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल क्वालिटी मॉनीटर द्वारा निर्माण कार्यों का सतत् निरीक्षण कर कार्यों/निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है, अतः यह कहना सही नही है कि स्वीकृत प्राक्कलनों को अनदेखा कर घटिया निर्माण सामग्री से गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया है। यह कहना भी सत्य नहीं है कि विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदारों के द्वारा स्वयं का स्वार्थ पूर्ति की जा रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा विलम्ब से कार्य करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही कर वर्ष 2008–09 से अभी तक रू. 83.88 लाख की राशि उनके चल देयकों से कटौती की है। सूचना मे उल्लेखित मार्गों मे से बरगांव रोड से आमेरगांव तथा करियादेह रोड से मेहरवानी मार्ग के पैकेज का कार्य पूर्ण न होने से उक्त मार्ग निर्माणाधीन की श्रेणी में होने से अभी पूर्ण नही हुये हैं, इन्हे ठेकेदार द्वारा गुणवत्तानुसार पूर्ण कराया जावेगा। इसी प्रकार कुहांजपुर रोड से रजौरा मार्ग भी निर्माणाधीन है, जिसे ठेकेदार से गुणवत्तानुसार पूर्ण कराया जायेगा। धोबनी रोड से बैनीपुरा मार्ग पाँच वर्ष की गारंटी अवधि मे होने एवं ठेकेदार द्वारा रख रखाव नहीं करने के कारण ठेकेदार को विगत एक वर्ष से कोई भुगतान नही किया गया है एवं उनका ठेका निरस्त कर उनकी जमा बैंक राशि रू.19.00 लाख का नगदीकरण करा लिया गया है। बुढेरा से झरेर मार्ग निर्माण हेतु वन विभाग से 2008 से 2012 के मध्य दो बार अनुमति मिली, लेकिन अपरिहार्य कारणों से दोनो बार ही अनुमति निरस्त कर दी गई, अतः कार्य प्रारम्भ नही हो सका। जून 2013 में वन विभाग से पुनः अनुमति प्राप्त होने पर उक्त मार्ग की निविदाएँ निरन्तर आंमत्रित की जा रही है, परंतु किसी भी निविदाकारों द्वारा निविदा नहीं डालने के कारण निविदा पुनः आमंत्रित की गई है, जिसके कारण कार्य प्रारंभ नही हो पा रहा है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि करोडों की लागत से बनी सडके गारंटी पीरियड समाप्त होने के पूर्व उखडकर जर्जर स्थिति में पहुँच गई है। अपितु उक्त मार्ग या तो निर्माणाधीन है अथवा अभी कार्य भी प्रारंभ नही हुआ है। केवल एक मार्ग पांच वर्षीय गारंटी अवधि में होकर ठेकेदार द्वारा रख रखाव नहीं कराया जा रहा है, जिस पर विभागीय अधिकारी द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की गई है। इसलिए यह कहना सही नही है कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा ठेकेदारों को नोटिस देकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मार्ग निर्माणाधीन होने, रखरखाव न होने अथवा निर्माण प्रारम्भ न होने से आवागमन में कुछ असुविधाएँ हो सकती है, किंतु यह कहना सही नही है कि सड़क में बडे–बडे गढ़ढे हो गए है, जिसके कारण इन सडकों से यातायात मे कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। चूंकि अधिंकाश मार्ग निर्माणाधीन अथवा अप्रारंभ है, अतः यह कहना सही नही है कि करोडों की लागत से बनी सडकों का लाभ आम नागरिकों को नही मिल पा रहा है, एवं निर्माण कार्य पर खर्च पर की जाने वाली राशि का समुचित उपयोग नही हो रहा है। नागरिकों द्वारा शीघ्र सडकों को सुधरवाने की मांग विभाग के संज्ञान नही है।

यह सही है कि संबंधित ठेकेदारों से इन मार्गों को अविलंब पूर्ण कराने एवं सुधार कराये जाने की आवश्कता है। उक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रख, विभागीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः नागरिकों मे गहरा असंतोष एवं निराशा व्याप्त है, ऐसी स्थिति नही है।

(व्यवधान)..

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों द्वारा गर्भ गृह में नारेबाजी की जाती रही.)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, जिस किशोर समरीते ने गौरीशंकर बिसेन जी के खिलाफ आरोप लगाया था, उसने इनके नेता राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगाया था और राहुल गांधी ने उस पर मानहानि का दावा किया और जिस पर किशोर समरीते के विरुद्ध 50 लाख रुपए का जुर्माने का आदेश हुआ था.

(व्यवधान)..

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) - अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - कृपया आप लोग अपने आसन पर जायं. नेता प्रतिपक्ष जी कुछ बोल रहे हैं, यहां वेल में वक्तव्य सुनना ठीक नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे - हम निवेदन यह करना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय - पहले माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर जाने दें.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष की समझाईश पर गर्भ गृह से अपने-अपने आसन पर वापस गये.)

(व्यवधान)...

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय कार्यमंत्री तो (xx) दो दिन से बोल ही रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - वे बेचारे नहीं हैं.

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, (xx), एक तो यह सवाल है?

अध्यक्ष महोदय - यह कोई प्रश्न नहीं है. यह विलोपित कर दीजिए. (व्यवधान)...

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आ रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय - माननीय सदस्य अपना प्रश्न करें, (नेता प्रतिपक्ष की ओर देखते हुए) अब नहीं..यह बात ठीक नहीं है. आप प्रतिपक्ष के नेता हैं...

श्री सत्यदेव कटारे –(xx).

श्री उमाशंकर गुप्ता - ये कैसे कह सकते हैं, यह गलत आरोप है. बहुत गलत आरोप है. (व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे - जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी.जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने हाईकोर्ट में (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - श्री दुर्गालाल अपना प्रश्न करें.

श्री सत्यदेव कटारे -.उनके विभागों पर न हमारा दल भाग लेगा, न उनका उत्तर सुनेगा, न उनकी बात सुनेगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, पहले इसे विलोपित करा दें, यदि आपने विलोपित नहीं किया हो तो. आपने कर दिया ना विलोपित.(व्यवधान)..आपने विलोपित किया है लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ा.

श्री सत्यदेव कटारे -जिस मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर लोकायुक्त जांच कर रहे हैं उनको हम सुनेंगे नहीं, उनकी चर्चा में हमारा दल भाग नहीं लेगा.

अध्यक्ष महोदय - श्री दुर्गालाल विजय अपना प्रश्न कर लें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष जी, आपने उनको सुना, अब हमें भी तो सुनें.

अध्यक्ष महोदय - नहीं, हमने उनको भी नहीं सुना. उनको भी कहां सुना? जैसे उन्होंने कहा आप वैसे कह सकते हैं बिना अनुमति के. श्री दुर्गालाल विजय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—(नेता प्रतिपक्ष की ओर देखते हुए)आपको अनुमति दी थी तो आपने विषय बदल दिया. यह बात ठीक नहीं है. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—(व्यवधान) न तो हम उनका भाषण सुनेंगे और न ही उनके विभाग की चर्चा में भाग लेंगे. अध्यक्ष महोदय, आप अगर नहीं सुनना चाहते तो हमारा दल बहिर्गमन करता हैं.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- ऐसी कोई बात नहीं है, सुनना चाह रहे हैं पर आप सुनाना नहीं चाहते. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—हम जो बोल रहे हैं उसको कार्यवाही से निकालते जा रहे हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के डायरेकशन पर..(व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष महोदय, क्या प्रमाण देंगे किसी को (व्यवधान) यहां प्रमाण से कोई बात होगी? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जायें.

श्री रामनिवास रावत—प्रमाण हम नहीं दे रहे हैं, हाईकोर्ट दे रहा है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके बैठ जाएं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—कोई प्रमाण नहीं दिया है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—रावत जी कृपया बैठ जाएं. (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह गुणवान—अध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं, आपको नियम प्रकिया का भी कोई ध्यान नहीं है (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-माननीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर सदन के महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा का कोई आधार नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाएं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- बैठ तो जाएँगे अध्यक्ष महोदय,आप खड़े हैं, हम बैठ जाएँगे. पर इसको सुन तो लें. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, इनको सुनेंगे तो हमको भी सुनना होगा.

अध्यक्ष महोदय—वे शासन की ओर से बोल रहे हैं .आप उनको बोलने भी नहीं देते.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके लिए बैठा हूं, उनके लिए नहीं.

अध्यक्ष महोदय—बैठ जाईए आप, वे हमारे लिए बैठे हैं. आपने एक बात रख दी थी. उसके बाद ध्यानाकर्षण आ गया. इसके बाद आप लोग वेल में आ गए और उसके बाद अपने कुछ कहना चाहा. व्यवस्था बना करके मैंने आपको अनुमति दी. परन्तु आप फिर विषय से बाहर चले गए. इसलिए अब कृपा करके ध्यानाकर्षण पर चर्चा होने दें,(व्यवधान) नहीं, अब किसी को अनुमति नहीं है. सिर्फ ध्यानाकर्षण पर श्री दुर्गालाल विजय का प्रश्न आएगा.

श्री सत्यदेव कटारे—मुख्यमंत्री जी की सदन में अनुपस्थिति का विषय क्या सदन से बाहर है क्या ?

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने अनुमति ले ली है. (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोय, इनके समय मुख्यमंत्री की सीट पर दस साल तक तकिया रखा रहा. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके ध्यानाकर्षण हो जाने दें.(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- (x x x)

अध्यक्ष महोदय—कुछ लिखा नहीं जाएगा. कुछ रिकार्ड में नहीं आएगा.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष महोदय, वो जो विधान सभा का तकिया यहां दस साल रखा रहा उसकी नीलामी कराई जाए.(व्यवधान)

11.48 बजे (सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित)

(x x x) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

11.56 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है, उसमें मैं एक लाईन बोलकर समाधान करना चाहता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि अखबार में छपे समाचार को पढ़कर हमारे माननीय विपक्ष..

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, क्या आपने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है?

अध्यक्ष महोदय—मैंने अनुमति दे दी है. अब वह उत्तर दे रहे हैं तो आप उसे नहीं लेना चाहते हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—तो पहले हमें तो सुनें. हम जो बोलेंगे वह भी तो रिकार्ड में आए.

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं आपका समाधान कर देता हूं. हम सबको किसी तरह के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है. दूसरा जो किशोर समरीते हैं, उनका पूरा इतिहास किसी से छिपा नहीं है. मैं आज इस बात का विवरण नहीं करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कृत्य किये यह सारा प्रदेश जानता है. इसलिए उस संदर्भ में बात करके मैं अपने आपको कहीं पर जोड़ना नहीं चाहता. सवाल यह है कि उन्होंने एक पी.आई.एल. हाईकोर्ट में दिया, उस पी.आई.एल. के संदर्भ में माननीय लोकायुक्त ने कहा है कि इस पर हम दो बार जांच करके प्रमाण के अभाव में इसको नस्ती कर चुके हैं. यह भी लोकायुक्त संगठऩ के अध्यक्ष श्री नावलेकर जी का ब्यान आ चुका है. साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को जांच के लिए भेजा है. वहां जांच तो किसी भी एप्लीकेशन की होगी. जांच के तथ्य सामने आएंगे, इसके बाद में

जो परिस्थिति आएगी, वह सबके सामने आएगी और मैं एक बात कहना चाहूंगा. माननीय मुकेश नायक जी से मैंने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और सारे विपक्ष और हमारे पक्ष के लोगों से कहूंगा कि जिस व्यक्ति ने पी.आई.एल. दर्ज की है, उसका पूर्वगामी इतिहास देखिए. मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने हमारे एक राष्ट्रीय नेता पर ऐसे आरोप लगाए कि 50 लाख का जुर्माना माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया और उस पर घटाने के लिए कहा कि पैसा कहां से दूंगा तो....

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात आ गई है.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त इनके खिलाफ जांच कर रहे हैं, इनके मंत्री रहते जांच प्रभावित होगी. इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय—आपकी भी बात आ गई है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि..xxx

अध्यक्ष महोदय—नहीं आएगा.

श्री शंकरलाल तिवारी—अध्यक्ष जी सुंदरलाल जी (xx) बनते जा रहे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी—कितने अपराध हमारे खिलाफ आपने कायम किए हैं, बताएं.

अध्यक्ष महोदय—आप लोग बैठ जाएं.

श्री सत्यदेव कटारे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी इस निर्णय पर कायम है कि हम न मंत्री का वक्तव्य सुनेंगे और न उनके विभाग की चर्चा में भाग लेंगे.

अध्यक्ष महोदय—ठीक है, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है. अब श्री सुदर्शन गुप्ता जी के ध्यानाकर्षण के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं आएगी.

xxx—(आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया)

(2) **इंदौर शहर में एक्सपायर वाहनों से प्रदूषण फैलने से उत्पन्न स्थिति**

श्री सुदर्शन गुप्ता (इंदौर-1)---

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

प्रदेश में एक तरफ परिवहन विभाग प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में रजिस्टर्ड लाखों वाहन एक्सपायर होने के बावजूद सड़क पर दौड़ रहे हैं। लगभग दो लाख मोटरसाइकिल, डेढ लाख कार, 50 हजार गुड्स व्हीकल और 40 हजार तीन पहिया वाहनों सहित करीब साढ़े चार लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है जिससे इंदौर शहर में वायु व ध्वनी प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है तथा नागरिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के मुताबिक इन वाहन का शर्तो के अनुसार पुन: पंजीयन किया जाना आवश्यक है, लेकिन न वाहन मालिकों को इसकी सुध है और न ही परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुके वाहनों पर कोई कार्यवाही कर रहा है। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल या इससे भी ज्यादा पुराना हो चुका है ऐसे करीब साढ़े चार लाख वाहन इंदौर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं इनका री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है और न ही परिवहन विभाग ने इन्हें सड़कों पर चलने से कभी रोका है। शासन को इस ओर ध्यान देते हुए शहर में चलने वाले एक्सपायर रजिस्ट्रेशन के वाहनों पर रोक लगा कर कार्यवाही की जाना चाहिए।

परिवहन मंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सही है कि परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण हेतु जांच कार्य में संलग्न है इस हेतु वर्तमान में इन्दौर शहर में वाहनों के धुंए से होने वाले प्रदूषण की जांच हेतु 9 प्रदूषण जांच केंद्र कार्यरत हैं। जिन्हें कार्यालय द्वारा अधिकृत किया गया है। माह जून 2014 में इन प्रदूषण जांच केंद्रों द्वारा वाहनों के धुंए की जांच कर लगभग 41,000 गैर परिवहन यानों को प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किये गये।

यह सही नहीं है कि इन्दौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में रजिस्टर्ड लाखों वाहन एक्सपायर होने के बावजूद सडक पर दौड रहे हैं और लगभग दो लाख मोटर साइकिल्स, डेढ लाख कार, 50 हजार गुड्स व्हीकल और 40 हजार तीन पहिया वाहनों सहित करीब साढे चार लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, जिससे इन्दौर शहर में वायु व ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बढ रही है तथा नागरिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है। सही यह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इन्दौर में 1,32,417 परिवहन यान 11,71,924 गैर परिवहन यान पंजीकृत हैं। इन में से 25,180 परिवहन यान एवं 49,898 गैर परिवहन यान NOC प्राप्त कर अन्य कार्यालयों/शहरों में चले गये है।

परिवहन यानों के प्रति वर्ष फिटनेस प्रमाण पत्र कम्प्यूटर द्वारा जारी किये जाते हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय इन वाहनों से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र लिया जाता है।

15 वर्षो से अधिक पुराने गैर परिवहन यान 84,335 पंजीकृत हैं। इन में से 22,463 वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण किया जा चुका है। कुछ 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनें चलने योग्य नहीं होते है। चलने योग्य वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा इन्दौर कार्यालय में पंजीयन नवीनीकरण हेतु विहित शुल्क जमा कर आवेदन प्राप्त होने पर वाहनों के फिटनेस जांच उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर ही पंजीयन नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। यातायात पुलिस एवं पुलिस विभाग द्वारा भी नियमित जांच के दौरान 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण न होने पर भी वाहन स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नए वाहन अधिकांश तौर पर भारत स्टेज 4, एल.पी.जी. अथवा सी. एन.जी. के पंजीकृत किये जा रहे हैं। ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्णय आदि पर ध्यान देते हुए सी. एन.जी. एवं एल.पी.जी. से संचालित व्यावसायिक वाहनों को शहर में परमिट दिए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इन्दौर शहर में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जा रही है। जनता में भारी रोष व्याप्त होने की स्थिति नहीं है।

श्री सुदर्शन गुप्ता—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा,जनहित का मामला है. हवा के धूल के कणों के कारण इन्दौर देश का पहला स्थान है जहां हवा में धूल के कणों की अधिकता है. इसी के साथ साथ वायु में सल्फरडायआक्साइड के मामले में इन्दौर का देश में चौथा स्थान है. स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में इन्दौर का देश में पांचवा स्थान है. इस वक्त इन्दौर में लगभग 13 लाख से अधिक वाहन हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं. इनदौर मे वायु प्रदूषण के कारण एक वर्ष में 1800 लोगों की लगभग असामान्य मृत्यु होती है और सांस संबंधी बीमारियां लगभग 2500 लोगों को होती है और वे अस्पताल में भर्ती होते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्दौर में जो बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण है क्याउसके लिए सरकार तत्काल कदम उठायेगी और ऐसे पुराने तथा एक्सपायरी डेट के वाहन जो धड़ल्ले से चल रहे हैं जो नियमों के विपरीत प्रदूषण फैला रहे हैं उनके खिलाफ क्या सरकार तत्काल कार्यवाही करेंगी और उनको रोकेगी? रोकेगी तो कब तक रोकेगी?

भूपेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में हम सब के ध्यान में लाया है.इस समय वायु प्रदूषण पूरे देश में एक गंभीर समस्या है. हमारा भारत देश दुनिया के जो सबसे प्रदूषित जो सात देश हैं उनमें से एक हमारा भारत देश भी है. हमारे देश के जो 88 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं उसमें हमारे प्रदेश का इन्दौर जिला भी आता है.माननीय सदस्य ने जो यहां पर विषय रखा है उसमें मुख्य रुप से वह जो चाहते हैं कि जिन वाहनों को 15 वर्ष की आयु हो गई है उन वाहनों की जांच की जाए और ऐसे वाहन जिनसे प्रदूषण हो रहा है उनकी जांच करके हम उस पर कार्यवाही करें. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि हमारा विभाग इसके लिए,अकेले इन्दौर में नहीं, पूरे प्रदेश के अन्दर हम इसके लिए अभियान चलायेंगे और ऐसे जो वाहन हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से ऊपर हो गई है उन वाहनों का जिनका

नियमानुसार री-रजिस्ट्रेशन हो सकता है हम उनका री-रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो री-रजिस्ट्रेशन योग्य नहीं होंगे उनको हम वहां से हटाने का काम करेंगे.

श्री सुदर्शन गुप्ता—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद. इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है चूंकि हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी इन्दौर जिले के प्रभारी मंत्री जी भी हैं तो मेरा निवेदन है कि परिवहन विभाग के अलावा भी जो अन्य विभाग हैं क्या वे भी वायु प्रदूषण रोकने के लिए सतर्कता के साथ वहां पर कार्य करेंगे..

अध्यक्ष महोदय—यह आपका सुझाव है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में जो विधायकों के लिए गाड़ियां चलती हैं, मिनी बसें चलती हैं, उनको भी 15 साल से ज्यादा हो गया है. उनको भी नयी खरीदवा दें.

अध्यक्ष महोदय—बैठिये.

श्री भूपेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रदूषण है उसमें 70 प्रतिशत प्रदूषण वायु से हैं और वह व्हीकल से ही मुख्य रुप से होता है और इसलिए और भी कई औद्योगीकरण से भी प्रदूषण है, कचरे से भी प्रदूषण है और भी अनेकानेक कारण उसके हैं पर वायु प्रदूषण का जो बड़ा कारण है वह व्हीकल से जो प्रदषण होता है वही उसके पीछे बड़ा कारण है और इसीलिए अब तो भारत सरकार ने भी इसमें कई नये तरह के नियम बनाये हैं और मध्यप्रदेश में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वाहन है जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत जो इसमें प्रावधान है उसका हम कड़ाई से पालन करेंगे और मध्यप्रदेश की सड़कों पर एक भी वाहन जिनकी आयु 15 वर्ष की हो गई है उन वाहनों की हम चेकिंग करेंगे, अभियान चलायेंगे और एक भी वाहन ऐसा नहीं होगा जिसका हम री-रजिस्ट्रेशन या प्रदूषण की जांच न करायें.

श्री सुदर्शन गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, आपको और मंत्री जी को धन्यवाद.

12.07 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी.

12.08 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

मध्यप्रदेश उपकर(संशोधन) विधेयक, 2014(क्रमांक 16 सन् 2014 का पुरःस्थापन

वित्तमंत्री(श्री जयंत मलैया)---अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश उपकर(संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री जयंत मलैया--- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय--- कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त में माननीय मंत्री जी के खिलाफ...

अध्यक्ष महोदय—वह बात समाप्त हो गई है, मंत्री जी का उत्तर भी आ गया है श्री रमाकांत तिवारी अपना भाषण शुरु करें.

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)--- अध्यक्ष महोदय, इस पर घोर आपत्ति है.

श्री रामनिवास रावत--- क्या आपत्ति है ?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- आपत्ति यह है कि किसी नियम प्रक्रिया से किसी विषय को यह उठायें.यह मुख्य सचेतक हैं.

अध्यक्ष महोदय--- मंत्री जी ने अपनी बात कह दी और प्रतिपक्ष के नेता जी ने अपनी बात रिकार्ड करा दी अब इसके बाद क्या रह गया ...(व्यवधान)...श्री रमाकांत तिवारी अपनी बात रखें.

श्री रामनिवास रावत—मंत्री जी के पद पर रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच संभव है?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष जी , खबर में स्थान पाने के लिए यह इस तरह की बात करें उचित नहीं है और यह किस नियम प्रक्रिया के तहत इसको उठा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--- आप लोग कार्यवाही चलने दें .आप मांगों पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं?

श्री रामनिवास रावत-- कृषि मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जाँच कर रहा है लोकायुक्त में जांच प्रक्रियाधीन है. उनके पद पर रहते हुए जांच कैसे निष्पक्ष होगी. यह गंभीर बात है.

अध्यक्ष महोदय--- मांगों पर सत्ता पक्ष चर्चा करेगा लेकिन आपके भी तो कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर तो आप चर्चा करेंगे....(व्यवधान)...

12.10 बजे **बहिर्गमन**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, के खिलाफ लोकायुक्त जाँच शुरु होने के कारण विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कटौती प्रस्ताव दिये थे तब लोकायुक्त में जांच शुरु नहीं हुई थी अब माननीय मंत्री जी के खिलाफ लोकायुक्त में जांच शुरु हो गई है, तो अब विपक्ष मंत्री जी की मांगों की चर्चा में सम्मिलित नहीं होगा हम सदन से बहिर्गमन करते हैं.

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा श्री गौरीशंकर बिसेन, कृषि मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जाँच शुरु होने के कारण विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया)

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता)--- बड़ी विचित्र स्थिति है विपक्ष की बात हो गई ,वह बैठ गये, फिर लगा कि कुछ हुआ नहीं तो बहिर्गमन करो.

श्री शंकरलाल तिवारी-- अब लौट के ना आना सनम, बार-बार लौट आते हो.

12.11 बजे **वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण**

श्री रमाकांत तिवारी(त्यौंथर)---माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं मांग संख्या 13 एवं 54 के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का सम्मान लगातार दूसरे वर्ष हुआ है मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड 2012-13 प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ. माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को तथा माननीय कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा दिनाँक 10 फरवरी 2014 को कृषि कर्मण अवार्ड की ट्राफी तथा प्रमाणपत्र के साथ दो करोड़ रुपये राशि का चैक प्राप्त किया गया . खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट राज्य के रूप में यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से प्रदान किया गया.

12.12 बजे (उपाध्यक्ष महोदय(डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह)पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर प्रदेश के दो उन्नत किसानों श्रीमती शशी खंडेलवाल विकासखंड चौरई, जिला छिंदवाड़ा तथा श्री योगेन्द्र कौशिक विकासखंड बड़नगर जिला उज्जैन को भी माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा एक-एक लाख रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया

गया. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदेश की कृषि विकास दर वर्ष 2013-14 में उच्चतम स्तर (एडवांस एस्टीमेट के आधार पर) पर पहुंच कर 24.99 रही. वर्ष 2012-13 में यह 20.16 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में 19.85 प्रतिशत थी . इस प्रकार प्रदेश कृषि विकास दर में लगातार अपनी श्रेष्ठता बनाये रखकर सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के रूप में सफल प्रदर्शन कर रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी के श्रेष्ठतम उपयोग के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी अवार्ड, विभागीय वेब पोर्टल कृषि नेट को दिया गया . यह अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय अधिकारियों को प्रदान किया गया. यह पुरस्कार विगत 5 वर्षों में प्रगति का स्थायित्व बनाये रखने के लिए दिया जाता है.

अंतर्राष्ट्रीय मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मध्यप्रदेश मंडप के अंतर्गत विभागीय स्टाल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ. यह अवार्ड प्रदेश मुख्य सचिव श्री अंटोनी जे. सी.डिसा के साथ कृषि अधिकारियों ने हासिल किया. माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा का प्रभावी क्रियान्वयन, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा के अतिरिक्त मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना तथा मेरा खेत, मेरी माटी योजना प्रारंभ की गई है और किसानों के लिए विदेशी तकनीकी अध्ययन के अवसर मुख्यमत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना के अंतर्गत 20-20 किसानों को एक-एक वैज्ञानिक व विभागीय नोडल अधिकारी के दल ने आस्ट्रेलिया,न्यूजीलैंड, फिलिपींस,ताईवान तथा ब्राजील, अर्जेन्टीना का भ्रमण किया है. इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि आयोजनों में हमारे किसानों को अन्य प्रदेशों में तकनीकी का अवलोकन करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर मेलों का अवलोकन करने हेतु गुजरात समिट, गांधीनगर, गुजरात में आत्मा योजनान्तर्गत पुरस्कृत 200 किसान (प्रत्येक जिले से 4-4) सम्मिलित हुए. गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने इनमें से प्रत्येक जिले के

एक-एक किसान को, कुल 50 किसानों को राशि रुपये 51 हजार प्रदान कर सम्मानित किया है. प्रदेश के 400 किसान...

उपाध्यक्ष महोदय-- आदरणीय तिवारी जी, मेरा आप से आग्रह है कि क्या आप पूरा भाषण पढ़कर ही देंगे? आप तो पुराने सदस्य हैं. ठीक है जारी रखिए.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्द सिंह जी तो हमेशा पूरा पढ़ते हैं ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दें.

श्री रमाकांत तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी विस्तार हेतु विशेष प्रयास, उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को तकनीकी ज्ञान से समृद्ध बनाने तथा उन्नत खेती के माध्यम से उच्च उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से कई प्रयास किए जा रहे हैं. एसआरआई धान की बोवाई को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 कोनोवीडर तथा 10,000 मार्कर 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, सूखे एवं जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए रिज-फरो विधि की उपयोगिता को देखते हुए 50,000 रिज-फरो अटैचमेंट 90 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को वितरित किए गए. उपाध्यक्ष महोदय, उन्नत एवं प्रमाणित किस्म के बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2313 बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं. यह देश में सर्वाधिक हैं. उपाध्यक्ष महोदय, हलधर योजना के अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए किसानों को अनुदान देकर प्रेरित किया जा रहा है. वर्ष 2013-14 में 2.5 लाख हैक्टेयर में गहरी जुताई का कार्यक्रम लिया गया है. प्रदेश में उर्वरकों की खपत लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2007-08 में जहाँ प्रति हैक्टेयर 63.44 किलोग्राम एनपीके तत्वों का प्रयोग किया जाता था वर्ष 2013-14 में बढ़कर 80.09 किलोग्राम तक हो चुका है. विभाग की रणनीति और शासन की तत्परता से समयबद्ध आदान की सफल एवं निर्बाध आपूर्ति लगातार पूरे प्रदेश में की जा सकी है.

उपाध्यक्ष महोदय, कमजोर वर्ग के किसानों के लिए उच्च स्तरीय प्रयास, उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों तथा आर्थिक स्तर सुधारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे संकर मक्का उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 30,000 क्विंटव संकर मक्का बीज किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप एक मिनट में समाप्त करें. जो लिखा हुआ बचता है वह माननीय मंत्री जी को दे दीजिए.

श्री रमाकांत तिवारी-- मान्यवर, मध्यप्रदेश में जैविक खेती की प्रगति, क्षेत्रफल एवं उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है. मध्यप्रदेश में रसायनिक खाद एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर पड़ रहे कुप्रभाव को कम करने के लिए मध्यप्रदेश मैं जैविक कृषि नीति का क्रियान्वयन दिनाँक 2 मई 2011 को लागू कर दी गई है. माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश में राज्य जैविक खेती विकास परिषद् समिति का गठन/पंजीयन दिनाँक 11.3.2014 को किया गया है. कृषि उत्पादन आयुक्त को कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में कृषि में इतनी प्रगति हुई है, अगर इसी प्रकार से होती रही तो निश्चित रूप से भारतवर्ष के अन्दर हम एक नंबर पर तो आ ही गए हैं लेकिन लगातार हम बढ़ते चले जाएँगे, इसमें कोई संदेह नहीं है. इन सारी टेक्निकल सुविधाओं के बावजूद भी किसान को श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है और किसान इतना श्रम करता है और जो किसान श्रम शक्ति से वंचित हो जाता है निश्चित रूप से वह लाभ से भी वंचित होता है. किसानों को इतना श्रम करना पड़ता है. जब गर्मी के महीने में तेज गर्म हवा चलती है, तो उस समय किसान को खेत में, जो रबी का सीजन होता है, उसमें तपना पड़ता है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो पंक्तियाँ कह कर अपनी बात समाप्त कर दूँगा---

चल रहा सन सन पवन, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा,

फिर भी कृषक श्रोणित सुखाकर धूप में है जल रहा.

उपाध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, धन्यवाद. आपने अंत में बड़े मुद्दे की बात कह दी.

श्री रमाकांत तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, किसान को इतना परिश्रम करना पड़ता है इसलिए माननीय मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, जो कृषि के लिए मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं उन मांगों का समर्थन और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ. (मेजों की थपथपाहट)

श्री हेमन्त विजय खंडेलवाल(बैतूल)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 13 और 54 का समर्थन एवं कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और हमारे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में प्रदेश की कृषि दर 24 परसेंट हुई. आपके कारण ही गेहूँ पर जो 150 रुपये बोनस दिया, उसके कारण हमारे गेहूँ का उत्पादन बढ़कर 174 लाख टन हो गया. मैं सरकार को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा में 2000 करोड़ से ऊपर की राशि स्वयं के स्रोत से अपनाई. उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमे के लिए इस साल 48 करोड़ से राशि बढ़ाकर नौ सौ करोड़ रुपये कर दी. बिजली की उपलब्धता भी बढ़ाई और किसानों को 1200 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से बिजली दी लेकिन इतने के बाद भी हमारे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, उसका कारण यह है कि किसानों और सरकार का बस प्राकृतिक आपदा पर नहीं चलता. हमारे देश का मौसम भी अमेरिका, जापान और यूरोप की तरह बिगड़ता जा रहा है और ऐसे समय अब जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कृषि नीति पर फिर से विचार करें. हम फिर से सोचें कि आखिर ऐसे कौनसे बदलाव करें जिससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सके. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हम ऐसी फसलों का चयन करें जिन पर मौसम की कम मार पड़ती हो. हम ऐसे कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएँ. जैसे, डेयरी, उसमें से एक है. अगर हम डेयरी को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है. आदिवासी क्षेत्र में हम बकरी पालक, जैसे कृषि

कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं. हम लोग गन्ना बाड़ी लगाएँ तो गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं. हम धान और मक्का की खेती को भी आगे बढ़ा सकते हैं. हम किसान को सब्जी का उत्पादन पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के माध्यम से कराएँ तो हम कहीं न कहीं मौसम की मार से अपने प्रदेश के किसानों को बचा सकते हैं. कृषि मंत्री जी से मेरा एक और आग्रह यह है कि हम हर जिले में दो या तीन फसलों का चयन करें, जो उस जिले के...

उपाध्यक्ष महोदय-- इनसे झमाझम बारिश की भी तो मांग कर लीजिए. बादल खूब छाए हुए हैं.

श्री हेमन्त विजय खंडेलवाल-- उपाध्यक्ष महोदय, बादल तो आ गए.

उपाध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी पानी भी बरसा दें.

श्री हेमन्त विजय खंडेलवाल-- उपाध्यक्ष महोदय, दो या तीन फसलों का हम चयन करें, जो फसलें उस जिले की माटी के अनुरूप हो, उस जिले की जलवायु के अनुरूप हो और उस जिले के किसान की रुचि के अनुरूप हो. हम जो जिले का डीएपी, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान है, वह उस जिले में बैठकर बनाएँ, वहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और उस जगह के कृषि एक्सपर्ट की राय लें न कि वल्लभ भवन में एक कमरे में बैठकर वह प्लान को बना दें. मेरा आप से आग्रह था कि इसी आधार पर जो यह फसलें हैं उसी आधार पर कृषि उद्योग लगाएँ ताकि उस फसल को उस कृषि कार्य को लाभ हो सके उसी आधार पर हम हर जिले में एक कृषि पॉलिटेक्निक खोलें उसमें वही विषय पढ़ायें जो उस जिले की कृषि की जरुरत है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि चीन में इस तरह का मॉडल अपनाया जाता है वहां जो मिनरल और जो फसलें होती हैं उन्हीं पर आधारित चीजों को

बढ़ावा दिया जाता है उसी पर आधारित कृषि उद्योग लगाये जाते हैं उसी पर आधारित शिक्षा उस क्षेत्र में अपनायी जाती है. मेरा अनुरोध है कि इन सारी चीजों के लिये हमारे पास राशि की कोई कमी नहीं है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इतनी राशि आवंटित होती है कि हम हर जिले का प्लान इस अनुसार बना सकते हैं लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि इस वर्ष मध्यप्रदेश को 547 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है जबकि पिछले वर्ष मध्यप्रदेश को इससे मात्र दो करोड़ रुपये कम की राशि आवंटित हुई थी. प्रदेश को इससे भी ज्यादा राशि आवंटित हो सकती थी. इसके विपरीत कर्नाटक को दो साल पहले 586 करोड़ से बढ़कर इस साल 884 करोड़ की राशि मिली और महाराष्ट्र को पिछले वर्ष 1013 करोड़ रुपये मिली. इसका कारण यह है कि पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश को जो राशि मिली थी उसके आवंटन का हम उपयोग नहीं कर पाये और इसीलिये इस वर्ष हमें यह राशि कम आवंटित हुई है. समस्या यह है कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसमें अधिकारी मंत्रालयों को राशि बांट देते हैं और हर मंत्रालय हर जिले में हर योजना में राशि दे देता है उनका आपस में समन्वय नहीं रहता है. जिस जिले में डेयरी की जरुरत है वहां मछली पालन के लिये राशि दे दी जाती है और जहां पर सब्जी का उत्पादन बढ़ाना है वहां पर दूसरे कार्य के लिये दी जाती है. उदाहरण देना चाहूंगा कि होशंगाबाद जिले में दूध का उत्पादन मात्र 8 हजार लीटर होता है लेकिन वहां करोड़ों रुपये कृषि विकास योजना से डेयरी के लिये दे दिये गये. बैतूल जिले में मछली पालन बहुत पीछे है वहां पर मछुआरों के जाल खरीदने के लिये राशि आवंटित कर दी गई.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि अगर हम इस राशि का सही उपयोग करेंगे और जिले में बैठकर प्लान बनायेंगे तो हमारा जिला, क्षेत्र और प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है.

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं अपने जिले की बात रखना चाहूंगा. मेरे जिले का किसान बहुत छोटा किसान है उसके पास मात्र 2.07 हेक्टेयर जमीन है इतनी छोटी जमीन में ज्यादा लाभ कमाने के लिये उसे ऐसी फसलों की और ऐसे कृषि कार्य की जरुरत है जिससे उसे मुनाफा ज्यादा हो सके.

बैतूल जिले में दूध का उत्पादन 80 हजार लीटर है अगर कृषि विकास योजना से सही राशि आवंटित की जाये, किसानों को उसके लाभ के अनुसार उसके प्रोजेक्ट सेंग्शन किये जायें तो बैतूल जिला छोटे-मोटे गुजरात की तरह लगभग 3 लाख लीटर तक पहुंच सकता है. ऐसे ही बैतूल जिले में सब्जी का उत्पादन बाकी जिलों से बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके लिये कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस दिये जायें तो सब्जी के मामले में यह जिला प्रदेश का अग्रणी जिला हो सकता है. मेरे जिले में गन्ने का उत्पादन 4 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 15 हजार हेक्टेयर हो गया है. यदि हमें कृषि विकास योजना से गन्ने के लिये राशि आवंटित की जाये तो बैतूल जिले में इस योजना से किसानों को हम समृद्ध कर सकते हैं. मेरे सभी विधायक साथियों ने सब्जी और डेयरी के लिये पूरा विधिवत् प्रोजेक्ट बनाकर जिला योजना के माध्यम से सरकार को भेजा है इसमें सभी चीजों का समावेश है जिन्हें यहां बताना संभव नहीं है. मेरा कृषि मंत्रीजी से अनुरोध है कि हमारे जिले में बैठकर बनाये गये इस प्रोजेक्ट को मंजूर करें उसी की तर्ज पर प्रदेश के बाकी जिलों में अगर हम प्लान बनायें तो निश्चित तौर पर हम किसान को मौसम की मार से भी बचा सकते हैं उस जिले की फसल के उत्पाद का सही मूल्य भी किसान को दिला सकते हैं वहां उसके माध्यम से खुलने वाले उद्योग से बेरोजगारी भी दूर सकते हैं उसी पर आधारित पढ़ाई कराकर स्थानीय लोगों को रोजगार के लिये प्रेरित कर सकते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपका धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय—हेमन्त जी इस विषय पर आपका बड़ा अच्छा अध्ययन है.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (बिजावर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अनुदान मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, वर्षाकाल के दूसरे महीने की दूसरी तिथि आज हो गई है और वर्षा जिस तरह से दूर है उससे जिस तरह की वातावरण में बैचेनी व्याप्त है उससे सभी को ध्यान में आ रहा है कि कृषि हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग है. कृषि के कल्याण के लिये किसानों के कल्याण के लिये जो अनुदान मांगें आयी हैं मांग संख्या 13 और मांग संख्या 54 इन दोनों का मैं समर्थन करता हूँ. दूसरी और विरोध के लिये विरोध करने हेतु मांग संख्या 13 में 14 सदस्यों ने 72 बिंदुओं पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं और मांग संख्या 54 में 6 सदस्यों ने 8 कटौती प्रस्ताव के बिन्दु दिये हैं उनका मैं विरोध करता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के विकास के लिये जितनी भी योजनायें हम बना रहे हैं न केवल कृषि के क्षेत्र में अपितु जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में जो भी विकास की योजनायें बन रही हैं उनमें धीरे-धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रेशर अपने आप देखने में आता है. एक सामान्य किसान कि हम बात करें जिसके पास रहने को एक छोटा सा घर है और जीवनयापन के लिये छोटी सी खेती है उसके यदि तीन बेटे हैं एक-एक करके तीनों बेटों की शादी होती है तो वह किसान इतनी व्यवस्था कर सकता है कि यदि रहने के लिये जगह कम है तो पहली मंजिल पर वह छोटी बहु को घर दे सकता है दूसरी मंजिल बनाकर दूसरी बहू की व्यवस्था कर सकता है और तीसरी मंजिल पर तीसरे बेटे की व्यवस्था कर सकता है. लेकिन खेती करने के लिये वह यह नहीं कह सकता कि बड़ा बेटा सतह पर खेती कर ले, मंझला बेटा सतह से दो फिट नीचे खेती कर ले और छोटा बेटा सतह से छह फुट नीचे खेती कर ले. खेती करने के लिये सीमित साधन हैं उतनी ही खेती है. अब विकास के लिये केवल इतना ही संभव है कि खेती को उत्तरोत्तर बढ़िया बनाया जाये उन्नतिशील बनाया जाये. जो कुछ भी खेती उसके पास उपलब्ध है, यदि वह उससे साल भर में एक फसल लेता है तो उसको हम इतना उन्नतिशील बनायें कि वह साल भर में दो फसल लेने लगे यदि वह दो फसलें लेता है तो हम उसको इतनी तकनीक दें कि वह तीन फसलें लेने लगे और जो किसान तीन फसल ले रहे हैं उनको

इतनी उन्नतिशील तकनीक दी जाये कि वे प्रतिदिन कुछ न कुछ उत्पादन लेने लगें. इस दृष्टिकोण से किसानों को बार-बार तकनीकी ज्ञान देने की आवश्यकता है. इस हेतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाग ने लगातार पांच साल तक वेबसाइट पर जो सूचनायें दी हैं उनके लिये उनको मध्यप्रदेश शासन ने पुरस्कृत किया है. एसएमएस के माध्यम से 2 करोड़ 93 लाख किसानों को सूचित किया गया है यह तकनीकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है.

उपाध्यक्ष महोदय, एक और विषय जो बहुत आवश्यक है वह यह है कि मैं आपको अपने जीवन की याद दिलाऊं. कॉलेज के दिनों में, मैं जब थ्रेसिंग के लिये खेत पर रहता था उस समय बहुत छोटे थ्रेशर होते थे उनमें गेहूं की एक पूरी ही हम लगा पाते थे फिर दूसरी पूरी लगाते थे उसके नीचे से जो एक-एक टोकरी गेहूं निकलता था उसे यहां से उठाकर वहां रखते थे तब हमने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसी भी कोई मशीन आयेगी जो सीधे खेत से बालें निकाल लेगी और छना-छनाया गेहूं हमें मिला करेगा. हार्वेस्टर के रुप में जो कृषि यंत्र हमें मिले हैं इनके लिये किसान कल्याण मंत्रालय ने जो छूट दी है उससे निश्चित रुप से कृषि का बहुत फायदा होगा. किसानों की बहुत तरक्की होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, एक और विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. अपने यहां जो खेती करने वाले किसान हैं चाहे वे बटाई पर खेती करते हों अथवा ठेके पर लेकर खेती करते हों उन सभी की आदतें अभी परम्परागत खेती करने की हैं परम्परागत खेती में उन्हें रबी की फसल में गेहूं, मटर और चने से ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है. खरीफ की फसल का जब मौका आता है तो थोड़ी बहुत दलहन की फसलें वे ले लेते हैं. उनको उत्तरोत्तर कृषि के विकास की जो आज गति चल रही है उसकी ओर ध्यान दिलाने की आवश्यक्ता है. किसानों के अध्ययन के दृष्टिकोण से मेरा यह कहना है कि कृषि के मामले में जितनी उन्नति हमें चाहिये उसके लिये किसानों को बहुत-बहुत प्र प्रबोधन की आवश्यक्ता है . उनको अलग-अलग स्थान पर ले जाकर ज्ञान दिलाने और

तकनीकी रुप से समृद्ध करने की आवश्यक्ता है इस हेतु कृषि विकास मंत्रालय ने जो भी अनुदान की मांगे की हैं उनका मैं समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में छतरपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है और छतरपुर जिले में खास तौर से बीजावर विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़े क्षेत्र में आता है. वहां के किसान को उन्नत करने के लिये उनको समृद्ध करने के लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक किसानो को अध्ययन दल के रूप में भेजा जाए और कृषि यंत्रों में अधिक से अधिक किसानों को छूट देकर कृषि यंत्रों से सम्पन्न किया जाए. ताकि हमारा क्षेत्र भी विकसित हो सके धन्यवाद .

श्री बलबीरसिंह डण्डौतिया(दिमनी) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण और इस कृषि बजट में किसान कल्याण और कृषि विकास की बात कही जा रही है. मध्यप्रदेश के लिये गौरव की बात है परन्तु किसान कल्याण और कृषि विकास केवल कागजों में सीमित है. कृषि बजट के लिये 85 योजनाओं का उल्लेख है परन्तु समय के अभाव के कारण उन पर चर्चा न करते हुए मुख्य योजनाएं जैसे कृषि विस्तार,परीक्षण, योजनाएं, गौ नियंत्रण, प्रयोगशालाएं, गन्ना विकास योजनाएं, बीज परीक्षण एवं पर्यावरण और ट्रेक्टर दिलाने की योजनाएं, बैलगाड़ी अनुदान योजनाएं, कृषि में महिलाओं की भागीदारी,टापअप योजनाएं, भण्डार एवं वितरण, राज्य माइको सिंचाई,खाद भण्डार एवं ब्याज जैसी योजनाएं कृषि उपज व्यवसाय,मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मिशन राष्ट्रीय कृषि बीमा एवं अन्नपूर्णा योजनाएं मुख्य रूप से शामिल हैं. योजनाओं को माननीय कृषि मंत्री महोदय एवं वाणिज्य योजनाओं का 25 से 30 प्रतिशत भी क्षेत्र में काम हो तो वास्तविकता से किसान व कृषि का विस्तार सबसे आगे होगा. परन्तु इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी शायद आपके जिला अधिकारी को भी नहीं होगी. कृषि विभाग के आर.ई.ओ. महिने गांव में नहीं जाते हैं. एस.डी.ओ.,डी.डी.ओ.,आदि शायद वर्ष में एक बार में जाते हैं. योजनाओं की जानकारी गांवों तक

पहुंचाई जाए ताकि अन्नदाता किसान उनसे भलीभांति परिचित हो सके. माननीय मंत्री जी, कृषि प्रशिक्षण की खानापूर्ति कागजों पर न हो. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसान जब खेत में जाता है. जब खेत में हल चलाता है जब से और किसान जब अपनी फसल को काटता है उसको देखते हुए आप देखिये किसी भी किसान को अगर किसान अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ा पाएगा. न ही बीमारी की दवाई कर पाएगा. अगर किसान के लिये फसलों में दवाईयों की जरूरत पड़ती है तो कृषि विस्तार अधिकारी के यहां जाते हैं तो वह यह बोल देते हैं कि दवाई नहीं है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है. मेरे क्षेत्र में किसान कैसे अपना पेट पाल रहा है. एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि वह दो भैंस,एक गाय नहीं रखता होगा दूध को बेचकर अपना पेट पालते हैं. मेरा एक सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में गन्ने का बहुत बड़ी मिल थी वह कई सालों से बंद पड़ी है. अगर मिल चालू हो जाए तो किसानों की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी. मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि किसान को बिजली दिलाएं और हमारी शक्कर मिल को चालू कराएं. मुझे बोलने का समय दिया धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी – उपाध्यक्ष महोदय,मैंने भी बोलने हेतु समय मांगा है.

वन मंत्री(श्री गौरीशंकर शेजवार) – उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य गैरहाजिर हैं तो उनका समय अन्य दलों को दिया जा सकता है.

उपाध्यक्ष महोदय – समय-सीमा का भी ध्यान रखा जा सकता है. समय में हम समाप्त कर लें. मैं उन्हें समय दूंगा. 6 मिनट बलबीर सिंह जी को दिया है. शीला जी बोलेंगी बाकी सब आप ही के दल के हैं.

श्री जसवंतसिंह हाड़ा(शुजालपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 13 और 54 के समर्थन में और कटौती प्रस्तावों के विरोध में अपनी बात रखना चाह रहा था. सामने बिल्कुल खाली-खाली है. अभी तक हम जब भी भाषण देते थे तो बड़ी भीड़ सामने होती थी. वे गर्दन

हिलाते थे अच्छी बातों पर बोलते थे तो हम सोच रहे थे कि इतना अच्छा बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी इतना अच्छा बजट लाए हैं. मैं उनमें से जैसे बिना ब्याज पर उनको धन उपलब्ध कराना, उनके अच्छे प्रशिक्षण, आत्मा के माध्यम से कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके मेले लगाना, उनके प्रशिक्षण कराना और ऐसी योजनाओं के माध्यम से सब बातें यहां पर आने वाली थीं सदन में बड़े दुःख के साथ रखना चाहता हूं कि इस सदन में 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कल ही उनका उपवास टूटा है जूस के माध्यम से और इस बात के लिये इस प्रदेश में किसानों को ओला पड़े, पाला पड़े, कोई नुकसान हो तो किसानों की भरपाई करने के लिये जो आर.बी.सी में परिवर्तन किया है वह 10 साल में नहीं में नहीं कर पाये जो इस सरकार ने किया. इस सरकार के कामों को कांग्रेस के लोग सुनना नहीं चाहते. आज उनको ऐसी योजनाओं के बारे में बताने वाला था कि किसान अगर घर से जाय, खेत पर जाय, पशुओं को जंगल में लेकर जाय, और यदि उनकी आते-जाते दुर्घटना में मौत हो जाय तो मध्यप्रदेश की सरकार ने उनके परिवार के लिये 1 लाख रूपये से अधिक की राशि देने का प्रावधान किया है. वह मंडी में अपनी फसल बैचने आये आते-जाते समय उसके माल की गाड़ी पलट जाय, या कोई और दुर्घटना हो जाय, उसके कारण उसकी हानि की भरपाई करने का काम भी सरकार ने किया है. ऐसी अनेक योजनाएं हैं, लेकिन आज ऐसी योजनाओं को सुनते तो उनका भी हृदय परिवर्तित होता, लेकिन आज कृषि जैसे बजट पर वह अनुपस्थित हैं, उस पर बोलना व सुनना नहीं चाहते, यह बड़े अफसोस की बात है. आज मध्यप्रदेश में लगातार गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है माननीय पूर्व कृषि मंत्री जी ने परसों कहा था वह राजस्थान, महाराष्ट्र की सीमा से व अन्य निकटवर्ती राज्यों से यहां पर गेहूं आया है, यहां के किसानों ने जो गेहूं पैदा किया है उसकी प्रशंसा नहीं करना, इधर-उधर से जो गेहूं आाय है उसके कारण इस राज्य को एक बार नहीं-दो बार नहीं, तीसरी बार पुरस्कार देने का काम केन्द्र की यूपीए सरकार ने दिया है, यह अपने आप में बड़ा काम हुआ है, ऐसी स्थिति में आज गेहूं के क्षेत्र में जो

हमारे यहां पर मालवा में बता रहा था कि हमारे यहां पर शरबती गेहूं इस गेहूं का राज्यों के अंदर खास तौर से मुम्बई में बड़ा नाम चलता है, इस गेहूं के दाम का एवरेज आता है, समर्थन मूल्य उससे इस क्वालिटी के समर्थन मूल्य चूंकि इसका उत्पादन अच्छा होता है इनका दाम भी थोड़ा बढ़े, उनको उनकी क्वालिटी के अनुसार उसका दाम मिले, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. जैसा कि अभी मौसम खराब हुआ है उसमें जैसे कम समय की खेती जैसी कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि मोटे अनाज की खेती के लिये तथा उसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है. जो ग्राम सेवक व कृषि विस्तार के अधिकारी होते हैं इनका प्रत्येक गांव में इनका कार्यक्रम निश्चित होना चाहिये वहां पर संगोष्टि व उनके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. मेरे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्ष में एक-दो बार कार्यक्रम बने हैं उन्होंने शाजापुर जिले में खास करके मसाले, आलू, प्याज, लहसुन व टमाटर की खेती में अग्रणीय है इसके लिये अनके अवसरों पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था.

व्यवस्था

उपाध्यक्ष महोदय—आज भोजन अवकाश नहीं होगा माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर की तुलना में, शाजापुर संतरे की खेती में बड़ा अग्रणीय जिला है, यह जिला बनता है तो उसमें आगर जिला भी उसमें जुड़ता है. फूड प्रोसेसिंग की योजना शाजापुर जिले में बने ऐसा मैं मंत्री जी से चाहूंगा, इस शानदार और जानदार बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी (मनगवां)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 13 एवं 54 का विरोध करती हूं, कटौती प्रस्तावों का समर्थन करती हूं. हम सबको मालूम है कि यह देश कृषि प्रधान

देश है और हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है और यह भी सही है कि देश की कृषि मानसून पर आधारित है और आप सबको मालूम है कि हमारे देश व प्रदेश के किसान तथा हमारे रीवा जिले के किसान मानसून की जुआ का शिकार हो जाते हैं और जो भी कृषि कार्य करते हैं उनको यह भरोसा नहीं रहता जो हमने अपने घर में कृषि को उन्नत बनाने के लिये जो भी उपयोगी सामग्री हो, जमीन पर डाल देते हैं, उनको यह भरोसा नहीं रहता कि आने वाले समय में खेत से पुनः हमारे घर पर आयेगा. हमारे किसान प्रकृति की मार को झेल रहे हैं, हमारे मंत्री जी तथा सरकार किसानों के कल्याण के लिये योजनाएं तो बना रही हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन भी सही हो रहा है, लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके से हो रहा है. खास करके हमारे रीवा जिले में अभी जो सोयाबीन की फसल चौपट हुई थी, उसका सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया है, उसका मुआवजा भी सही तरीके से नहीं दिया गया, पांच एकड़ का किसान भाई है उसको भी उतना ही मुआवजा दिया गया, जो पच्चास एकड़ का किसान भाई है उसको भी उतना ही मुआवजा दिया गया इसलिये यही गुजारिश करती हूं कि उनके कल्याम के लिये, कृषि के विकास के लिये हम जो भी योजनाएं बनाते हैं, उनका धरातल पर सही क्रियान्वयन होना चाहिये उसमें जो गाईडलाईन दी गी है उसी के माध्यम से विभाग को संचालन करना चाहिये जिससे कि आने वाले समय में किसान भाई पीड़ित न रहें और आत्म-हत्या के लिये वह मजबूर न हों इसलिये यही कहना चाहती हूं कि फसल बीमा का जो फायदा है वह किसानों को सही समय पर नहीं मिल पाता है उनके साथ सर्वे में तो पक्षपात होता ही है, साथ ही साथ जो छोटे एवं मंझौले किसान हैं उनको बहुत ही तंग किया जाता है मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह विभाग को निर्देशित करें कि कृपया जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो छोटे एवं मंझौले किसानों को उचित रूप से फायदा दिला सकें. जो खाद बीज में विभाग के द्वारा जो वितरण होता है उसमें कमीशनखोरी-कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिये काम करें. मेरे विधान सभा मनगवां क्षेत्र के कई गांवों के किसान दुःखी एवं पीड़ित हैं उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया

गया है सोयाबीन का मुआवजा मिला ही नहीं है मैं इस बात को रिपीट बार बार कर रही हूं इसमें आपका मंत्री जी ध्यान चाह रही हूं. हमारे मनगवां में कई ऐसे किसान हैं जो अतिवृष्टि, औलावृष्टि के शिकार हुए हैं उनको भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है. उन किसानों ने भी कहा है कि आप हमारी पीड़ा को सदन में रखें इसलिये आपको विधान सभा में चुनकर भेजा है, इसलिये मैं यह बात सदन में रख रही हूं. विभाग के द्वारा जो भी प्रावधान है उसमें बहुत ही भेदभाव होता है हमारी बघेली में एक कहावत है--

"डाइन को मिला डउआ चीन चीन परसे"

इसका मतलब यह होता है कि किसानों के साथ भेद- भाव होता है. मैं आपका संरक्षण चाहूंगी कि किसानों को अधिक सुविधाएं मिलें और कृषि का विकास हो, यह सरकार की मंशा है.

उपाध्यक्ष महोदय--अब आखिरी वाक्य आप 10 सेकेंड में समाप्त करें.

श्रीमती शीला त्यागी---कृषि विस्तार के लिये महिलाओं की भूमिका अग्रणी बनाई जाये और महिला कृषि भागीदारी को अधिक प्रभावी बनाया जाये. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय (जावरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 13 और 54 के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार व्यक्त करता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि हमारे जीवन का आधार है और भारतवर्ष में तो कृषि पुरातन और प्राचीन काल से विश्व भर में पहली बार भारत में ही प्रारंभ हुई. यह मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है और माननीय मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी का कुशल नेतृत्व है, जो उन्होंने कृषि को लाभ का धन्धा बनाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये, कार्य निश्चित किये, कार्य योजनायें निश्चित कीं और बजट को लगातार बढ़ाते हुए किसानों को समृद्ध करने के लिये अनेक आयोजन किये. मैं विगत् वर्षों की योजनाओं की ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का

कृषक, जो अनुभवी रहा, लेकिन अब मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदेशों में खेती किस प्रकार की, करी जा रही है, विदेशी किसान कृषि का उत्पादन किस तरह से कर रहे हैं, अपने गांवों के खेत से लेकर विदेशों में भ्रमण करते हुए उनके द्वारा खेती किस तरह से की जा रही है, कृषकों को उसका अध्ययन करने के लिये भेजा जाने लगा है. विगत् वर्षों की केन्द्र सरकार के द्वारा भी और विगत् वर्षों के प्रदेश शासन द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इसकी आवश्यकता इस देश में महसूस क्यों की गई, आखिरकार हमारे अपने देश में ऐसी परिस्थितियां क्यों हुईं ? क्योंकि एक बड़ा कारण रहा कि पहले किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कृषि नीति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. आज कांग्रेस के मित्र लोग यहां पर नहीं हैं, यह इस बात की ओर इंगित करता है कि जो किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हैं, बाहर किस तरह से आडंबर करते हुए वे प्रदर्शन करते हैं, वह उनकी किसानों के प्रति सीधे-सीधे चिन्ता नहीं है, मात्र प्रचार प्राप्त करना है. आज हमारा मध्यप्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे कृषि मंत्री माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में जिन योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है, जहां एक ओर कृषि उत्पादन बढ़ा है, तो कृषि उत्पादन के साथ-साथ में अन्य कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिये किसान प्रेरित हो रहा है. पहले तो किसान मात्र सोयाबीन, गेहूं, चना या अन्य फसलों तक ही सीमित रहता था लेकिन अब तो कृषक भिन्न-भिन्न प्रकार की खेती करने लगा है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको प्रशिक्षित करने के लिये विभाग के द्वारा अनेकों योजनायें बनाई गई हैं और उन्हें न केवल प्रशिक्षित करना, वरन् उन्हें और अधिक समृद्ध करने के लिये संरक्षण देने के लिये यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाये, एक्सीडेन्ट हो जाये, तो उनके परिवार को सहारा देना, तो इसी तरह आत्मा योजना के माध्यम से उन्हें न केवल प्रशिक्षित करना, वरन् उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये पुरस्कृत भी करना, विकासखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जिन कृषकों ने अपने अनुभवों के माध्यम से कृषि को उन्नत करने के लिये कार्य किये हैं. न सारे

बहुआयामी कार्यों के लिये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशन्सा की पात्र है और यही कारण रहा कि हमारे मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर उच्चतम स्तर तक पहुंचने लगी है. इसी के साथ- साथ जब रासायनिक खादों के उपयोग के बारे में बात आती है और निश्चित रूप से अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग किया जाने के कारण कहीं न कहीं हमारा बीज भी प्रभावित हुआ है और इसके लिये विभाग ने जैविक खेती को भी प्रोत्साहन देने का कार्य किया है और इस जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिये 16 जिलों के अंतर्गत 32 विकास खंडों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया है, जिसका क्षेत्रफल का प्रतिशत हमारे देश भर का जो प्रतिशत है, उसमें मध्यप्रदेश का अधिकतम भाग है.

(1.01 बजे, (सभापति महोदय, श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए)

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय--आज इस परिवेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है. मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैविक खेती के बारे में विचार किया जाना चाहिये और उसे और अधिक प्रोत्साहित कैसे किया जाये, उसके बारे में विचार किया जाना चाहिये. यदि 16 जिलों के अंतर्गत 32 विकास खंडों में जैविक खेती के कृषि क्षेत्र को निश्चित किया गया है, तो मध्यप्रदेश भर के संपूर्ण जिलों में, संपूर्ण विकास खंडों में जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने के लिये शासन को, विभाग को विचार करना चाहिये, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र जावरा, रतलाम जिला अंतर्गत भी कई कृषक हैं, जो जैविक खेती विगत् 20-25 वर्षों से कर रहे हैं और विभाग उन्हें संरक्षण भी देता है, लेकिन वह कुछ गांवों तक, कुछ किसानों तक ही निश्चित है. जैसा कि अभी बड़े महानगरों के बारे में कहा गया है, बड़े महानगरों में जो परिस्थितियां बन रही हैं कि नालों के माध्यम से सिंचाई करते हुए वे कृषि उत्पादन कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह सारे विषैले तत्व हमारे शरीर में जा रहे हैं, उससे हमारी हानि तो हो ही रही है, लेकिन जो मनुष्य का जींस है, वह

जींस कमजोर होकर आने वाली पीढ़ी को और भी अधिक कमजोर करेगा, इस ओर भी निश्चित रूप से विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा--माननीय सभापति जी, पाण्डे जी ऐसा बोल रहे हैं जैसे कृषक ही हैं. माननीय सभापति जी, यह तो पंडित आत्मा हैं .

सभापति महोदय--इसमें आपको खुशी होनी चाहिये कि उन्हें कृषि विषय का ज्ञान है.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय--माननीय सभापति महोदय, मेरा वैसे पूरा ग्रामीण क्षेत्र ही है और जसवंत सिंह हाड़ा जी हमारे बड़े गुरू भाई हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--सभापति जी, हाड़ा जी से पूछें कि पंडित कृषक नहीं हो सकते क्या?

श्री जसवंत सिंह हाड़ा सदस्य-- साहब, यह मूल वेतन तो मंदिर से रहे हैं और यहां कृषि के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ी चिन्ता का विषय है.

श्री लखन पटेल--भाई साहब, पहले कहा जाता था कि ब्राम्हण खेति नहीं कर पाते.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय--माननीय सभापति महोदय, जितना मेरा ज्ञान है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में ही लगातार भ्रमण, प्रवास और मेरे पिता माननीय डॉ. लक्ष्मी नारायण जी पाण्डेय का जन्म भी एक गांव में ही हुआ, मेरा उस गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र ही है माननीय जसवंत सिंह जी और इसलिये जो मेरा ज्ञान है, उतना मैं व्यक्त कर रहा हूं, अधिक तो नहीं लेकिन जैविक खेति की आवश्यकता पर मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रत्येक विकास खंड में निश्चित करें, ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके. माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा कृषि उपज मंडी समिति इस मध्यप्रदेश की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है और वहां पर काफी अधिक आवक होती है. पुरानी मंडी फौजवद नाका पर स्थित होकर, वहां पर कृषि क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है उत्पादन का, लेकिन अन्यविधा मंडी भी वहां पर प्रारंभ हुई है, संचालित हो रही है, उसमें अभी और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज सेंटर, वहां पर सड़कों का निर्माण, वहां पर बाउन्ड्री

वाल का कार्य और इसी के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र है हमारा सुखेड़ा, पिपलौदा तहसील के अंतर्गत आता है, वहां पर भी माननीय कृषि मंत्री महोदय ने नवीन उपमंडी प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये थे, उसके भूमि के अधिग्रहण का कार्य भी अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, उसके भूमि का अधिग्रहण का कार्य भी यदि माननीय मंत्री जी यथाशीघ्र करवायेंगे, तो निश्चित रूप से क्षेत्र को लाभ होगा, तो मेरा निवेदन है कि अन्यविधा मंडी के प्रगति के निर्माण के कार्यों को वे अपनी स्वीकृति दें और सुखेड़ा उपमंडी के भूमि अधिग्रहण के कार्य को वे प्रगति दें, बहुत बहुत धन्यवाद.

(कांग्रेस के बहिर्गमन के दौरान कांग्रेस के एक माननीय सदस्य के सदन में बैठने पर.)

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो बैठे हैं, क्या ये कांग्रेस दल से अलग हो गये हैं. अकेले बैठे हैं, हो सकता है कि उन्होंने दल छोड़ दिया हो.

सभापति महोदय -- उन्हें सदन में बैठने का अधिकार है.

श्री इन्दर सिंह परमार (कालापीपल) -- सभापति जी, मैं मांग संख्या 13 और 54 का समर्थन करता हूं एवं कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. मध्यप्रदेश की सरकार ने और मध्यप्रदेश सरकर के मुखिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कृषि को लगातार केंद्रित करके योजना बनाना प्रारंभ किया. जब से कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लियो योजना बनाना प्रारंभ किया, तब से लगातार कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अच्छा विकास, उन्नति कर रहा है. उसके कारण कृषि विकास की दर 24 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है. मैं उसके लिये मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं. इसी प्रयास में केन्द्र की सरकार ने दो बार मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया है, उसके लिये भी हमारे मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी बधाई के पात्र हैं. मध्यप्रदेश में जिस प्रकार से कृषि को एक विशेष धंधे के रुप में विकास करने के लिये जो प्रयास किया है, उसके लिये एक अलग केबिनेट का विचार करके, उसकी अलग से सम्पूर्ण

व्यवस्थाओं पर विचार करते हुए, किसानों और कृषि को किस प्रकार से आधुनिक तकनीक से जोड़ जाय, इसके लिये मध्यप्रदेश आज ऐसा पहला राज्य है, जहां इस प्रकार का विशेष व्यवस्था की गयी है, मध्यप्रदेश का बजट अलग खण्ड में प्रस्तुत करके एक प्रकार से उल्लेखनीय कार्य किया है. जिस प्रकार से मध्यप्रदेश के कुल बजट का कृषि बजट 19.15 प्रतिशत है. वह भी एक प्रकार से बजट में धीरे धीरे बढ़ोतरी करने के कारण से और लगातार हर वर्ष बजट में बढ़ोतरी करने के कारण से कृषि की विकास की दर आगे बढ़ी है. सरकार द्वारा कृषि के सुधार के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और उन्नत खेती के लिये उन्नत तकनीक का जिस प्रकार से बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, उससे भी आज प्रदेश में कृषि का विकास हो रहा है. मध्यप्रदेश के किसानों ने अपने पुरुषार्थ से जिस प्रकार से अन्न के भण्डार भरे हैं और एक प्रकार से प्रदेश में लगातार प्राकृतिक आपदा कभी ओला,पाला आने के बाद भी किसानों ने गेहूं का भण्डार भरकर प्रदेश की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की है. तो दूसरी ओर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्र जी ने जो किसानों पर संकट आया, प्राकृतिक आपदा आई, उसमें सरकार की ओर से चाहे ओले पड़े हों तो या पाले गिरे हों तो पिछले और इस वर्ष भी जिस प्रकार से राहत प्रदान की है, एक प्रकार से सारी चीजों की व्यवस्था करते हुए अपने खर्चे पर और अन्य खर्चों में कटौती करते हुए दो हजार करोड़ से ऊपर जो किसानों को राहत इस वर्ष और पिछले साल गेहूं के नुकसान में दी है, वह एक प्रकार से उल्लेखनीय योगदान है. उसके कारण किसानों के चेहरे मुरझाये नहीं और किसानों को यह विश्वास पैदा हुआ कि मध्यप्रदेश की सरकार हर विपत्ति में हमारे साथ है.

जिस प्रकार किसानों ने अन्न के भण्डार भरे, उत्पादन बढ़ाया, प्रदेश की सरकार ने गेहूं, धान और मक्का पर 150 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो बोनस दिया है, वह भी उल्लेखनीय है. उसके कारण भी प्रदेश के किसान आज राहत महसूस कर रहे हैं. प्रदेश की सरकार द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिये जिस प्रकार से बलराम तालाब योजना को संचालित

किया गया, उसके कारण से किसानों में विश्वास पैदा हुआ और जो भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा था, कई जिलों में भूजल गिरने की जो एक समस्या आने लगी थी, पेय जल का संकट खड़ा होने लगा था, 500-700 फीट नीचे तक भूजल स्तर चला गया था, उसमें आज रोक लगी है और वापस भूजल स्तर बढ़ने की स्थिति में आ रहा है. एक प्रकार से यह जो अभियान है, इस अभियान में किसान और समाज की जिस प्रकार से सहभागिता बढ़ रही है, वह एक आंदोलन का रुप ले रही है. मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि जिस प्रकार से कृषि विभाग के द्वारा यह सीधा सीधा योजनाओं को चालू किया गया है, इसमें कृषि उपज मंडियों को भी जोड़ करके भूजल स्तर को बढ़ाने का जो अभियान है, इसमें सम्पूर्ण समाज की सहभागिता को और जोड़ा जाना चाहिये. सहकारी बैंकों से शून्य प्रतिशत पर ब्याज देकर के किसानों को एक प्रकार से ऋण पर बड़ी राहत प्रदान की है. उसके लिये भी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं. मैं दो तीन सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं. कृषि उपकरणों हेतु जो अनुदान दिया जाता है, उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बढ़ाया जाना चाहिये, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका लाभ मिल सके और जिस प्रकार से उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं, उसकी बजाय सीधी राशि किसानों को देनी चाहिये और उनको स्वतंत्र करना चाहिये कि वह कहीं से भी कृषि उपकरण खरीदे . सरकार जो अनुदान देना चाहती है, वह अनुदान उनके खाते में जाना चाहिये. हमारी जो कृषि उपज मंडी समितियां हैं, मध्यप्रदेश की कृषि केबिनेट ने एक सुझाव दिया था मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों में कलर सार्टेक्स प्लांट स्थापित करने का. मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ए श्रेणी की मंडियों में कलर सार्टेक्स प्लांट स्थापित किया जाय, ताकि किसानों के लिये बीज और क्वालिटी सुधारने में एक स्वतः ही बड़ा उपयोगी होगा और जिसके कारण आज यह जो प्रदेश भर में कहीं बीज के कारण से शिकायत आ रही है कि बीज आदि खराब हैं, इसलिये क्वालिटी ठीक करने में किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी होगा.

मंत्री जी से एक और निवेदन है कि फल सब्जी मंडियों में पुनः आलू,लहसुन, प्याज को नियंत्रण में लिया जाना चाहिये. इनको नियंत्रण से मुक्त करने के कारण आढ़तिये फिर से सक्रिय हो गये हैं. उस कारण से जो किसानों का अपने माल का भुगतान कई बार आढ़तिये और जो दलाल टाइप लोग रहते हैं, वह खाकर भाग जाते हैं. मंडियों में नियंत्रण रहने के कारण से किसानों को अपने भुगतान की गारंटी होगी. इसलिये मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देंगे. जो ए श्रेणी की मंडियां हैं, वहां मिट्टी परीक्षण लेब भी खोली जानी चाहिये, जहां कि मंडियों से सीधा सीधा किसान जुड़ता है, यह भी मेरा मंत्री जी से निवेदन है. मैं यह चाहता हूं कि कृषि उपज मंडी समितियों को जितना आधुनिक बनायेंगे, और कृषि से संबंधित जो सारे विषय हैं, जो मंडियों से भी ठीक किये जा सकते हैं. इसलिये मंडियों को किसान का, कृषि का केंद्र बनाते हुए उनका समुचित विकास करने की आज आवश्यकता है. मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कालापीपल, शुजालपुर और अकोदिया मंडियों को जोड़ने के हमारे कई छोटे छोटे आंतरिक मार्ग हैं, उसके लिये भी मंत्री जी राशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे. सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद.

श्री लखन पटेल (पथरिया) -- अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 13 और 54 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है. खेती में तरक्की करने के लिये बहुत सारे उपाय की अभी भी आवश्यकता है, परंतु मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के सत्ता में आने के बाद जो कृषि सेक्टर को प्राथमिकता पर रखा गया उसके कारण प्रदेश के किसानों ने गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धी की और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिये सरकार ने जो परिकल्पना की थी उसमें कई किसान हितेषी योजनायें बनाकर के उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. 13 वीं विधानसभा में एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया कृषि केबिनेट का गठन

करके खेती संबंधी नीतिगत फेसले निर्णय लेने का जो सरकार ने निर्णय लिया उसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2014-15 के बजट में जो 34 कृषि यंत्रों में टेक्स में छूट दी जिसके कारण किसानों को सस्ते दामों पर कृषि के उपकरण मिल सकेगें उसके लिये मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं.

माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने खेती को बेहतर करने के लिये बहुत सारे उपाय और सुझाव दिये हैं . मैं अपनी ओर से भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं. जैसा कि मैं समझता हूं कि खेती को लाभ का धंधा बनाये जाने के दो ही उपाय हैं. या तो खेती की लागत कम हो जाये या उसका उत्पादन बढ़ जाये. जहां इस सरकार ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजना के अंतर्गत खेती की लागत कम करने के लिये कृषि ऋणों पर जीरो परसेंट ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का काम किया है वहीं दूसरी ओर गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मक्का उत्पादन में उपार्जन में 150 रूपये क्विंटल पर बोनस देने का काम किया है जिससे किसानों का काफी लाभ हुआ है.

माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की हैं. कुछ लोगों ने ही फसल बीमा की बात यहां पर कही है. चूंकि मैं एक किसान भी हूं, बैंक में अधिकारी रहा, को-आपरेटिव्ह बैंक का अध्यक्ष रहा और आज विधानसभा का सदस्य हूं. मैंने फसल बीमा को बहुत करीब से देखा है उसकी त्रुटियों को भी जाना है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों से केन्द्र की सरकार से बात करके पुरानी फसल बीमा योजना को लागू कराने का जो प्रयास किया है उसके लिये उनका धन्यवाद और आभार. मैं कृषि मंत्री जी ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं कि अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं , जिनको दूर करेगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह मामला प्रदेश के लाखों किसानों से जुड़ा हुआ मामला है. मैंने देखा है

कई जिलों में प्रीमियम की ऱाशि अलग अलग है, बीमा कंपनी ने तय कर दिया कि देढ़ परसेंट से लेकर के साढें तीन परसेंट तक बीमा प्रीमियम लिया जा सकता है परंतु यह हर जिलों में अलग अलग है. मेरा अनुरोध है कि इसमें एकरूपता लाई जाये हर जिले में एक जैसा किया जाये. दूसरी बात जहां तक जिन जिलों में अधिक बीमे का दावा किया जाता है , उन जिलों में कंपनियां कई बार बीमा करने के लिये एवाईड करती है, यह उनको अधिकार दिया हुआ है तो मेरा ऐसा अनुरोध है कि इसका कंपलसन किया जाये, सारे जिलों मे प्रत्येक किसान का बीमा किया जाये. उनको यह लिबर्टी न दी जाये जिससे कि वह कई किसानों को छोड़ देते हैं.

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि फसल बीमा की इकाई कम से कम पंचायत स्तर तक की जाये. एक महत्वपूर्ण निवेदन है कि हमेशा फसल बीमा का जो प्रीमियम लेते हैं या फसल बीमा किया जाता है इस पर मंत्री जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि इसको कहा गया है फसल बीमा . परंतु फसल का बीमा नहीं होता बीमा होता है बैंक द्वारा प्रदत्त किये गये ऋण का. मेरा अनुरोध है कि फसल बीमा जैसे किसी किसान की यदि 20 एकड़ जमीन है और शासकीय आंकडों के अनुसार उसका प्रोडक्शन यदि 120 क्विंटल होता है जिसकी बाजार की कीमत देखें तो लगभग 3 लाख रूपये होती है . यदि उस किसान ने बैंक से देढ़ लाख रूपये का ऋण लिया है तो उसका मात्र देढ़ लाख रूपये का बीमा होगा. जबकि उसकी टोटल प्रोडक्शन लगभग रूपये 3 लाख का आना चाहिये. मेरा अनुरोध है कि इस बात को जोड़ा जाये कि जितनी किसान की जमीन है जितना उसका फसल का उत्पादन आने वाला है , उस फसल उत्पादन को बीमित किया जाये, यह बहुत बड़ी विसंगति है .

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि खेती को और अधिक प्रगतिशील बनाना है तो उसमें कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसके बिना यह काम पूरा नहीं हो सकता है. मैं अभी कृषि आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहा था , वर्ष 2003 में मात्र 49

करोड़ रूपये इस पर व्यय करने का प्रावधान किया गया था और वर्ष 2013 में 91 करोड़ रूपये का , मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जहां 2003 से लेकर के 2013 तक सभी विभागों का बजट 5 गुना, 6 गुना और कई विभागों को 7 गुना बजट हो गया है, एक प्रदेश का महत्वपूर्ण अंग जो कृषि पर आधारित है उसका बजट दुगुने से भी कम हो गया.(लाल लाईट जलने पर) सभापति जी मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, पहली बार मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ है. मैं अपनी बात 2-3 मिनिट में समाप्त कर दूंगा. कृषि विभाग का बजट 2 गुना से भी कम है, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब तक अनुसंधान और कृषि शिक्षा पर बहुत ध्यान नहीं दिया जायेगा , तब तक उस गति से खेती की तरक्की नहीं हो सकती है.

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और अनुरोध मंत्री जी से है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बहुत व्यवस्थित करने के लिये मध्यप्रदेश कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा परिषद का गठन अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा उसके बहुत से लाभ होंगे, क्योंकि इस तरह के परिषद दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं. मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं यहां पर कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं . ज्यादातर देखने में आता है और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी यह बात कही है कि कृषि विभाग का अमला जो नीचे स्तर तक काम करता है , वास्तविकता मे वह अमला मौके पर उपस्थित नहीं रहता है, जो टेक्निकल आईडिया जो शिक्षण के सर्वे एवं अनुसंधान की बात आती है वह किसानों तक पहुंचाने में उतनी रूची नहीं दिखाता . मैं यहां उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है.

आदरणीय सभापति महोदय, अपने क्षेत्र की बात कहते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा. मंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में बटियागढ़ विकासखंड है जहां पर उप मंडी आलरेडी स्वीकृत है, और पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय कुसमरिया जी ने उसको स्वतंत्र मंडी बनाने की घोषणा की थी, उसकी संरचना बनकर के तैयार हो गई है. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं

कि उसको स्वतंत्र मंडी घोषित कर शीघ्र प्रारंभ कराने की कृपा करेंगे. साथ ही अभी मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय खंडेलवाल जी कह रहे थे कि कृषि पोलिटेक्निक कॉलेज की बात मैं उनसे अनुरोध करना चाहते हूं कि अगर मेरे क्षेत्र में अगर एक कृषि पोलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे तो बड़ी कृपा होगी, उसके लिये लगभग 200 एकड़ राजस्व की भूमि हमारे यहां पर उपलब्ध हैं. आखिरी निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र का कुछ हिस्सा लगभग 30 से 40 गांव ऐसे हैं जहां पर न तो सिंचाई का कोई साधन है, न नदी है न तालाब हैं और न ही वहां पर ट्यूववेल और कुंआ सक्सेस है .वहां पर सिर्फ बलराम तालाब ही सफल है. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बलराम तालाब किसी विधानसभा या क्षेत्र में है तो वह मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं. इस साल मेरे निवेदन पर माननीय मंत्रीजी ने मेरे जिले को 250 बलराम तालाब बढ़ाकर 500 बलराम तालाबों का लक्ष्य कर दिया था. मंत्रीजी से निवेदन है कि उसको बढ़ाकर 800 करने का कष्ट करें. धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार(नीमच)-- सभापति महोदय, मैं, मांग संख्या 13 और 54 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं.

सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अनोखा काम किया है. जब हम छोटे थे तो खेत पर जाने के लिए सड़कें नहीं होती. सायकल के और राजदूत मोटर सायकल के मडगार्ड निकाल कर खेतों में जाया करते थे. आज प्रदेश की सरकार उसके मुखिया और कृषि मंत्रीजी ने खेत पर जाने के लिए सड़कें दी हैं और अच्छी-अच्छी सड़कें बनाने का काम किया है. मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं.

सभापति महोदय, यदि कृषि को बढ़ाना होगा तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था जरुरी है. सिंचाई के लिए डेम चाहिए. हमारे क्षेत्र में अच्छे डेम बनाये गये हैं. हमारे गांव हमेरिया,ठिकरिया में बड़े बड़े कृषि के डेम बने हैं. उन बांधों में मछली पालन के लिए भी समितियों ने आवेदन दे रखे

हैं. माननीय मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि उन समितियों के आवेदनों को मंजूर करके, समितियों को रजिस्टर्ड करके मछली उत्पादन के लिए समितियों को उपकरण दिये गये तो बहुत फायदा होने वाला है.

सभापति महोदय, आज कृषि विकास की दर लगातार बढ़ रही है. उसी क्रम में हमारे प्रदेश की सरकार, उसके मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री जी को हमारे महामहिम राष्ट्रपतिजी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से दो बार सम्मानित किया है. मैं सदन के माध्यम से उन्हें पुनः बधाई देता हूं.

सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 में कृषि उत्पादन में 24.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वह अभूतपूर्व है. इस वृद्धि की वजह से हमारा किसान भी प्रसन्न है और प्रदेश का स्थान पूरे देश में अच्छा आया है. हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी. माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बीजबुजा में हेलिकाप्टर उतारकर किसानों के आंसू पोछने का काम किया था. उस समय जो ओलावृष्टि हुई है उसमें कई किसान वंचित रह गये हैं तो उन किसानों को भी मुआवजा देने का काम मंत्रीजी करेंगे.

सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी द्वारा फसल बीमा का प्रावधान रखा गया है मैं उसके लिए भी मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा. क्योंकि यदि किसान को समय पर फसल बीमा मिल जायेगा तो वह किसान और उन्नति करेगा और खेती लाभ का धंधा बनेगा. माननीय मंत्रीजी, किसान भाईयों को शून्य प्रतिशत पर ऋण दे रहे हैं. किसान बहुत प्रसन्न है. वह आपको दुआएं दे रहे हैं. उनकी दुआओं की वजह से म.प्र. की सरकार लगातार बढ़ती जा रही है.

सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी से मेरे नीमच क्षेत्र के लिए निवेदन करुंगा कि नीमच की कृषि मंडी ए क्लास मंडी है. उस मंडी से राजस्थान की सीमा लगी है. वहां लोग 56 प्रकार के जीन्स और औषधी उपज लेकर आते हैं. आज नीमच मंडी की हालत बहुत खराब है. मैं आपका ध्यान आकर्षित करुंगा कि नीमच कृषि मंडी का जो सचिव है वह सचिव और अध्यक्ष मिलकर टेक्स की

चोरी करा रहे हैं. वहां पर जो प्रायवेट हम्माल रखे हैं वह किसानों से 5 और 10 रुपये बोरी लेकर किसानों के साथ अत्याचार,अन्याय कर रहे हैं. मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि जो सचिव वहां पर पदस्थ है वह दुग्ध संघ से आया है वह ए क्लास मंडी के लायक नहीं है. वह अग्निहोत्री नाम का सचिव ए क्लास की मंडी में बैठा है. मंत्रीजी, ऐसे सचिव को वहां से तत्काल हटाये. उसको बार बार हटाया जाता है लेकिन वह न्यायालय से स्टे लाकर जोड़-तोड़ करके बैठ जाता है.

सभापति महोदय-- यह बातें मंत्रीजी को लिख कर दे दीजिएगा.

श्री दिलीप सिंह परिहार-- मैंने मंत्रीजी को लिख कर भी दिया है. मैं यह भी निवेदन है करुंगा कि नीमच की मंडी का आपने अभी विस्तार किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. नीमच की औषधी मंडी है उसमें ईसबगोल बहुत आती है उसमें औषधी के कुछ उपकरण इस प्रकार के लगे जिससे किसानों को फायदा मिले.

सभापति महोदय, अभी केन्द्र सरकार ने नीमच में औद्योगिक कॉरिडोर घोषित किया है. उस कॉरिडोर में छोटे-छोटे उद्योग लगेंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा. सभापति महोदय, नीमच की मंडी का विस्तार होना बाकी है. हमारे प्रभारी मंत्री श्री दीपक जोशीजी और मैं कलेक्टोरेट में बैठक में गये थे तो वहां पर किसान भाईयों ने हमको घेर लिया और उनकी मांग थी कि नीमच की मंडी का विस्तार किया जाये. नीमच की मंडी के लिए जो जमीन ले रखी है उस जमीन को आप अधिग्रहण करके, नीमच की मंडी का विस्तार करें. नीमच की मंडी का विस्तार होगा तो किसानों को फायदा मिलेगा. हमारी मंदसौर की मंडी का विस्तार हुआ. हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंसीलाल जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में मंडी का विकास हुआ. वहां व्यापारी, किसान, हम्माल सभी खुश हैं. हम चाहते हैं कि नीमच की मंडी का भी विकास हो ताकि वहां के व्यापारी, किसान खुश हो और वहां आने वाला हर आदमी खुशी के साथ अपना व्यापार-व्यवसाय कर सके.

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करुंगा कि नीमच में अभी बहुत आपा-धापी मची हुई है. आज ही किसान संघ के माध्यम से नीमच को बंद रखा गया है. किसान संघ ने इस बात के लिए ध्यान आकर्षित किया है कि नीमच में लाल गुलाब नामक हम्मालों की गेंग चलती है उनके सामने किसान कुछ कह नहीं पाते हैं. जो कच्ची पर्ची दी जाती है, उस कच्ची पर्ची के माध्यम से किसानों की फसल का नुकसान होता है. कम तौला जाता है. मैं चाहता हूं कि उन किसानों की स्पॉट भरपाई करायी जाये.

सभापति महोदय, नीमच में जो आढ़त प्रथा चल रही है. उस प्रथा को भी बंद किया जाये. किसानों को स्पॉट भरपायी करायी जाये. सभापति महोदय, वहां पर किसानों के पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है. इन्द्र देवता बरस रहे हैं. सावन का महीना है और मुख्यमंत्रीजी ने जलाभिषेक के कार्यक्रम किये हैं. वहां किसानों के पानी, भोजन की व्यवस्था होना चाहिए और नई मंडी का विस्तार होना चाहिए.

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करुंगा. एक बहुत दुखद घटना है. कल हमारे यहां एक व्यापारी जिसने साल्टेक्स का प्लांट लगाया है, उस व्यापारी को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाकर ले गये और उसको राजस्थान की सीमा पर मार कर फैंक दिया. वहां अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है. यह घटना बहुत दुखद है. उसकी हत्या कर दी गई. उसकी पत्नी, उसके बच्चे इंतजार करते रहे. मैं इस अवसर पर मंत्रीजी से यही निवेदन करुंगा कि हमारी मंडी का विस्तार किया जाये. मैं एक दिन कृषि मंडी की बैठक में विधायक होने के नाते गया था. वहां का अध्यक्ष पत्रकारों, मीडिया के सामने सदस्य से इस प्रकार की भाषा बोलता है कि मैं तुम्हें गुंडों से उठवा दूंगा. ऐसे अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए. यहां से एक दल जाये वह वहां निरीक्षण करे. किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको बंद कराया जाये.

सभापति महोदय,मेरे क्षेत्र में छोटी छोटी सड़कें हैं. हमने मंडी निधि के माध्यम से बनाने के लिए मंडी बोर्ड को भेजी है. मैं आपको लिख कर भी दूंगा. ये गांव को जोड़ने वाले सड़कें हैं इनको आप मंजूर करेंगे. हमारे मंत्रीजी भारतीय संस्कृति के प्रतीक लगते हैं. जब आप साफा बांधते हैं, धोती पहनते हैं तो हमको लगता है हम भी किसान है इसलिए आपसे अपेक्षा की है उन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे. जहां पर भी जो अनियमितता हो रही है, उनको आप दूर करेंगे.धन्यवाद.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा(जौरा)-- सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 13 और 54 के का समर्थन करते हुए, कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

सभापति महोदय,कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और सीधी-सपाट बात करने वाले,स्पष्ट बात करने वाले हमारे कृषि मंत्रीजी आदरणीय बिसेन साहब बहुत मेहनती और परिश्रमी हैं. उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर धरातल पहुंचाने का कार्य किया है. हमारे प्रदेश के मुखिया ने कृषि मंत्रीजी पर भरोसा करते हुए .प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इतनी कड़ी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है. किसान को पता है कि हर परिस्थिति में मध्यप्रदेश की सरकार हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. चाहे ओले का मामला हो, चाहे पाले का मामला हो, सभी में मध्यप्रदेश के किसानों के साथ हमारी संवेदनशील सरकार खड़ी हुई है.

सभापति महोदय - आप अपने क्षेत्र के विकास की बात रखें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा - सभापति महोदय, हमारे उपाध्यक्ष महोदय सदस्यों को कितना संरक्षण देते हैं और आप इधर से गये थे तो मुझे और ज्यादा उम्मीद बढ़ी थी. मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और अभी तो मैंने बोला ही नहीं. मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं वह मध्यप्रदेश में माननीय सभापति जी, जो संदेश है. अभी हमारे श्री हाड़ा जी कह रहे थे कि किनसे बात करें? बड़े खेद की बात है, कांग्रेस है ही नहीं. मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस होती भी तो वह मानने को कहां

तैयार है? पूर्व में वरिष्ठ सदस्यों ने चर्चा की कि सरकार ने गेहूं के आंकड़ें गलत बताकर कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है. क्योंकि समर्थन मूल्य के लालच में उत्तरप्रदेश से किसान आए होंगे, महाराष्ट्र से किसान आए होंगे, राजस्थान से किसान आए होंगे, ऐसा कहकर कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है. सभापति महोदय, जो कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए सिफारिश भेजी गई, जो आंकड़ें भेजे गये तो वह आंकड़ें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखे होंगे, वह आंकड़ें महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी देखे होंगे, मैं कांग्रेस भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपने यह कहकर कि ये आंकड़ें गलत हैं, किसान की मेहनत का अपमान किया है. खैर प्रधानमंत्री को तो आपने माना ही नहीं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है कि ये आंकड़ें असत्य हैं.

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि धान में वर्ष 2002-03 में 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, वह वर्ष 2013-14 में बढ़कर 41.71 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, जो कि 4 गुना है. क्या ये आंकड़ें भी असत्य हैं? चने का उत्पादन वर्ष 2002-03 में 17 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 38.12 लाख मीट्रिक टन हो गया. सोयाबीन ने तो मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया. इतना सोयाबीन कभी मध्यप्रदेश में नहीं हुआ.

सभापति महोदय, 60 वर्षों में उन्होंने कुछ किया नहीं. जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री किसानों के लिए जो कर रहे हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं. मेरे यहां का एक उदाहरण है, एक मजिस्ट्रेट के सामने गवाह नहीं जाता था तो मजिस्ट्रेट ने उसको वारंट से बुलवा लिया. उस गवाह ने कहा कि तुमने मुझसे गवाही दिलवा ली क्या? मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुमने घटना देखी है क्या? उसने कहा कि देखी है परन्तु नहीं कहता. मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम पर 6 महीने की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना होगा तो उसने कहा कि आप सजा दिया करो लेकिन हम माने तो? इसलिए कुछ भी करते रहो, ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं. सभापति महोदय, सरकार को जो पुरस्कार और उच्च मुकाम प्राप्त हुआ है उसके लिए सरकार के मुखिया की वह सोच, वह जुनून, वह सपना, खेती को

लाभ का धंधा कैसे बनाया जाय, उन्होंने रात दिन इस बात की चिंता की और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि उनके लिए हर संभव प्रयास हो रहा है. उन्हीं के प्रयासों का तो यह फल है कि वर्ष 2013-14 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में लगभग 24.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है. प्रदेश में गेहूं उत्पादन में हम निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, वर्ष 2008-09 में गेहूं का उत्पादन 1895 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर था, वह बढ़कर वर्ष 2013-14 में 2976 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया. सभापति महोदय, इसी प्रकार से धान, चने के उत्पादन में भी प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

सभापति महोदय, सरकार ने किसानों के लिए सब कुछ किया है. एक ऐतिहासिक काम और किया है कि प्रदेश को चलाने के लिए केबिनेट होती है, सरकार चलाने के लिए होती है. लेकिन उन्होंने अलग से किसानों के लिए घाटे के धंधे को मुनाफे में बदलने के लिए किसान केबिनेट का गठन किया, जिससे कार्य में कोई विलंब नहीं हुआ, जो भी काम हुए वे अतिशीघ्रता से हुए.

सभापति महोदय - आपके क्षेत्र की कोई विकास की बात हो तो वह माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाएं.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा - सभापति महोदय, मैं विकास की बात तो कर रहा हूं. मैं मध्यप्रदेश की किसान केबिनेट को किसानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इतना अच्छा करके किसानों को ढांढस बंधाया. सभापति महोदय, पहले भगवान भरोसे प्रदेश चल रहा था, भगवान भरोसे किसान खेती कर रहा था. कहीं हमने सुना था कि किसानों के लिए कोई अलग बजट बना हो? लेकिन हमारी सरकार ने किसान केबिनेट बनाई और किसानों के लिए अलग से खेती के लिए बजट बनाया. सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 में राज्य का कृषि बजट 16355 करोड़ रुपए था जो कुल बजट का 17.89 प्रतिशत था. वर्ष 2014-15 के लिए कृषि बजट रुपए 22413 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 19.15 प्रतिशत है. इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं. पूरी केबिनेट को बधाई देता हूं.

सभापति महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा - सभापति महोदय, आप कहते हैं तो बैठ जाता हूं. आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन) - सभापति महोदय, मेरे विभाग की मांग 13 एवं 54 के पक्ष में और विपक्ष में इस सदन के माननीय सदस्यों ने न केवल हिस्सा लिया अपितु बड़े सारगर्भित सुझाव भी इस सदन के माध्यम से प्रदेश और राष्ट्र की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है. सभापति महोदय, जब हमारे विभाग की चर्चा प्रारंभ हुई तो हमारे वरिष्ठ साथी श्री महेन्द्र सिंह जी कालूखेड़ा, जो स्वयं न केवल अच्छे किसान हैं बल्कि कृषि मंत्री भी रहे हैं. उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये, आज तो श्री कालूखेड़ा जी सदन में बहिर्गमन के पहले तक दिखे नहीं थे, लेकिन वे अभी रहते तो उनको मेरा उत्तर सीधे जाता तो सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो राज के विकास में, कृषि के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता. सभापति महोदय, इस चर्चा में हमारे उज्जैन के विधायक और उज्जैन के किसान मोर्चे के तत्कालीन जिलाध्यक्ष, जब मैं प्रदेश किसान मोर्चे का काम देखता था, हमारे साथी श्री बहादुर सिंह चौहान जी ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये और सत्तापक्ष के विधायक होकर सरकार को भी दिशा देने का प्रयास किया, जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने न केवल बजट की प्रशंसा की, बल्कि हमें दिशा भी दी. साथ ही साथ हमारे श्री रमाकांत तिवारी जी, श्री हेमन्त खण्डेलवाल जी, जो हमारे बैतूल के विधायक हैं, उन्होंने आज के परिवेश में खेती के संदर्भ में हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, जिले की भौगोलिक परिस्थिति और वहां के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह की फसल लेना चाहिए, यह सुझाव निःसंदेह स्वागत योग्य है. सरकार उनके सुझावों का पूरा ध्यान रखेगी. हम जो कार्य योजना बनाएंगे, उस कार्य योजना में जरूर श्री हेमन्त खण्डेलवाल जी का मार्गदर्शन लेंगे. उनको साथ में बैठालेंगे.

सभापति महोदय, हमारे श्री पुष्पेन्द्र पाठक जी ने, श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया जी, जो कि बीएसपी के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी सरकार के कामों को खुलेमन से प्रशंसा करके प्रमाणित कर

दिया कि हम विपक्ष की भूमिका में तो हैं लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के विकास के रथ पर कहीं न कहीं हम भी आपके सहयोग में हैं. हमारे जसवंत सिंह हाड़ा जी जो संगठन के माध्यम से दूसरी बार विधान सभा में आए हैं इनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है. इनके अनेक सारगर्भित सुझाव आए हैं , वे हमारे नोटिंग में भी हैं, रिकार्ड भी हो रहा है और हमारे अधिकारियों ने लिखा भी है. बिन्दुवार उनके सुझावों के अनुसार हम समाधान करने का प्रयास करेंगे. हमारी बहन श्रीमती त्यागी, जो हमारे रीवा जिले से आयी हैं वे यहां नहीं हैं,लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुझाव दूंगी और मुझे लगता है कि इस तरह के सुझाव से विभाग को निःसन्देह काम करने की प्रेरणा मिलती है. हमारे मित्र राजेन्द्र पाण्डेय जी जो मेरे मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं, आपके पिताश्री के समय हम लोग एक साथ लोकसभा और मेरी विधान सभा में हम लोगों ने काम किया है. निश्चित रूप से आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणा बनेंगे और उसमें से हम कुछ न कुछ अर्जित करने का प्रयास करेंगे. इन्दरसिंह परमार जी ने मुझे कुछ कहा कि कलर सार्टेक्स (colour sortex) मंडियों में लगना चाहिए. मैं उनके प्रस्ताव का न केवल समर्थन करता हूं बल्कि उनको बताना चाहता हूं कि हमने मन्दसौर में कलर सार्टेक्स प्लान्ट लगा दिया है और खुरई में 6-करोड़ रूपये का सार्टेक्स प्लान्ट लगाने की हमने, पिछले दिनों जब मैं खजुराहों से हमारे माननीय मंत्री जी भूपेन्द्र सिंह जी के साथ गया था , उनके विधान सभा क्षेत्र में 6-करोड़ रूपये का कलर सार्टेक्स प्लान्ट लगाने की हमने वहां न केवल घोषणा की बल्कि हमने कहा कि एक साल के अंदर हम इसको चालू कर देंगे. सभापति महोदय, हम इस तरह के आधुनिक संयंत्र तो लगा सकत हैं , लेकिन उन संयंत्रों को आपरेट कौन करेग, रखरखाव कौन करेगा यह सामान्यतः हमारी चिन्ता होनी चाहिए और इसके लिए हम बिल्ड ऑन आपरेटर के मोड में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप में इस काम को देना चाहेंगे और मैं दमोह के हमारे विधायको को बधाई देना चाहता हूं कि लखन पटेल साहब हम बहुत जल्दी आपके जिले में कलर सार्टेक्स प्लान्ट लगाने जा रहे हैं. हमारे यहां पर संसदीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं. उनको खुशी होती, हम दतिया में भी इस तरह का एक प्लान्ट 6-करोड़ की लागत से लगाने जा रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि

खासतौर से बीना,सागर,जहां कि हमारा सुन्दर क्वालिटी का गेहूं पैदा होता है जिसकी डिमाण्ड बाम्वे और दुनिया के बाजार में है उसमें का यदि मिक्स्चर कलर वाला दाना अलग हो जाएगा तो हमारे किसानों को न केवल अधिक लाभ मिलेगा बल्कि एक मार्केट भी हम अपने देश में और विश्व में प्राप्त करेंगे. इसलिए हमने तय किया है कि इसको हम प्राथमिकता पर जैसे जैसे हमारे पास सुविधा होती जाएगी हम उसको करने का प्रयास करेंगे. सभापति महोदय, हमारे साथियों ने कृषि अनुसंधान परिषद गठित करने का जो सुझाव दिया है , मैं इस सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कृषि के तरक्की के लिए और उसके अनुसंधान के लिए हमें माननीय सदस्यों के सुझाव के अनुरूप और सरकार की कार्ययोजना के अनुरूप जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे.सभापति महोदय,अब तो दिल्ली में हमारी सरकार बन गई है. पिछले दिनो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम 24 और 25 तारीख को दिल्ली गए थे और हमारे कृषि मंत्री जी ने पहली भेंट में ही हमारे प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं. ..

सभापति महोदय—माननीय मंत्री जी , जहां पर पान होता है वहां भी अनुसंधान केन्द्र खोलने का आप विचार करें.

श्री गौरीशंकर बिसेन—निःसन्देह. मैं टीकमगढ़ और आपके क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति से अवगत हूं. छतरपुर और टीकमगढ़ में दो संभावनाएं ज्यादा हैं , वहां बहुत पुराने तालाब हैं वहां मछली का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है, सिंघाड़े का काम भी हो सकता है और पान के बढैये को हम आधुनिकृत करके अपने किसान की आय बढ़ा सकते हैं. माननीय सभापति महोदय, हमारे दिलीप परिहार जी ने चर्चा की कि कृषि मण्डी के सचिव को हटाना है. सभापति महोदय, मैने अधिकारियों को निर्देशित किया है, आज शाम तक ही आदेश करके नीमच के उस सचिव को हटा दिया जाएगा और नीमच की कुछ समस्याएं भी माननीय सदस्यों ने रखी हैं, मैं स्वयं सत्रावसान के बाद , दिलीप सिंह जी परिहार के साथ नीमच जाऊंगा और उनके नीमच मंडी में जो कुछ समस्या होगी उनका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे , चाहे रोड़ से संबंधित हो, चाहे

हम्मालों से संबंधित हो चाहे वहां के व्यवसायों से संबंधित हों. हमारे माननीय पटवा जी का गृह क्षेत्र हैं इसलिए हमारी प्राथमिकता हो जाती है कि उस जिले में किसी तरह की तकलीफ न हो और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि शनिवार,रविवार को समय मिला तो उसके बीच में मैं जाने का प्रयास करूंगा. हमारे सुबेदार सिंह रजौधा जी ने बड़े सारगर्भित सुझाव हमें यहां पर दिये हैं ,उनके भी क्षेत्र में, जैसे अभी यहां पर विषय आया कि मध्यप्रदेश में हमारा विजन दृष्टिकोण 2013-14 है. और 2018. हमने जो राज्य की जनता को कहा है कि हम मध्यप्रदेश में क्या करने जा रहे हैं. हम मध्यप्रदेश में दस एग्रो पॉलेटकनिक खोलने जा रहे हैं. उसका हमने डी.पी.आर. बना लिया है और हमारा प्रयास होगा कि हमारे जो दस एग्रो पॉलेटेकनिक कॉलेज हैं ,इसमें माननीय मख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं कि हम प्रदेश के बेरोजगारों को स्वतः का रोजगार लगाने के लिए अब 25 लाख की राशि को बढ़ा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक करोड़ किया है उसमें हम (food processing unit) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करना चाहेंगे और उसमें प्राथमिकता पर जिले के कलेक्टरों को हम पत्र भी लिखेंगे उनसे समन्वय भी रखेंगे कि एग्रीकल्चर से जो हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स निकलेंगे ,तीन साल का एग्रो पॉलेटेकनिक का डिप्लोमा पास करके जो हमारा युवा निकलेगा वह अपना स्वतः का रोजगार स्थापित कर सके. उसको आत्मनिर्भर

01.51 बजे { अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

बनाने के लिए ,माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का जो दृष्टिपत्र है ,यह मध्यप्रदेश में नींव का पत्थर साबित होगा. अध्यक्ष महोदय, यह तो हमरा प्रारंभ है. यदि जरूरत पड़ेगी तो इसके संदर्भ में हम और आगे जाने का प्रयास करेंगे. मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 10-एग्रों पॉलेटकनिक कॉलेजों के स्थानों का चयन लगभग कर लिया है. हमारे जो फार्म हैं, जहां पर हमारे फार्म में जमीन उपलब्ध हैं उनमें अथवा राजस्व की अविभाजित जमीन प्राप्त करके प्रारंभिक तौर पर दस हैक्टेयर में हम इस तरह के एग्रो पॉलेटेकनिक कालेज खोलेंगे और उसमें न

केवल हमारा कृषि का विषय होगा अपितु इसमें हमारे जो इंजीनियरिंग के विषय हैं उनको भी रखेंगे, टेकनिकल सबजेक्ट को रखेंगे, फूड प्रोसेसिंग के सबजेक्ट्स को रखेंगे और इसके लिए हमने जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय और श्रीमन्त राजमाता कृषि विश्व विद्यालय के वाईस चान्सलरों को ,उनकी टीम को एक निश्चित समय सीमा के अंदर काम करने का जिम्मा दिया है. अध्यक्ष महोदय, हमने इसके लिए अधिकारियों की टीम भी बनाई है. हमने कहा है कि सदन के चलते समय निकाल कर आप जाएं ,दस स्थानों का चयन कर लें और हम केबिनेट में जाकर उन स्थानों को फायनल करेंगे और मैं एक बात बताना चाहता हूं ,हमारे सरकार में धन की कमी नहीं होगी. हम मंडी शुल्क की राशि में से उसमें अधोसंरचना का काम करेंगे और सैलरी इत्यदि के लिए वित्त मंत्री जी के पास जाएँगे. हमारे वित्त मंत्री माननीय जयन्त मलैया जी , चूंकि हमारा प्रारूप तैयार नहीं हुआ था इसलिए हमने बजट में प्रावधान नहीं किया, हमारा प्रारूप तैयार होगा और बजट में सैलरी और अन्य आवश्यकताओं का हम प्रावधान करेंगे. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हू, बहुत कम लागत में लगभग 25 लाख करोड़ की लागत में हम मध्य प्रदेश में एक-एक कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कुछ और बातें बताना चाहता हूं.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा- माननीय मंत्री महोदय, आप मुरैना की कुछ घोषणा करने वाले थे.

श्री गौरीशंकर बिसेन- मुरैना जो, बोला नहीं, समझ जाओ दस में आप हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे प्रशासनिक प्रतिवेदन हैं. ये सभी माननीय विधायकों के पास, 230 स्थानों में जा चुका है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने इसे पढ़ लिया है. इसके उपर यदि मैं भाषण दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि सरकार ने, विभाग ने जो काम किया है उसकी चर्चा मध्यप्रदेश में नहीं होती, भारतवर्ष में नहीं होती बल्कि दुनिया के नक्शे पर , मध्यप्रदेश में कृषि विकास की चर्चा हो रही है. अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले बार 10-

फरवरी को कृषि कर्मण पुरस्कार हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी प्रणव मुकर्जी से हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया , दो करोड़ रूपये का नगद दिया. 2012-13 में विषम परिस्थिति में हमारा कृषि विकास दर 24.99 आया है और हम तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चयनीत होने जा रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा को सांख्यिकी का ढांचा है इसका मैं थोड़ा सा आपके सामने वर्णन करना चाहूंगा . किसी भी राज्य का और किसी भी राष्ट्र का विकास का पैमाना होता है जी.डी.पी. किसी भी राष्ट्र का और किसी भी राज्य का विकास होता है राज्य अंश में घरेलु सकल उत्पाद में उसका योगदान. माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. में यदि आप 2004-2005 के दरो पर देखें. 24.9 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र से मध्यप्रदेश का रहा है. इस बजट के सकल घरेलू उत्पाद में यदि हम 2004-05 के रेट से देखते हैं तो सांख्यिकी के आंकड़े कहते हैं कि 24.9 प्रतिशत और आज के रेट से वर्तमान दरों से देखते हैं तो 33.6 प्रतिशत प्रदेश के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है यानि जो कुछ उत्पादन, जो कुछ सेलेरी, जो कुछ पैसा राज्य में आया है उसका 33 प्रतिशत योगदान अकेले कृषि सेक्टर का है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जो राज्य इतनी अच्छी तरक्की करे, मैं एक एक आंकड़े में नहीं जाना चाहता. पहले अनुमानित आंकड़े आते हैं,इसके बाद में वास्तविक आंकड़े आते हैं, इसके बाद फिर सारा सांख्यिकी का आंकड़ा गवर्नमेंट आफ इंडिया निर्धारित करती है,उसके बाद में कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए कोई राज्य चयनित होता है. हमारे मित्र लोग कई बार आलोचना करते हैं कि दूसरे राज्य का गेहूं आ गया. कैसे आ गया? हमारे किसान के खसरे का पंजीयन होता है. पूरा कम्प्यूटराइज्ड है, किसान के नाम से गेहं खरीदा जा रहा है, किसान के खाते में गेहूं का पेमेंट किया जा रहा है,इतनी पारदर्शिता तो पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं रखी और इसलिए हमारे विरोधी साथियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो कहेंगे कि दूसरे राज्य से आ रहा है. रोको न? रोको. हमारे हिन्दुस्तान का एक जोन है, जब आपातकाल था तब इनके जमाने में एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज को ले जाने पर पाबंदी थी, प्रांतबंदी थी, लोगों को जेल में डाल

दिया गया. किसानों की बेलगाड़ियां सड़ गईं, आपातकाल में इन्होंने लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया था. हम ऐसा काम नहीं करने वाले. हिन्दुस्तान में काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है इसलिए एक राज्य से पैदा होने वाला अनाज दूसरे राज्य में जा सकता है. रहा सवाल बेचने का और खरीदने का, किसान के खाते का पंजीयन है और इसलिए आप बताइये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके खुद हरदा, होशंगाबाद में इस बार हमने 1500 करोड़ रुपये की मूंग गर्मी में पैदा की है. गर्मी में फसला हमारी सोयाबीन की खराब हो गई. हमारे रिजर्व वायर में पानी था, हमने 1500 करोड़ की मूंग पैदा की है. यह भी आंकड़े गलत हैं? यह भी मूंग उत्तरप्रदेश से आ गई? यह भी राजस्थान से आ गई? मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं जाना चाहता, हर विषय पर हम बात करने को तैयार हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराजसिंह चौहान और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें जो संदेश दिया है- मोर क्रॉप पर ड्राप, एक एक बूंद से अधिक उत्पादन करो.और इसी के कारण हम एक एक बूंद पानी का उपयोग करने के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन, पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर के पौधे तक पहुंचाना और राज्य में माइक्रो सिंचाई मिशन पर 15 करोड़ रुपया हमने इस पर खर्च करने का प्रावधान किया है जिसमें 9117 ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रदान करने वाले हैं, यह काम यदि किसी सरकार ने किया तो उस सरकार का नाम माननीय शिवराजसिंह चौहान की सरकार ही हो सकती है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बाद और बताना चाहता हूँ, गेहूं के उत्पादन में उत्तरप्रदेश नम्बर एक, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्यप्रदेश. चौबीसवें नम्बर वाला मध्यप्रदेश इस दस साल में तीसरी पायदान पर आ गया और वो दिन दूर नहीं जब हम पंजाब को पीछे छोड़ेंगे और चूंकि भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तरप्रदेश का ज्यादा है , वहां का मौसम ठंडा है , इसके बावजूद भी मध्यप्रदेश कुछ दिनों में गेहूं उत्पादन करने वाला हिन्दुस्तान का दूसरा राज्य होगा. मैं एक बात इस सदन के

माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने पिछले साल 190 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा करने का लक्ष्य किया. विषम परिस्थिति आयी, मौसम बिगड़ा, ओले गिरे, तूफान आया इसके बावजूद भी 173 लाख मेट्रिक टन हमने गेहूं पैदा किया.हमने लक्ष्य किया था कि हम 190 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करेंगे,विषम परिस्थिति के बाद भी हमने 73 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है. मैं बताना चाहता हूँ कि आज मौसम बदल गया है. गुरु पूर्णिमा से ईश्वर ने हम पर कृपा की है जैसे ही सावन का महीना प्रारम्भ हुआ है, मध्यप्रदेश में जो अलनीनो का प्रभाव था वह धीरे धीरे दूर हो रहा है और 12 तारीख की रात से छत्तीसगढ़ और विदर्भ होते हुए छिंदवाड़ा,बालाघाट, सिवनी,बैतूल में मानसून आ गया. 13-14 जुलाई को मानसून चम्बल और रीवा संभाग छोड़कर प्रदेश के सारे क्षेत्र में आ चुका है और 17 जुलाई तक हमारे पूरे प्रदेश में बरसात होने की संभावना है. आज मानसून खरगौन, खण्डवा,गुना, राजगढ़, छिंदवाड़ा. अलीराजपुर, बड़वानी, होशंगाबाद,सिवनी,उमरिया, छतरपुर,बैतूल,भोपाल, रायसेन सहित कई जिलों में वर्षा हुई है और इस वर्ष किसान ने तेजी से अब बोवनी प्रारम्भ कर दी है और विषम परिस्थिति में आकस्मिक कार्य योजना बनाकर के जहां किसानों को बीज की कमी है इसलिए हमने 50 प्रतिशत अनुदान पर 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने के लिए राष्ट्रीय कृषि योजना में 40 करोड़ का प्रावधान किया है और जरुरत पड़ेगी तो इस राशि को भी बढ़ायेंगे लेकिन राज्य के किसान को बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, यह मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 से एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी के द्वारा फसल बीमा योजना लागू की. भारत सरकार में फसल बीमा योजना में परिवर्तन यूपीए सरकार में किया गया और हमारी स्थिति यह हो गई थी कि कौन सी बीमा नीति होगी. हमने कहा कि वर्तमान बीमा पालिसी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है. अभी आज जो बीमा नीति है उसमें डेढ़ से लेकर के साढ़े

3 प्रतिशत प्रीमियम किसान देता है. नयी बीमा में मिनीमम 6 प्रतिशत था अब एक बीमा कम्पनी है, अब जिले से उसमें टेण्डर होंगे, निविदाएं बुलायी जाएंगी, कहीं के रेट कम आएंगे, कहीं के रेट ज्यादा आएंगे और ऐसी परिस्थिति में हमारा किसान उस भार को उठाने की स्थिति में नहीं होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में पहल की. हम सब लोग हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से मिले और परिणाम यह हुआ कि नयी प्रस्तावित योजना को रोक दिया है,उन्होंने कहा मध्यप्रदेश आगे आए, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री आगे आएं, मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री समस्त आगे आएं

और किसानों के हित में और राष्ट्र के हित में कोई नयी फसल बीमा योजना लेकर के आयें. इसलिए इस वर्ष तो पुरानी फसल बीमा योजना ही रहेगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि खरीफ में हमारी जो फसल 2013 में नष्ट हुई थी उसके लिए 2187 करोड़ के दावों को स्वीकृति हो चुकी है और इसके हम बहुत जल्दी भुगतान करने जा रहे हैं और राज्य का जो राज्यांश है उसके लिए 900 करोड़ रुपये का बजट में हमने प्रावधान किया है.जैसे ही केन्द्र का अंश और राज्य का अंश आ जाएगा, मध्यप्रदेश के सोयाबीन वाले किसानों की जो पिछले खरीफ फसल में नुकसान हुआ,उनके खाते में पैसा जमा कर दिया जाएगा. सरकार के पास में पैसे की कमी नहीं है और हमने इसके लिए बजट में प्रावधान किया है जितना भारत सरकार ने क्लेम स्वीकार किया..

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष जी, अगर आज सदन में प्रतिपक्ष होता और नेता प्रतिपक्ष होते तो आज आंकड़े सुनकर के अचम्भित हो जाते.

श्री गौरीशंकर बिसेन- माननीय अध्यक्ष जी, अब जो नयी फसल बीमा योजना है,चूंकि वह सस्पेंड है इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन इतना मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री माननीयि श्री शवराजसिंह चौहान ऐसी किसी फसल बीमा योजना को इस प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे जो किसान के लिए घातक हो, जो हमारे किसान के लाभ की न हो, जो किसान की सुरक्षा न रखती हो, हम नयी फसल बीमा योजना

लेकर के भारत सरकार के पास जाएंगे और भारत सरकार पर हमारा पूरा विश्वास है. वह मध्यप्रदेश जिसने अकेले इतना अनाज पैदा किया,वह मध्यप्रदेश जिसने कृषि विकास की दर में हिन्दुस्तान का नाम उठाया है,भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से जब हम मिलने गए, उन्होंने कहा मध्यप्रदेश का हम सम्मान करना चाहते हैं. यह मध्यप्रदेश है जिसने कृषि विकास दर में सर्वाधिक योगदान देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को ऊपर करने में दिया है इसलिए मध्यप्रदेश को सम्मान को नकारा नहीं जा सकता और तोहफे के रुप में हमारे कृषि मंत्री जी ने, मित्रों, आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि तोहफे के रुप में हमको गेहूं के एक्सीलेंस अनुसंधान के लिए जबलपुर यूनिवर्सिटी को भारत सरकार राशि उपलब्ध करायेगी. हम आने वाले समय में नये नये किस्म की प्रजातियां बाजार में लायेंगे, उत्पादन बढ़ायेंगे, बीमारी से मुक्त वह प्रजाति होगी और इसके लिए बिना मांगे भारत सरकार के हमारे कृषि मंत्री जी ने हमारे उत्पादन से प्रभावित होकर के योगदान दिया है इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार का मेजे थपथपा कर आपको स्वागत करना चाहिए जो करोड़ो रुपये की सौगात हमको मिलने जा रही है(मेजों की थपथपाहट) हमारी मंत्री बहन यहां बैठती हैं इनके विभाग की बात मैं बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें हार्टीकल्चर के क्षेत्र में कुछ करना है उन्होंने कहा जाओ छतरपुर में हार्टीकल्चर का कालेज खोलो.हमने कहा कि हम दूध के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जाओ पन्ना में डेयरी साइंस का कालेज खोलो, वेटनरी का कालेज खोलो. यह होती है सरकार, नहीं तो एक इनकी सरकार थी, जब हमको बीज के लिए, फर्टीलाइजर की रैक के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आंदोलन करना पड़ता था, आज हमारी सरकार है, जिसमें हम बोलते आधा हैं, दिल्ली की सरकार पूरा देती है. हमारा वाक्य निकलता है और दिल्ली की सरकार हमको दे देती है. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के जिन जिलों में 5 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर खेती का रकबा ज्यादा होगा, उन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र यदि आज एक है तो हम आगामी

पांच साल में दो दो कृषि विज्ञान केन्द्र मध्यप्रदेश के सारे बड़े जिलों में खोलेंगे और कृषि की नई तकनीकी को हम आम किसानों तक पहुंचा कर इस राज्य का उत्पादन बढ़ाने का हम इस सदन के माध्यम से वचन देना चाहता हूं. हम अपनी कुछ योजनाओं की भी बात करना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों नें सारी बात यहां कर ली, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हिन्दुस्तान में जितनी सोयाबीन की प्रजाति अनुसंधानित की गई, उसमें 92 परसेन्ट का अनुसंधान जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने किया है. इन साइंटिस्ट्स की कोई बात ही नहीं करता. जितना देश में चना हो रहा है, उसका 44 परसेन्ट चना अकेले मध्यप्रदेश में पैदा हो रहा है. यह 44 परसेन्ट चने की प्रजाति की खोज करने वाला अगर कोई है तो वह जे.एन.के.वि. है, हमारे साइंटिस्ट्स हैं. इसलिए साइंटिस्स्ट्स के सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि दलहन में नंबर-1, तिलहन में नंबर-1..

श्री दिलीप सिंह परिहार—अध्यक्ष महोदय, मैं लंच में चला गया था, आपने नीमच की बात नहीं की.

श्री गौरीशंकर बिसेन—मैं आपके नीमच में आऊंगा. सोयाबीन के क्षेत्र में हम देश में प्रथम, सरसों में हम द्वितीय, गेहूं में हम तृतीय और पूरे देश में चना पैदा करने वाला हमारा राज्य 44 परसेन्ट वाला राज्य, देश में 100 अकेला 44 परसेन्ट मध्यप्रदेश पैदा करता है. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को जो योजनाएं हैं, उनके बारे में विपक्ष को सुनना चाहिए. मुझे लगता है कि कल अखबार में जब छपेगा, तब इन्हें लगेगा कि यहां न रहकर उन्होंने गलती कर दी. जिस मुद्दे पर उन्होंने बात की थी, अध्यक्ष महोदय मैंने आपसे अनुमति लेकर उस पर अपना वक्तव्य दे चुका था, बचा कुछ नहीं था, लेकिन सुनने का माद्दा ही नहीं है. जिस बात का समाधान हो जाता है, तुरंत पलट जाते हैं. कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं? बात करते कुछ हैं, पलटते तुरंत हैं. यहां बात की, हमने

वक्तव्य दे दिया, मेरा कहना है कि जब मैंने अपनी बात कह दी है तो फिर इन्हें मुझे सुनना चाहिए था. सरकार की योजनाओं के बारे में सुनना था.

श्री बहादुर सिंह चौहान—वह मंत्री जी आपका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हाउस छोड़कर चले गए.

श्री गौरीशंकर बिसेन—अध्यक्ष महोदय, गोविन्द सिंह पटेल साहब यहां बैठे हुए हैं. उनको आज बजट पर बोलने को नहीं मिला, वह जो बात कहना चाहते थे, उसका मैं समाधान करने जा रहा हूं. नरसिंहपुर के बुहानी में हमने गन्ना अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ कर दिया है. हम सारे अधिकारियों की वहां पोस्टिंग करने जा रहे हैं.

श्री गोविन्द सिंह पटेल—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि गाडरवारा में कृषि महाविद्यालय खोला जाय.

श्री गौरीशंकर बिसेन—अभी तो जो खोला है, उसको देखो. कृषि अनुसंधान केन्द्र आपको दिया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे मित्रों की उत्पादन की बात का जवाब दे दिया है. इस राज्य पर भगवान की बड़ी कृपा है. पिछली बार जो हमारे गन्ने की पिराई हुई वह 34.98 लाख मैट्रिक टन हुई थी और इसमें 34.43 लाख क्विंटल शक्कर पैदा हुई. जो पिछले वर्ष की तुलना में 65 परसेन्ट अधिक थी. इसमें हमारे यहां 15 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं. इसके लिए तो मैं मानसून को और इन्द्र भगवान को ही उनकी कृपा मानता हूं और यदि वर्षा नहीं होती तो हम गन्ना पैदा नहीं कर सकते थे. आज हमारे सामने परीक्षा की घड़ी है, मानसून विलंब से आ रहा है. लेकिन सरकार हर मुकाबले हेतु किसान को सहायता देने के लिए चट्टान की भांति खड़ी है. कहीं भी किसी किसान को बीज की कमी नहीं आने दी जाएगी.

श्री बलवीर सिंह डंडौतिया—माननीय मंत्री जी, मैं अपनी मुरैना की शक्कर फैक्ट्री का निवेदन कर ता हूं कि उसे चालू करा दें.

श्री गौरीशंकर बिसेन—ठीक है, वह को-आपरेटिव का मामला है. कौन सी सरकार मध्यप्रदेश में बनी है, जिसने किसानों को अध्ययन के लिए विदेश भेजा है. यह पहली सरकार है शिवराज जी की जिसने एक साल में 100-100 किसान विदेश अध्ययन के लिए जाएंगे और जा रहे हैं. पहला दल आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गया, दूसरा दल फिलीपीन्स, ताइवान गया, तीसरा दल ब्राजील, अर्जेन्टीना गया. हमने किसान के साथ में साइंटिस्ट भेजा, अधिकारियों को भेजा कि जाओ विदेश में अच्छी तकनीक को सीखकर आओ और मध्यप्रदेश का उत्पादन बढ़ाओ. यह काम कोई सरकार कर सकती है तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ही कर सकती है. अध्यक्ष महोदय, हमने इस खेत तीर्थ दर्शन योजना के लिए 16 हजार का लक्ष्य तय किया है. मध्यप्रदेश के 16 हजार किसान खेत तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेंगे. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गुजरात में गांधीनगर में एक समिट हुई थी, उस समय हमारे यहां के 200 किसानों को पुरस्कार मिला था, उस समय हमारे 50 किसानों को 1-1 लाख रूपए का पुरस्कार और 50 किसानों को 51-51 हजार का पुरस्कार गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मान्यवर नरेन्द्र मोदी जी ने दिया था. हमने 400 किसानों को हमने मोहाली, पंजाब में भेजा. 5600 किसानों को हमने बसंत मेला नागपुर भेजा और आई.सी.आर. के मेले में भी हमने किसानों को भेजा है. जिससे हमारा किसान सीखकर आए. हम इ-तकनीकी में पीछे नहीं हैं. राज्य स्तरीय प्रोद्योगिकी अवार्ड में पोर्टल कृषि नेट ने एक लाख का पुरस्कार हमारे कृषि विभाग को मिला है. जब तक हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा. इस तरह के पुरस्कार की जो श्रंखला हमने शुरू की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि कम से कम एक नई शरूआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है. विकासखंड स्तर पर 260 किसान ज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं.

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी कितना समय और लेंगे?

श्री गौरीशंकर बिसेन—अध्यक्ष महोदय 15 मिनट और लूंगा. अब आपका विषय है. अब हरेक विकासखंड में जब कम्प्युटर में हमारा किसान सारी जानकारी प्राप्त करेगा, तब उसको पता चलेगा कि हमको किस तरह से खेती करना चाहिए, हमारी उपज को कहां बेचना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, इ-गवर्नेन्स के लिए हमने 15 करोड़ का प्रवधान किया है. अब तो आई.टी. का जमाना है, 2.93 करोड़ किसानों को हमने एस.एम.एस. किए हैं. किसान को कभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन यह काम सरकार ने चालू किया है. हमने जैविक विकास परिषद का गठन 11 मार्च 2014 को कर दिया है. यहां हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं. हमने जैविक खेती विकास परिषद का गठन कर दिया है. माननीय पांडे जी जैविक खेती में राष्ट्र में हमारा नंबर एक स्थान है. 40 प्रतिशत प्रोडक्शन हम करते हैं. हमने और छोटे छोटे जो काम किए हैं, उनको छोड़ देता हूं. हमने 2012-13 में 50-50 हजार जिला स्तर पर,25-25 हजार रूपया हमारे किसानों को दिया है और खंड स्तर पर 10-10 हजार रूपया दिया है और आत्मा जिले के लिए एक लाख रूपए का पुरस्कार भी हमने अपने खरगौन जिले के किसानों को दिया है. यह सब काम जो हमारी सरकार ने किया है और यही नहीं 2013-14 में 5-5 हजार किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्रों में हमने प्रशिक्षण दिया और इसका परिणाम हुआ कि हमारे 51 जिलों में औसतन ढाई हजार किसानों को इसमें नई तकनीक के बारे में जानकारी मिली है और आत्मा के बारे में मैं कहना चाहता हूं, उस दिन सदन में भी मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे माननीय विधायक आगे आएं. मैं आज सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जिले की आत्मा गवर्निंग कमेटी में हमारा विधायक सदस्य होगा. अपरिहार्य कारणों से अगर विधायक नहीं जा सकेंगे तो वह अपना प्रतिनिधि भेज सकेंगे. हम आत्मा के प्रोजेक्ट पर 2014-15 के लिए 70 करोड़ का प्रावधान करने जा रहे हैं, जिससे हम किसानों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- सारे विधायकों की ओर से धन्यवाद.

श्री गौरीशंकर बिसेन--- माननीय अध्यक्ष महोदय,बजट के संदर्भ में अभी मेरे एक साथी ने कहा कि आपका बजट औऱ बढ़ना चाहिए.मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जहाँ हमारे कृषि विभाग का बजट 1217 करोड़ था आज हमारा बजट 2654.74 है यह 117.97 परसेंट बढ़ा है.मतलब डबल हो गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हम बीमे की राशि में अपने इस बजट से अपने राज्य का राज्यांश देंगे और किसान को बीमित किसानों के नुकसानी का क्लेम उनके खाते तक अब बहुत जल्दी पहुंच जाएगा , बजट पास होते ही पहुंच जाएगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात औऱ कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत उदार हैं,केबिनेट की प्रत्याशा में वह कुछ निर्णय कर लेते हैं . काल्डा नामक एक ऐसी संस्था है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शुष्क एवं वर्षा आधारित फसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हमको ग्रांट मिलेगा औऱ हम सीहोरा जिले के अमलाहा में 174 एकड़ में इस तरह का अनुसंधान केंद्र प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसकी स्वीकृति हमें भारत सरकार से अभी-अभी मिली है. इसी के साथ-साथ इसमें हम जो नार्मन बोल्डन मैक्सिको की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो देश में तीन स्थानों पर है वहाँ पर बिना जमीन की जुताई के हम सीधे बोवनी करके नई फसल पैदा करने का तकनीकी ज्ञान देने जा रहे हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का पर अनुसंधान हो रहा है. इसके लिए लगभग 500 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है , मैं स्वयं वहाँ गया था और मैंने उसको देखा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हमारी अन्नपूर्णा व सूरजधारा योजना में हम दलहन व खाद्यान्न फसलों के लिए एक हैक्टेयर तक की फसल के लिए अनुदान देते हैं . सोयाबीन का रेट इस वर्ष बढ़ गया है उसमें पहले 1500 रुपये का प्रावधान था मैं सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि इस 1500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति किसान अनुदान करने जा रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अभी हमने सूरजधारा के लिए 35 करोड़ रुपये व अन्नपूर्णा योजना के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया है जो पिछले साल की तुलना में अन्नपूर्णा में 62 परसेंट अधिक है और सूरजधारा में उपयोग किये हुए बजट का 77

परसेंट अधिक है औऱ इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों को कोई कमी नहीं होगी . हमारे एक सदस्य ने बलराम तालाब के विषय़ में कहा था कि मेरे यहाँ सर्वाधिक बलराम तालाब बने हैं. मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बलराम तालाब में सामान्य श्रेणी को 80 हजार और एसटी एससी को 1 लाख रुपये का प्रावधान है, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है औऱ इसलिए हम वित्त विभाग के पास जाएंगे यदि उनसे सहमति मिली तो हम इसकी राशि को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे. मैं वित्तमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करूंगा लेकिन अभी 2013-14 में 34.74 करोड़ वास्तविक व्यय हुआ और 3274 बलराम तालाब निर्मित हुए तथा 1048 निर्माणाधीन हैं . वर्ष 2014-15 के लिए 46 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल की तुलना में 32 परसेंट अधिक है अब वित्त हमको जितनी अनुमति देगा उस आधार पर हम इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे. यदि आज वित्तमंत्री जी यहाँ होते तो मैं यहीं निवेदन करके इस बात को कर लेता. लेकिन हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे. मेरे बड़े भाई गोपाल भार्गवजी यहाँ बैठे हैं, इनकी भी मनरेगा की राशि का उपयोग करके हम बलराम जलाशय योजना को औऱ बड़ा रूप देने का प्रयास करेंगे.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, यह मनरेगा के कन्वर्जेंस से बलराम तालाब का काम इसी साल शुरु कर रहे हैं.

श्री गौरीशंकर बिसेन--- माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी कम गिरा है , 12 तारीख तक मध्यप्रदेश में कुल 15 परसेंट बोवनी हुई थी . माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हल्ला होता है कि बीज नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव--- अध्यक्ष महोदय, आज सीएम साहब महाकाल जी के यहाँ उज्जैन गये हैं औऱ बारिश आप देखो लबालब हो रही है.यह पुण्य का प्रतीक है.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज की कमी राज्य के किसानों को नहीं आने दी जाएगी,चाहे जो करना पड़े.यदि सोयाबीन की कमी होगी तो मक्का देंगे. मक्का की कमी होगी तो कोदो-कुटकी देंगे, उसकी कमी होगी तो औऱ कोई बीज देंगे , बीज के भंडार की कोई कमी नहीं है औऱ कहीं पर भी किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है . मैं बीज के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं ,आंकड़ों पर भी नहीं जाना चाहता हूं एक ही बात में इसको समाप्त करूंगा कि मध्यप्रदेश के काश्तकारों को बीज की कोई कमी नहीं होगी. मध्यप्रदेश का जोत वाला एक भी खेत बीज के अभाव में पड़त नहीं रहेगा, यह सरकार बीज देने का वचन देती है . माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्वरक की बात आती है तो उर्वरक वाले मेरे बड़े मंत्री यहाँ बैठे हैं हम तो उर्वरक में ठीक से फर्टिलाइजर है कि नहीं अमानक तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, मिलावट वाला तो नहीं है इसके काम का विशेष जिम्मा है और अग्रिम खाद के भंडारण में होने वाली क्षतिपूर्ति की हम भरपाई में, प्रतिपूर्ति में राशि देते हैं . हमने 30 करोड़ रुपये का इस वर्ष बजट में प्रावधान किया है. वर्ष 2013-14 में 28 करोड़ रुपये व्यय हुए थे अभी 30 करोड़ और रखे हैं . जैसी आवश्यकता पड़ेगी, देखेंगे. लेकिन हमारे किसान को अग्रिम उठाओ अपने घर में फर्टिलाइजर पहले ले जाओ, बरसात में परिवहन से परेशान न हो औऱ एक पैंट की चिंता मत करो.यह सब काम हमने किया है . अध्यक्ष महोदय, मैं उर्वरक के संबंध में सदन के माध्यम से राज्य के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि डीएपी,इफ्को,यूरिया,सुपर फास्फेट या माइक्रोएलीमेंट किसी तरह के जो केमिकल तत्व हैं, फर्टिलाइजर हैं, इसकी हम राज्य में कमी नहीं होने देंगे औऱ इसके लिए प्रचुर मात्रा में हमारे पास में भंडार है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने अमानक फर्टिलाइजर का धंधा किया हमने उनके सैंपल लिये. हमने अभी तक 1356 उर्वरक के नमूने लिये , उसमें 1165 नमूने मानक और 171 अमानक पाये गये उसमें से 171 नमूनों के ऊपर हमने कार्यवाही की है और अमानक लाट बेचने के ऊपर प्रतिबंध किया है. उसमें हमने 10 के लायसेंस समाप्त किये हैं. एक विक्रेता का लायसेंस निरस्त

किया है . 6 के ऊपर एफआईआर दर्ज की है और जरूरत पड़ने पर और अधिक कड़े कदम उठायेंगे लेकिन मध्यप्रदेश के किसान को अमानक खाद, अमानक दवा ,अमानक बीज, अमानक धंधा से मुक्त रखेंगे और उनको अच्छा बीज, अच्छा खाद देने के लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं . माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात इसके पूर्व में कही थी लेकिन यदि मैं इसको दुबारा नहीं कहूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा भाषण अधूरा रहेगा.

श्री गोपाल भार्गव--- अध्यक्ष महोदय, भाऊ के प्रयासों से देश के अंदर तीसरी बार राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है.

श्री गौरीशंकर बिसेन—अध्यक्ष महोदय, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे मध्यप्रदेश को मिलना बड़ी बात है. गेहूं की प्रजाति हमारा साइंटिस्ट पैदा करेगा. कभी कभी हमारी आलोचना होती है हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात बताइए कि जिस जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे उन सांइटिस्टों को जो पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं और ऐसे छात्र जो गोल्ड मैडल में आते हैं उनको मानद उपाधि देने के लिए जहाँ पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय आएं इससे और सम्मान का विषय कौनसा हो सकता है. इसी वर्ष जून की 27 तारीख को हमारे राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी , हमारे राज्यपाल महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 22 छात्रों को गोल्ड मैडल, 23 छात्रों को पीएचडी और 2 छात्रों को डॉ. एस.एस स्वामीनाथन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मानद उपाधि से सम्मानित किया है.

श्री शरद जैन--- जबलपुर के कार्यक्रम में महामहिम जी आए थे उन्होंने कृषि विभाग के साथ-साथ मंत्रीजी की तारीफ की थी , आपने इसका उल्लेख नहीं किया.

श्री गौरीशंकर बिसेन--- उसका उल्लेख आपको करना है.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय मंत्री जी , इस विभाग की चर्चा का प्रारंभ किया था चूंकि मुख्यमंत्री जी उज्जैन आए थे , उनको रिसीव करना था इसलिए मैं लेट आया. मैंने अपने

भाषण में यह कहा था कि नवलखा बीज कंपनी, महतो द्वारा नकली बीज बेचा जा रहा है . मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि उस पर एक समिति बनाकर जांच करवा लें.

श्री गौरीशंकर बिसेन--- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि आज ही हमारे जे.डी. स्तर के अधिकारी उसकी जांच के लिए जाएंगे..(व्यवधान)..

श्री दिलीप सिंह परिहार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लग रहा है कि किसानों की सरकार है और किसानों का मंत्री है गरीबों के हितैषी मंत्री जी बोल रहे हैं.

..(व्यवधान)..

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज सर्टिफिकेशन एजेन्सी के हमारे एमडी को पहली बार मध्यप्रदेश के इतिहास में हमने सस्पेंड किया है (मेजों की थपथपाहट) और बहुत बड़े पैमाने पर हमने कार्यवाही की है. (मेजों की थपथपाहट)..(व्यवधान)..मैंने पूर्व में कहा कि किसी भी गलत काम करने वाले को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं.....

श्री दिनेश राय-- अभी सिवनी में भी तहसीलदार ने लापरवाही की तो प्रभारी मंत्री जी ने तहसीलदार को सस्पेंड कराया. माननीय मंत्री जी के निर्देश पर अभी तहसीलदार भी सस्पेंड हुआ. जिसने ओलावृष्टि में गलती की.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- नहीं भाई वह तो ठीक आदमी था, जो हो गया, हो गया. (हँसी)

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- माननीय मंत्री जी, गन्ने और चने के प्रोत्साहन के लिए किसानों को गन्ने और चने पर भी बोनस दें...(व्यवधान)..

श्री गौरीशंकर बिसेन-- अध्यक्ष महोदय, हमने सबसे पहले गेहूँ को समर्थन मूल्य पर खरीदा फिर 50 से बढ़ाकर 150 रुपये बोनस किया. धान समर्थन मूल्य पर खरीदा फिर बढ़ाकर 50 से 150 रुपये किया. इस साल हम मक्के को समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं सीधे 150 रुपये बोनस दे रहे हैं. आप इन्तजार करिए. आगे आगे होता है क्या देखते जाइये...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएँ. माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- पैदा तो करो खरीदने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार खड़ी है.

श्री शंकरलाल तिवारी-- माननीय मंत्री जी, सतना में एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग बहुत पुरानी है. पोलिटेक्निक ही दे दीजिए.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- अध्यक्ष महोदय, सतना का सम्मान होगा कुछ न कुछ सतना जिले को मिलेगा.

श्री शंकरलाल तिवारी-- आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ...(व्यवधान)..

श्री गौरीशंकर बिसेन-- अध्यक्ष महोदय, मैं किसान सम्मेलन में सतना गया था और वहाँ पर मांग आई थी तो सतना को कृषि विभाग की तरफ से कुछ न कुछ मिलेगा...(व्यवधान)..मैं आज क्लियर इसलिए नहीं करना चाहता कि..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके बैठ जाएँ. फ्लो न तोड़ें...(व्यवधान)..कोई एलाउड नहीं है.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री बैठे हैं, मेरे बड़े भाई गोपाल भार्गव जी, आप स्वयं कृषि मंत्री जी के साथ उस भेंट में थे मैंने अभी अभी कहा कि बड़े जिले में दो दो केव्हीके खुलेंगे. कौनसा जिला बच जाएगा. मैंने अभी अभी कहा कि..(व्यवधान)..10 एग्रो पोल्ट्री कॉलेज खुलेंगे...(व्यवधान)..मोदी जी की सरकार का पहला बजट आया 4 साल का और इन्तजार करो...(व्यवधान)..अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरा भाषण रह जाएगा....

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी जो बोलेंगे वही रिकार्ड में आएगा.

श्री शंकरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- (xxx)

श्री गोपाल भार्गव-- (xxx) ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..महत्वपूर्ण विषय है कृपा करके सुनिए...(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र पाण्डेय-- (xxx)

श्री गोपाल भार्गव—(xxx)

श्री गौरीशंकर बिसेन-- अध्यक्ष महोदय, एकतरफा नहीं है वे रहते तो उनको भी आनंद आता...(व्यवधान)..अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में कस्टमायरिंग केन्द्र की स्थापना.. (व्यवधान)..2014-15 के लिए 459 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है इसमें योजना के अंतर्गत आवेदक 25 लाख तक के प्रकरण बना सकते हैं और जिस पर 10 लाख रुपये

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

तक का अनुदान बैंक के खाते में (मेजों की थपथपाहट)...(व्यवधान)..पहले पैसा जमा कर देंगे... (व्यवधान)..यह शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का चमत्कार है. (मेजों की थपथपाहट) और केन्द्र की सरकार का भी इसमें योगदान है. अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य योजना से 25 करोड़.. (व्यवधान)..पहली बार राज्य योजना के बजट से 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है. (मेजों की थपथपाहट) आरकेवाय से 20 करोड़ और एसएमएएम से 10 करोड़ जो भारत सरकार की कृषि अभियांत्रिकी मिशन है और हम अपने राज्य के पढ़े लिखे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. अध्यक्ष महोदय, अभी कृषि यांत्रिकी को प्रोत्साहन देने का हमारे कई मित्रों ने जिक्र किया. जन संकल्प हमारा जो था, 2103 और दृष्टि पत्र 2018 का हम बड़े पैमाने पर उसका क्रियान्वयन करने जा रहे हैं. 200 यज्ञदूत ग्राम विकसित कर रहे हैं और इसमें 5 वर्षों में 200 के हिसाब से एक हजार

यज्ञदूत ग्राम हो जाएँगे. जहाँ पर हमारे सारे के सारे किसान सिर्फ खेती जो करेंगे तो यंत्रों पर आधारित खेती करेंगे और हमारा उसमें समय बचेगा लेबर कॉस्ट बचेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बचेगी उत्पादन बढ़ेगा और इसके लिए हमने साढ़े 8 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया.इसी के साथ साथ हमने बीज गुणवत्ता के सुधार के लिए किसान मित्रों की टीम बनाई और उनको मानदेय के रूप में कुछ राशि भी देते हैं. अध्यक्ष महोदय, सीड ट्रीटमेंट के हम ड्रम बना रहे हैं जिससे कि ट्रीटमेंट करके हमारा किसान अपनी फसल की बोनी कर सके. अब मैं धान की बोनी की पद्धति पर बात करना चाहता हूँ हालाँकि सबको पता है. हम एसआरआई पद्धति, इसको प्रोत्साहित करने जा रहे हैं और जिसके कारण हम बीस हजार कोनोवीडर एक एक की कीमत सत्रह सत्रह सौ है, सौ परसेंट अनुदान पर. हम 10 हजार मार्कर यंत्र, 1900 रुपये का 90 परसेंट अनुदान पर, 10 रुपये लाओ 90 रुपये ले जाओ. इतना बड़ा काम जिसके लिए प्रदेश के 40 प्रतिशत धान उत्पादक किसानों ने इस पद्धति को अपनाया और आगे इसको विकसित करेंगे. सोयाबीन में रिज एंड फरो पद्धति बड़ी लाभकारी हुई है. कम वर्षा में भी और अधिक वर्षा में भी. यदि पौधा ज्यादा ऊँचा हो जाए तो उससे गिरता नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके स्वयं के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इसमें खेती होती है.हम कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर 50 हजार रिज एंड फरो अटेचमेंट सभी तरह का, अब तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने टेक्स फ्री कर दिया. मैंने कहा कि और इसको स्पष्ट कर दीजिए, सीड ड्रील, बोले, बीज तथा फर्टिलायजर वाली दोनों, मैंने कहा इतने किस्म के यंत्र तो बोले, सभी किस्म के यंत्र, अभी वह घोषणा करने वाले हैं. जितने खेती में यहाँ काम आने वाले यंत्र हैं सबको हमारी सरकार इसमें टेक्स में छूट प्रदान करके उनको सस्ता करने जा रही है इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में बीज निगम की चर्चा करना चाहूँगा. वैसे बीज निगम का प्रतिवेदन आ गया है लेकिन बीज निगम ने 2013-14 में 3 करोड़ 56 लाख रुपये का शुद्ध लाभ

कमाया है पहली बार हमारा बीज निगम फायदे में गया है और इसके लिए मैं वहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा. अध्यक्ष महोदय, रबी के सीजन में सर्वाधिक 30,800 क्विंटल बीज का उत्पादन हमारे बीज निगम के फार्मों से हुआ है और इसलिए जो हमारा विभाग अच्छा काम करता है उसकी तारीफ होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय, मंडी की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा. माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, हमने तय किया है कि अब हमारे जो ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के जो किसान होंगे, जो बिना फर्टिलायजर के उत्पादन करेंगे, जो कीटनाशक और अन्य पॉयजन का उपयोग नहीं करेंगे उनके उत्पाद को बेचने के लिए हम ऐसी प्रयोगशालाएँ बनाएँगे कि जो टेस्टिंग लेब होगी उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे और प्रयोगात्मक रूप से हम मध्यप्रदेश के जबलपुर में हाई टेक मंडी की स्थापना करने जा रहे हैं. हमने बालाघाट में हाई टेक मंडी चालू कर दी.धीरे धीरे हम संभाग के मुख्यालय पर हाई टेक मंडी बनाएँगे, जिसमें कि एयर कंडीशंनर होंगे. हमारी कल्पना है कि वह जिस तरह से हमारे किसानों की फसल एक दो दिन रह सके, जिस तरह के जो हमारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उस तरह की गुणवत्ता की हम मंडी बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए हमें पूरी इजाजत दी है तथा इसके लिए हम धन की भी कमी नहीं आने देंगे. अध्यक्ष महोदय, मंडी बोर्ड के संदर्भ में चूँकि उसके बजट पर यहाँ चर्चा की आवश्यकता नहीं है, उसका पृथक से बजट आता है. कुछ बातें हमारे लोगों ने रखी इसलिए मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया और मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि इस सरकार की उपलब्धियों पर यदि मैं चर्चा करूँ तो समय कम पड़ेगा इसलिए इस अवसर पर मैं उन सभी माननीय सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव हमारी कृषि की तरक्की के लिए दिए. मेरे सारे मित्र यहाँ जो भी हो, चाहे सदन के अन्दर बैठे हों, न हों, जब लॉबी में मुझसे मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कि गौरीशंकर जी आपका विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है मुझसे कहते हैं कि आप एक अच्छे मंत्री हो आप

बहुत अच्छा काम करते हो पर क्या करें हम विरोध का राजधर्म निभा रहे हैं यदि हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारी मध्यप्रदेश में पहचान समाप्त हो जायेगी. हमको अपनी पहचान बनाने के लिये राजधर्म का निर्वहन करना पड़ेगा. वे अपने राजधर्म का निर्वहन करें.

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्मय से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और राष्ट्र के नेता मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान में सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला राज्य होगा, सर्वाधिक कृषि की तरक्की करने वाला राज्य होगा. यहां पर सिंचाई का एरिया बढ़ेगा, यहां का किसान मालामाल होगा. हम मध्यप्रदेश में ऐसा दिन लाना चाहते हैं जब किसान के चेहरे पर लाली हो, किसान के बैग में पैसा हो. मध्यप्रदेश का किसान बैंक में ऋण लेने के लिये न जाये मध्यप्रदेश का किसान बैंक में पैसा जमा करने के लिये जाये उसके पैसे से मध्यप्रदेश का विकास हो. ऐसे मध्यप्रदेश के निर्माण में मध्यप्रदेश के 230 माननीय विधायकों का, मध्यप्रदेश के प्रशासनिक तंत्र का, अधिकारियों का, मीडिया के मित्रों का और इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता से सहयोग की अपील करता हूं. धन्यवाद, जयहिन्द. भारत माता की जय. (टेबिलों की थपथपाहट)

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष का दुर्भाग्य होगा कि वे हमारे मंत्रीजी का भाषण नहीं सुन पाये.

अध्यक्ष महोदय—मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 एवं 54 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब मैं, मांगो पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को—

मांग संख्या- 13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिये दो हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़, पचपन लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा

मांग संख्या- 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिये एक सौ तेरह करोड़, पचास लाख, एक हजार रुपये, तक की राशि दी जाये.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) **<u>मांग संख्या-39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण</u>**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (कुंवर विजय शाह)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

मांग संख्या- 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिये दो हजार सड़सठ करोड़, पच्चीस लाख, इक्कीस हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अब, इस मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या-39 **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

	क्रमांक
श्रीमती झूमा सोलंकी	1
श्री रामनिवास रावत	2
श्री हर्ष यादव	4
श्री आरिफ अकील	6

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए. अब मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की अनुदान मांग संख्या-39 पर चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा ने एक घंटा का समय निर्धारित किया है. तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित है—

भारतीय जनता पार्टी	43 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी	14 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	02 मिनट
निर्दलीय	01 मिनट

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 39 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं.

अध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग वैसे माना जाता है कि काफी छोटा विभाग है लेकिन मेरा मानना है कि यह विभाग ऐसा है कि मध्यप्रदेश के हर परिवार से हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विभाग है. इस विभाग के माध्यम से ज्यादातर जो ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ अंचलों में, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उस तक यह विभाग पहुंचता है.

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करना चाहूंगा. इन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि प्रदेश में 85 लाख 81 हजार 258 एपीएल परिवारों की संख्या है, बीपीएल परिवारों की संख्या है 58 लाख 9 हजार 679 और एएवाई जो अति गरीबी परिवार हैं उनकी संख्या है 17 लाख 19 हजार 06. अध्यक्ष महोदय, इनकी पूरी गणना करें तो 45-46 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 75 लाख 28 हजार 685 लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन करते हैं. यदि पूरे परिवारों की संख्या के आधार पर लगायें तो 45 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के अधीन निवास कर रहे हैं यह आपके प्रतिवेदन की जानकारी के अनुसार है. यदि 45 प्रतिशत से ज्यादा लोग मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं तो यह बड़े अफसोस की बात है, प्रदेश की स्थिति के लिये दुर्भाग्यपूर्ण है. जो आप दावे करते हैं कि आओ बनायें मध्यप्रदेश, स्वर्णिम बनाओ मध्यप्रदेश, मैं समझता हूँ कि यह आपके आंकड़ों के माध्यम से ही खोखला साबित हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है. आप सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एपीएल, बीपीएल का राशन पहुंचाते हैं. जिस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित मूल्य की गेहूं की दुकानों में जो कालाबाजारी हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है. समय-समय पर कई बार इसकी जांच भी कराई है और जांच में सामने भी आया है कि किस तरह से इनमें धांधलियां की जाती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही अब मध्याह्न भोजन के लिये भी गेहूं आवंटित करते हैं वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है आप भी उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं. सांझा चूल्हा कार्यक्रम,

आंगनवाड़ियों में भी बच्चों को भोजन बनता है उसके लिये भी आप गेहूं आवंटित करते हो. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है वह किसी से छिपा नहीं है. अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया है इसके तहत परिवारों को चिह्नित कर रहे हैं और परिवारो को चिह्नित करने के पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिस दिन से आया है उस दिन से आपने लगभग सारे राशन कार्ड निरस्त कर दिये हैं. मेरी जानकारी के अनुसार मुझे नहीं पता आपने आदेश जारी किया है कि नहीं क्योंकि मैंने हासिल नहीं किया है. एपीएल के लोगों को न तो पहले जो गेहूं मिल रहा था वह भी नहीं मिल रहा है न आप एपीएल के लोगों को केरोसिन दे रहे हो. एपीएल के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिया जाने वाला राशन पूरी तरह से आपने बंद कर दिया है और जो खाद्य पर्चियां वितरित की जा रही हैं इनमें समग्र पोर्टल के माध्यम से चढ़ाने का काम कर रहे हैं इसमें काफी दिन बीतने के बाद भी पंचायतों में ऐसी स्थिति है कि जो सेकेट्री चाह रहे हैं उनकी मनमर्जी चल रही है. आपका जो परिशिष्ट है उनके अनुसार खाद्य पर्चियां लोगों को वितरित नहीं हो पायी हैं. एक सुझाव भी देना चाहूंगा इस प्रदेश में जो पीटीजी ग्रुप (Primitive tribes groups) के लोग हैं. उन लोगों में आप और हम जानते हैं उनमें बालक बड़ा हुआ और वह पूरी तरह से मां-बाप से अलग हो जाता है तो पीटीजी ग्रुप में हमेशा के लिये यह आप्शन खुला रखें कि जो बालक बड़ा हो गया उसकी शादी हो गई बच्चे पैदा हो गये वह AAY (Antyodaya anna yojna) के लिये पात्र है उसका अन्त्योदय अन्न योजना का कार्ड बनवाने की व्यवस्था करेंगे तो उचित होगा. आपने इसमें मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा का भी हवाला दिया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसमें आप अंकुश लगायें इसकी जो वितरण की इकाई है आप जो दुकानें खोलते हैं वे पंचायतवार खोली जायें आपने सोसायटी पर खोल रखी हैं कभी लोग लेने नहीं पहुंच पाते, कभी खाद्यान्न उन्हें मिल नहीं पाता है, हमेशा तो दुकान खुली नहीं रहती है. प्रवर्तकों और सेल्समेनों की मनमर्जी चलती है मेरा अनुरोध है

कि इस व्यवस्था पर रोक लगायें जिससे भ्रष्टाचार मिल सके और दूसरा आपने दूसरा आपने मूल्य निगरानी समितियों के बारे में भी हवाला दिया है कि मूल्य निगरानी समितियां रहेंगी लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं कोई निगरानी समिति किसी भी दुकान पर नहीं हैं न ही कभी निगरानी समिति को रिपोर्ट की जाती है न ही निगरानी समिति इसको देखती है इसलिये भ्रष्टाचार का बोलबाला आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फलफूल रहा है और लोगों को मिलने वाले खाद्यान्न में व्यापक रूप से गड़बड़ियां हो रही हैं. अब मैं आना चाहूंगा दूसरा आपका काफी बड़ा काम गेहूं उपार्जन वाला है. आपने गेहूं का उठाव किया गेहूं का उपार्जन किया. सरकार ने घोषणा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप गेहूं खरीदेंगे और 150 रुपये बोनस देंगे. इस बार प्राकृतिक आपदा भी रही. इस गेहूं उपार्जन में आप 150 रुपये बोनस देते हो यह बात हमें स्वीकार है. हमें कोई आपत्ति नहीं है इसे स्वीकार करने में. आप गेहूं खरीदते हो यह बात भी हमें स्वीकार है लेकिन आप गेहूं खरीदने में कितनी अनियमितता करते हो, कितना भारी भ्रष्टाचार करते हैं यह आरोप हमारा सीधा-सीधा गेहूं उपार्जन नीति के माध्यम से और आपके गेहूं उपार्जन में लगे लोगों के माध्यम से और दलालों के माध्यम से आप लोगों के संरक्षण में हो रहा है. अध्यक्ष महोदय,मैंने स्वयं ने ऐसा किस तरह से होता है आज एक प्रश्न लगा था डॉ.गोविन्द सिंह का नाम उसमें कहा गया था कि राजस्व किसानों के गेहूं में बोये गये रकबे की जानकारी आप किस तरह से प्राप्त करते हो राजस्व रकबे से और राजस्व विभाग अभी भी हजारों शिकायतें ऐसी पेंडिंग हैं कि जिनके गेहूं हुए ही नहीं उन्होंने गेहूं डाले और उनको भुगतान भी हो गया और कई प्रबंधक, सहकारी समितियों का इसमें इन्वालवमेंट पाया गया कि उनके परिवार के लोगों के माध्यम से हजारों क्विंटल गेहूं डाला गया जो कि डाला ही नहीं है और भुगतान भी ले लिया. मेरे एक प्रश्न के जवाब में, प्रश्न तोलगाया था 2013-14 तक का लेकिन 2013-14 तक की जानकारी आपने नहीं दी. 2012-13 की जानकारी आपने दी. मैंने पूछा था कि जिलों में कितना गेहूं उपार्जन किया गया ? तो आपने 65 लाख टन का लक्ष्य बताया. खरीदी की आपने 85

लाख 6 हजार 831 मीट्रिक टन गेहूं 2012-13 में खरीदा गया और गेहूं का जो अंतर था. एक तो गेहूं जो खरीदा गया एक तो उपार्जन केंद्रों पर खरीदा गया और उपार्जन केंद्रों से गोदामों तक पहुंचाया गया. उस गेहूं में और खरीदी की मात्रा में अंतर था 4 लाख 84 हजार 790 मीट्रिक टन, जिसकी कीमत होती है लगभग 7 करोड़ 27 लाख 18500 रुपये, तो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार हुआ है.

बारदाना वितरण में भी काफी भ्रष्टाचार होता है. मेरे विधान सभा क्षेत्र, मैंने श्योपुर जिले की जानकारी चाही थी. यह विभाग प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति से जुड़ा हुआ है. श्योपुर जिले में पिछली बार जो गेहूं खरीदा गया उसमें से लगभग 29 हजार 618 मीट्रिक टन, 2 लाख 96 हजार 180 क्विंटल कम पाया गया जो गोदामों में पहुंचा ही नहीं और इस बार भी मेरे यहां के खरीदी केंद्रों पर ऐसे लोगों को भुगतान किया गया है जिनके खेतों में गेहूं पैदा ही नहीं हुआ और उन लोगों ने गेहूं वहां पर डालकर भुगतान ले लिया. यह सब प्रबंधक,हम्माल और इन सबकी मिली भगत के कारण होता है. इसकी शिकायत भी हुई. शिकायत की जांच भी हुई और जांच में एफ.आई.आर. कराने का निर्देश दिया गया. जांच की थी सहकारिता विभाग श्योपुर ने और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा पढ़ूंगा तो समय की दिक्कत आएगी. इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि उपार्जन केंद्र कराहल के प्रबंधक अखिलेश यादव केंद्र प्रभारी राजकुमार गुप्ता,कम्प्यूटर आपरेटर अनिल मालवीय और हम्माल ये सारे के सारे दोषी हैं इनके विरुद्ध एफ.आई.आर.दर्ज कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए. इसी तरह से लगभग पिछले वर्ष के 7 हजार ट्रक गोदामों में अभी तक नहीं पहुंचे हैं. होशंगाबाद में ही काफी बड़ा मामला पकड़ा गया. ई.ओ.डब्लू. में प्रकरण दिया गया है. होशंगाबाद की भी मेरे प्रश्न के संबंध में जानकारी थी. सबसे ज्यादा जो गेहूं शाट पड़ा वह होशंगाबाद में ही पड़ा. लगभग 2 लाख 16 हजार 35 राजगढ़ में और 9 लाख 38 हजार 431 ये होशंगाबाद में. इतना शाट गेहूं अगर सभी जिलों की बात करें तो गेहूं शाट पाया गया. पिछली बार रायसेन का भी मामला जांच में लिया था और जांच में स्पष्ट किया था. थाना प्रभारी को पत्र भीलिखा था वहां के सहाकरिता विस्तार

अधिकारी ने कि 14 लाख 43 हजार 800 रुपये की राशि अधिक दी गई जो गेहूं खरीदा ही नहीं गया. इस तरह से अध्यक्ष महोदय, काफी बड़ा भ्रष्टाचार इस गेहूं खरीदी के माध्यम से हुआ है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मंत्री जी नाप-तौल को भी दिखवाएं. नाप-तौल ठीक ढंग से नहीं हो रही है क्योंकि यह आपका विभाग है वैसे आपकी इस विभाग में रुचि कम है. फिर भी मंत्री युवा हैं हम चाहेंगे कि इस विभाग को ठीक करें,दुरुस्त करें और इस विभाग के भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ी चुनौती है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है और गेहूं उपार्जन में भ्रष्टाचार सर्वाधिक है इन सबकी चुनौती को खत्म करेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी. अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया(मंदसौर) – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 39 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब की थाली कभी न रहे खाली. मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान का यह कहना है यह उनकी सोच है. हर हाथ को काम हर खेत को पानी और हर पेट को रोटी यह आवश्यक है और मध्यप्रदेश की सरकार ने इसी दिशा में काम किया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती दी है. माननीय मंत्री जी आप भी इसके लिये बधाई के पात्र हैं वह इसलिये क्योंकि अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में नई सरकार गठित हुई है और एन.डी.ए. की सरकार में जब आप पहली बार माननीय रामविलास पासवान जी से मिलने गये मुझे वह दृश्य सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके और आपके विभाग की और माननीय मुख्यमंत्री जी की उन्होंने इस बात को लेकर प्रशंसा की कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को अति गरीबी रेखा वालों को जो 23 प्रकार की श्रेणी आपने सुनिश्चित की है उसमें आपने जो खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित की है. 1 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो नमक उसको लेकर उन्होंने आपकी और सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की है. मुझे यू.पी.ए. की

सरकार का वह दृश्य भी याद आता है कभी-कभी जब संसद में इस खाद्य सुरक्षा बिल कोलेकर जब बिल प्रस्तुत हुआ या होने जारहा था तब कांग्रेस के एक वजनदार सांसद ने इसका विरोध भी किया और बिल की प्रति हम लोगों ने दूरदर्शन चैनल औरअन्य चैनलों पर हमने फटते हुए देखीं. कैसे आ गया, क्यों आ गया इसमें कमियां हैं खामियां हैं इसको और मजबूती देनी थी मुझसे बिना पूछे कैसे आ गया. आदि-आदि. मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता. जब यह दृश्य चल रहा था तब मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि तब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल,2008 में मध्यप्रदेश में पहले से ही जब वह बिल केंद्र सरकार में प्रस्तुत ही नहीं हुआ था उसके पहले ही खाद्य सुरक्षा की गारंटी मध्यप्रदेश की सरकार ने दे दी थी और तब 3 रुपये किलो में गेहूं और साढ़े चार रुपये किलो में चावल देने की सुनिश्चितता प्रदान कर दी थी. आज तो पूरे प्रदेश में बी.पी.एल. की श्रेणी को सुनिश्चित कर लिया गया है और सभी को 1 रुपये किलो में गेहूं, 1 रुपये किलो में चावल और 1 रुपये किलो में आयोडीन युक्त नमक देने का प्रावधान किया गया है. खाद्यान्न सुरक्षा में इजाफा हुआ है जिन 23 श्रेणियों का मैंने उल्लेख किया उसमें 18 लाख परिवारों को जोड़ने का संकल्प इसी बजट में दर्शाया है. 75 लाख परिवारों के अतिरिक्त इन 18 लाख परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो चावल का लाभ मिलेगा. मध्यप्रदेश की 60 प्रतिशत जनता इससे लाभान्वित होगी जिनकी संख्या करीब चार करोड़ होगी. मेरे पास वह सूची भी है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 23 प्रकार की श्रेणियों को चिह्नित किया गया है. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी के निवास पर जो पंचायतें और महापंचायतें होती थीं उसमें जो गरीब तबका आता था चाहे वह केशशिल्पी हो, चाहे वह घरेलू कामकाजी महिला हो,चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे हम्माल हो,चाहे तुलावटी हो, इन सबकी पंचायतों में निर्णय हुआ था कि इनको भी कहीं न कहीं स्थान दिया जाय, मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को इसमें स्थान दिया गया. माननीय जगदीश देवड़ा बैठे हैं तब वे श्रम मंत्री थे तब श्रमिकों के बारे में चिन्ता करी थी तो वह भी

इस श्रेणी में आ गये हैं. एक रूपये किलो गेहूं की जो योजना बनाई है उसमें 23 प्रकार की श्रेणियां चिन्हित कर ली गई है इसमें बहुत मांग आने वाली नहीं है कि गरीबी की रेखा का कूपन बनाओ. गरीबी रेखा का कूपन बनाने के लिये हम ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक अधिक हैं हमारे पास क्षेत्र में दौरे के समय सबसे बड़ी समस्या आती है हमें एक रूपये किलो का गेहूं दे दो, हमें एक रूपये चावल का कूपन बना दो कूपन की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, जिनका पंजीयन है और 23 प्रकार का समग्र चिन्तन सरकार ने सोचा है उसमें सारी श्रेणियां आ गई हैं. अनाज सुरक्षा की बजट में गारंटी दी है, अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाय, भंडारण का इसमें लक्ष्य रखा गया 28 लाख मेट्रिक टन इसके माध्यम से अनाज सुरक्षित हो पायेगा जो विगत् दो वर्षों में 25.98 लाख मेट्रिक टन था आज बढ़कर के 28 लाख मेट्रिक टन हो गया है. आप जानते हैं कि शासकीय वेयर हाऊस की कमी है पूर्ववत् जो शासकीय वेयर हाऊस बनाये थे उसकी क्षमता बहुत कम है आज गेहूं का उत्पादन, चावल, धान, सोयाबीन, रायडा, अन्यान्य उत्पादन इतने हो रहे हैं सबको रखने के लिये समस्याओं का समाधान जो सरकारी वेयर हाऊस हैं उनसे नहीं हो सकता है. मध्यप्रदेश की सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया है, नवाचार किया है, उसमें निजी वेयर हाऊस को प्रोत्साहन देने के लिये उनको साढ़े चार महीने की गारंटी दी है आप गोडाऊन बनाईये सब्सिडी पर लीजिये इसमें जमीन आपकी, सरकार की व्यवस्था, सुनिश्चितता इस बात की रहेगी आपके गोडाऊन पर खाद्यान्न का भंडारण हो या न हो साढ़े चार माह का आपको राशि का भुगतान किया जायेगा इसमें 7 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है. समर्थन मूल्य में गेहूं, धान, मक्का का मामला हो, इसमें किसानों का काभी लाभ हुआ है और सारा का सारा खाद्यान्न का जो भंडारण हुआ है वह सरकारों तक निजी गोडाऊनों तक हुआ है इसमें विशेषता यह है कि सामान्य वर्ग को 30 प्रतिशत और एस.टी.एस.सी वर्ग को 40 प्रतिशत उन किसानों को जिनको भंडारण शुल्क दिया जाता था उसमें रियायत के तौर पर 200 बोरा तक अगर वह रखेंगे तो उनको रियायत का प्रावधान किया

गया है. मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पुरस्कारों की श्रृंखला में अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाया है. भंडारण में नवाचार को लेकर इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स नई-दिल्ली द्वारा 2013 को बेस्ट इनोविटी स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का पुरस्कार प्राप्त किया है जो इयर नाम से अवार्ड को नवाजा गया है. आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने मध्यप्रदेश की सरकार को 23 जुलाई, 2013 को ई इंडियन पीएससी अवार्ड से नवाजा है. हमने भी देखा है कि किसानों के मोबाईल पर इस बात का संदेश पहुंचा है कि आपके उपार्जन का गेहूं इतने दिनांक को इतने समय पर तोला जायेगा यह जो ई माबाईल से जो संदेश पहुंचा है इससे भी बड़ा नवाचार हुआ है. धान के उपार्जन में 2013-14 में 2 लाख 87 हजार 224 किसानों से 15 लाख, 59 हजार 655 मेट्रिक टन का उपार्जन किया है जिसमें डेढ़ सौ रूपये का बोनस देकर के सरकार ने 233 करोड़ 95 लाख रूपये का भुगतान किया है. आज ही 14 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने तारांकित प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है सवाल था सत्यप्रकाश जी एडवोकेट का मंत्री जी ने सहज रूप से तारांकित प्रश्न के जवाब में इस बात को उल्लेखित किया कि मध्यप्रदेश में उपभोक्ताओं को कहीं भी गरीबी की रेखा नीचे मिलने वाला सामान दिया जायेगा. नरसिंहपुर जिले में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है साईलोबेटेड से एक हजार मेट्रिट टन गेहूं खराब हुआ है इस खराब गेहूं का दोषी कौन? कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह समाचार बड़ी सुर्खियों में छपा था कि एक हजार मेट्रिक टन गेहूं खराब हो गया है मैं अपेक्षा करूंगा कि जब सरकार व्यवस्था का इतना प्रबंधन कर रही है तो आखिर तो नीचे की एजेंसी क्यों कोताही बरत रही है मैं चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें. एक पीड़ा हम सबके मन में है तत्कालीन भारत की सरकार में क्या उपजा कि अब सामान्य गरीब व्यक्ति को गांव में केरोसिन की जरूरत नहीं है उन्होंने ए.पी.एल. का जो केरोसिन मिलता था उसको बंद कर दिया कई गांवों में 24 घंटे बिजली नहीं पहुंच पा रही है गांव के जो मजरे-टोले हैं में नहीं पहुंच पा रही है ऐसे सामान्य व्यक्ति को केरोसिन की जरूरत है मैं मंत्री जी से

अपेक्षा करता हूं कि ऐसे जो ए.पी.एल. धारक गरीब जो किसी न किसी रूप में छूट गये हैं उनके लिये केरोसिन की व्यवस्था को सुनिश्चित करें. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री फुन्देलालसिंह मार्को (पुष्पराजगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से पूरे मध्यप्रदेश के गरीबों से तथा जन जन से जुड़ा हुआ विषय है और सबसे ज्यादा समस्या गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में है जो वहां दुकाने हैं वहां पर जो खाद्य सामग्री पहुंचायी जाती है, आवश्यकता से बहुत कम है. पुष्पराजगढ़ में 119 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, 119 ग्रामों पंचायतों की तुलना में हम देखें तो उचित मूल्य की दुकानें बहुत कम हैं चूंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है तो जितने भी खराब गल्ले हैं वह पुष्पराजगढ़ में ही भेज दिये जाते हैं वहां पर सीधे-साधे लोग हैं लोग जान-समझ नहीं पाते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां भेजने वाले गल्ले की क्वालिटी पर ध्यान रखा जाय. आज सबसे बड़ी पात्रता पर्ची की समस्या है पूरे गांव गांव में लोग इसके लिये परेशान हैं उनको पर्ची न मिलने के कारण उनको केरोसिन नहीं मिल पाता है जो सभी वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता है, लेकिन आज जिस तरीके से बात करते हैं गांव में आज भी ग्राम पंचायतों में पात्रता पर्ची वहां पर नहीं पहुंच पा रही है जिसके कारण लोगों को केरोसिन और खाद्यान्न लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है अभी बरसात का समय है इसी समय पर केरोसिन की आवश्यकता होती है हम 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, यह बात सही है, लेकिन उस गति से बिजली गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी स्थिति में यह जो पात्रता पर्ची बहुत महत्वपूर्ण है. पूरे लोगों को केरोसिन का वितरण नहीं हो पा रहा है मैं चाहता हूं कि पुष्पराजगढ़, अनूपपुर में इसके निर्देश जारी कर दें बरसात के पूर्व लोगों को पात्रता पर्ची पहुंच जाय, लोगों को घर घर मिल जाय ताकि वहां के आदिवासी जनजाति के लोग जंगलों में रह रहे हैं उनको केरोसिन मिल सके वहां पर कम से कम बिजली नहीं है तो मिट्टी के तेल से वह लोग दीया जला सकें. इसी तरीके से चावल, गेहूं, शक्कर इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिये उसमें हम कई बार शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है लोग लेकर के उसको वापस

कर देते हैं इसका कई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था कई जगहों पर सेम्पल भी निगरानी समिति में दी. गांव के सीधे साधे लोग निगरानी समिति में रहते हैं वह क्या देखेंगे उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है जो वह लोग रिपोर्ट करते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है.

श्री सुदर्शन गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार में सड़ा लाल गेहूं आस्ट्रेलिया से खरीदा था वह भेजा जा रहा था वह वितरण हो रहा था.

श्री फुंदेलाल मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, तो क्या आप भी सड़ा गेहूं भेज रहे हैं क्या.

श्री सुदर्शन गुप्ता—अब तो अच्छा गेहूं आ रहा है.

श्री फुंदेलाल मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अच्छा काम करें, चूंकि यह जन-जन से जुड़ा हुआ है यदि कोई गलती हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये. सरकार अच्छे काम करें खाद्य से भोजन का जुड़ा हुआ मामला है वहां पर पर्ची वितरण में अभी भी लापरवाहियां बरती जा रही हैं इस पर मंत्री जी खास तौर पर ध्यान दें, पात्रता पर्ची तत्काल 10 दिन के अंदर बंटवाने की कृपा करें. आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 39 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गेहूं उपार्जन का जो कार्य वर्तमान समय में मध्यप्रदेश की सरकार ने विभाग की ओर से जिस प्रकार से संचालित किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी प्रशन्सा करना चाहता हूं और अभी हाल ही में जो निर्णय विभाग के द्वारा लिया गया है, वह वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है. पहले लीड संस्थाओं के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामान जाया करता था, उसके बाद फिर वह उसके नीचे के स्तर पर लीड सोसायटी के माध्यम से विक्रेता को प्राप्त होता था, इसके कारण से उपभोक्ताओं को समय पर पात्र व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वह सामान नहीं मिल पाता था, जिसकी

आवश्यकता रहती थी. इस प्रणाली के प्रारंभ करने से सीधा खाद्य विभाग से जिला स्तर पर विक्रेता को यह सामान प्राप्त होगा, आवश्यक वस्तुयें चाहे गेहूं, शक्कर और जो अन्य वस्तुयें हैं तो इसके कारण बीच में होने वाली दूरी और समय दोनों की बचत होगी और खर्चे की भी बचत होगी और इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम आने के पहले से ही पात्र व्यक्तियों को बी.पी.एल. परिवार के लोगों को 1 रूपये किलो गेहूं, 1 रूपये किलो चांवल देने का जो निर्णय किया था, वह लगातार अभी तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम आने के बाद भी जारी है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो प्रावधान किये गये हैं , उन प्रावधानों के अनुसार 2 रूपये किलो गेहूं चांवल की कीमत अधिक है, लेकिन हमारी सरकार ने और मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के फैसले के कारण आज ऐसे जो लोग सूचीबद्ध हैं, उन सब लोगों को 1 रूपये किलो गेहूं और 1 रूपये किलो चांवल सरकार की ओर से दिया जा रहा है, उसकी सबसीडी प्रदान की जा रही है और इसका लाभ नीचे के स्तर तक लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिये भी वास्तव में यह सरकार बधाई की पात्र है, क्योंकि यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार चला जाता, तो पात्र व्यक्तियों को बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के कारण से जो नीचे स्तर पर कैरोसिन पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिये था , उस कैरोसिन का जो मिलना बंद हुआ है, उसके लिये भी हमको हमारी सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहिये कि यह जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है.

(3.08 बजे, (सभापति महोदय, श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए)

श्री दुर्गालाल विजय--माननीय सभापति महोदय, इसमें अगर संशोधन नहीं होता है, तो जिन व्यक्तियों को आज भी गांवों में जलाने के लिये चाहे वह प्रकाश के रूप में, या इंधन के रूप में इसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी और मैं माननीय मंत्री जी से भी यह आग्रह करता हूं कि आप भी सरकारी स्तर पर यह सुनिश्चित कराने की कृपा करें कि नीचे के स्तर पर जिन लोगों को इस मिट्टी के तेल की आवश्यकता लगातार और निरंतर रहती है, वह उनको ठीक तरीके से समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है. माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूर्व से जो सूचीबद्ध लोग थे, उनमें 23 प्रकार के लोगों को और जोड़कर पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे व्यक्ति जिन्हें आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि इसके बाद बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, जो इससे वंचित रह गये हैं या जो इस पात्रता श्रेणी में व्यक्ति हैं, इनके अलावा कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेना चाहता है. माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पर्चियां छूट गई हैं, माननीय मंत्री जी से भी यह निवेदन है कि जो लोग रह गये हैं, उन पर्चियों का वितरण जल्दी से जल्दी करा देंगे, तो आप जैसा चाहते हैं प्रदेश के अंदर और मध्यप्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, उसके अनुरूप गरीब लोगों को नीचे तक सार्वजनिकि कि वतरण प्रणाली का लाभ ठीक तरीके से और सरलतम हो पायेगा. माननीय सभापति महोदय, गेहूं के उपार्जन में मध्यप्रदेश की सरकार ने 150 रूपये का बोनस दिया, गेहूं खरीदने के लिये बड़ी पारदर्शी योजना लागू की गई, लोगों के जो पंजीयन थे, उन पंजीयन को पूर्ववत् रखते हुए और इसकी जांच कराकर वास्तव में कितना गेहूं हुआ है उसके अनुरूप दोबारा से उनके मैसेज देने का काम सरकार ने किया है, विभाग ने किया है.

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पहला मौका था, जब किसानों को पंजीयन होने के बाद उनके घर पर ही यह सूचना मिली कि आपको फलानी तारीख को, फलाने दिन और अपने गेहूं को लेकर जाना है, यद्यपि जहां पर यह केन्द्र स्थापित थे, उन पर बहुत अधिक ट्रालियां जाने के कारण, बहुत अधिक किसानों के एक साथ एकत्रित होने के कारण थोड़ी असुविधा तो हुई, लेकिन यह बात सुनिश्चित है कि लोगों को इसका ठीक तरीके से लाभ मिल सका. अभी गेहूं के भंडारण के लिये पहले से जो पद्धति थी, उसके अंदर गोडाउन में चले जाते थे और वहां पर ले जाकर और ट्रकों के माध्यम से गेहूं जितना भी उपार्जित होता था, उसको भंडारण करना पड़ता था. माननीय सभापति महोदय, अभी सायनोवेट सिस्टम के माध्यम से जो गेहूं का भंडारण हुआ, उसमें किसानों को बहुत अधिक सुविधा मिली. एक साथ एक वेट में 5 हजार क्विंटल के आसपास गेहूं भरने की व्यवस्था थी और बहुत जल्दी उसको धर्मकांटे को तौलकरके अंदर करने का काम हुआ प्रशंसनीय और अच्छा काम था. मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं, मेरा सुझाव यह है कि यह जो सायनो वेट सिस्टम जिस कंपनी ने भी यह कार्य प्रारंभ किया, उसने गेहूं तौलने का काम और भंडारण करने का काम तो किया, लेकिन उसने किसानों को सुविधा देने का काम नहीं किया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस स्थान पर सायनो वेट सिस्टम प्रारंभ हुआ, वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था कंपनी की ओर से नहीं की गई, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्थान पर जहां पर किसानों ने गेहूं विक्रय किये, वहां पर उनके बैठकर भोजन करने का और ऐसा कोई छायादार स्थान निर्मित नहीं किया गया, आगे आने वाले समय में, आपने वैसे व्यवस्थायें तो बहुत अच्छी की हैं, इस सायनो वेट सिस्टम से बहुत कठिनाई दूर हुई है, लेकिन मेरा यह कहना है कि वहां पर, जहां किसान विक्रय के लिये आते हैं, उनको एक दिन भी रूकना पड़ जाता है, रात को भी रूकना पड़ जाता है, दूसरे दिन भी रूकते हैं, तो उनको यह व्यवस्था कंपनी की ओर से दी जानी चाहिये.

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गेहूं, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है गेहूं को सोसायटी आज क्रय करती हैं और सोसायटी क्रय करने के बाद आपका जो ट्रांसपोर्टर होता है, उसको गेहूं देती हैं और गेहूं देने के बाद में वह गेहूं जब वहां भंडारण हो जाता है, उसके कई दिनों के बाद कहते हैं कि आपका इतना गेहूं कम है, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस स्थान पर गेहूं खरीदा जाता है, उसी स्थान पर गेहूं को ट्रक को तौलने की व्यवस्था होनी चाहिये, यह जो विभाग गड़बड़ करता है, या अधिकारी गड़बड़ करते हैं, उनको यह मौका मिल जाता है कि वह परची तो वहां पर दे देते हैं कि 200 बोरा ट्रक में है, 400 बोरा है लेकिन फिर बाद में यह कहते हैं कि हमने धर्मकांटे पर तौल कराई, तो यह कम पाया गया, जबकि वास्तव में सोसायटी की ओर से क्रय किये गया, एकाध ही कोई गड़बड़ करता होगा इस व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है. माननीय सभापति महोदय, मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के समक्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और गेहूं के उपार्जन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वह लगातार आपके सामने बराबर दिखाई दे रही हैं और उनको समाधान करने के लिये मेरा निवेदन है. माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद, आपने समय दिया.

डॉ. गोविन्द सिंह (लहार) -- सभापति जी, मंत्री जी की विभाग की मांगों के संबंध में अपनी बात कर रहा हूं और ज्यादातर सुझाव दे रहा हूं. सार्वजनिक प्रणाली के तहत आपके विभाग के द्वारा एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2009 में निकाला था. जिसमें प्रावधान था कि जो सहकारी संस्थाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में केवल सेवा सहकारी संस्थाएं काम करेंगी,उनको ही दुकानें दी जायेंगी, परंतु भिण्ड जिले में 26 ऐसी सहकारी संस्थाएं आज भी हैं, लगातार 4-5 वर्षों से विरोध करने के बाद, विधान सभा में सवाल लगने के बाद जो ग्रामीण उपभोक्ता भण्डार बनाये हैं, उनके उद्देश्य में तो यही है कि अब जैसे चर्म उद्योग, चर्म उद्योग

सहकारी संस्था उसको पीडीएस का काम दिया है. न उसमें शेयर पूंजी है, न ढाई सौ मेम्बर हैं, न कभी उनका ऑडिट होता है. यह संस्थाएं पूरा ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं. कलेक्टर भिण्ड ने आदेश निकाला था कि पुरानी संस्थाएं, जो सेवा सहकारी संस्था के विपरीत पीडीएस की दुकानें आवंटित की हैं, परंतु खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके 4 महीने इस दुकान को देते हैं, शिकायत होती है, तो वह बदल देते हैं. ज्यादातर शिकायतें इन्हीं संस्थाओं से हैं. जो निजी हैं, एक-एक दो दो लोग चला रहे हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम ऐसी संस्थाओं को आपने दिया है. तो जो नियम में है उसका पालन होना चाहिये. इसके साथ ही आपने अभी तय किया है कि हम इकट्ठा भण्डारण नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से करेंगे और यह नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से सीधा पहुंचाया गया है. तो आपने जो निर्णय लिया है नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से , तो क्या इससे भ्रष्टाचार रुकेगा. इससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं बढ़ेगा. क्योंकि नागरिक आपूर्ति निगम की जो दशा है, आज यह भ्रष्टाचार के गले गले तक डूबा हुआ है. दो तीन उदाहरण हम आपको बता देते हैं. आपके विभाग ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा. उस गेहूं को खरीदने के लिये नागरिक आपूर्ति निगम ने एक आदेशा निकाला. जिसके नियम 31 एवं 32 में प्रावधान है कि पहले जो शासकीय गोडाउन हैं, उन गोडाउन को भरा जायेगा. तब प्रायवेट गोडाउन में रखा जायेगा. जब इस वर्ष अतिवृष्टि हुई, वर्षा ज्यादा हुई, फसल नष्ट हुई, ओले पड़े, तो इन सबसे पहले से ही अनुमान था कि इस वर्ष गेहूं की खरीदी जितनी होना चाहिये, उतनी नहीं होगी. गेहूं या अन्य जिंस की पैदावार उतनी नहीं होगी. लेकिन तादाद से ज्यादा गोदाम किराये पर ले लिये और प्रायवेट ले लिये. सागर में आपका एक गोदाम है, वह बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत बना था, उसमें करीब एक हजार मेट्रिक टन क्षमता है. एक आपक पीईजी के अंतर्गत पगारा, सागर में गोदाम बना था, उसमें 5200 मेट्रिक टन की क्षमता है, परंतु ये दोनों गोदाम खाली पड़े हुए हैं. आपके अधिकारियों ने सांठगांठ करके निजी गोदाम मालिकों से

मिलकर एक सुगम वेयर हाउस है, उसको भर दिया. सबसे पहले गेहूं आया और वहां भरना चालू कर दिया. आज आपकी स्थिति यह है कि पूरे मध्यप्रदेश में शासकीय और वेयर हाउस कारपोरेशन के गोदाम खाली पड़े हैं. 5 लाख मेट्रिक टन क्षमता के ऐसे गोदाम है, जिनमें इस साल गेहूं नहीं भरा गया, खाली हैं. इसके बावजूद भी अगर वह भरे जाते तब प्रायवेट के गोदाम किराये पर लेते, तो 2 करोड़ 59 लाख रुपये की बचत होती. शासन से जो पैसा मिलता, वह वेयर हाउस कारपोरेशन के हिस्से में जाता, उसको किराया मिलता, परंतु वह निजी गोदामों में जा रहा है. गेहूं खरीदा जा रहा लहार में और गेहूं भेजा जा रहा है गोहद में. दतिया का गेहूं भेजा गया है मौ में. जो वहं से करीब 90 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, जबकि वहां का गेहूं भेजा गया है जाकर दमोह में, 40-50 किलोमीटर दूर, तो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आ रहा है. यह जो नुकसान है, यह सब ट्रांसपोर्टर से मिलकर हुआ है. आपके विभाग के जो अधिकारी हैं, खाद्य विभाग है, तो खाने में लगे हुए हैं, खाओ. जितना खा सको अच्छा है. खरीदने में, बांटने में सबमें ऐसा हो रहा है. मेरा कहना है कि भविष्य में इसका ध्यान रखें. अभी सिसोदिया जी ने कहा कि वास्तव में गाडरवारा में साइलो बैग से गेहूं सड़ा. 4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. पहले वह गेहू सड़ा, तब नहीं देखा. इसके बाद वह पीडीएस में बंटने के लिये भेज दिया. वहां कई लोग खाकर बीमार पड़े. तो फिर वह वापस आया, फिर सड़ गया. अभी ऐसा पड़ा हुआ है 4 करोड़ से ज्यादा नुकासन आपका गाडरवारा में गेहूं के सड़ने से हुआ है. इसी प्रकार से पिपरिया के गोदाम में गेहूं पड़ा है. 25 प्रतिशत गेहूं 3 वर्ष से सड़ रहा है और 75 प्रतिशत वेयर हाउस खाली पड़ा हुआ है और जब गेहूं आया तो उसमें नया खरीदकर तो भरा नहीं. वह खाली पड़ा रहा. प्रायवेट में भर लिया है. इस पर आप रोक लगायें. यह गेहूं सड़ता क्यों है. इसका भी एक कारण है. आपके द्वारा घटिया कीटनाशक इस्तेमाल होता है. इसलिये कीड़े लगते हैं. मानक से ज्यादा बड़ी ऊंचाई पर स्टेग लगा देते हैं. घटिया फ्यूमिकेशन भी करते हैं. इन सब चीजों से गेहूं सड़ जाता है और हर

साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्वालियर के संबंध में मैंने आज प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया था. अगर आपकी ईमानदार छबि है और आप अपनी साख रखना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से काम करें. भ्रष्टाचारियों को अगर आप ज्यादा संरक्षण देंगे , तो आपकी 2 शिकायतें तो ईओडब्ल्यू में पंजीबद्ध हैं, इसके बाद भी आप अधिकारियों को संरक्षण देना बंद करो. जो वादा है, वह बनाये रखो, वादा खिलाफी नहीं करो. धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिंहावल) -- सभापति महोदय, जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी बताया कि यह जो विभाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. सच बात है कि यह विभाग गरीबों से जुड़ा हुआ है. आपने भी अपने उद्बोधन में यह बात रखी थी, पर जिंतना गंभीर इस विभाग को होना चाहिये, उतना यह विभाग गंभीर है नहीं. हम मंत्री जी से विशेषकर निवेदन करना चाहेंगे कि जो खाद्य विभाग है, उसमें काफी भ्रष्टाचार है और खास करके गरीबों के लिये जो अनाज जाता है. हम देते हैं सोसायटियों के माध्यम से जो प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जा रहा है, वह 3 किलो ही मिल पा रहा है. हमारे सीधी सिंगरौली जिले की, हमारे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति तो यही है. जो वहां पर फूड अधिकारी हैं, वह वहीं फूड इन्सपेक्टर भी थे. वह अभी शायद असिस्टेंड फूड ऑफिसर होंगे, प्रभारी फूड ऑफिसर हैं और पता नहीं किसके संरक्षण में कई वर्षों से वहीं पर पूरा जीवन निकाल दिया. तो हमारा निवेदन है कि आप अच्छे लोगों को थोड़ा सा इधर उधर भी करते रहें. अच्छे लोगों को लाइये, जिससे खासकर आपके विभाग के माध्यम से खाद्यान्न आप देते हैं, सेल्स मेन्स जो सोसायटी के अंतर्गत आते हैं, आपके सहकारी विभाग के अंतर्गत वह खाद्यान्न का वितरण करते हैं. पर अगर आप 5 किलो या 35 किलो जो गरीबी रेखा में हैं, अति गरीबी रेखा में, जो खाद्यान्न जाता है, उसका सही से क्रियान्वयन कौन करेगा, यह जिम्मेदारी हम समझते हैं आप खाद्यान्न देते हैं, तो वह जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसकी

व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगी. इसके लिये आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे. यह हम समझते हैं कि पूरे संभाग और मध्यप्रदेश में स्थिति है. आप बहुत अच्छी योजना, चाहे केंद्र सरकार ने बनायी हो या आपने भी उसमें कुछ शामिल कर लिया, पर योजना बहुत अच्छी है. आपने बना दी, लेकिन क्रियान्वयन अगर सही से नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि सारी व्यवस्था बेकार है . दूसरी बात केरोसीन और शकर की कहना चाहता हू . इसकी कालाबाजारी बहुत हो रही है यह तो मिलता ही नहीं है, अनाज तो 3 किलो भी दे देते हैं पर सच्चाई यह है कि शकर और केरोसीन का तेल बिल्कुल नहीं मिलता है इसकी थोड़ी सी व्यवस्था बनाये. आपके जो अधिकारी हैं उनको आप निर्देशित करें कि इसमें विशेष ध्यान दें, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण गरीब बुरी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं , सरकार तो बड़ी अच्छी अच्छी योजना भी बना देती है पर उस योजना का अच्छी तरह से क्रियान्वयन नहीं होगा, जो लोग भी इसके जिम्मेदार है उनको आप दंडित भी करे तब हम समझेंगे कि इस व्यवस्था में सुधार आ सकता है. आपने बोलने का अवसर प्रदान किया धन्यवाद.

श्री सुदर्शन गुप्ता आर्य(इंदौर-1) -- माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय चूंकि हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने पूरा विषय रख दिया है तो मैं अपने जिले की जो समस्यायें हैं तथा कुछ सुझाव मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं.

माननीय सभापति महोदय, इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है जहां पर उद्योग धंधे और व्यापार-व्यवसाय की अनेक मंडियां हैं , जहां पर भारी तथा हल्के वाहन लाखों की संख्या में वाहन चलते हैं. इंदौर में सीएनजी पेट्रोल पंपों की संख्या कम होने के कारण सीएनजी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाईनें लगी रहती हैं. सबेरे से लेकर के रात तक वहां पर वाहन मालिक व चालक को काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है. बैंक से ऋण लेकर के यह वाहन उठाते हैं , और

उनका अधिकांश समय पेट्रोल पंपों पर ही व्यतीत होता है. मेरा आपसे अनुरोध है कि इंदौर में सीएनजी के जो पंप हैं वो और ज्यादा संख्या में खोलने की आवश्यकता है.

सभापति महोदय, इंदौर में पेट्रोल पंपों पर वाहनों में कम पेट्रोल भरे जाने की अनेक शिकायतें आये दिन आती रहती हैं वहां पर विवाद होते हैं, निवेदन है कि विभाग के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण होना चाहिये. अनेक पेट्रोल पंपों पर खुले आम पेट्रोल और डीजल में मिलावट करके बेचा जाता है. पेट्रोल में सफेद केमिलक गंधविहीन केमिकल मिलाया जाता है और वहां पर ट्रांसपेरेन्ट नली पेट्रोल पंपों पर लगाई जाना चाहिये. जिससे पंपों की जो नलियां रहती हैं उसमें पंप मालिक पेट्रोल बचा लेते हैं , उपभोक्ता को कम देते हैं तो ट्रांसपरेंट नलियां पेट्रोल पंपों पर लगना चाहिये.

सभापति महोदय, इंदौर में कन्ट्रोल की दुकानें खाद्य सामग्री का वितरण उसी वार्ड में होना चाहिये, कई जगह स्थिति यह है कि वार्ड से 4-5 किलोमीटर दूर नागरिकों को राशन की सामग्री लेने के लिये जाना पड़ता है तो ऐसी व्यवस्था करें कि जिस वार्ड में वे रहते हैं उसी वार्ड की सीमा में राशन की दुकानें होना चाहिये. वर्तमान में कन्ट्रोल की दुकानों की संख्या कम है चूंकि इंदौर का भौगोलिक विस्तार काफी हो गया है तो कन्ट्रोल की दुकानें भी बढना चाहिये, इंदौर में पूर्व मे महिला उपभोक्ता भंडार का गठन किया गया था किंतु उन्हें दुकानें संचालित करने के लिये नहीं दी गई है , तो महिला उपभोक्ता भंडारों को दुकान संचालित करने के निर्देश देना चाहिये.

सभापति महोदय, इसी के साथ साथ शासन के द्वारा जो पुलिस पेट्रोल पंप संचालित हैं उन पर भी निगाह रखना जरूरी है वहां से भी कम पेट्रोल दिये जाने की शिकायतें आये दिन आती रहती हैं. आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्रीमती झूमा सोलंकी(भीकनगांव) -- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन ग्राम स्तर पर किया जाये.

ज्यादातर इसमें मजदूर वर्ग होता है और उनके पास में इतना समय नहीं होता है कि वे लंबी दूरी तय करके राशन का सामान लेने जायें. मेरे विधानसभा क्षेत्र में वन ग्राम की पंचायतें हैं और वहां पर वन ग्राम की समितियों के माध्यम से राशन का वितरण होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी बाहर का व्यक्ति राशन वितरण के लिये जाता है और अपने हिसाब से जाता है जिससे मजदूरों की बड़ी समस्या होती है. यह वितरण भी प्रति माह हो, क्योंकि 3 माह के बीच में वे वितरण करते हैं , अपने हिसाब से करते हैं और ज्यादा अनाज होता है तो वह सीधे महाराष्ट्र की सीमा से वह राशन बाहर हो जाता है. मंत्री जी से अनुरोध है पिछले हमे ही इस तरह की घटनायें हुई हैं. मेरा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, एक ट्रक गेहूं सीधा वहां पर गया शिकायतें हुई कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है.सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि यह वितरण प्रणाली तो अच्छी होना चाहिये परंतु जो गरीबी की रेखा के नीचे के जो कार्ड बनाये जाते हैं उसमें कई तरह की खामियां हैं, कई गरीब इसमे पात्र रहते हुये भी छूट गये हैं. गांव में असामंजस्यता फेली हुई है कि वास्तव में जिसको आवश्यकता है उसके पास में कार्ड नहीं है और किसान है घर से सक्षम है उनके कार्ड बने हुये हैं, तो गरीब लोगों का सर्व करवाकर के अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर उनके कार्ड बनवायें. जो पर्चियां बनाने का काम हुआ है, उसका शुभारंभ अच्छा हुआ पेपरबाजी अच्छी हुई किंतु वास्तव में पर्चियां उन लोगों तक पहुंची ही नहीं है. कुछ नामी परिवारों को बुला लिया गया दिखा दिया गया कि कार्यक्रम सफल हो गया है वास्तविकता में देखा जाये तो कई लोग ऐसे छूटे हैं जिनकी पर्चियां नहीं बनी और उसके अभाव में उन्हे राशन नहीं मिल रहा है. अधिकारी और कर्मचारी उनसे यह कह देते हैं कि जब तक आपकी पर्ची नहीं बनेगी तब तक आपको अनाज नहीं दिया जायेगा. तो गरीब लोग भटक रहे हैं इसलिये पर्चियां जल्दी से जल्दी बनाई जायें.

सभापति महोदय, वितरण प्रणाली के बारे में सुझाव है कि वितरण प्रणाली उस दिन रखी जाये जिस दिन हाट बाजार हो, उस दिन मजदूर वर्ग को छुट्टी भी मिलती है, और वह फ्री रहते हैं, कई बार काम की वजह से यहां वहां मजदूर जाता है जिसके कारण उसको समय नहीं मिलता तो उस मजदूर का समय निकल जाता है और वह भटकते रहते हैं. एक समस्या औऱ है कि गांव में गिरवी प्रथा चल रही है. गरीब लोगों को कूपन्स एक व्यक्ति इकट्ठा करके गिरवी रख लेता है कुछ पैसा उसको दे देते हैं और साल भर का अनाज वह व्यक्ति माफिया की तरह इकट्ठा करता है और मार्केट में सीधा बेचता है, इस ओर विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है. यदि कहीं ऐसे मामले उजागर होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये. कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर ग्रेन गोडाउन बने नहीं है, ग्रेन गोडाउन नहीं बनने की वजह से जो अनाज बाहर जाता है उसी के कारण सारा भ्रष्ट्राचार हो रहा है. इस पर नियंत्रण रखना चाहिये. यदि वहां पर ग्रेन गोडाउन बने हैं तो निश्चित रूप से वहां पर अनाज रख दिया जायेगा और सीधा जनता के बीच में पहुंचेगा. ग्रेन गोडाउन के अभाव में माफिया लोग ट्रक के बीच में ही गायब करने का पूरा प्रयास करते हैं और इसमें मंत्री जी के विभाग का शासकीय अमला भी शामिल रहता है. यह मेरे सुझाव थे, महत्वपूर्ण विभाग है गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है इसलिये मेरे सुझाव पर विशेष रूप से ध्यान देंगे. सभापति जी आपने मुझे अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया उसके लिये धन्यवाद.

श्री वैल सिंह भूरिया(सरदारपुर) -- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 का समर्थन करता हूं और कटोती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. सभापति महोदय हमारे परम पूज्य दीनदयाल जी का एक सपना था कि इस देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो. इस धरती के ऊपर पूरे हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए. वास्तव में हिन्दुस्तान के अंदर मध्यप्रदेश में पंडित दीनदयाल जी के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया है. मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति

भूखा नहीं सो रहा है. मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्यप्रदेश के लाड़ले मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के राज्य में यह सब हो रहा है.

सभापति महोदय, मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और पूरे मध्यप्रदेश के आदिवासी भाईयों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि मध्यप्रदेश के अंदर एक ऐसा नियम बनाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हर व्यक्ति को एक रूपये किलो गेहूं दिया जायेगा. सभापति महोदय खाद सुरक्षा पर्व पूरे देश में मनाया गया .हजारों लाखों आदिवासी भाईयों को और सभी समाज के भाईयों को इसका लाभ मिला . मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार जिनको प्राथमिकता परिवार की सूची में सम्मलित नहीं किया जा सका था. (xx) उन्होंने पूरे देश में गरीबों का गेहूं छीन लिया था...

श्री रजनीश सिंह-- सभापति महोदय, ये किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं.

सभापति महोदय-- उसको विलोपित करें. (व्यवधान)

श्री वेलसिंह भूरिया-- लेकिन मध्यप्रदेश के लाड़ले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हर गरीब को भोजन देने का काम किया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत रियायती दर पर मुख्यमंत्री अनुपूर्णा योजना प्रारंभ की गई. खाद्य सुरक्षा पर्व के नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के घर घर जाकर प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित करने हेतु 18 लाख 54 हजार 17 घोषणा पत्र भरवाये गये. इन घोषणा पत्र के आधार पर माह जून 2014 में लगभग 18 लाख परिवारों को प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित किया गया. इसके लिए हमारे प्रदेश के लाड़ले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और खाद्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी को बधाई देता हूं. इन परिवारों को माह जुलाई 2014 से 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न जिसमें 1 रुपया किलो शकर, 1 रुपया किलो नमक और 4 लीटर केरोसीन प्राप्त होगा जो दिल्ली की कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था.

सभापति महोदय, मैं, मेरे जिले और विधानसभा की कुछ समस्याएं आपके माध्यम से मंत्रीजी के सामने रख रहा हूं. धार जिले की सरदारपुर विधानसभा एक अति गरीब और अति संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है. वहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं का आतंक भी है. हमारे सरदारपुर विधानसभा में बहुत सारी पंचायतें हैं जिसमें समितियां, सोसायटी नहीं है. उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं.

श्री सचिव यादव-- सभापति महोदय, ये शब्द विलोपित करवाईये.आतंकी नाम लेने से ही आदमी को घबराहट होने लगती है तो यह तो आतंकी कह रहे हैं. आतंकी शब्द बड़ा खतरनाक है.

सभापति महोदय-- किसी का नाम नहीं लिया. (व्यवधान) कृपया बैठ जायें.

श्री वेलसिंह भूरिया-- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्याएं बताना चाहता हूं. 40 से 45 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर उचित मूल्य की दुकानें नहीं है. एक सेंटर पर दुकानें हैं वहां से सही तरीके से हमारे क्षेत्र के वनवासी, गरीब भाईयों को अनाज वितरण नहीं हो पाता है.

सभापति महोदय,माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि निगरानी समितियां जो पुराने समय में बनी थीं, उनको तत्काल निरस्त कर, नई समितियां बनायी जाये और नौजवानों को समिति का सदस्य बनाया जाये. सभापति महोदय, डेढ़ हजार से अधिक जनसंख्या वाले जो मजरे उनमें उचित मूल्य की दुकान खोली जाये. हर पंचायत में उचित मूल्य की दुकान खोली जाये. हमारे सरदारपुर क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें जिस पंचायत में नहीं हैं और जिन पंचायतों के नाम से खाद्यान्न आवंटित होता है उसकी जांच की जाये. धन्यवाद.

समय 0340 बजे उपाध्यक्ष महोदय (डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह)पीठासीन हुए.

श्रीमती ऊषा चौधरी(रैगांव)-- उपाध्यक्ष महोदय,मैं मांग संख्या 39 पर चर्चा करना चाहती हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सतना जिले में रैगांव विधानसभा में एक ही व्यक्ति 4-5 खाद्यान्न की दुकानें संचालित करते हैं. गरीबों को सही तरीके से राशन नहीं मिल पाता है. सतना जिले से गांव की पंचायतों में दुकानें संचालित करते हैं. इसलिए समय पर हितग्राहियों को अनाज भी नहीं मिल पाता. केरोसीन की कालाबाजारी बहुत है. गरीबों को बराबर खाद्यान्न नहीं मिल पाता.

उपाध्यक्ष महोदय, 20 सालों से जो समितियां गठित हैं. आज तक वहां पर नई समितियों का गठन नहीं किया गया है. मेरा ऐसा मानना है कि नई समितियों का गठन किया जाये और एक पंचायत में एक ही व्यक्ति दुकान संचालित करे ताकि लोगों को सही तरीके से खाद्यान्न वितरित हो सके. धन्यवाद.

श्री सत्यप्रकाश सखवार(अम्बाह)-- उपाध्यक्षजी, मेरे अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में जो भी दुकानें हैं चाहे वह नगरीय क्षेत्र में हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो, उनमें अधिकांश लोगों को गेहूं, चावल, शकर नहीं मिल पाता है. मिट्टी तेल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. 3-3 महीने तक कोई भी राशन नहीं मिलता है. मंत्रीजी से मेरी गुजारिश है कि शासन की जो नीति है उस पर निगरानी करके गरीब,किसान, मजदूरों को राशन का फायदा मिले. ऐसी मेरी अपेक्षा है. धन्यवाद.

श्री रामपाल सिंह (ब्योहारी)- उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि इन सोसाइटियों में संचालक मंडल का चुनाव नहीं होता है, चूंकि वहां जो भी एलबीएम पदस्थ होते हैं या वहां के जो प्रमुख होते हैं, वे इस तरह से ऋणी और अऋणी करके बना देते हैं और अपने ही व्यक्ति को अध्यक्ष या जो उसमें सदस्य बनता है जो समिति बनती है, अपने लोगों को शामिल कर लेते हैं, जिससे वे उसमें भ्रष्टाचार कर सकें, यह बात हर जगह पाएंगे. आज भी मेरे विधान सभा ब्योहारी में सीधी एक समिति है, जहां आज भी जांच कर ली जाय, उन किसानों को गेहूं और धान के पैसे नसीब नहीं हुए हैं, आज भी भटक रहे हैं. मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करवा ली जाय और संबंधितों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने की दया की जाय.

उपाध्यक्ष महोदय - मंत्री जी गंभीर हैं, नोट कर रहे हैं.

श्री रामपाल सिंह - दूसरी बात केरोसिन की जो बात आई, बीपीएल के लिए 5 लीटर देने का प्रावधान है, लेकिन वह तो नहीं दिया जाता है, 3 लीटर केरोसिन दिया जाता है, 2 लीटर केरोसिन तो इसमें ब्लैक करते हैं . उपाध्यक्ष महोदय, एपीएल में एक बूंद मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है. जिनको पात्रता पर्ची मिलना चाहिए, 40 परसेंट ऐसे लोग होंगे जिनको आज तक पात्रता की पर्ची अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाई है. दूसरी बात यह बात महत्वपूर्ण है कि जितनी भी सोसाइटियां हैं, जहां धान खरीदी होती है और गेहूं की खरीदी होती है. धान और गेहूं दलालों के द्वारा उत्तरप्रदेश से, चाकघाट से, इलाहाबाद से आता है और यहां पर वहीं के किसानों के नाम से बेचा जाता है जैसे मान लीजिए कि वहां से गेहूं और धान लाए, यहां के किसान के नाम से बताया कि तुम्हारे खाते में सिर्फ 30 क्विंटल धान बिकेगी. किसान संतुष्ट हो गया 30 क्विंटल अपना धान बेच लिया. उसी के खाते से फिर 100 क्विंटल धान बेच दिया जाता है. संबंधित किसान को यह पता नहीं है कि मेरे खाते में इतना धान बेचा गया और उसके पैसे भी आहरण हो जाते हैं. कृपया इस पर भी रोक लगाई जाय. माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा. दूसरी बात यह है कि जो धान और गेहूं की खरीदी की जाती है. उसके लिए जो भण्डारण केन्द्र है, वहां पर भण्डारण न करके जैसे ब्योहारी में खरीदी हो रही है, ब्योहारी में जब गोदाम खाली है तो वहां पर भण्डारण क्यों नहीं किया जाता है, उस गेहूं को लेकर बुढ़ार जाकर भण्डारण किया जाता है. माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर भी रोक लगाई जाय. गेहूं और धान के लिए तौलाई और सिलाई के लिए भी पैसा आता है किन्तु उन किसानों से ही तौलाई और सिलाई का पैसा समितियों द्वारा लिया जाता है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न बोलते हुए एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक पपौन सोसाइटी है जहां एक धनुषधारी नाम का व्यक्ति है, हमने डीआर से लेकर सबसे चर्चा की, कलेक्टर से भी चर्चा की. लेकिन वे कहते हैं कि जब समिति कार्यवाही करेगी, तब

हम कार्यवाही करेंगे. जानते सब हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच करवा ली जाय और उस क्षेत्र के लोग इससे बहुत प्रताड़ित हैं. उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

कुंवर विजय शाह - वह नाम बता दें.

श्री रामपाल सिंह - उसका नाम धनुषधारी है.

कुंवर विजय शाह - यह सोसाइटी का नाम है कि व्यक्ति का नाम है.

उपाध्यक्ष महोदय - व्यक्ति का नाम है.

श्री रामपाल सिंह - वह एलबीएम है.

श्री दिनेश राय (सिवनी) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 39 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवनी से केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा इस खाद्यान्न वितरण की पर्ची का शुभारंभ किया गया है. उसके लिए बधाई देने के साथ-साथ मैं निवेदन करता हूं. आज दिनांक तक कई ऐसे व्यक्ति छूट गये हैं जिनको पर्ची का वितरण नहीं हुआ है, उसमें मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें कार्यवाही शीघ्र करवाएं. हमारा निवेदन है कि गरीबी की रेखा के नीचे वालों को आप मिट्टी का तेल देते हैं. लेकिन गरीबी की रेखा के ऊपर वाले व्यक्तियों को मिट्टी का तेल देने का प्रावधान नहीं है. गांवों में वे रहते हैं और पास में कोई पेट्रोल पंप नहीं रहता है तो जब हमारे बिजली गुल हो जाती है तो उनके लिए भी मिट्टी के तेल व्यवस्था करवाएं.

श्री रामनिवास रावत - पहले प्रावधान था. यह अभी बंद किया है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर - आपके समय यह बंद हुआ है.

श्री रामनिवास रावत - नहीं, अभी बंद किया है.

श्री दिनेश राय - उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है जब मैं बोलता हूं तो कहीं न कहीं विवाद हो जाता है. एक और निवेदन है कि जो आयोडीन नमक दिया जा रहा है. मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसकी जरूर जांच करवा लें क्योंकि मैंने भी अपनी लैब में जांच कराई है, कहीं न कहीं वह गुणवत्ताहीन ही नमक वितरण हो रहा है. उसकी आप जांच करा लें, आप संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं. उपाध्यक्ष महोदय, कंट्रोल की दुकानें चाहे शहरी क्षेत्र हों या ग्रामीण क्षेत्र हों, वहां बहुत कम मात्रा में हैं. उनका विस्तार कर दिया जाय और जो ट्रांसपोर्टिंग की बात आई है, जब केन्द्रों से गेहूं और अनाज को ले जाकर गोदामों तक दिया गया, हमने उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की, कलेक्टर महोदय से भी चर्चा की. उनके पास भी को मैप चार्ट नहीं है. उन्होंने मैप चार्ट दिया लेकिन ट्रांसपोर्टरों द्वारा लापरवाही करके पास के गोदामों में माल न रखते हुए दूर के गोदामों में माल ले गये, जिससे शासन को नुकसान हुआ है. जो गरीबी की रेखा के लोगों के लिए अनाज वितरण किया जा रहा है, किसानों से तो अच्छा अनाज लिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें क्वालिटी भी कमी है. अतः उसमें निवेदन है कि जांच कराएं. उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने समय दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद और विवाद से भी बचा, उसके लिए भी धन्यवाद.

खाद्य मंत्री (कुंवर विजय शाह) - उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश विधान सभा के हमारे सभी माननीय सदस्य, जिन्होंने खाद्य विभाग पर न सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की, बल्कि विभाग की जो कमियां हैं, उनको प्रमुखता से यहां पर उजागर किया. हमको आगे विभाग पर अच्छी कार्यवाही चलाने में निर्णय लेने में आपके जो अच्छे सुझाव आए हैं, हम जरूर उसको शामिल करेंगे. आपके सुझाव विभाग को चलाने में दिशा-निर्देश के काम में आएंगे. माननीय सर्व श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी, दुर्गालाल विजय जी, रामनिवास रावत जी, फुन्देलाल सिंह जी, गोविन्द सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, श्रीमती झूमा सोलंकी जी, रामपाल सिंह जी, सुदर्शन गुप्ता जी, वेलसिंह जी, दिनेश राय जी, सत्यप्रकाश जी और श्रीमती ऊषा चौधरी जी. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण

समाप्त होने के पहले पूरी कोशिश करूंगा कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं, उनका जवाब देने का भी मैं प्रयास करूंगा. लेकिन विभाग की जानकारी देने के बाद क्योंकि अगर पहले जानकारी दूंगा तो फिर यह पढ़ नहीं पाऊंगा.

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग का जो मूल उद्देश्य है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिनको आवश्यकता है, जो गरीब हैं, जिनको वास्तव में सस्ते अनाज की जरूरत है. उनको हम कैसे सस्ता राशन समय-सीमा पर पहुंचाएं. उनको राशन लेने के लिए दूर तक भटकना न पड़े. सस्ता और सुलभ अनाज की उन तक पहुंच बनाएं, यह हमारे विभाग का मूल उद्देश्य है. जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है, उससे भी आगे बढ़कर क्योंकि जो हमारे मुखिया हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने अन्नपूर्णा योजना, इससे पहले ही एक ऐसी योजना का निर्देश देकर उसका गंभीरता से पालन करवाया है कि भारत सरकार तो मदद कर रही है, भारत सरकार की इच्छा है कि गरीबों की मदद होना चाहिए, लेकिन उससे आगे जाकर आज हमें दिल्ली से चावल मिल रहा है वह 3 रुपए किलो में मिल रहा है, आज हमें गेहूं दिल्ली से मिल रहा है तो वह 2 रुपए किलो में मिल रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान के उन प्रथम राज्यों में हैं जहां की सरकार ने अपने बजट से पैसा मिलाकर 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल, एक रुपए मक्का हम प्रदान कर रहे हैं. इतना ही नहीं, इस अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से जब योजना को हमने देश के मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को जैसा कि हमारे सिवनी के विधायक जी बता रहे थे, हमने उनको बताया कि मध्यप्रदेश के जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और यह सरकार क्या-क्या और कैसे-कैसे कर रही है, उनकी जितनी आशंकाएं थी, वह सब दूर हुईं और जानकारी देने में और गर्व महसूस हो रहा है माननीय उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के 30 प्रदेशों के मंत्री और बड़े अधिकारी अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में बैठे थे , आदरणीय, देश के वित्त मंत्री जी,कृषि मंत्री जी

और हमारे खाद्य मंत्री राम विलास पासवान जी ने यह कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और गरीब परिवारों के लिए ,खास करके जिनको आवश्यकता है उनके लिए जो मॉडल अपना रही है ये हिन्दुस्तान में सब दूर अपनाया जाना चाहिए और मुक्त कंठ से हमारी प्रशंसा की. उपाध्यक्ष जी,अभी जो बात यहां आयी थी कि पहले केवल कुछ परिवारों को राशन मिलता था, अत्यंत गरीब को, जो 35 किलो मिलता था वो आज भी मिल रहा है. गरीब परिवारों के लिए जो बी.पी.एल. कहलाते थे , आजकल उसकी जगह ,मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने एक प्राथमिक परिवार की सूची तय कर दी. क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग उसमें नहीं होना चाहिए और उसी को मापदण्ड रखते हुए हमने ए.पी.एल. को समाप्त नहीं किया है. अभी माननीय सदस्य यहां बातें कर रहे थे कि ए.पी.एल.समाप्त कर दिया,ए.पी.एल. का राशन समाप्त कर दिया,घासलेट समाप्त कर दिया. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जहां पहले केवल 75 हजार परिवारों को राशन मिलता था वहीं अभी हमने खाद्य सुरक्षा पर्व मनाया है. झोपड़ी,झोपड़ी में जाकर के, गांव गांव में जाकर के हमने राशन पर्चियां बनाई हैं और आज 35 लाख परिवार, लगभग डेढ़ करोड़ लोग, उपाध्यक्ष जी ये डेढ़ करोड़ वे लोग हैं जो पहले ए.पी.एल. मे आते थे,जिनको पहले ए.पी.एल. का राशन 10 रूपये किलो मिलता था. आज, ये डेढ़ करोड़ वे लोग हैं जिनको मध्यप्रदेश शासन 1-जुलाई से एक रूपया किलो आनाज, एक रूपये किलो मक्का,एक रूपये किलो चावल और 4-4 लीटर, 5-5 लीटर घासलेट देने में हम सफल हुए हैं . यहां एक बात अभी आई थी कि ए.पी.एल. को हटा दिया. उपाध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं , उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें अधिकारियों को बुलाया, हमको बुलाया और बोले कि यह तय करो कि आखिर सस्ता अनाज किसे चाहिए. क्या आपको चाहिए,मुझे चाहिए या यहां बैठे हुए ये हमारे माननीय सदस्यों को चाहिए. यहां हमारे तमाम अधिकारी बैठे हैं, इनकी बड़ी बड़ी तनखा है,इनको एक रूपये किलो

चाहिए? उपाध्यक्ष जी इनको नहीं चाहिए और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि गरीब कौन, एक रूपये किलो किसको मिलना चाहिए. वो तांगा रिक्षा चलाने वाला व्यक्ति, वह मंडी में जाकर खून पसीना बहाने वाला हम्माल व्यक्ति, वो रेलवे स्टेशन पर दूसरों का बोझ उठा कर अपना परिवार चलाने वाला वह कुली भाई, खेतों और खलिहानों में रात और दिन मेहनत करने वाला हमारा भूमिहीन मजदूर,घरों में काम करने वाली हमारी मॉ, बहनें. ये तमाम प्रकार की मिला कर 24 प्रकार की श्रेणियां हमने बनाई कि वास्तव में इनको मिलना चाहिए एक रूपया किलो अनाज और इनको मिलना चाहिए 5 लीटर घासलेट. उपाध्यक्ष जी, ये मुख्यमंत्री जी ने तय किया और इस मॉडल को भी मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि भारत सरकार के मंत्री ने 4 जुलाई को इसकी भी तारीफ की कि बाकी मेरे अन्य प्रदेश के मंत्रियों जो विजय शाह कर रहा है, जो शिवराज सिंह जी कर रहे हैं ये आप लोग क्यो नहीं करते. ये मैं नहीं कहता, उनके रिकार्ड में है. केन्द्रीय मंत्री के रिकार्ड में यह बातें आयी है. क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं इसीलिए लोग तारीफ कर रहे हैं. देश के मंत्री ने कहा है कि ये सारी चीजें जो मध्यप्रदेश में हैं ये हिन्दुस्तान के सारे प्रदेश अपनाएं. उन्होंने सुझाव दिया. उपाध्यक्ष जी, इससे बड़ी हमारी तारीफ क्या हो सकती है कि देश का खाद्य मंत्री हमारी पीठ थपथपा रहा है. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—पहले मुट्ठी भर थे अब चुटकी भर हो गये हो.

उपाध्यक्ष महोदय—बैठ जाए. ऐसा है केन्द्रीय मंत्री जी ने पीठ थप थपा दी है आब जनता की बारी है. आने दीजिए, क्यों आप चिन्ता कर रहे हैं.

कुंवर विजय शाह—उपाध्यक्ष जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपकी अनुमति से मैं सदन में लाना चाहता हूं. यह सही है कि दिल्ली की सरकार जब पीठ थप थपाती है तो केवल पीठ नहीं थपथपाती, खजाना भी खोल देती है और जब हमने कहां कि मध्यप्रदेश के हमारे आदिवासी बहन और भाई ये चावल ज्यादा खाना चाहते हैं .आपके समय 80 प्रतिशत गेहूं मिलता था और 20

प्रतिशत चावल मिलता था. उपाध्यक्ष जी, दिनेश राय मुनमुन जी गवाह हैं. हमने सिवनी की सभा में देश के मंत्री से कहा कि माननीय रामविलास जी मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लगभग 35-36 प्रतिशत लोग निवास करते हैं. वे गेहूं के बदले में चावल ज्यादा चाहते हैं और उपाध्यक्ष जी, चावल महंगा आता है. 24-25 रूपये किलो मिलता है. गेहूं 15-16 रूपये किलो का रेट हमको पड़ता है. ढाई लाख मैट्रिक टन चावल जब मैने सिवनी के अंदर मांगा , कि माननीय मंत्री जी जब आप इतने दयालु हैं , मध्यप्रदेश में आये हैं, हमारी पीठ थपथपा रहे हैं . हमारी यह डिमाण्ड है कि मध्य प्रदेश की जनता को ढाई लाख मैट्रिक टन चावल हर साल अतिरिक्त दे दो, तब उन्होंने एक सैकण्ड की देर नहीं की और आदेश जारी कर दिया. बोले विजय जी अगर मैं मध्यप्रदेश आया हूं तो ये आप लोगों की सरकार नहीं है ये हमारी सरकार है. ढाई लाख मैट्रिक टन चावल मध्यप्रदेश को हर साल मिलेगा. जाओ बांटो. जितना चाहिए उतना बांटो. माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सवाल आता था कि हम कैसे मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को यह देंगे. हमने आदेश तो निकाल दिए कि कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति ,अगर वह प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी,तृतीय श्रेणी अधिकारी नहीं है, अगर वह आयकर दाता नहीं है तो वह एक रूपये किलो अनाज पाये. लेकिन उपाध्यक्ष जी, तकलीफ यह थी कि आज मध्यप्रदेश की 35 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की थी. कई लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं थे. जिसके कारण वे लोग एक रूपये किलो के राशन से वंचित हो जाते थे. ऐसे दुखी व्यक्ति जब मुख्यमंत्री जी के पास आए तो एक दिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, बोले विजय जी तुमने तो कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एक रूपये किलो दोगे तो ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं. मैने कहा साहब जाति प्रमाण पत्र ला दें, मैं दे दूंगा. वे बोले कितनों से जाति प्रमाण पत्र मांगोगे, एक रूपये के चक्कर में? नियम बदल डालो. मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए. अनुसूचित जाति, जनजाति को, शिवराज सिंह विश्वास कर रहे हैं कि अगर खुद लिखकर देता है कि मैं आदिवासी हूं, मैं

अनुसूचित जनजाति का हूं तो माना जाय. यह मध्यप्रदेश की सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं. हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं. किसी भी एक स्टेट में बता दो कि जिसने गरीब जनता पर इस तरह का विश्वास किया हो, एक मुख्यमंत्री बता दो, जिसने कहा हो कि जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है. अगर वह व्यक्ति लिखता है कि मैं एस.सी. का हूं, मैं एस.टी. का हूं, तो राशन दे दो 1 रुपया किलो.

श्री सत्यप्रकाश सखवार—लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं.

कुंवर विजय शाह—सखवार जी यह राशन की बात है. आप पहली बार आए हैं, अभी मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं, हमारे सीनियर सदस्य मुकेश जी आपके साथ बैठे हैं, उनसे थोड़ी सलाह ले लेते तो आप नहीं उठते. वह मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं कि यह जो बात हो रही है, वह पेट की बात हो रही है, अनाज की बात हो रही है, गरीब की बात हो रही है और इसलिए यह सर्टिफिकेट की बात नहीं है. हम तो राशन की बात कर रहे हैं और आज हमें यह कहने में गर्व है कि मध्यप्रदेश के अधिकांश एस.सी.,एस.टी. के भाई हमारी झूमा बहिन कह रही थीं कि कुछ रह गए. आप बहिन जी चिंता मत करो, 15 अगस्त के पहले कहीं हो न हो आपकी विधानसभा में कोई छूटेगा नहीं, मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूं.

श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल—मेरे यहां भी करवा दें.

उपाध्यक्ष महोदय—हनी बाबा का भी देख लें.

कुंवर विजय शाह—हनी बाबा का भी क्षेत्र ले लेंगे. मेरा भाषण हो जाए तो मैं सभी का जवाब दूंगा. उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी चीजे हैं जो मध्यप्रदेश में हमने पहली बार की है. कई बार सदस्य कहते थे कि हमारी दुकान में राशन नहीं आया. क्वेश्चन लगाते थे. हमने अपने अधिकारियों से पूछा कि कौन कौन से प्रश्न आए तो उन्होंने मुझे बताया कि 40 प्रतिशत यह आए हैं कि हमारी दुकान पर राशन नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमने वह व्यवस्था कर दी है कि अब एक एक व्यक्ति आन लाईन कर दिया है. केवल जिला

ही नहीं, दुकान तक कि किस दुकान में किस महीने कितना राशन, कितना गेहूं, कितना चावल और कितना केरोसिन जाएगा, मैं आपको केवल एक मिनट में निकाल कर देने को तैयार हूं. सारे आदमियों को जानकारी मिलेगी कि कितना राशन आया, कितना मिला यह आन लाईन मिल जाएगा और आप चाहोगी तो हम निकाल कर दे देंगे. यह व्यवस्था हमने ही की है. सरकार का यह फर्ज है कि भ्रष्टाचार इस विभाग में नहीं होना चाहिए और इसलिए हम उसको पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी से निभा रहे हैं. अभी हमारे एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि राशन कार्ड गिरवी रखे जाते हैं. यह सही है कि पहले ऐसा होता था कि राशन कार्ड कई बार जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बदमाश टाइप के सेल्समेन होते थे, वह गिरवी रख लेते थे, लेकिन हम लोगों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब किसी व्यक्ति ने जुलाई माह के बाद केवल विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो कई बार अपना राशन लेने नहीं आ पाते तो उसका पड़ौसी या मोहल्ले का आदमी आ जाय. इसके अलावा जिसका नाम है, परिवार का मुखिया या उसके बेटा बेटी इसके अलावा तीसरे आदमी को राशन मिलने वाला नहीं है. केवल इतना ही नहीं, हम यह भी आदेश जारी कर रहे हैं, कई बार यह भी शिकायत आती थी कि हम 29 तारीख को गए, किसी काम से उलझ गए और 30 तारीख हो गई, महीना खत्म हो गया, हमारा तो राशन ही लैप्स हो गया, डूब गया. अब चिंता मत करो, इधर विजय शाह है. अब राशन डूबेगा नहीं, अब आप अगले महीने चले जाना और जाकर बताना तो दो महीने का इकट्ठा राशन मिल जायगा. इसके अलावा भी केवल डूबेगा नहीं, भ्रष्टाचार न हो, बेईमानी न हो, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि एक परसेन्ट भी इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए यह अद्भुत और अनोखी योजना हम लेकर आ रहे हैं. अभी भोपाल और इंदौर शहर की बात सुदर्शन जी कह रहे थे, पीछे गुप्ता जी भी बैठे हैं, भोपाल में कई बार राशन की दुकानों में आप लोग जाते थे और राशन की दुकान नहीं खुली. कई बार वहां भीड़ ज्यादा मिलती थी और कई बार राशन की दुकान में जाते हैं तो वह बदतमीजी से व्यवहार करता है. अब गुप्ता जी आप चिंता न

करो, आने वाले समय में इंदौर और भोपाल में हम यह सुविधा देने जा रहे हैं कि आप आपने अंगूठा लगाएं और कोई एक दुकान में जाने की जरूरत नहीं वहां जितनी भी दुकाने हैं, कहीं से भी अपना अनाज उठाकर ले जा सकते हैं. चाहे जिस दुकान से ले जाओ, अपना अंगूठा लगाओ, राशन ले जाओ. उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में नहीं दुनिया में हर आदमी का अंगूठा अलग होता है.

उपाध्यक्ष महोदय—इंदौर वाला आपने कैलाश जी को बता दिया है?

कुंवर विजय शाह—जी. अब अंगूठा लगने से राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे अब वह गिरवी नहीं रखा जा पाएगा. अपने साथ ही अंगूठा रहेगा. इसलिए पूरी पारदर्शिता रहेगी. उपाध्यक्ष जी आप भी जानते हैं, पूरे सदस्य जानते हैं, सभी बुद्धिमान है, यहां चुनकर आए हैं, सभी जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी का अंगूठा अलग होता है और जब अंगूठा अलग होता है, हमने आधार के आधार पर हर व्यक्ति के अंगूठे के निशान ले लिए हैं. खंडवा, होशंगाबाद, हरदा जिलों में हमने द्वार प्रदाय योजना शुरू की है. लीड्स सोसायटीज पहले जाती थीं, माल पहुंचाती नहीं थी, आधा डालती थीं, आधा ले आती थीं. अब हम द्वार प्रदाय योजना के माध्यम से सीधे यहां से माल भेजेंगे, वहां पर माल जाएगा. किस दुकान पर कितना माल गया, भोपाल में ही मालूम पड़ जाएगा. आपको आन लाईन मालूम चल जाएगा और जो समितियों की बात आई थी, खाद्य सुरक्षा लागू होने के पूर्व की पुरानी जितनी भी निगरानी समितियां हैं, आज सारी मैं खत्म करता हूं, चाहे वह ग्राम स्तर की हों, चाहे वह जिला स्तर की हों, चाहे प्रदेश स्तर की हों, सारी निगरानी समितियां हम नए सिरे से बनाएंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी, वह वाहन जिनमें अनाज जाता है, उनमें जी.पी.एस. की भी व्यवस्था करें तो आपको लोकेशन भी पता लगेगी कि माल कहां जा रहा है.

कुंवर विजय शाह--उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव अच्छा है और हमने अपनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसके कुछ अच्छा परिणाम नहीं आए हैं, इसलिए जी.पी.एस. सिस्टम पर हमने

फिलहाल रोक लगा दी है. इसी तरह अलीराजपुर, बैतूल, दतिया, खंडवा, खरगौन में हमने द्वारा प्रदाय योजना लागू की है. सोसायटीज माल कहां ले जाती थीं, कहां नहीं ले जाती थीं, यह मालूम नहीं पड़ता था, अब इन 6 जिलों के बाद एक साल के अंदर पूरे मध्यप्रदेश में द्वार प्रदाय योजना लागू होगी और पूरा पूरा माल राशन की दुकान पर पहुंचेगा इसके लिए सरकार कटिबद्ध है. यह बात आई कि हमारी कोई शिकायत नहीं लिखता, राशन

की दुकान बंद थी, मुख्यमंत्री जी का टोल फ्री नंबर हम दे रहे हैं, हर दुकान पर एक बोर्ड लगा रहे हैं, हमारे क्या कर्तव्य और आपके क्या अधिकार हैं, मक्का क्या भाव मिलेगा, घासलेट क्या भाव मिलेगा, वहां लिखा रहेगा. कोई तकलीफ है और कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, 181 लगाईये और सीधे मुख्यमंत्री जी के यहां हेल्प लाईन में आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और सभी को जानकारी है कि एक बार हेल्प लाईन में शिकायत दर्ज हो जाए, तो वह तब तक नहीं हटती, जब तक कि निराकरण नहीं हो जाता और कई अधिकारी इसमें सस्पेंड भी हुए हैं. 22 हजार दुकानें हैं, इनमें हम हेल्प लाईन का नंबर दे रहे हैं और इतना ही नहीं, हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो सोसायटी में सेल्समेन बैठता और जब कोई गरीब आदमी जाता है तो वह गरीब आदमी तो उस सेल्समेन की आंखों में ही शिवराजसिंह चौहान और विजय शाह को ढूंढता है और जब वह सेल्समेन उससे दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है तो शिकायत हम तक आती है. हमने उससे नाम पूछा तो उसने मना कर दिया, हम नाम नहीं बतायेंगे. जाओ तुमसे जो बने कर लेना. ऐसा हमको भी अनुभव आया,आपको भी आया होगा लेकिन मेरे साथी भाइयों अब चिन्ता मत करिये, 15 अगस्त से अभी खण्डवा और बड़वानी के जितने भी सेल्समेन हैं, एप्रिन पहन के बैठेंगे और नेमप्लेट लगायेंगे. उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आचार व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी कि गरीब आदमी जब दुकान पर आए तो पहले नमस्कार करो, दादा बैठो,मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, यह भाजपा की सरकार है, यह शिवराजसिंह की सरकार है..

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—माननीय मंत्री जी, खण्डवा से ही क्यों शुरु हो रही है? आगे हमारा ध्यान रखना हमारा कि मंदसौर तक आ जाए

कुंवर विजय शाह—अभी शुरुआत है.

उपाध्यक्ष महोदय—यशपाल जी, सब अच्छी चीजें घर से ही शुरु होती हैं(हंसी)

कुंवर विजय शाह—माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़वानी और खण्डवा से हम 15 अगस्त को शुरु कर रहे हैं जितने भी सेल्समेन हैं, सब को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब को एप्रिन पहना रहे हैं, सब को नेमप्लेट लगा रहे हैं और अगर यह प्रयोग सफल रहा तो हमारी 22 हजार जो दुकाने हैं वहां सारे सेल्समेन को आचार-व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी, वे नेमप्लेट लगायेंगे और वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे. यह सरकार परिवर्तन में विश्वास करती है , जनता की सेवा में विश्वास करती है और लोगों के चेहरे में खुशहाली लाने में विश्वास करती है. ये सारे कदम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अगर हम उठा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, गरीब जनता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जो एक बात हमारे मुखिया ने कही है हर चीज के पीछे केवल एक ही सोच है कि शिवराज जी ने कहा है कि गरीब व्यक्ति जब राशन की दुकान पर जाए तो तो निराश न हो , उसके साथ बदतमीजी न हो, उससे इज्जत से पेश आएं और धीरे धीरे हम राशन की दुकान भी अच्छी बना रहे हैं, वहां बैठने की सुविधा होगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, टायलेट की व्यवस्था होगी, यह धीरे धीरे कर रहे हैं सीमित संसाधनों में, आज मैं घोषणा कर दूं यह सम्भव नहीं है.

श्री कमलेश्वर पटेल—राशन की दुकानें महीने में एक दो बार ही खुलती है,आप तो रोज खुलवा दीजिए तो ड्रेस नहीं पहनायेंगे माननीय मंत्री जी, तो भी चलेगा पर लोगों को राशन मिल जाए.

कुंवर विजय शाह—माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उपार्जन के बारे में कहा था ,दूसरे प्रदेशों से आता है, ले लेते हैं, अभी मैंने जानकारी ली, जहां तक मेरे को जानकारी है, किसकी कितने एकड़ जमीन है, कितना बरसात से खत्म हो गया, प्राकृतिक आपदा से कितना खत्म हो गया,अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा था,पूरा रिकार्ड क्रॉस किया जाता है, हमारे पास भी क्रॉस किया जाता है, राजस्व रिकार्ड से क्रॉस किया जाता है, उसके बाद खरीदी की जाती है और पैसे का चेक उस व्यक्ति के खाते में डाला जाता है. अब हम यह कैसे मान लें कि दूसरे प्रदेशों का माल आ के बिक जाता है. मानने का कोई कारण नहीं है, कैसे मान लें. पूरी जागरुकता के साथ हम यह काम कर रहे हैं. इसी तरह जो बोनस की बात आयी थी, अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा, लगातार पुरस्कार मिल रहा है, कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, 20 प्रतिशत से ज्यादा कृषि की विकास दर आ रही है लेकिन छोटे भाई को मत भूलो. 150 रुपया बोनस दे रहा हूँ, इसीलिए आ रही है(हंसी) माननीय कृषि मंत्री जी, 150 रुपया बोनस आपका छोटा भाई दे रहा है और इसीलिए कृषि विकास दर मध्यप्रदेश में 20 प्रतिशत से ऊपर आ रही है.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- यह सरकार की संयुक्त रिस्पांसबिलिटी है भाई. मैं पैदा कर रहा हूँ, आप बेच रहे हो और कोआपरेटिव्ह वाला बोनस दे रहा है.

कुंवर विजय शाह – धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी, एक सीजे कम्पनी होती थी छोटा भाई जेठा भाई कम्पनी(हंसी) वही है क्या ये (हंसी) बीड़ी वाले.

कुंवर विजय शाह—माननीय उपाध्यक्ष जी, आज 742 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने वाला मध्यप्रदेश है. इसी तरह मैंने आपको कुछ और चीजें यहां पर बतायी हैं, समग्र आईडी वाली बात हो गई थी. इसके साथ साथ वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारपोरेशन इसको भी हमने जब बीच में उत्पादन ज्यादा हो गया. हमारे पास रखने के साधन नहीं थे. हमने भारत सरकार की मदद से उनके

सहयोग से और सुझाव से लगातार साइलो बेग में भर्ती शुरु की. साइलो बेग में रखकर के हमने अन्न का भण्डारण किया. भारत सरकार ने हमारी न सिर्फ पीठ थपथपाई, बल्कि पुरस्कार भी दिया और अभी एक पुरस्कार और मिलने जा रहा है 17 तारीखी केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री अनंतकुमार जी नेशनल अवार्ड से हमारे साइलो भण्डारण के कारण मध्यप्रदेश की पीठ थपथपाएंगे, आपको जानकर खुशी होगी(मेजों की थपथपाहट)

माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले हमारे सभी किसान भाई यहां पर अधिकांश विधायक भाई किसानी भी करते हैं,वे सब जानते हैं कि जब आपकी सरकार थी, गेहूं के भण्डारणके लिए केवल चार माह की गारंटी दी जाती थी और अगर आपने एमओयू कर लिया और भण्डारण नहीं हुआ तो जेब से बिजली के बिल और चौकीदार के पैसे जेब से खर्च करना पड़ते थे, ये स्थितियां पहले थीं लेकिन जिस दिन से मैं विभाग का मंत्री बना उसीदिन मैंने कहा नहीं, चार महीने की गांरटी नहीं, किसान भाइयों को साढ़े चार माह की गांरटी देता हूँ और अगर हमारे साथ एमओयू किया है,उस किसान ने अपना गोडाउन हमारे से लिखापढ़ी कर ली है और कोई कारण से उत्पादन नहीं हुआ तो हम कहां से भर पायेंगे लेकिन उसके बाद भी हमने एक रास्ता निकाला,किसान का दर्द यह भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी की सरकार समझती है . हमने कहा आप चिन्ता मत करो, आपके चौकीदारी का पैसा, आपके बिजली का पैसा अगर खाली गोडाउन का भी आपको नहीं भी भराया तो 10 प्रतिशत पैसा बिना भराये, 7-7 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है. 7 करोड़ रुपये हम दे रहे है, क्या जरुरत थी हमको, हम नहीं दे सकते थे, हम नहीं देते, लेकिन हमने गरीब का दर्द समझा, वह किसान जिसने बैंक से लोन लेकर के गोडाउन बनाया है, वह बार बार जब मुख्यमंत्री जी के पास आता है , हमारे पास आता है, हमने कहा ठीक है, जो कर सकती है सरकार, जनहित की सरकार है, गरीबों की, किसानों की सरकार है और 7 करोड़ रुपया आज हम उन किसानों को दे रहे हैं जिनके गोडाउन हमारे से नहीं भर पाये क्योंकि उत्पादन कम हुआ, प्राकृतिक आपदाएँ आ गईं,

उसका एमओयू हमारे साथ है. यह कोई नहीं कर सकता, ऐसे काम केवल शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही कर सकती है.

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मध्यप्रदेश में जो हमारी स्थिति है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं . आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन हम करने जा रहे हैं जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में निवेदन किया, 12 पास व्यक्ति अब सेल्समेन होगा. कई बार दूसरी पास,तीसरी पास बैठता था और वह लिखापढ़ी भी कम कर पाता था. आने वाले समय में तो कम्प्यूटर लगने वाले हैं, थम्प इम्प्रेशन मशीन लगने वाली है, तो कम से कम 22 हजार जो बारहवीं पास व्यक्ति है उन व्यक्तियों को सेल्समेन के पद पर रखा जाएगा. जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा उस गांव में, उसको रखा जाएगा.(xx)

श्री रामनिवास रावत-- यह (xx) क्या होता है (हंसी)

कुंवर विजय शाह—यह पारदर्शिता है..

श्री रामनिवास रावत—यह पारदर्शिता का पर्यायवाची है.

उपाध्यक्ष महोदय—रामनिवास जी, मंत्री जी ने इसको आयातित किया है महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र विधानसभा में इस्तेमाल होता है.

कुंवर विजय शाह—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी मंशा यह थी कि कोई आरोप प्रत्यारोप न लग और इसीलिए सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी कांच के समान दिखना चाहती है और दिखना ही नहीं चाहती, करना भी चाहती है और इसलिए अभी गेहूं उपार्जन की जो बात आयी थी, माननीय रावत जी, आपने कहा था कि बहुत दूर जाना पड़ता है. पहले मध्यप्रदेश का किसान मजबूर था, केवल 300 से भी कम मंडियां हैं.रात में अपनी गाड़ी जोतता था, ट्रेक्टर भरता था, और अगर छोटा किसान है तो चार आदमी का गेहूं भरता था, रात भर चलता था तो सुबह मण्डी पहुंचता था और दो दिन में घर पहुंचता था, यह मध्यप्रदेश के किसान की मजबूरी थी लेकिन आज

वह मजबूरी नहीं रही. क्यों नहीं रही, कि आज तीन हजार हमारे खरीदी केन्द्र खोले गये हैं यहां किसान आता है और आता भी कब है, हम टेलीफोन लगाते हैं , हम एसएमएस करते हैं कि दादा आ जाओ, आज आपका गेहूं खरीदेंगे, वह किसान आता है, शाम को घर चला जाता है , ऐसी व्यवस्था हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है इसलिए आज यह सारी चीजें मैं यहाँ कहना चाहता हूं .इसके साथ-साथ अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने गोविंद सिंह जी ने औऱ सिसोदिया जी ने बात उठाई , सरकार इतना अच्छा कर रही है और उसके बाद भी अगर कोई अधिकारी लापरवाही करे तो यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है. वह अधिकारी और कर्मचारी जो साइलो बैग फटने के बाद एक हजार मीट्रिक टन गेहूं की बरबादी में अगर सहभागी हैं तो प्रथम दृष्टया मैं उनको दोषी मानता हूं और वहाँ का जो जिला प्रबंधक है, चाहे वह वेयर हाउसिंग का हो, नागरिक आपूर्ति निगम का हो, आज मैं सस्पेंड करता हूं, आज की तारीख में.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी.

कुंवर विजय शाह—कोई भी लापरवाह अधिकारी इस सरकार में बचने नहीं पाएगा यह मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूं.

श्री रामनिवास रावत--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दुर्गालाल विजय जी ने बताया कि एक हजार क्विंटल साइलो बैग का गेहूं खराब हुआ है. वह कौन प्रबंधक था और कौन को निलंबित किया है पता तो लग जाए.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- दुर्गालाल जी वाली बात ही चल रही है .

कुंवर विजय शाह--- माननीय रावत जी, यह केवल विजयशाह ही कर सकता है साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है.

एक माननीय सदस्य--- माननीय अध्यक्ष महोदय, असाधारण मंत्री होने पर इनको बधाई.

उपाध्यक्ष महोदय---- हम लोग इनको एक पुरस्कार भी देंगे.

कुंवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष जी, सवाल साधारण असाधारण का नहीं है जब बॉस ने कह दिया कि क्रिस्टल क्लीयर रखो और जो अधिकारी-कर्मचारी लापरवाही करे उनको छोड़ो मत ,तो क्यों छोड़ना.

श्री कमलेश्वर पटेल--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बाकी मंत्रियों पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- उपाध्यक्ष महोदय, 1 हजार मीट्रिक टन गेहूं खराब होने पर हाउस के अंदर निलंबन की घोषणा की, वास्तव में इनके जैसा कोई मंत्री नहीं है. यह धन्यवाद के पात्र हैं. यह विधायक की बात को महत्व दिया गया है.

श्री रामनिवास रावत-- मंत्रीजी ने बहुत अच्छी घोषणा की इसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन एक चाहत के साथ कि विधानसभा समाप्त होने के पहले आप सभी जगह की जानकारी बुलाकर कि कहाँ कहाँ अनियमितता हुई, कहाँ गेहूं खराब हुआ,कितने लोगों को निलंबित किया उसकी सूचना हाउस में दे देंगे तब ही धन्यवाद देंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- रावत साहब अभी तो प्रथम दृष्टया मेरी मांग पर कार्यवाही हुई है.

उपाध्यक्ष महोदय--- रावत जी का धन्यवाद सुरक्षित है. अब मंत्री जी को बोलने दें मंत्री जी समाप्त ही कर रहे हैं.

कुंवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष जी, दो मिनट और बोलूंगा. आदरणीय रामनिवास जी रावत 25 वर्षों से हमारे साथ हैं वह जानते हैं कि अगर विजयशाह ने कोई घोषणा करी है तो 24 घन्टे भी नहीं होगा और सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में होगा और ये यही चाहते थे.

उपाध्यक्ष महोदय--- हम जानते हैं दोनों तरफ से घालमेल हैं. बस फिक्सिंग ना करें बाकी तो ठीक है.

कुंवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल सस्पेंशन नहीं कर रहे हैं हमारे उच्च अधिकारी, कमिश्नर , फूड, जाकर जाँच करेंगे यदि और भी कोई छोटे-मोटे कर्मचारी उसमें पाये गये, चाहे वह रीजनल मैनेजर हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, कोई छूट नहीं पाएगा. कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इन पर भी कार्यवाही की जाएगी. वह जो कंपनी थी, उसको हम ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, उससे वसूली करेंगे. गरीब का राशन किसी को खाने नहीं देंगे, हाथ डालकर निकाल लेंगे.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा चूंकि हर माननीय सदस्य की इच्छा होती है कि उसने जो बात रखी उसका जवाब आए.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को समय दिया जाये, मंत्री जी मूड में हैं बोलने दिया जाए.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप लोग पैरवी क्यों कर रहे हैं?

श्री दिनेश राय--- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के बोलने से मध्यप्रदेश को बहुत कुछ मिल रहा है उनको बोलने दिया जाये, मंत्री जी को ज्यादा समय दिया जाये, मध्यप्रदेश को फायदा हो रहा है.

कुंवर विजय शाह--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भी बरसों विपक्ष में रहे और हम भी उम्मीद करते थे वहाँ बैठकर कि इस विधानसभा के पवित्र सदन में हम कोई हमारे क्षेत्र की समस्या या बात रखे उसका जवाब आए,लेकिन इधर वाली जो बेंच थी, वहाँ से हमारे निवेदन के बाद भी ,कभी हमारी बातों का जवाब नहीं आता था लेकिन फुन्देलाल जी अब यह नहीं होगा, आप चिंता मत करो. अब वो वाली सरकार नहीं है. यह शिवराज जी की सरकार है और यह सरकार राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती है कि ये विधायक काँग्रेस के हैं, ये विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, ये भाई हमारे दूसरी पार्टी के हैं.

श्री रामनिवास रावत-- लेकिन बाकी मंत्री तो आपके जैसे नहीं हैं, आपने ही कहा था कि अकेला विजय शाह ही कर सकता है...(व्यवधान)..

कुंवर विजय शाह-- हम सब सामूहिक लोग हैं और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम करते हैं. आप लड़वाने का प्रयास न करें.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय रावत जी, शुरुआत हो गई है, विजय जी ने शुरुआत कर दी है, आप निश्चिंत रहिए बाकी मंत्री भी पालन करेंगे.

कुंवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष जी, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल और वहाँ से पवित्र उद्गम स्थल के हमारे विधायक आदरणीय फुन्देलाल जी हैं, हमारे आदिवासी साथी हैं, पहली बार आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ. उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी और बड़े अच्छे तरीके से रखी क्योंकि पहली बार विधायक, कभी हम भी पहली बार आए थे, इतने अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते थे इसलिए पहले तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ. आपके यहाँ पर हम अधिकारियों की एक टीम भिजवा रहे हैं....

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद.

कुंवर विजय शाह-- और अनूपपुर जैसे जिलों में बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री जी को लेकर आ रहे हैं, आपको भी रखेंगे, अनूपपुर जिले में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं. किसको पर्ची मिली, पात्रता नहीं मिली, पात्रता पर्ची मिली, नहीं मिली, आपकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और एक भी आदिवासी पात्रता पर्ची से वंचित नहीं रहेगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर नेता प्रतिपक्ष जी आपको रोकने की कोशिश करें तो रुकना मत, उस मंच पर जरूर पधारना.

श्री कमलेश्वर पटेल-- मंच पर भी आएँगे और जो सरकार की सच्चाई है वह भी बताएँगे.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- वह सरकारी कार्यक्रम रहेगा उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है और हम स्वागत करेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं आप बैठ जाएँ.

कुंवर विजय शाह-- उपाध्यक्ष जी, विधायक और सांसद का सम्मान करना हमारे मुख्यमंत्री जी और यह सरकार और ये सारे मंत्री अच्छी तरह जानते हैं. यह पहले वाली सरकार नहीं है, कार्यक्रम होता था और कार्ड में हमारा नाम ही नहीं होता था, आज तो जब भी सरकारी कार्यक्रम होता है, कार्ड छोड़ो पत्थर पर भी हमारे स्थानीय विधायक का नाम लिखा रहता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप जरूर आइये, पूरे सम्मान से आपको बिठाएँगे, कार्ड में आपका नाम बिल्कुल रखेंगे, प्रोटोकॉल है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- माननीय मंत्री जी, सोहावल ब्लाक में भी इसी तरह छापा पड़ जाए.

कुंवर विजय शाह-- बहन जी, आप बिल्कुल चिन्ता न करें. उपाध्यक्ष जी, जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव यहाँ दिए, जो शिकायतें यहाँ की हैं, ये आपके सुझाव और शिकायत, केवल कागज के पन्ने पर नहीं होगा बहन जी. ये मेरे लेटरपेड पर हमारे अधिकारी के पास जाएगा और एक महीने का उनको टाइम दिया जाएगा. एक महीने में जाकर के आप से मिलकर के, आप से बात करके और आपकी समस्या हल करने का प्रयास यह सरकार करेगी.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- 24 घंटे से 1 महीना हो गया.

कुंवर विजय शाह-- अब आप पहली बार आई हैं. 24 घंटे में यह संभव नहीं है कि आपकी विधान सभा में मेरा अधिकारी जाए और.....(व्यवधान)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- सर्प के काटने के बाद मीठा जहर चढ़ गया मंत्री जी को.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप मंत्री जी को जोश दिला रहे हैं, उनको समाप्त करने दें.

श्री राजेश यादव-- उपाध्यक्ष जी, आप देख लें. माननीय मंत्री जी के आसपास कोई भी मंत्री नहीं हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- सब पीछे समर्थन कर रहे हैं.

कुंवर विजय शाह-- उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक घासलेट का सवाल था हम लोग लगातार दे रहे हैं. कमलेश्वर जी, पहले 2 लीटर, 3 लीटर, मिलता था लेकिन हम लोगों ने यह निर्देश दिए हैं कि अगर वह अत्यन्त गरीब है तो पूरी कुप्पी भराएगी, 5 लीटर पाएगा. अगर वह प्राथमिक परिवार है, 4 लीटर पाएगा और इसके अलावा भी किसी को चाहिए तो 22 हजार दुकानों पर दो दो सौ लीटर सफेद केरोसिन बिना सब्सीडी का हम रखा रहे हैं जिसको चाहिए, जितना चाहिए ले जाओ. (मेजों की थपथपाहट) आदेश जारी कर दिए...(व्यवधान)..

श्री दिनेश राय-- धन्यवाद...(व्यवधान)..

कुंवर विजय शाह-- अभी तो शुरुआत है मेरे भाई. जो विधायक जितना मांगेगा.... (व्यवधान)..

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना किया है इसलिये बता रहे हैं या तो आप बताओ कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं. नमक की बात आयी थी हम 9-10 रुपये किलो खरीदते हैं और 1 रुपये किलो में बेचते हैं. बिना भारत सरकार की मदद के इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च करते हैं शिवराज सिंह जी को क्या हो गया है इसलिये करते हैं क्योंकि जब हमने गांव में जाकर देखा कि गरीब व्यक्ति बिना आयोडीन वाला ढेला नमक खाता था जिससे उसे घेंघा रोग हो जाता था. गरीब आदमी आयोडीन युक्त नमक नहीं खाता था उसी दिन मुख्यमंत्रीजी ने बुलाकर निर्देश दिये थे कि महंगा नमक खरीदो और सस्ता बेचो. आज आईएसआई नमक जो राशन कार्डों पर गरीबों को दिया जा रहा है यह हिन्दुस्तान में कहीं नहीं दिया जा रहा है केवल मध्यप्रदेश में ही दिया जा रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, अदभुत और अनोखी योजना बनाने वाली शिवराज सिंह जी की सरकार और उसका यह बजट है मैं सदन से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस बजट को सर्वानुमति से पास करें ताकि आने वाले समय में हम और ज्यादा जनहितैषी और जन-उपयोगी योजनायें बना सकें और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सकें इसमें आप सभी सहयोग करेंगे. उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद आपने मुझे बोलने का समय दिया.

उपाध्यक्ष महोदय—मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं मांग पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को—

मांग संख्या -39खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए दो

हजार सड़सठ करोड़, पच्चीस लाख, इक्कीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) मांग संख्या-44 उच्च शिक्षा
मांग संख्या-47 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
मांग संख्या-70 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को—

मांग संख्या- 44उच्च शिक्षा के लिए एक हजार दो सौ उनचास करोड़, आठ लाख, बारह हजार रुपये,

मांग संख्या-47 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए पांच सौ पांच करोड़, सत्तर लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा

मांग संख्या-70 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बारह करोड़, पचपन लाख रुपये

तक की राशि दी जाय.

उपाध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय – अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या-44 **उच्च शिक्षा**

क्रमांक

श्री हरदीपसिंह डंग	4
डॉ.गोविन्द सिंह	5
श्री सचिन यादव	6
श्री आरिफ अकील	8
श्री रामनिवास रावत	9
कुंवर विक्रम सिंह	12
श्री रजनीश हरवंश सिंह	14
श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	15

मांग संख्या-47 **तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास**

एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार	1
श्री रामनिवासरावत	2
श्री हर्ष यादव	3
कुंवर विक्रम सिंह	4
श्री जयवर्धन सिंह	6
डॉ.गोविन्द सिंह	8

श्रीमती ऊषा चौधरी 9

श्री आरिफ अकील 11

मांग संख्या-70 **तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से**

संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्रमांक

श्री आरिफ अकील 2

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

उच्च शिक्षा मंत्री की मांग संख्या 44,47,70 पर चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा समिति ने दो घंटे का समय निर्धारित किया है. तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित है:- भारतीय जनता पार्टी- 1 घंटा 26 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस-28 मिनट, बहुजन समाज पार्टी-4 मिनट, निर्दलीय-2 मिनट.

श्री जयवर्धन सिंह(राघौगढ़) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 44,47 एवं 70 पर बोलने का मौका दिया उसकेलिये मैं आपका आभारी हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से हम नवनिर्वाचित विधायक सदन में आए हैं. हमको अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने सुझाव दिया है पुराने भाषण पढ़ने के लिये और मैंने यही सलाह स्वीकार की और पिछले साल 13 मार्च,2013 का शिवराज सिंह जी की सरकार के जो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी थे उनके भाषण से मैं तीन लाईनें कोड करना चाहता हूं." तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश में बहुत काम की आवश्यक्ता है. काम करना चाहिये था और बहुत पहले से काम प्रारंभ होना चाहिये था लेकिन अब हमने इसे चुनौती के रूप में लिया है " और वाकई में जिस तरह लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने यह चुनौती स्वीकार की कि आज उसके कारण वह जेल में बैठे हैं और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष

महोदय, तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री के जो दलाल थे और इनके कारण जिन बच्चों ने लाखों रुपये खर्च किये आज वह भी जेल में फंसे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और जिस तरह व्यापम घोटाले में लक्ष्मीकांत जी ने जो तकनीकी दिखायी थी और खासकर टेक्नोलाजी में वे जो संशोधन लाए थे. व्यापम में जो रजिस्ट्रेशन होता था उसको तो आनलाईन कर दिया लेकिन जो एग्जाम था उसको आनलाईन नहीं किया. क्यों नहीं किया क्योंकि अगर आनलाईन होता तो भ्रष्टाचार करना इतना आसान नहीं होता. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात सामान्य चर्चा में भी कही थी कि साल 2012 में नियम में जो संशोधन हुए थे उससे जिस तरह शिवराज सिंह की सरकार ने करप्शन को सेंट्रलाईज किया उस पर मैं 2 मिनट कहना चाहता हूं. जैसे पहले नियम था जो 1980 में अर्जुनसिंह जी ने बनाया था जिसमें रोजगार कार्यालय पंजीकरण आवश्यक था वह भी 2012 में हटाया गया उसके साथ पहले 10 वीं या 12 वीं कक्षा में भी एप्लीकेन्ट का भी पंजीयन आवश्यक था वह नियम भी 2012 में वह नियम भी बदला गया. उसके बाद 2012 की जो व्यापम के माध्यम से पीएमटी की भर्तियां थीं उसमें एसटीएफ की जांच चल रही है. मगर जो 2008 से 2011 में पीएमटी की भर्तियां थीं उसमें भी व्यापम ने 300 से अधिक विद्यार्थियों को निरस्त किया है और उसमें ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं जो डिग्री के बाद आज इंटरशिप कर रहे हैं और आज वह रोड़ में भोपाल में खड़े हैं, हर दिन अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि व्यापम का कहना है कि इनको इसलिये हटाया गया है, क्योंकि उस समय 2008 तथा 2011 में इन्होंने चीटिंग की थी, अब उसका खुलासा कर रहे हैं, छ साल बाद, तीन साल बाद उसमें इन्होंने क्या धारा लगाई है उन्होंने कहा है कि यूएफएम अनफेयर मीन्स की धारा लगाई है उसमें उन्होंने सबूत दिया है कि उनके पास टेक्नॉलॉजी है जिनसे इन्होंने इन बच्चों को पकड़ा है मगर अभी भी उनके पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है. मैं राज्यपाल के अभिभाषण से भी एक पंक्ति को कोड करना चाहता हूं आवास सहायता योजनान्तर्गत उच्च शिक्षा के लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की आवास समस्या के निराकरण के

लिये भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में रूपये 2 हजार प्रति विद्यार्थी, जिला मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी 1250 रूपये एवं तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय पर 1000 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह के मान से आवास सहायता राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है इसमें कल अखबार में इस विषय पर काफी लिखित में था करीबन पूरे प्रदेश में 5 हजार ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इन छात्रवास से हटाया गया है जिसमें वह पहले भर्ती थे और यह जो पोस्ट मेट्रिक थे उनको हटाया गया है जब तक उनको 2000 रूपये की राशि भी नहीं मिली है, जो कि उनको मिलनी चाहिये थी. इसलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2000 रूपये माहवार की राशि इनको मिली है क्या वह महीने में शहर में रहने के लिये काफी है तो इसमें भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ संशोधन होना चाहिये. साथ में उच्च शिक्षा में जो कॉलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबिल होना बहुत आवश्यक है. बजट के भाषण में माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रशिक्षण के बारे में काफी कहा था मगर मैं मानता हूं कि अगर हमको आने वाले समय के लिये एक स्ट्रांग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ट करना है शिक्षा के लिये, उच्च शिक्षा के लिये तथा तकनीकी शिक्षा के लिये तो इसके लिये नये कालेज खास कर प्रायवेट यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेन्ट करने की जरूरत है. जैसे हर जिले में आज टायड इंस्टीट्यूट हैं और बजट में इस बात का उल्लेख है कि इन डाइट इंस्टीट्यूट में हर साल ट्रेनिंग सेशन होंगे मगर ट्रेनिंग सेशन काफी नहीं है इसमें डाइट में जो बिल्डिंग्स की फेसिलिटीज है उनमें भी इम्प्रूवमेन्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है. आखिरी में इतना कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने कुछ साल पहले नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा ऐसे रिक्मंडेशन दिये थे जिसके द्वारा हम अपनी यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा को और बेहतर कर सकें उसमें खास ध्यान दिया है क्वांटिटी इज नाट इनफ इस पर क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये. तो क्वालिटी पर टीचर्स ट्रेनिंग है उस पर हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसके साथ जो रिसर्च फेसिलिटीज है उसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है इसके बारे में आने वाले समय में मुकेश नायक जी भी इस बात

को उठायेंगे अंत में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मांग करना चाहता हूं. हमारे यहां राघोगढ़ विधान सभा में पोलीटेक्निक कालेज है और सरकार के द्वारा उसमें कुछ साल पहले घोषणा भी की गई थी कि वहां पर कंप्यूटर साइन्स और मैकेनिकल के कोर्सेज भी चालू होंगे, मगर अभी तक यह पूर्ण नहीं हुआ है, इसके लिये नई बिल्डिंग की भी आवश्यकता है और स्टाफ के पद भी अभी तो वहां नहीं मिले हैं, तो उसको भी भरने की आवश्यकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय--धन्यवाद जयवर्द्धन सिंह जी. आपको किसी ने नहीं टोका, ऐसा लगता है आपने बड़ी लंबी फिक्सिंग की थी.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश पीछे था. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की व्यवस्थाओं की ओर ज्यादा बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से हमारे विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिये, उन्हें अच्छे संसाधन उपलब्ध करा कर देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे प्रदेश के विद्यार्थी भी आगे आ सकें, इसका ठीक से प्रयास नहीं हो पाया. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर यह कहूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मध्यप्रदेश में जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे शिक्षा मंत्री माननीय उमाशंकर जी और सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया, उसके कारण पिछली परिस्थितियों में बदलाव होकर धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आने लगी, जिसके कारण हमारे प्रदेश के विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिये दक्षिण में साउथ की ओर जाने की इच्छा रखते थे बैंग्लोर में, चेन्नई में अथवा दिल्ली में अब वह विद्यार्थी यहां मध्यप्रदेश में रहकर ही पढ़ने की इच्छा करते हैं

और उनको ऐसे बहुत सारे संसाधन जो उन्हें साउथ में या दिल्ली में मिलते थे, उनको यहीं पर प्राप्त हो जाने के कारण से आज वे मध्यप्रदेश में अध्ययन करने का मन बना रहे हैं और बहुत सारे हमारे विद्यार्थी केवल इस प्रदेश के ही नहीं, बाहर के प्रदेशों के विद्यार्थी भी इन्दौर या अन्य स्थानों पर आकर अपना अध्ययन कर रहे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की दृष्टि से, उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को अच्छे तरीसे से प्राप्त हो सके, इसके लिये हमारे मध्यप्रदेश की सरकार ने और तकनीकी शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग ने कई सारे ऐसे कार्य प्रारंभ किये, जिनसे विद्यार्थी यहां मध्यप्रदेश में पढ़ने के लिये और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिये पूरी तरह से प्रेरित होकर अपना अध्ययन में मन लगाने लगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत सारी योजनायें मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा संचालित हैं, कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूं उन योजनाओं में गांव की बेटी योजना जो प्रारंभ की थी, उस गांव की की बेटी योजना के अंतर्गत कोई भी हमारी बेटी जो महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर और इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिये बाहर आआकर महाविद्यालय में प्रवेश लेती हैं, उनको 5 हजार रूपये प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं के लिये 7.5 हजार रूपये प्रति वर्ष उनको छात्रवृत्ति देने का जो फैसला किया गया, उससे हमारी बहुत सारी बालिकायें लाभान्वित हुईं.वर्ष 2013-14 में 39926 बालिकाओं को इसका लाभ मिला. वर्ष 2012-13 मे भी गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 33713 बालिकाओं ने इसका लाभ लिया. राशि भले ही कम हो, लेकिन योजना जिस प्रकार से बनाई गयी और इसको बनाने के पीछे जो भावना थी कि हमारी बेटियां अपने को और उत्कृष्ट बनाने की दृष्टि से आगे आने की दृष्टि से, ठीक तरीके से अध्ययन में मन लगाकर पढ़ सके, इसके लिये इस योजना को प्रारंभ करके और ठीक तरीके से इन बालिकाओं को लाभानवित करने का कार्य किया. इसी प्रकार से प्रतिभा किरण योजना भी हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने, मध्यप्रदेश

की सरकार ने प्रारंभ की है. इस योजना के अन्दर 12 वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को प्रदेश के शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 5 हजार रुपये प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग के लिये 7500 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया. इसका लाभ हमारी बालिकाओं ने लिया है. वर्ष 2012-13 में 2739 और 2013-14 में 3143 बालिकाओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ. निवास से 5 किलोमीटर दूर कोई बालिका पढ़ने जाना चाहती है, उसके लिये सरकार ने अन्य व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन इसके साथ साथ 200 दिवस के लिये 1000 रुपये छात्रवृत्ति देने का भी फैसला किया. इससे भी बालिकाओं को अध्ययन के लिये प्रोत्साहन प्राप्त हुआ. शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1500 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देने का फैसला सरकार ने किया और केवल इतना ही नहीं 500 रुपये उनको स्टेशनरी के रुप में उपलबध कराने का काम सरकार ने किया. अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों को ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई के लिये पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, इसका पूरा प्रयास सरकार की और से किया गया. इसके लिये मैं मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत देता हूं. इस योजना के अंतर्गत 2013-14 के अन्दर 63778 अनुचित जाति के विद्यार्थी और 55289 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ. इसी प्रकार से विक्रमादियत्य योजना प्रारंभ की गयी. इस विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत भी विद्यार्थियों को इसका ठीक तरीके से लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये 75 लाख रुपये का प्रावधान इसके अन्दर किया है. सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 2155 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त होगा. इसी प्रकार से असहाय, निःशक्त विद्यार्थियों के लिये भी प्रावधान किया गया है. खास बात जो विभाग ने की है, जिससे आज के आधुनिक समय में जो आधुनिक तकनीक आ गयी है, उस तकनीक से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिये हमारी सरकार ने और प्रदेश के हमारे विभाग, मंत्री

जी ने आईटी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को अध्ययन अध्यापन के लिये उपयोग में लाने की दृष्टि से विद्यार्थियों को महाविद्यालय के अन्दर स्मार्ट फोन दिये जाने का प्रस्ताव किया है. वर्तमान में जो युग आया है और इस आईटी के युग में हर बच्चा उसके अनुसार पढ़ना चाहता है, नेट पर देख करके चलना चाहता है और नई तकनीक के आधार पर अपना अध्ययन करना चाहता है. सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन देने की योजना जो प्रस्तावित की है, उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. इसी प्रकार के प्रयोगशालाओं का उन्नयन और पुस्तकालयों का विकास करने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया गया है. उसमें जो धनराशि प्रस्तावित की है, उससे निश्चित रुप से हमारे विद्यार्थियों को उसका ठीक से लाभ प्राप्त हो सकेगा. शहरी और अर्द्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 52 महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं प्रारंभ करने का फैसला किया गया है और विभागीय स्तर पर योजनाओं के संचालन और प्रबंधन के लिये साफ्टवेयर तैयार किये हैं. प्रदेश के महाविद्यालय में आन लाइन प्रक्रिया ठीक से चले इसके लिये भी प्रावधान किये गये हैं . अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनको शौध कार्य के लिये छात्रवृत्ति में दोगुना वृद्धि की गई है. यह महत्वपूर्ण फैसला है और विशेषकर के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये, जिन्हें पहले 8 हजार रूपये शौध कार्य के लिये दिये जाते थे उनको 16 हजार रूपये देने का फैसला हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से नि:शक्तजनों की छात्र वृत्ति में भी परिवर्तन करने का काम सरकार की और से किया है. एक नवाचार हमारे शासकीय महाविद्यालयों में किया गया , कॉलेज चलें अभियान चलाकर . और कॉलेज चलें अभियान चलाने से महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और इस अभियान के कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिये प्रेरणा प्राप्त हुई . इसी प्रकार से

विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना मध्यप्रदेश की सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग ने जो प्रारंभ की है उसके कारण से लाभ मिला है.

श्री रामनिवास रावत-- केवल श्योपुर में लॉ क्लासेस खोल दें यह मांग कर लो आप भी तैयार हो. मैं भी मांग रहा हूं.

उपाध्यक्ष महोदय-- उच्च शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा तक सदन की कार्यवाही जारी रहेगी. मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति व्यक्त

श्री दुर्गालाल विजय-- उपाध्यक्ष महोदय, केरियर मार्गदर्शन योजना प्रारंभ होने से केरियर रोजगार के अवसरों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है. ऐसे किताबों का अध्ययन तो निरंतर चलता रहता है लेकिन रोजगार की दृष्टि से केरियर की दृष्टि से विद्यार्थी को आगे क्या करना चाहिये, कैसे होना चाहिये उसकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह जो कार्य किया गया है वास्तव में बहुत प्रशंसनीय कार्य है . इसके माध्यम से विद्यार्थियों को आगे जाने का मार्ग ठीक से प्रशस्त हो पायेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जो विभाग की तरफ से प्रारंभ किया गया है, इस कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य़क्रम के माध्यम से 110 शासकीय महाविद्यालयों में इसको प्रारंभ किया गया है और वर्ष 2013-14 में 10 महाविद्यालय में 2050 विद्यार्थी इसका प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं. यह अच्छी बात है कि वर्ष 2014-15 में युवाओं को रोजगारमुखी और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण से रोजगार भी उपलब्ध हुआ है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा के बारे में 2-3 बातें कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा. उपाध्यक्ष महोदय एक तो उच्च शिक्षा में श्योपुर के बारे में दो बातें मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं. महाविद्यालय में आडिटोरियम की मांग कई दिनों से है, स्थान उपलब्ध है,

श्योपुर के महाविद्यालय में जितना स्थान उपलब्ध है चंबल-ग्वालियर संभाग में इतनी बड़ी अन्य जगह नहीं है वहां पर आडिटोरियम भी हो सकता है .इसके साथ साथ विधि की कक्षायें प्रारंभ करने की मांग भी श्योपुर के विद्यार्थियों की लंबे समय से है, आपने मंजूर भी कर दिया है, भवन भी बना दिया है. लेकिन कुछ तकनीकी कमियां रह गई है उसको पूरा करके अगर इसी सत्र में प्रारंभ करा देंगे तो श्योपुर के विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जिसके कारण हमारे यहां प्रवेश क्षमता बढ़ी है. यह क्षमता 2 लाख 5 हजार 854 से बढ़कर के आज 2 लाख 21 हजार 421 प्रवेश संख्या हो गई है. और तकनीकी शिक्षा शौध प्रशिक्षण संस्थान जो प्रस्तावित किया है इसका निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा और पोलिटेक्निक महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम चलाने की जो व्यवस्था की गई है उससे भी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत-- उपाध्यक्ष महोदय, एक प्वाइंटस ऑफ इन्फर्मेशन है. आज उज्जैन महाकाल मंदिर में व्हीआईपी लोगों की पूजा अर्चना के चलते कांवड़ियों को मंदिर से बाहर खदेड़ा गया. पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया.

उपाध्यक्ष महोदय-- इस पर क्या व्यवस्था चाहते हैं?

श्री रामनिवास रावत-- इसमें यह व्यवस्था चाहते हैं कि धार्मिक और आस्था के साथ जल चढ़ाने जो कांवडिया आते हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है. इस घटना का परीक्षण करवा लें और इन लोगों को पूरे सावन के महीने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो.

उपाध्यक्ष महोदय-- संसदीय कार्यमंत्रीजी.

मंत्री, संसदीय कार्य (डॉ नरोत्तम मिश्रा)-- उपाध्यक्षजी, पूरा ध्यान रखा गया है. प्रदेश में अवर्षा की स्थिति थी. माननीय मुख्यमंत्रीजी ने आज अभिषेक किया और आप देख रहे हैं कि सुबह से भोपाल तरबतर है. पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है.

श्री रामनिवास रावत-- मुख्यमंत्रीजी के अभिषेक के चलते कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

उपाध्यक्ष महोदय-- संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- उपाध्यक्षजी, सम्मानित सदस्यों की आदत सी बनती जा रही है कि कुछ तो भी बात कहते हैं. जिस समय उन्होंने पूजा-अर्चना की, उसके पहले और उसके बाद में इस तरह की कोई घटना ही नहीं है. यदि कोई अप्रिय स्थिति बनी भी है तो सरकार उनकी श्रृद्धा और भावना का ध्यान रखेगी. यह श्रृद्धालु सरकार है. दुआएं करने गये थे, वर्षा हो रही है.

श्री रामनिवास रावत-- उपाध्यक्षजी, आप कार्यवाही देख लें. मैंने माननीय मुख्यमंत्रीजी का नाम भी नहीं लिया था. मैंने केवल 'व्हीआईपी लोगों की पूजा-अर्चना' बोली थी. माननीय मंत्रीजी ने खुद माननीय मुख्यमंत्रीजी का उल्लेख किया है. मैं तो यह कहूंगा कि ये कांवड़िया श्रृद्धा, निष्ठा के साथ जल चढ़ाने गये थे, इसलिए वर्षा हुई है. उन पर लाठीचार्ज हुआ है. भविष्य में ऐसी स्थिति न बने और उनकी धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे. यह सरकार से हमारी अपेक्षा है.

उपाध्यक्ष महोदय--आपकी बात आ गई. मंत्रीजी ने संज्ञान में ले लिया है.

पं. मुकेश नायक(पबई)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,उच्च शिक्षा पर सरकार ने जो प्रावधान किये, उस बाबत मैं मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय,अभी चूंकि इस प्रदेश में नये-नये उच्च शिक्षा मंत्री बने हैं इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सदन के द्वारा दिये जाते हैं, उस पर जरुर ध्यान देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो केम्पस कल्चर है, जो अनुसंधान का क्षेत्र है और शिक्षा का जो नवीनीकरण है, इस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है. मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल पास और फैल करने के कारखाने में तब्दील हो गये हैं. वहां के केम्पस में कोई भी अकादमिक सेंस नाम की चीज नहीं बची है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री इस भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेन्टर बनायें. आज इंग्लैंड की जो इकॉनामी है, जो आर्थिक चक्र है वहां जो शैक्षणिक संस्थान हैं जिसमें पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते हैं उसका आधार ही वह है. पूरी दुनिया में भोपाल ऐसा शहर है जिसको हम पूरे विश्व का एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र बना सकते हैं. इसके लिए सबसे ज्यादा जरुरी है कि विदेशी छात्र-छात्राओं को आधार पाठ्यक्रम की छूट देना पड़ेगी.छोटा सा परिवर्तन आप करिये.

उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब भोपाल में कीन्या से, ईरान से और दूसरी जगह से हजारों बच्चे पढ़ने आते थे लेकिन आधार पाठ्यक्रम में वे फैल हो जाते थे. आप इतनी उदारता रखिये कि जो विदेशी छात्र-छात्राएं हैं, उनको आप हिन्दी और अंग्रेजी की अनिवार्यता मत रखिये क्योंकि उन्हें वह भाषा आती नहीं है. हिन्दी जिन्होंने पढ़ी नहीं. जिन्होंने सीखी नहीं. जिनकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं है. जब किसी दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं तो उस लेंग्वेज को एडॉप्ट करना बहुत ही कठिन होता है इसलिए वे हमारे यहां पढ़ने ही नहीं आते हैं. मैं शिक्षा मंत्रीजी को सुझाव दूंगा कि फॉरेन के स्टुडेंट्स के लिए आप आधार पाठ्यक्रम को एग्जम्पट करिये ताकि भोपाल को हम इंटरनेशनल एजुकेशन का सेन्टर बना सकें. दूसरी बात मुझे कहना है कि भोपाल में और पूरे मध्यप्रदेश में केवल दो कॉलेज हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, एक उच्च शिक्षा का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो आज देश में नम्बर वन का कॉलेज माना जाता है. आप थोड़ा

और उस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा और पूरे मध्यप्रदेश की प्रतिष्ठा जो शिक्षा के क्षेत्र में गिर रही है, उसको हम बना सकेंगे. दूसरी बात है कि आपने ऑन लाईन एजुकेशन की शुरुआत की, इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं. आप इसको ठीक करिए. बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं. एक बुलेट पाइंट की ब्रिफिंग आपको करना चाहता हूं. मुझे यह भी कहना है कि जो सेमेस्टर सिस्टम आपने उच्च शिक्षा में लागू किया है, उसमें और केम्पस में सबसे पहले एकेडेमिक कैलेण्डर बनाइए, कल्चरल कैलेण्डर बनाइए और स्पोर्ट्स का कैलेण्डर बनाइए. एक्स्ट्रा करिक्यूलर एक्टिविटी को स्पोर्ट्स के साथ और एकेडेमिक एक्टिविटी के साथ कॉर्डिनेट करेंगे तो शिक्षा में पूर्णता आएगी. शिक्षा का जो उद्देश्य है कि शिक्षा व्यक्ति को विमुक्त करे. कृष्ण ने तो बुद्धि के बारे में गीता में यह कहा है कि बुद्धि अगर हृदय की बात मानें तो बहुत अनूठी है और बुद्धि अगर मालिक बन जाय तो बहुत घातक है. शिक्षा का काम केवल रोजगार भर देना नहीं है. व्यक्ति में समझ पैदा करना है. लोकाचार की समझ पैदा करना है. व्यवहार की समझ पैदा करना है. उसमें एकेडेमिक सेंस को लाना है और उसमें लोक संग्रह की प्रकृति को जागृत करना है और इसके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एजुकेशन की कॉर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है.

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि साढ़े चार साल में मध्यप्रदेश में आपका बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है. आपको यह मालूम है कि नहीं? और पोस्ट ग्रेजुएशन सात साल में बच्चे का हो रहा है जबकि पांच साल का उसका कोर्स है. एक बच्चे के डेढ़ से लेकर दो साल चले जा रहे हैं और उसमें कोई सुधार नहीं कर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है. न किसी को चिंता है. क्योंकि शिक्षा को कोई प्राथमिकता मध्यप्रदेश में है ही नहीं. न उसके लिए बजट है, न उसके लिए प्राथमिकता है. न उसके लिए अच्छे ऑफिसर्स हैं. न उसके लिए अच्छा वातावरण है तो कैसे शिक्षा जो किसी भी राज्य के विकास का, उसकी संस्कृति का, उसकी परम्पराओं का एक आधार होता है,

जब उसको सरकार के द्वारा कोई प्राथमिकता ही नहीं है तो हम किस तरह के परिवर्तन की उम्मीद करें. इसलिए मैंने आपसे कहा कि कैलेण्डर बनाइए. पूरी शिक्षा को समयबद्ध करिए.

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देखो, आप बहुत चिंता के साथ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जो अराजकता है उसको ठीक करो. मैंने उस पर अपना रिसर्च वर्क कम्प्लीट किया है और मुझे चिंता है कि सरकार को आने वाले दिनों में बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा. दूसरी चीज जो आपने सेमेस्टर सिस्टम में एक सामान्य परिचय और विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए 15 नम्बर रखे हैं और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 50 नम्बर रखे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो 50 नम्बर का प्रोजेक्ट वर्क है, एक दुकान है पूरे विद्यार्थी वहीं से प्रोजेक्ट 1500 रुपए में बनाकर ले जाते हैं, हजारों प्रोजेक्ट शब्दशः एक जैसे हैं माननीय मंत्री जी, यह चिंता की बात है. यह आपके नॉलेज में होना चाहिए. पहले तो जो आदरणीय मंत्राणी जी थी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वे सदन में भी नहीं हैं. लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षा को इतनी लापरवाही से..

उपाध्यक्ष महोदय - मुकेश जी, क्या वह शब्द मंत्राणी होगा कि वह मंत्री ही कहा जाएगा?

श्री मुकेश नायक - चूंकि वे महिला हैं इसलिए मैंने आदर के साथ उनको..

उपाध्यक्ष महोदय -..मंत्री ही कहा जाएगा. मेरा ऐसा समझना है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - आपने ठीक किया, मैं आपसे सहमत हूं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - वह उच्च शिक्षा मंत्री नहीं थी, वह स्कूल शिक्षा मंत्री थीं.

श्री मुकेश नायक - उपाध्यक्ष महोदय, यह तो साधारण-सी बात है, मेरे कहने का उद्देश्य तो सब समझ ही गये कि मैं किसको कह रहा हूं. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा में कम्यूनिकेशन होना चाहिए, लेंग्वेज का यह अर्थ है. सारे लोग समझ गये कि मेरा इशारा किनकी तरफ है. बिल्कुल

साफ जाहिर है वह है. कौशल विकास की बात होती है. देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पर पंचायतें बुलाना शुरू कीं तो उन्होंने कहा कि हर जिले में स्किल डेवलपमेंट का एक केन्द्र खोलेंगे और प्लेसमेंट सेंटर बनाएंगे. लेकिन उन्होंने वह सेंटर नहीं खोला. उन्होंने 43 पंचायतें अपने बंगले पर बुलाईं. उन 43 पंचायतों में जो युवा पंचायत बुलाई छात्र पंचायत बुलाई, खिलाड़ियों की पंचायत बुलाई, उसमें किये गये वायदे उन्होंने पूरे नहीं किये. इसलिए माननीय मंत्री जी आप कृपा करके उन्होंने पंचायतों में शिक्षा से संबंधित जो बातें कहीं हैं आप उनका फिर असेसमेन्ट करें ,उसकी जानकारी लें और चूंकि आपके मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को वे आश्वासन दिए हैं , आप उस विभाग के मंत्री हैं ,इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके मुखिया को एम्बरेसमेन्ट (embarrassment) से बचाने के लिए जो उन तमाम चीजों को क्रियान्वित (implement) करें जो आपके नेता ने जनता की अदालत में और लोगों के बीच में कही हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख होता है कि जो विश्व विद्यालय का रिसर्च वर्क है और जो इनके यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेन्ट हैं उनकी आज इतनी बुरी हालत है . आपने ये किताब आज सदन के पटल पर रखी है, इसलिए मैं आपको संकेत करके ये बताता हूं कि इसमें कितने पद स्वीकृत हैं ,कितने पद भरे गए हैं. इनका जरा आप अवलोकन करें और दूसरी बात, आप गैर जरूरी शिक्षा का और अप्रासंगिक शिक्षा का इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं. आज मैने इसमें देखा कि सबसे ज्यादा प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर ऐसे विषयों के हैं जिनको पढ़ने वाले विद्यार्थियो को , बीस साल पहले जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं उनको तक नौकरी नहीं मिली. आब काहे को उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करवा रहे हैं इतना पैसा आप अप्रासंगिक शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं. इतना विस्तार कर रहे हैं, बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं. न उनमें समझ पैदा हो रही है और न उनको रोजगार मिल रहा है. 700 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक केवल पॉलिटिकल साईन्स में हैं , यह आपने इस किताब में लिखा है और सदन में यह बताते हुए बहुत अफसोस होता है कि

विश्व विद्यालयों में ऐसे भी विषय हैं जिनमें प्राध्यापक ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं. पांच प्राध्यापक हैं और पूरी फैकल्टी में दो बच्चों ने एडमिशन लिया है. तो आप ऐसे अलोकप्रिय विषयों पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं इसको आप रिलेवेन्ट एजुकेशन पर खर्च करें , एक ऐसी शिक्षा पर खर्च करें जिससे बच्चों में समझ पैदा हो,उनमें आत्म-निर्भरता आए और उनको रोजगार मिले. आप देखें कि आपके विश्व विद्यालयों के लायब्रेरीज के क्या हाल हैं. आपने अभी तर रिफरेन्स लायब्रेरीज नहीं बनाई. आपने ई-लायब्रेरी नहीं बनाई, आपने पुस्तकालयों का मेन्टेनेन्स ठीक से नहीं किया. आपने इसमें जो डिटेल टीचर्स के दिये हैं उसमें लायब्रेरी साईन्स के लगभग सभी पद खाली हैं. आप जोड़ तोड़ करके अपनी लायब्रेरियों में काम चला रहे हैं. प्राचार्यों के पद पूरे खाली हैं. आप देख लीजिए. आपने सदन के पटल पर यह पुस्तक रखी है. कितने वर्षों से आपने प्रोफेसर्स और लेक्चर्रस के प्रमोशन नहीं किए. बताईए आप, क्यों आप डी.पी.सी. नहीं बुलाते? और जो आपने प्रमोशन्स किए हैं वो भी मैं बता दूं कि पी.एस.सी. के माध्यम से आपने मध्यप्रदश में प्रोफेसर्स का चयन किया और क्या किया उसमें, पी.एस.सी. के रूल्स हैं कि कम से कम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव असि.प्रोफेसर को होना चाहिए. इन्होने परीक्षा में बिठाल दिए, दो-दो साल के जो प्रोफेसर्स थे वो सिलेक्ट हो गए और बीस बीस साल से जो असि.प्रोफेसर हैं जौ शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं , जिन्हें अनुभव है ,जो पी.एच.डी. हैं उनका सिलेक्शन पी.एस.सी. ने नहीं किया और आपको पता है कि अभी 8-10 दिन पहले नई दुनिया ने एक अखबार में 40 प्रोफेसर्स की लिस्ट लगाई थी और कहा था कि ये सब अनियमित तरीके से सिलेक्ट हुए हैं. आप उनकी जांच करिए कि दस साल का उनको अनुभव है क्या. वे पी.एच.डी. हैं क्या. वे शैक्षणिक अहर्ताएं पूरी करते हैं जो पी.एस.सी. ने मांगी हैं. उपाध्यक्ष जी,मैं, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ सबजेक्ट्स अगर हमारी सरकार शुरू कर सके तो जो पूरी दुनिया में शिक्षा का जो अनुभव मैने लिया है ,मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप एक कोर्स शुरू करिए. इन्टरनेशनल फूड सेल्स एंड कुकिंग, दूसरा –वायो इन्फरमेटिक्स, तीसरा-

जेनेटिक साईन्स , चौथा- इन्टरनेशनल माईनिंग एंड मार्केटिंग. आप एक कोर्स और लगाईए इन्टरनेशनल टूरिज्म का. आप अगर ये सबजेक्ट्स लगाते हैं और गवर्नर के यहां कोआर्डिनेशन कमेटी में इन सबजेक्ट्स के सिलेबस के कन्टेन्ट , उसकी रूपरेखा बना कर अगर रखते हैं और ये नये सबजेक्ट्स अगर विश्व विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल कराते हैं तो जीवन उपयोगी होंगे , जो पैसा लगाओगे वह सही दिशा में खर्च होगा और वहां से जो बच्चे पढ़ कर निकलेंगे वो पूरी दुनिया में काम करेंगे. मुझे ऐसा विश्वास है. मैने जो सुझाव दिए, मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षा मंत्री उस पर ध्यान देंगे. आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद.

श्री मानवेन्द्र सिंह-उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुकेश जी से पूछना चाहता हूं आपने ये जो अपने विचार दिए कि हिन्दी और अंग्रेजी कंपलसरी न रखें ,फारेस्ट टूरिस्ट के लिए. इसके लिए आपका क्या कहना है कि क्या उनकी लिंग्वल लेंगवेज ही रखी जाय ,क्योंकि फ्रेंच है, जर्मन है ..

श्री वेलसिंह भूरिया—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,ऐसा कोई कानून में प्रावधान है कि वरिष्ठ सदस्य बोलें तो ज्यादा समय और नया सदस्य बोले तो बहुत कम समय.

श्री मुकेश नायक--उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बहस है और सदन इसीलिए होता है कि इन सब विषयों पर बात करे और किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचे. माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है. एक सब्जेक्ट काम्बीनेशन होता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, पेपर्स होते हैं. जैसे अंडर ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलाजी, बाटनी सब्जेक्ट हैं, इसमें उन्होंने क्या किया है अभी कि हिंदी अनिवार्य कर दिया है. अब इन्टरनेश्नल लेवल पर जो फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के लोग जो हिन्दी नहीं लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, उनके लिए आधार पाठ्यक्रम जरूरी कर दिया है, अब वह कभी पास हो ही नहीं सकते तो हमारे यहां वह एडमिशन लेने आते ही नहीं है, यह विषय है. इसके लिए आधार पाठ्यक्रम को एक्जेम्प्ट करने की जरूरत है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर (मांधाता)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 44, 47 और 70 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. जब से मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा के प्रति दिया गया है. उच्च शिक्षा के प्रति ध्यान दिया है और पहले जब कालेज की बात आती थी तो कालेज बड़े बड़े शहरों में, जिला स्तर पर होते थे. वहां से ग्रामीण अंचलों के गरीब तबके को विद्यार्थी जिला स्तर पर पढ़ने नहीं जाते थे और शिक्षा से वंचित रह जाते थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उच्छ सिक्षा मंत्री जी ने 2003 के बाद, मैं सिर्फ दो साल के ही आंकड़े देता हूं कि पिछले दो साल में ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 46 नवीन महाविद्यालय खोले गए. यह पहली बार ऐसा हुआ है और इसके साथ ही महाविद्यालयों में 114 नए संकाए भी पूरे मध्यप्रदेश में प्रारंभ किए गए. जो 46 नए महाविद्यालय खोले गए हैं, वह ग्रामीण अंचलों में खोले गए हैं, उसमें मेरे यहां भी एक महाविद्यालय खोला गया है, ताकि हमारे गांव में रहने वाले बच्चे चाहे वह आदिवासी हों, चाहे एस.सी., एस.टी के हों, ओ.बी.सी. वर्ग के हों, गरीब तबके के हों, वह भी आज हायर सेकंडरी पास करके कम से कम कालेज में जाने के लिए जिद करते हैं और कालेज में जाकर एडमिशन लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—एक मिनट. माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लाबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करे.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बेटी है तो कल है, साथ ही छात्राओं के लिए भी शिवराज सिंह चौहान जी ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बेटियों को पढ़ाने के लिए भी उनको सुख सुविधाएं दीं, ताकि वह बेटी भी कालेज में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके. जब बेटी 12 वीं पास होगी, 85 परसेन्ट लाएगी, तो उसको

लेपटाप देने की सुविधा शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है, परंतु जब उच्च शिक्षा में आएगी, गांव की बेटी होगी, जब वह गांव की बेटी कालेज में पढ़ने जाएगी तो गांव की बेटी योजना के तहत उसको 5 हजार रूपए प्रतिवर्ष और अगर वह चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वह जाएगी तो उसको साढ़े सात हजार रूपया प्रतिवर्ष प्रोत्साहित छात्रवृत्ति उसको दी जाएगी. ऐसी अनेक योजनाएं हैं, उसमें एक प्रतिभा किरण योजना है, उसमें छात्राओं के आवागमन की सुविधा भी दी गई है. एस.सी.,एस.टी. की बेटियों के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रूपए और स्टेश्नरी के लिए 500 रूपए की सुविधा भी दी गई है. विक्रमादित्य योजना है, असहाय विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना है और ऐसी अनेक योजनाएं उच्च शिक्षा में भी इस सरकार ने बनाई हैं. यह कहना गलत है कि शिक्षा प्राथमिकता में नहीं है. अगर शिक्षा प्राथमिकता में नहीं होती तो फिर इतने सारे कालेज जो ग्रामीण अंचलों में खोले गए वह नहीं खुलते, इसका मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, माननीय उमाशंकर गुप्ता जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधाएं लगातार दी जी रही हैं. मेरा निवेदन है कि जो मेरे यहां डिग्री कालेज है, उस कालेज में एक वाणिज्य संकाय शुरू करने की आवश्यकता है, चूंकि मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इन्दिरा सागर परियोजना है, जहां पर थर्मल पावर है, जहां 600, 1200 मेगावट बिजली का उत्पादन होगा,क्षेत्र के लोग भी रहेंगे और जो अधिकारी और कर्मचारी वहां आएंगे, वह भी अपने बेटे, बेटियों को उसी डिग्री कालेज में पढ़ाएंगे, इसलिए वहां वाणिज्य संकाय की जरूरत है. वहां पर भवन की भी जरूरत है, अभी भवन के बिना वह कालेज 4-5 कमरों में लग रहा है, भवन की राशि बीच में स्वीकृत हुई थी, फिर पता नहीं उसका क्या हुआ. वहां भवन भी स्वीकृत करा दिया जाय. दूसरा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं उसका क्या हुआ. वहां भवन भी स्वीकृत करा दिया जाय. दूसरा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने लगातार हर व्यक्ति को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर प्राप्त हों, वह धंधा कर सके, इसके लिए आई.टी.आई., पालीटेक्निक कालेज और इंजीनियरिंग कालेज भी खोलें. पहले यह

सब शहरों में होते थे, परंतु अब ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान देने वाली अगर कोई सरकार देश की आजादी के बाद आई है, वह सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी.आई. खोलना चालू किया है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले दिनों आई.टी.आई. खोला गया. अब कौशल विकास केन्द्र हर ब्लाक मुख्यालय पर खोलने का निर्णय लिया है और 319 में से 135 कौशल विकास केन्द्र अभी खोल दिए गए हैं. वह भी राज्य सरकार के पैसों से खोले गए हैं. यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. सरकार की मंशा है, नीयत है, लक्ष्य है, इच्छा शक्ति है कि हर नौजवान को रोजगार का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए उनको तकनीकी शिक्षा दी जाना चाहिए. इसके लिए एकलव्य पालीटेक्निक कालेज हरसूद में 2014-15 में चालू होने वाला है. अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक कालेज विदिशा जिले में स्वीकृत हो रहा है. इसलिए सरकार की मंशा स्पष्ट है. यह कहना गलत है कि सरकार नहीं चाहती है. अब सरकार तो चाहती है कि गांवों में जो प्रतिभाएं हैं, जो बुद्धिजीवी पढ़ना चाहते हैं, हाथठेला वाल है, अगर उसका बच्चा भी पढ़ना चाहता है तो वह अपने क्षेत्र में वह सुविधाएं लेने की पात्रता में आ गया है. सरकार यह काम करने जा रही है. मेरा निवेदन है कि मेरे यहां नर्मदा नगर में एक आई.टी.आई. है, ओंकारेश्वर परियोजना भी मेरे यहां आती है, इन्दिरा सागर परियोजना भी मेरे क्षेत्र में आती है. वहां नर्मदा नगर में आई.टी.आई. है, वह आई.टी.आई. आरक्षित कर दिया गया है कि वहां पर सिर्फ डूब क्षेत्र के बच्चों को ही शिक्षा दी जाएगी. मेरा निवेदन है कि इसको विस्तृत करके हमारे यहां थर्मल पावर बना है, सर सिंहाजी थर्मल पावर जिससो 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, 600 मेगावाट का उत्पादन चालू हो गया है और सेकंड फेज में फिर 1350 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा, इसमें 8 गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं. मेरा तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो इन 8 गांवों के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको भी थर्मल पावर से विस्थापित मान कर उनको नर्मदा नगर में सीधे सीधे आरक्षण कर दिया जाय तो वहां के बच्चे भी आई.टी.आई. का प्रशिक्षण प्राप्त कर

लेंगे, पढ़ लेंगे. यही मेरा निवेदन है. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिहावल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं अपने सीधी जिला और सिंगरौली जिला क्योंकि मेरा क्षेत्र दो जिलों में क्षेत्रफल के आधार पर आधारित है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो वर्तमान में स्थिति है. सीधी जिला मुख्यालय में विधि संकाय संचालित था और विगत 2-3 वर्ष पहले वह बंद कर दिया गया. जिसके आदेश दोबारा शासन से हुए, परंतु अभी संचालित नहीं हो पाया है और संचालित करने के लिए प्राध्यापक और जो भी व्यवस्थाएं चाहिए, उसकी भी व्यवस्था नहीं की गई है. सीधी जिला मुख्यालय का जो विधि संकाय बंद कर दिया गया और सीधी, सिंगरौली जिले में मिलाकर एक ही विधि संकाय वहां संचालित था, जब माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने चालू किया था और वहां काफी बड़ा भवन भी बनकर तैयार हो गया है और जो हमारे सीधी जिला मुख्यालय में कोर्सेस चल रहे हैं उनके लिए जो आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है टेबिल,कुर्सी या अन्य लेब के लिए उसका भी अभाव है तो निवेदन है कि जिला मुख्यालय का महाविद्यालय है उसका प्रावधान करेंगे. हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिंहावल का ब्लाक मुख्यालय है वहां पर जो महाविद्यालय संचालित है वहां पर दो प्राध्यापक है , एक सहायक प्राध्यापक वह भी एडहॉक पर है, प्राचार्य भी नहीं है, प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है और भवन भी जर्जर है तो वहां पर मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो भवन की व्यवस्था हो जाए और महाविद्यालय को संचालित करने के लिए विषयवार प्राध्यापक मिल जाए और वहां प्रभारी प्रार्चाय की जगह पूर्णकालिक प्राचार्य मिल जाए. हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक देवसल मुख्यालय है जो सिंगरौली जिले में आता है, वहां पर यह स्थिति है कि छात्राओं के लिए बाथरुम तक नहीं है और भवन टपकता है, दो तीन कमरों में ही संचालित है तो वहां पर भी मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर भी वही स्थिति है कि

सहायक प्राध्यापकों से काम चलाया जा रहा है,अतिथि विद्वानों से काम चलाया जा रहा है उसमें से भी दो लोग आते हैं, दो लोग आते भी नहीं हैं, उनकी भी सेलेरी निकल रही है और प्रभारी प्राचार्य वहां पर भी है तो मंत्री जी से निवेदन है कि इस व्यवस्था को बनाये क्योंकि इसी तरह की स्थिति पूरे मध्यप्रदेश की है. रीवा संभाग में तो हम लगभग जहां जहां भी जिनसे भी चर्चा की, सभी जगह इसी प्रकार की स्थिति है.हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बहरी तहसील है और उसके आसपास 25 किलोमीटर के सराउंडिंग में कोई महाविद्यालय नहीं है. वहरी में अगर महाविद्यालय खुलता है,आदिवासी अंचल से लगा हुआ है, तहसील तो सरकार ने बना दी पर अगर वहां महाविद्यालय भी हो जाएगा तो वहां की छात्र-छात्राओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनको शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा. साथ ही जो कौशल विकास केन्द्र खोले गए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी आवश्यकता है अगर बहरी या सिंहावल जहां भी माननीय मंत्री जी उचित समझें क्योंकि शासन की नीति में भी है ब्लाक मुख्यालयों में कौशल विकास केन्द्र खोले जाने हैं, तो अगर उसके लिए बजट में प्रावधान करेंगे तो अच्छा रहेगा,यह हमारा निवेदन है. बाकी कौशल विकास केन्द्र के बारे में हमारे माननीय साथी बोल रहे थे तो मध्यप्रदेश सरकार ने शुरु किया पर सच बात यह है कि यूपीए की जब सरकार थी, माननीय मनमोहनसिंह जी केन्द्र में प्रधानमंत्री थे, उस समय यह कौशल विकास केन्द्र पूरे भारत देश में संचालित हुआ और सभी ब्लाक मुख्यालयों में खोलने के लिए प्रावधान रखा गया जिसको मध्यप्रदेश सरकार ने भी संचालित किया पर स्थिति यह है कि भवन नहीं है जहां भी कौशल विकास केन्द्र संचालित हो रहे हैं वहां पर स्थिति यह है कि भवनविहीन हैं, जो एक कालेज को चलाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएँ चाहिएं उस तरह की व्यवस्थाओँ का अभाव है.

श्री मनोज पटेल—कमलेश्वरजी, भारत सरकार ने ही करवाये थे तो सारे भवन भी ले आते. वही तो चूक गए.

श्री कमलेश्वर पटेल—मनोज जी, यह तो संवैधानिक व्यवस्था है कि कुछ काम केन्द्र का है तो कुछ प्रदेश का है और संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में ही रह के काम करना पड़ेगा.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूरे मध्यप्रदेश के छात्रों से जुड़ा हुआ है, पूर्व में जो मध्यप्रदेश शासन की तरफ से छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी उसमें काफी कमी कर दी गई है जिसकी वजह से कई ऐसे छात्र छात्राएँ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जो कालेज छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं. उच्च् शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जो छात्रवृत्ति पहले मिलती थी उसको यथावत रखें. आपने बोलने का अवसर दिया,धन्यवाद.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मेरा निवेदन यह था कि कमलेश्वर जी कॉलेज ही नहीं गये और वह कॉलेज के सारे सुझाव देते चले गये.

श्री कमलेश्वर पटेल--- लॉ ग्रेजुएट हूं.

श्री मुरलीधर पाटीदार(सुसनेर)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो मांग संख्या 44,47 और 70 के बारे में यहाँ पर जो बजट रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कई उपलब्धियाँ हैं लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि कभी किसी सरकार ने सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की कभी योजना ही नहीं बनाई है केवल शिवराज जी की सरकार ने सामान्य छात्र जो 60 परसेंट से ज्यादा अंक लाते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की है , इसके लिए निश्चित रूप से पूरे सदन को उनको धन्यवाद देना चाहिये. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के ट्रेनिंग सेंटर जो पहले 2700 थे उनको मात्र दो वर्ष में बढ़ाकर 39900 कर दिया गया है. यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है. माननीय मंत्री जी को हम इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं. आने वाले समय में यह ट्रेनिंग सेंटर 40000 करने का लक्ष्य रखा गया है. आईटीआई तो खुले

ही हैं लेकिन जैसी की समय की माँग है उसमें नये ट्रेड्स खोले जाने की आवश्यकता है जैसे एनीमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट खोला जाना आवश्यक है. आजकल मीडिया के माध्यम से डिमांड भी होती है कि ट्रेडीशनल कोर्स के बजाय नये कोर्सेस को बढ़ावा दे औऱ सरकार नये ट्रेड शुरु कर रही है यह भी अपने आप में आऩे वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा. आर्किटैक्चर के भी कोर्सेस शुरु किये गये हैं औऱ दो वर्ष का एक एसोसिएट डिग्री कोर्स प्रारंभ किया गया है , जिसमें जो छात्र पूरी डिग्री नहीं ले पाते हैं वह कम से कम तात्कालिक रूप से एक डिग्री लेकर अपना कारोबार शुरु कर सकते हैं. पिछली सरकार जो अभी निरतंर जारी है , उसके द्वारा सेमेस्टर चलाया गया था जो कि अभी भी चल रहा है, उसकी मुकेश नायक जी ने आलोचना करी है , मैं उनकी बात से आधा सहमत हूं. सेमेस्टर सिस्टम मैं इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं. इतने सारे कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम लागू करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी. मैं खुद सेमेस्टर से पढ़ा हूं. मैंने डिग्री तक एन्युअल कोर्सेस करे हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर सिस्टम से किया है. सेमेस्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि छात्र बारहों महीने उस सिलेबस कंटेंट के संपर्क में रहता है, उसके टेस्ट चलते हैं, इंटरनल असेसमेंट होता है, उसका सेमिनार होता है औऱ साल भर में दो बार उसको एक्जाम देना पड़ता है. एन्युअल एक्जाम में क्या होता है कि टवेन्टी क्वेश्चन मार्केट से लाया औऱ एक दो माह में वह क्वेश्चन तैयार कर के पढ़ता रहता था . सेमेस्टर सिस्टम का उल्लेख मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि मैंने कहीं सुना है कि सेमेस्टर बंद किया जाये. मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको और बढ़ावा दिया जाये .

श्री मुकेश नायक--- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सेमेस्टर बंद करने के लिए नहीं कहा है .

श्री मुरलीधर पाटीदार--- मैं खुद इसके पहले स्कूल में पढ़ाता था और बच्चे निश्चित तौर पर आते थे और सील लगवा लेते थे कि अरे, सर आप बोल दो सील लगा दे इस पर . यह बात सही है कि उसके प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं कमी है. यदि उसकी मॉनीटरिंग ढंग से होगी तो उसमें और अच्छा

रिजल्ट आएगा. एक आज की डिमांड है कि वास्तव में डिग्री कालेजेस में आर्ट पढ़ाने का, आर्ट में कई ऐसे भी संकाय हैं उसमें नये नये क्राप डिजाइन वगैरह इनके कोर्सेस चला सकते हैं लेकिन एक सामान्य सोशल साइंस सब जगह चल रहा है. आगर कॉलेज 1967 से चल रहा है इसमें अभी तक किसी भी छात्र ने अंग्रेजी साहित्य में बीए नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर यह विषय खोला ही नहीं गया और न ही किसी का ध्यान गया. जो ट्रेडीशनल कोर्स चल रहा है वो ही वहाँ पर चल रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि ट्रेडीशनल कोर्सेस की जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर वह बंद हो जाना चाहिए . दूसरा मेरा कहना है कि पुराने दिग्विजय सिंह के जमाने में बहुत ही बेकार फैसला लिया था कि जिसके विषय में मैं बार बार सोचता हूं कि सारे कॉलेजों में भर्ती बंद कर दी. माननीय विक्रम वर्मा जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे उसके बाद जनरल कैटेगरी की भर्ती ही नहीं हुई. उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 1993 में एमफिल किया, इस आशा के साथ एमफिल किया था कि कॉलेज में नौकरी करेंगे. लेकिन उसके बाद से आज तक जनरल कैटेगरी की व्हैकेंसी ही नहीं निकली, तो मेरे बैच के 25 साल की पूरी की पूरी बैच, अभी तक इंतजार कर रही. अब तो खैर वे सब ओव्हर एज हो चुके हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप तो विधायक बन गए.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए यह व्यवस्था सुधरे और जिन कोर्सेस की उपयोगिता नहीं है उनको हम फर्स्ट ईयर से ही बंद कर दें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे कॉलेज में आते हैं..(व्यवधान)..ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 12 वीं पास करते हैं, उनमें इतना विवेक नहीं होता है, इतनी जागरूकता नहीं होती है कि उन्हें क्या करना है. पुरानी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खोल दिए कि जितने नेता थे, सबके खुलवा दिए, उसमें कमलेश्वर जी भी शामिल हैं और कमलेश्वर जी अभी बता रहे थे कि छात्रवृत्ति कम कर दी, छात्रवृत्ति कम नहीं की है, छात्रवत्ति

तो बढ़ गई है और अगर आपको कम लगती है तो अपने कॉलेज में फ्री में पढ़ाओ बच्चों को... (व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल—हम तो जो कर सकते हैं वह तो हम कर ही रहे हैं पर सरकार.. (व्यवधान)..हमारे पास आँकड़ा है, कम की है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- मुरली भाई, आपके कहने से कमलेश्वर जी सदन में कोई घोषणा नहीं करेंगे.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- उपाध्यक्ष जी, उसके कारण से सारे कॉलेज खुल गए गाँव के 12 वीं पास बच्चे आते हैं और सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उनका एक का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है और प्रायवेट कॉलेज वाले छात्रों से इतनी मोटी फीस वसूलते हैं और वे डिग्री करने के बाद घर में बैठे हुए हैं क्योंकि प्रायवेट कॉलेज वाले वह डिग्री उस क्वालिटी की नहीं दे रहे हैं इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि प्रायवेट कॉलेजेस पर लगाम हो, इनकी क्वालिटी और ये जो ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए. सीधे-सादे बच्चों का निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं शोषण हो रहा है. इस उच्च शिक्षा में सबसे जरूरी सुधारने की कोई चीज है तो यह है. मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ....

उपाध्यक्ष महोदय-- आप अपने क्षेत्र के सुझाव दे दें.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- आखरी में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो कॉलेज हैं, नये नये कॉलेज खुले हैं,ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक में आर्ट्स फैकल्टी और साइंस है, जिसमें एक भी प्रोफेसर नहीं है और नलखेड़ा कॉलेज, जिसमें साइंस नहीं है, मेरा निवेदन है कि उसमें भले ही आर्ट्स बंद कर दें. लेकिन साइंस फैकल्टी जरूर चालू करें क्योंकि साइंस ही आगे चलकर कहीं न कहीं अच्छी जगह ले जाएगी मेरे यहाँ पर पोलिटेक्निक कॉलेज जरूर खोला जाए, ऐसा मैं मंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- धन्यवाद, मुरलीधर जी.

श्री रामलल्लू वैश्य(सिंगरौली)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 44, 47 एवं 70 के समर्थन में बोलना चाह रहा हूँ. चूँकि मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से मैं निरंतर उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के हर जिले और विकासखंडों में निश्चित रूप से विद्यालयों का, चाहे वह पोलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कौशल विकास हो, कन्या महाविद्यालय हो, सभी तरह के, निश्चित रूप से जहाँ आवश्यकताएँ हुई हैं, वहाँ खोले गए हैं इसके लिए मैं माननीय तकनीकी मंत्री महोदय को भी बधाई देता हूँ कि आज मुझे आप सबने बोलने का एक अवसर दिया है. मैं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध नहीं है ग्रामीण युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से 133 अनसर्विस्ड विकासखंडों में एक एक कौशल विकास केन्द्र से प्रारंभ किए गए हैं. विगत 2 वर्षों में इन केन्द्रों में प्रशिक्षण की क्षमता 2700 से बढ़ाकर 39900 की गई है. वित्तीय वर्ष 2014-15 का लक्ष्य 40000 रखा गया है. अभी तक कुल 4625 प्रशिक्षित हो चुके हैं. राज्य सरकार लगातार रोजगार बढ़ाने के अवसरों की वृद्धि के लिए नित नये प्रयास कर रही है. राज्य सरकार की यह योजना भी है कि शेष 200 विकासखंडों में निजी निवेश से कौशल विकास केन्द्र खोले जाएँ. इसके लिये तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की नीति यथा परिवर्तन कर रही है. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भारत सरकार के आग्रह पर समस्त 313 विकासखंडों में कौशल विकास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव भेजा था परन्तु केन्द्र से सहायता एवं स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से 135 केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य अनसर्विस्ड विकासखंडों को प्राथमिकता दी गई है.

उपाध्यक्ष महोदय, कौशल विकास केन्द्रों में संचालित प्रशिक्षण पूर्णत: निशुल्क है. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दी जा रही है—

90 घंटे तक 250 रुपये

91 से 180 घंटे तक 500 रुपये

181 से 270 घंटे तक 750 रुपये

270 घंटे से अधिक 1000 रुपये.

राज्य कौशल विकास मिशन के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी स्थानीय मांग एवं आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास केन्द्रों में मॉडयूल्स के चिन्हांकन एवं संचालन में महती भूमिका है.

प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सराहनीय कार्य किया जा रहा है. राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन को गति देने के लिये मिशन की साधिकार समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है वर्तमान में राज्य शासन के 25 प्रशासनिक विभाग कौशल विकास के कार्य प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों तथा शहरों में कर रहे हैं. प्रत्येक विभाग को एक वार्षिक लक्ष्य दिया गया है. एमईएस योजनान्तर्गत पिछले वर्ष 1.83 लाख व्यक्तियों का प्रशिक्षण कराया गया जो राष्ट्र में सर्वाधिक है. एमपीसीवेट के अंतर्गत पंजीकृत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर की संख्या पूर्व वर्ष में 560 से बढ़कर 2028 हो गई है.

राज्य शासन द्वारा कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र मानते हुए नवीन आईटीआई की स्थापना की है. वर्ष 2003 में जहां शासकीय आईटीआई की संख्या 151 एवं प्रायवेट आईटीआई की संख्या 26 थी, जो वर्ष 2014 में बढ़कर क्रमश: 187 एवं 224 हो गई है. विभाग का

क्राफ्ट्समेन ट्रेनिंग स्कीम के तहत बजट वर्ष 2003 की तुलना में आठ गुना बढ़कर रुपये 294.58 करोड़ हो गया है.

उपाध्यक्ष महोदय—आप अपने क्षेत्र के लिये सुझाव दें.

श्री रामलल्लू वैश्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली जिले में जिला गठन के बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 कन्या महाविद्यालय संचालित हैं और उसके लिये भूमि भी आवंटित, आरक्षित हो चुकी है विद्यालय भवन बनवाये जायें. सभी विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य हैं मैं चाहूंगा कि उनकी भर्तियां हों और प्राचार्यों की पदस्थापना हो ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आये और छात्र पढ़ लिखकर ऊंचाइयों तक जा सकें. माढ़ा में भी 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महाविद्यालय की घोषणा की है और सिंगरौली में जहां औद्योगिक परियोजना है कोल फील्ड विद्युत परियोजना है वहां माइनिंग इंजीनियरिंग के लिये 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा हुई है मैं चाहूंगा कि इसके लिये पहल हो और आने वाले अगले साल में वहां माइनिंग इंजीनियरिंग की स्थापना हो और खुले. आप सभी का सहयोग चाहिये क्योंकि वहां से ऊर्जा और कोयला से मध्यप्रदेश को 28 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक आय है इसलिये उस क्षेत्र के विद्यार्थी आप देखेंगे कि इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर आदि जिलों में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिये आते हैं इसलिये हम माननीय मंत्रीजी से आग्रह करते हैं कि प्रदेश में जिस गति से विकास सिंगरौली में जिस गति से काम हो रहा है चाहे विद्युत की आपूर्ति हो, चाहे रिलायंस पावर हो, चाहे जे.पी.पावर हो, चाहे हिंडाल्को हो, तमाम परियोजनाएं शहर में आने के बाद हमको आज चौबीस घंटे जो बिजली मिल रही है वह सिंगरौली की ही देन है. इसलिये जिस तरह से प्रदेश उजाले में है उसी तरह सिंगरौली की बच्चों के भविष्य का ध्यान उजाले को रखकर हो और वहां विद्यालयों का संचालन हो यही आग्रह मैं मंत्री जी से करूंगा.आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्रीमती ऊषा चौधरी(रैगांव) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी कि सतना जिले में वेंकट नंबर-1 स्कूल में अनुसूचित जाति,जनजाति के 80 प्रतिशत नंबर लाने वाले बच्चों का एडमीशन नहीं हो पा रहा है. उनसे कहा जा रहा है कि विधायक का लेटर लेकर आईये और कलेक्टर से अनुमोदन कराकर लाईये तब हम एडमीशन करेंगे. बच्चे भटक रहे हैं. दूसरी बात यह है कि मेरे रैगांव विधान सभा क्षेत्र 150 कि.मी. के अंदर बसा हुआ है. उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जंगली और ट्रायवल ऐरिया है. हमारे रैगांव में उच्च शिक्षा के लिये कालेज नहीं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से और रोजगार के अभाव में जब वहां से बच्चे सतना पढ़ने आते हैं तो बस में 5 रुपये 10 रुपये रोज का किराया लगता है. ट्रायवल क्षेत्र होने और रोजगार न होने के कारण उन्हें 5 रुपये 10 भी बड़ा मुश्किल लगता है इसलिये शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है. वहां की बच्चियां दसवीं, बारहवीं से आगे नहीं पढ़ पा रही हैं. सिंहपुर में एक कालेज खुलवाया जाए और रैगांव में एक तकनीकी शिक्षा के लिये आई.टी.आई. खोल दिया जाए तो वहां के बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री रामपाल सिंह(ब्योहारी) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्योहारी विधान सभा क्षेत्र के पूर्वी अंचल में संपूर्ण क्षेत्र ट्रायवल लोगों का है. संपूर्ण रूप से आदिवासी वहां निवासरत् हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता हुआ है. चूंकि वहां से ब्योहारी एवं जयसिंह नगर जहां महाविद्यालय संचालित है. 50 कि.मी. से अधिक की दूरी तय करना पड़ता है. बच्चों को किसी तरह से आदिवासी शहरों में रखकर पढ़ा लेते हैं लेकिन बच्चियों को पढ़ाने में उन्हें दिक्कत होती है. माननीय मुख्यमंत्री जी भी वनवासी यात्रा के दौरान हमारे ग्राम-बनसुकली में उनका कार्यक्रम भी था. छात्र-छात्राओं एवं वहां के गणमान्य नागरिकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से महाविद्यालय की मांग के संबंध में अपनी बात रखी थी. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बनसुकली में महाविद्यालय की स्थापना अगर कर दी जाय तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का

चूंकि वहां पर 12 हायर सेकेंड्री और हाईस्कूल हैं जो टोटल बनसुकली के आसपास 30 कि.मी. के रेंज से छूती हुए हैं. दूसरा मेरा निवेदन है कि ब्योहारी में जो महाविद्यालय है चूंकि महाविद्यालय के सामने बसस्टैंड लगा हुआ है और वहां गाड़ियों का आवागमन बना रहता है और वहां पर काफी व्यवधान होता है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर बसस्टेन्ड को स्थानान्तरित कर उस महाविद्यालय को इन व्यवधानों से बचाया जाय, ऐसी व्यवस्था की जाय. तीसरी बात मैं यह चाहता हूं कि वनसुखली, जयसिंह नगर, ब्यौहारी, देवलोंग, बाणसागर, बुड़वाह से लेकर कहीं पर आईटीआई नहीं है ब्यौहारी से अगर शहडोल जायं अथवा रीवा जायं तो मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यौहारी में आईटीआई खोल दिया जाय, यह बहुत ही महत्ती कृपा होगी तथा उस क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. दूसरा एक पपोन्द एरिया है जिसकी ब्यौहारी से दूरी 40 किलोमीटर है उधर विजयस्रोता से लगा हुआ है उधर डूब क्षेत्र आ जाता है वहां पर भी महाविद्यालय की स्थापना होगी तो बड़ा अच्छा होगा. आपने बोलने का अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दिनेश राय "मुनमुन" (सिवनी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इन विगत् 10 वर्षों में कुछ घोषणाएं की गई थीं उन योजनाओं को जोड़कर तथा प्रावधानों में लेकर हमारे यहां पर पॉलिटेक्निक कालेज है, उसकी बिल्डिंग है वहां पर इंजीनियरिंग कालेज की एक शाखा खोलना है, उसके लिये आपसे निवेदन करता हूं. इसी प्रकार मेडिकल कालेज की भी बात आयी थी अब इसमें आता है कि नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई प्रावधान हो सके तो अच्छा होगा. कृषि केन्द्र हमारे यहां काफी बड़ा है और कृषि कालेज के लिये भी आपसे निवेदन करता हूं वहां भी यह शाखा खोलने की कृपा करें. बीएड केन्द्र हमारे यहां पर सिर्फ एक है जिले में अधिकांश पढ़ाई-लिखाई करने वाले टीचरों को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जिला पिछड़ा जिला है वहां पर

बीएड की शाखाएं खोल दी जायं तो जिले के ही लोग जिले में ही ट्रेनिंग ले सकें, उन्हें दूसरे जिले में न जाना पड़े. आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद.

श्री इन्द्रसिंह परमार (कालापीपल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 44, 47 एवं 70 का समर्थन करता हूं, कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. मध्यप्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम किये हैं आज पूरे मध्यप्रदेश में लगभग हर जिले, तहसील में महाविद्यालयों की स्थापना है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ समाज की भी सहभागिता आज मध्यप्रदेश में बढ़ रही है इसलिये जो संस्थाएं शासन से अनुदान प्राप्त करके महाविद्यालय चला रहे हैं और जो बगैर अनुदान के चल रहे हैं ऐसे महाविद्यालयों की काफी बड़ी संख्या है. एक प्रकार से शिक्षा के लिये बड़े केम्पस उपलब्ध हैं, अच्छा वातावरण है, लेकिन एक समस्या जो आगे आने वाले समय में दिख रही है कि कहीं शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो जाय इसलिये कि जो अशासकीय महाविद्यालय हैं जो अनुदान प्राप्त करके न तो संचालित होते हैं ऐसे महाविद्यालयों पर फीस कंट्रोल की व्यवस्था की ओर विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है और हम सबकी चिन्ता का विषय है. मध्यप्रदेश सरकार ने दो प्रकार के क्षेत्र में एक तो गुणवत्ता को लेकर और एक प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है एक प्रकार से जब 12 वीं तक विद्यार्थी पढ़ता है और 12 वीं के बाद में एक स्थिति ऐसी बनती है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होता है. अनुसूचित जाति ,जनजाति के छात्रों के साथ में सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिये भी शिक्षण शुल्क में एक प्रकार से राहत प्रदान करके यह उल्लेखनीय कार्य किया है. आज सामान्य वर्ग का छात्र भी जिसके परिवार के लोग उसको खर्चा नहीं दे सकते हैं, उसके लिये सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है. माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि पूरे मध्यप्रदेश में सब दूर से ऐसी मांग है कि कहीं प्राचार्य के पद खाली हैं, कहीं प्राध्यापक के,

कहीं सहायक प्राध्यापकों के, तो मैं सोचता हूं कि सरकार की ओर से इनको भरने की प्रक्रिया पूरी की जाये, लेकिन उससे पहले अतिथि शिक्षक पढ़ाने के लिये सरकार प्रति वर्ष विज्ञप्ति जारी करती है वह इतना लेट हो जाते हैं कि जुलाई का महीना पूरा निकल जाता है और कई बार अगस्त तक चलते रहता है, फिर एक महीना बढ़ाया इतनी अनिश्चितता की स्थिति रहती है, उसको समय के पहले या तो प्रति वर्ष कर लिया जाये, या समय के पहले निर्देश जारी हो जाये कि उनको रेगुलर कर लें, ताकि शैक्षणिक वातावरण जुलाई के महीने से ही कैंपस में बन जाये. मैं इसके साथ-साथ जो जनभागीदारी समितियां हैं, उन जनभागीदारी समितियों को ज्यादा सक्षम बनाया जाये, ताकि अपने जो कालेज के कैंपस हैं, परिसर हैं उनको विकसित करने में उन जनभागीदारी समितियों का योगदान बने, पूरे जनसहयोग से भी वहां कुछ विकास कार्य करा सके, इसलिये जनभागीदारी समितियों की भूमिका को और प्रभावी बनाने की आज आवश्यकता है. एक और बात है, हम सब लोगों के समय से महाविद्यालयों में जो छात्रसंघ चुनाव होते थे, छात्रसंघ चुनाव को शासन ने इस आधार पर पहले उनके नियमों में परिवर्तन किये और प्रत्यक्ष प्रणाली से जो छात्रसंघ चुनाव होते थे, उनको एक प्रकार से बंद करके समितियां बना-बनाकर छात्रसंघ चुनाव नहीं कराये गये, काफी समय तक ऐसा चला, आज वर्तमान समय में छात्रसंघ चुनाव पूर्ण रूप से बंद है. मैं सोचता हूं कि छात्रसंघ चुनाव होना चाहिये और प्रत्यक्ष प्रणाली से ही छात्रसंघ चुनाव किये जाने चाहिये. छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण से कालेज कैंपस केवल दो प्रकार की गतिविधियों के केन्द्र बन गये हैं. या तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और सेमेस्टर सिस्टम होने के कारण से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो फुरसत रहती नहीं और वे लगे रहते हैं, परंतु बाकी जो लोग हैं, जिनको पढ़ना नहीं है वह कैंपस से बाहर एक वातावरण बिगाड़ने का काम ही करते हैं, रचनात्मक दृष्टि से कालेज कैंपस के लिये एक-दूसरे का सहयोग करके कोई काम किया जा सकता है, समाज में सामाजिक काम किया जा सकता है, कैंपस को सुधारने का काम किया जा सकता है. ऐसे जो कार्य हैं, वह छात्रसंघ के

माध्यम से संचालित किये जा सकते थे, आज उनका लगभग अभाव है. एक तो वह छात्र हैं, जो केवल पढ़ने-लिखने तक किताब तक अपने को केन्द्रित रखता है और एक वह छात्र है जिसको कैंपस से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिये छात्रसंघ चुनाव आज कराने की पुन: आवश्यकता है और प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की आवश्यकता है . माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं मेरे बीच में हमारे शुजालपुर विधान सभा के माननीय विधायक हाड़ा जी हैं, आप भी उस शुजालपुर कालेज में पढ़े हैं और मैं भी वहां पर पढ़ा हूं, मैं वहां की जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष रहा हूं और उस कालेज की कुछ प्राब्लम्स हैं, लंबे समय से जब शुजालपुर कालेज प्रायवेट चलता था और जब 71 में वह शासकीय हुआ, उसके पहले से वहां पर ला की कक्षायें चल रही हैं.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा--इन्दर सिंह जी, वहां माननीय मंत्री जी ने भी एक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया था.

श्री इन्दर सिंह परमार--हां, माननीय मंत्री जी वहां उस कालेज कैंपस में आ चुके हैं. वहां पर ला कालेज चलता था, उसके बाद में जनभागीदारी समिति से लॉ की सारी क्लासेज चल रही हैं लेकिन अभी जो सारा सिस्टम चेंज हो रहा है कि एक जिले में केवल एक कालेज, शुजालपुर के आसपास 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर महाविद्यालय चलते हैं. पोलायकला, अकोदिया, कालापीपल और शुजालपुर. प्रायवेट और गवर्नमेंट के सब मिलाकर 10-12 कालेज ऐसे चलते हैं, उससे ला में पढ़ने वाले छात्र न तो शाजापुर जा पायेंगे, न उज्जैन जा पायेंगे. इसलिये लॉ की जो आज भी कक्षायें चल रही हैं उनको निरन्तर वहां रखी जानी चाहिये. उनको वहां पर स्थाई मान्यता है. लेकिन यदि कालेज खोलने की भी शासन की जो कुछ शर्त है, उसके अनुसार वह खोला जाता है, तो वहां बिल्डिंग अलग है. पुराना जो हमारा कालेज का भवन है, वह सेफ है, वहां कालेज की नई बिल्डिंग बन चुकी है और पुराने केम्पस का भी रख रखाव काफी अच्छा है. इसलिये मंत्री जी

मेरा आग्रह है कि उसको लॉ कालेज की मान्यता देकर के उसको यथावत वहां पर रखा जाना चाहिये. पोलायकला में कालेज पहले चालू हो गया था, मुख्यमंत्री जी ने कालेज बिल्डिंग की घोषणा की थी. लम्बा समय हो गया है, यदि उसका निर्माण हो जाता तो आज तक पूर्ण हो जाता. शायद राशि आवंटित हो चुकी है, लेकिन 2-3 साल से उसमें कोई काम नहीं हुआ है. इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करता हूं. शुजालपुर कालेज में एक तो बाउंड्रीवाल अधूरी है, पहले 42 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, क्योंकि उसका सीमांकन नहीं हुआ था, जगह बहुत निकली वहां पर, इसलिये बाऊंड्रीवाल पूरा करने के लिये 12-13 लाख रुपये का एस्टीमेंट कुछ आया है. इसी तरह से मंत्री जी से प्रयोगशाला भवन के लिये और महिला छात्रावास के लिये निवेदन है. ..

उपाध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री इन्दर सिंह परमार -- उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं. कालापीपल में आईटीआई कालेज खोलने की भी मैं मांग करता हूं. मेरे क्षेत्र की 4-5 शुजालपुर और कालापीपल दोनों क्षेत्रों की मांगे हैं. मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान देंगे. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद.

श्री अरुण भीमावद (शाजापुर) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 44,47 और 70 के पक्ष में बात रख रहा हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं. शिक्षा आत्मा का ऋंगार है, मन का परिषकार है और प्रगति की ऊंचाइयों का द्वार है. निश्चित रुप से इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, आदरणीय गुप्ता जी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रस्ताव रखे हैं, वह निश्चित रुप से स्वागत योग्य हैं. मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों से लगातार उच्च शिक्षा को केन्द्र बिन्दू बनाकर अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनायें बनाई हैं, जिससे छात्र और छात्राओं को लाभ मिले. उसका उल्लेख मैं इसलिये नहीं करुंगा कि मंत्री जी उसका उल्लेख आपके सामने करने वाले

हैं. चाहे वह गांव की बेटी योजना हो, प्रतिभा किरण योजना हो, प्रतिभाशाली छात्र, छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु लेपटाप योजना हो, छात्रों के लिये आवागमन सुविधा की योजना हो. चाहे उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना हो. ऐसी तमाम योजनाएं इस मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में चल रही हैं, जिसके कारण से छात्रा,छात्राएं उसका लाभ ले रहे हैं. मैं अपने शाजापुर विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें, मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं. निश्चित रुप से शाजापुर जिला उज्जैन संभाग में आता है और शाजापुर जिला..

श्री जसवंत सिंह हाड़ा -- अरुण जी, आप यह बताओं कि बालकृष्ण नवीन जी की वह जन्म स्थली है.

श्री अरुण भीमावद -- उपाध्यक्ष महोदय, शाजापुर पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कर्म स्थली एवं जन्म स्थली रही है. निश्चित रुप से इस ओर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता भी मंत्री जी को है. शाजापुर जिला मुख्यालय पर शासकीय पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय स्थापित है. वह बहुत पुराना भवन है, बहुत अच्छा भवन बना हुआ है, लेकिन उसकी खुली भूमि होने के कारण बाउंड्रीवॉल नहीं होने के कारण कहीं न कहीं अतिक्रमण की भी संभावना बनी हुई है. इस समय मैं आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दरियादिली से आदरणीय गौरी शंकर जी बिसेन और आदरणीय विजय शाह जी ने इस सदन के सदस्यों का सम्मान किया है शायद आप भी निश्चित रूप से उसकी पुनरावृत्ति करेंगे. और वाल-वाउन्ड्री स्वीकृति की घोषणा करेंगे. उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शाजापुर में एक शासकीय कन्या महाविद्यालय है, जिसका अपना कोई निजी भवन नहीं है, पहले उस भवन में कलेक्टर कार्यालय लगता था वहां पर कोर्ट लगती थी लेकिन कोर्ट और कलेक्टर का नया भवन बनने के कारण कलेक्टर महोदय ने उसे कन्या महाविद्यालय को सुपुर्द किया. लेकिन 4 दिन पहले उस भवन के 4-5 कमरों में अचानक दीवालो से पोपड़े गिरने लग गये, दीवालें थोडी सी

फटने लग गईं, उसकी सूचना मैंने तुरंत मंत्री जी के कार्यालय में जाकर के दी, आयुक्त महोदय को दी, मैं इस अवसर पर मंत्री जी को आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने तुरंत कहा कि आप प्राक्कलन तैयार करके भिजवाईये और मैं 3 करोड़ की राशि शाजापुर कन्या महाविद्यालय के लिये आगामी समय में देने वाला हूं. निश्चित रूप से यह दरियादिली सदन के बाहर और अंदर दिखाई दे रही है. इस अवसर मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे शाजापुर में केन्द्र बिंदू है मोहन बड़ोदिया जो 3 विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है . निश्चित रूप से शाजापुर महाविद्यालय के छात्रों की गिनती की जाये तो मोहन बड़ोदिया क्षेत्र के सुसनेर क्षेत्र के छात्र-छात्रायें 50 प्रतिशत की संख्या में वहां पर शिक्षा अध्ययन करते हैं, मैं इस अवसर पर एक महाविद्यालय मोहन बड़ोदिया में खोला जाये इसकी मांग करता हूं. मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रवास के दौरान मोहन बड़ोदिया को प्रथम पंक्ति में रखा था. मंत्री जी मोहन बड़ोदिया में इसी सत्र में एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा करेंगे ऐसी मैं मांग करता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं . शनिवार को मैं होल्कर कॉलेज में प्राचार्य महोदय तुगनावत जी के सामने बैठा था. वहां पर 20-25 छात्रायें आईं जो पिछड़ा वर्ग की थीं उनकी मांग थी कि हमें लगातार 2011-12 में रूपये 40,000 की छात्र वृत्ति मिलती थी लेकिन इस समय प्राचार्य महोदय ने कहा है कि आपको केवल रूपये 23 ,300 की छात्रवृत्ति दी जा रही है बाकी राशि आपको जमा करना पडेगी. मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने देने के लिये कहा है, जो भी कुछ समस्या आती है मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिये अपना खजाना खोल देते हैं तो पिछड़ा वर्ग के लिये भी मुख्यमंत्री जी ने खजाना खोला है मैं इस अवसर पर मंत्री जी से मांग करता हूं कि पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओं को जो 40,000 रूपये की छात्रवृत्ति दी

जाती थी, उसको 23,300 रूपये क्यों किया गया है, उसके क्या कारण रहे हैं. मंत्री जी उस छात्रवृत्ति को फिर से रूपये 40,000 करने का कष्ट करेगे.

उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा. शाजापुर जिला मुख्यालय पर कुछ विषय खोलने की आवश्यकता है, बीबीए का कोर्स अगर शासकीय महाविद्यालय में खुलेगा तो निश्चित रूप से वहां के छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा. उपाध्यक्ष महोदय आपने और पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बात कहना चाहता हूं कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 3 तहसील 2 विकासखंड और 3 नगर पंचायतें हैं.उपाध्यक्ष महोदय, मैं बडे ध्यान से सभी सदस्यों की बातें सुन रहा था सबने अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि हमारे यहां पर यह कमी है , परंतु बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सुवासरा और श्यामगढ में मुख्यमंत्री जी ने महाविद्यालय खोलने की घोषणा कई वर्ष पूर्व कर दी थी वह आज तक पूरी नहीं हो पाई है, बड़ी मुश्किल से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज सीतामऊ खुला उसमें भी मात्र एक प्रोफेसर है और एक ही विषय वहां पर है.वहां मात्र एक प्रोफेसर और एक सब्जेक्ट है जिससे जो महाविद्यालय खोला है उसका फायदा अभी नहीं मिल पा रहा है. यह विचारणीय बात है.

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के स्तर की बात कही जा रही है. मेरा निवेदन है हम सभी ने राजस्थान के कोटा संस्थान का नाम सुना है. अगर शिक्षा के स्तर की बात करें तो यहां के विद्यालय,महाविद्यालय अच्छे हैं तो शिक्षा का स्तर इतना अच्छा क्यों नहीं है? जिसके कारण यहां के बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, कोई बंगलुरु पढ़ने जाता है. आज हमको यह देखने की जरुरत है कि अगर

राजस्थान के बच्चे मध्यप्रदेश में पढ़ने आये और अपने प्रदेश के बच्चे भी प्रदेश के महाविद्यालयों में ही पढ़ने लगे...

उपाध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात करें. सुझाव दें. समय नहीं है.

श्री हरदीप सिंह डंग-- उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरा नंबर उस समय आता है जब मुझे बोलने का अवसर ही नहीं मिलता. मैं आपसे निवेदन करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय-- मैंने पहले ही घोषणा की थी कि किस दल के लिए कितना समय है, उसके अनुपात में आप लोग ज्यादा समय ले चुके हैं.

श्री हरदीप सिंह डंग-- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बहुत गंभीर हैं. उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप अलग से मिलकर मंत्रीजी को सुझाव दे दीजिएगा.

श्री हरदीप सिंह डंग-- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंदसौर जिले में वैश्य समाज के लोग आते हैं. वे सुवासरा और शामगढ़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. माननीय मंत्रीजी आपका 29 तारीख का दौरा तय हुआ है. आप जब भी वहां पर आयें. मैं तो कहता हूं कि इसी सत्र में और आज जब आपका भाषण हो शामगढ़ और सुवासरा में क़ॉलेज खोलने की घोषणा करें.

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर न तो ITI है और न दूसरे कॉलेज हैं. इसलिए यदि वहां पर ये सुविधाएं दी जायेंगी तो उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात होगी. धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह शेखावत(नागदा-खाचरौद)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने अभूतपूर्व कोशिशें की हैं. मैं मानता हूं कि भारत युवाओं का देश है और मध्यप्रदेश युवाओं का प्रदेश है. मैं, माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करुंगा, जैसा पूर्व सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में हमने उद्योगपतियों को बुलाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट की. क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स मीट नहीं कर सकते. पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र

में जिन लोगों ने निवेश किया है, उन लोगों को हम अपने प्रदेश में बुलायें और हम उनको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास हम सबको करना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्रीजी से एक और निवेदन करुंगा की जब विद्यार्थी दसवीं और बारहवीं पढ़ने के बाद क़ॉलेज में जाता है तो सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए कि विश्व में आज किस विषय की मांग है. अगर इस प्रकार का प्रयास होगा तो निश्चित रुप से बच्चों में जो एक प्रचलन चल गया है कि हमको केवल इंजीनियर ही बनना है. विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश तो ले लेता है लेकिन नौकरियां नहीं मिलती.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्रीजी से मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें के संबंध में विनम्रता से निवेदन करुंगा. मेरे यहां एक कन्या महाविद्यालय स्वीकृत हो गया है. दो साल से लग भी रहा है लेकिन अभी वह कन्या हायर सेकंडरी स्कूल भवन में लग रहा है यदि आप महाविद्यालय के भवन के लिए राशि आवंटित करेंगे तो बहुत कृपा होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, नागदा महाविद्यालय में एम कॉम की कक्षाएं हैं लेकिन एमए और एम-एससी नहीं है. यदि अगले सत्र से आप खोलेंगे तो महती कृपा होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्रीजी से एक ओर निवेदन करुंगा कि नागदा ग्रेसिम के कारण एशिया का सबसे बड़ा फायबर उद्योग है लेकिन वहां पर ITI नहीं है. अगर ITI होती तो निश्चित रुप से स्टुडेंट स्कील डेवलपमेंट करके उन कारखानों में रोजगार प्राप्त कर सकते थे. अगर आप वहां पर ITI खुलवायेंगे तो निश्चित रुप से आपकी महती कृपा होगी. धन्यवाद.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (पुष्पराजगढ़) - उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 22 वां संभागीय वैश्य सम्मेलन अमरकंटक में हुआ जहां आपका 2 दिवसीय प्रवास रहा है. उस समय बहुत सारे बच्चों ने आपसे निवेदन किया था. मेरे विधान सभा में शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ है. वर्ष 2010 से स्व-वित्तीय कक्षाएं वहां पर संचालित है, वर्तमान में महाविद्यालय में जो संख्या है 409 अनुसूचित जनजाति के बच्चे, 47 अनुसूचित जाति, 47 पिछड़ा वर्ग और लगभग 200-250 बच्चे दूसरी जाति के अध्ययनरत् हैं. स्व-वित्तीय से 250 से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत् हैं. वर्ष 2010 से बच्चे अपने जेब पैसा देकर बीएससी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं. मेरी इतनी विनती है कि उस महाविद्यालय को शासकीय कर दिया जाय. वर्तमान में जो शिक्षा का अधिकार है, वहां पर आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं यदि आपकी कृपा से महाविद्यालय में बीएससी की कक्षा शासकीय हो जाती है तो इससे बच्चों का बड़ा भला होगा. दूसरा, वहां बालक-बालिका छात्रावास वहां पर नहीं है. यह महाविद्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित है. वहां अनुसूचित जाति, जनजाति के बालक-बालिकाएं अध्ययनरत् हैं. वह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है. यदि वहां पर छात्रावास संचालित कर दिया जाएगा तो बच्चों को काफी लाभ होगा. तीसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वेंकटनगर है, वेंकटनगर से चारों तरफ काफी दूरी है, 40-50 कि.मी. दूर बच्चे अध्ययन करने जाते हैं, यदि वहां कला संकाय से ही महाविद्यालय संचालित कर दिया जाएगा तो उस क्षेत्र में बड़ा भला होगा. उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री मधु भगत (परसवाड़ा) - उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे परसवाड़ा क्षेत्र में एक ग्राम लामटा है, जिसके आसपास 60 गांव हैं, वहां काफी बच्चे पढ़ते हैं और वहां से 40-40 कि.मी. तक बच्चे महाविद्यालय की शिक्षा लेने के लिए बाहर जाते हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि ग्राम लामटा में अगर हम महाविद्यालय खोल दें तो वहां पर आदिवासी

बच्चे अन्य समाज के बच्चे अपना शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे और बच्चियां जो सुबह 7 बजे जाती हैं और रात को 10 बजे लौटती हैं, उनका समय बचेगा. उनके परिवार सुरक्षित महसूस करेंगे. धन्यवाद.

श्रीमती सरस्वती सिंह (चितरंगी) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मैं सिंगरौली जिले में विधान सभा क्षेत्र चितरंगी की विधायक हूं. मेरे चितरंगी क्षेत्र में महाविद्यालय खोला गया है. परन्तु किराए के मकान में चल रहा है. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उसके लिए भवन की व्यवस्था कराई जाय. दूसरी बात यह है कि महाविद्यालय तो खोला गया है, परन्तु उसमें पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है. उसके लिए भी जल्दी से व्यवस्था कराई जाय. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चितरंगी विकास खण्ड में आईटीआई कॉलेज खोला जाय. उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय - हमारे क्षेत्र के राम नगर महाविद्यालय का भी ध्यान रखेंगे माननीय मंत्री जी.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) - उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता यह बहुत ही चिंता का विषय हम सब के लिए है. यह दुर्भाग्य है कि आज हिन्दुस्तान की 200 यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी किसी यूनिवर्सिटी का चाहे शासकीय हो या प्रायवेट हो, किसी का नाम नहीं है. हम सबको मिलकर जिनका भी इस क्षेत्र में अनुभव है, इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है. वास्तव में आज अनेक माननीय सदस्यों ने इस संबंध में बहुत ही सकारात्मक और अच्छे सुझाव दिये हैं. मुझे लगता है कि शायद किसी विभाग में इतने सकारात्मक सुझाव विपक्ष की तरफ से भी नहीं आए, जितने इस क्षेत्र में आए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हम सब मिलकर इस

शिक्षा की क्वालिटी को लेकर चिंतित है. बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. सम्मानीय जयवर्द्धन सिंह जी, सम्मानीय दुर्गालाल विजय, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रहे और जिनका बहुत लम्बा अनुभव है, आदरणीय श्री मुकेश नायक जी, श्री लोकेन्द्र सिंह जी तोमर, शिक्षा के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा अनुभव है. मैं सोचता हूं कि वे एक निजी महाविद्यालय के मालिक के रूप में नहीं, मुझे सुझाव दूसरे रूप से भी देंगे. मैं उनसे भी बात करूंगा. श्री कमलेश्वर पटेल जी, श्री मुरलीधर पाटीदार, श्री रामलल्लू जी वैश्य, श्रीमती ऊषा चौधरी जी, श्री रामपाल सिंह जी, श्री दिनेश राय मुनमुन जी, श्री इन्दर सिंह जी परमार, श्री अरूण भीमावद जी, श्री हरदीप सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी शेखावत जी, श्री फुन्देलाल सिंह जी मार्को, श्री मधु भगत जी और श्रीमती सरस्वती सिंह जी अनेक सदस्यों के सुझाव मिले हैं. यद्यपि यह ठीक है कि इस वर्ष , संख्यात्मक दृष्टि से हमारा जो राष्ट्रीय औसत लगभग 19 प्रतिशत से कुछ अधिक है, प्रवेश में तो हम वहां तक पहुंच गए हैं. लेकिन यह हमारे लिए संतोष का कारण नहीं हो सकता और उसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र में हम अभी पीछे हैं. कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को लेकर . लेकिन सबसे बड़ा विषय है गुणवत्ता का, जिसकी चिन्ता ,मुझे लगता है सबने व्यक्त की है. एक तो मैं यह कहना चाहता हूं , एक कॉमन बात आई है , मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं , मुख्यमंत्री जी की पिछले दिनों जहां जो घोषणा हुई है उसको हम शीघ्र पूरा करेंगे. चाहे वह कॉलेज खोलने की घोषणा हुई हो,या वहां निर्माण की घोषणा हुई हो. मेरे सामने चिन्ता ये भी नहीं है कि कुछ बातें जो भवन मरम्मत की, भवन बनाने की या बाऊण्ड्री वॉल बनाने की आई है उसको भी हम कर लेंगे. लेकिन मुख्य समस्या जो हम सबके सामने है वह है स्टाफ की कमी. 2600 के करीब अंतिथि विद्वान काम कर रहे हैं. जिनकी एक अपनी अलग समस्या है. वर्षों से भर्तियां नहीं हुई हैं. लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सुखद समाचार देना चाहता हूं कि अभी हमने लगभग 2000 पदों की विज्ञप्ति पी.एस.सी. के माध्यम से पिछले दो तीन दिन पहले ही अखबारों में विज्ञापन निकाला है और

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हम कर रहे हैं और इसी प्रकार बाकी पदों की जो भर्ती है ,करीब 800-900 पदों की ,जो खाली हैं उनको भी हम तेजी से करने जा रहे हैं. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो पहले पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों तो पर्याप्त व्यवस्था हो, उनको तो मिलाना पड़ेगा. प्राध्यापक हमारे पास नहीं हैं, अतिथि विद्वान के रूप में जो हमारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनके भविष्य की भी अनिश्चितता है. पहले एक कहावत सुनते थे, पता नहीं कि वह सही है कि गलत है कि पिछली सरकारों के समय दो दो सौ रुपये,तीन तीन सौ रूपये और पांच पांच सौ रूपये में शिक्षक नियुक्त होते थे , तो मैने कहीं अखबार में पढ़ा था कोई घटना कि एक निरीक्षक वहां गए और उनसे पूछा कि गुरूजी ये आप गंगा को अमरकंटक से निकाल रहे हो तो वे बोले की 300 रूपये में तो अमरकंटक से ही निकलेगी. कई बार यह स्थिति भी रही है. तो ये चिन्ता का विषय है कि प्राध्यापकों की पूरी व्यवस्था हो. पढ़ाने वाले हों, उनमें अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा का भाव हो. क्लॉस रूम की उपस्थिति हमें सुनिश्चित करना पड़ेगी. माननीय सदस्य ने कहा था, विद्यालय परिसरों का वातावरण आज शैक्षणिक नहीं है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है. मैं कई बार अपनी बैठकों में भी और प्राध्यापकों के बीच में भी जब विभिन्न कार्यक्रमों में जाता हूं तो मैं यह चिन्ता व्यक्त करता हूं जो आपकी हमारी सबकी चिन्ता है कि वातावरण शैक्षणिक नहीं है. मैं पूछता हूं कई बार की आज कल स्टाफ रूम का चर्चा का विषय क्या है. हमें ध्यान है कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे, आदरणीय सभी लोग बैठे हैं , कॉलेज में स्टाफ में इस बात पर चर्चा होती थी कि ये विद्यार्थी कमजोर है, इसको कैसे ठीक किया जाए. ये कॉलेज आता नहीं है ,क्या करना चाहिए. लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज ये चर्चा का विषय नहीं है. राजनीति चर्चा का विषय होगा,बाकी दुनिया के विषयो पर चर्चा हो जाती है. इस वातावरण को ठीक करने की जरूरत है. इसलिए हमने कुछ कदम उठाना शुरू किए हैं. हमारे करीब 100-125 प्रोफेसर वे पढ़ाने के अलावा बाकी काम में वर्षों से लगे हुए हैं. हमारे कालेज खाली पड़े हैं . यह विद्यार्थियों की कास्ट

पर ह्म हम डेपुटेशन पर लोगों को नहीं भेज सकते . हमने एक बहुत सख्त और कठिन निर्णय लिया है , काफी सफलता मिली है, कुछ लोग रह गए हैं. अगर आप प्रोफेसर है तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा.आपको हम बाकी जगह नहीं रखेंगे. उसमें बहुत सी कठिनाई है लेकिन हम उसको फेस कर रहे हैं. जो कमियां हैं उनको भर रहे हैं. कालेज लगें, क्लास रुम लगें, इसको सुनिश्चित करने का गुणवत्ता के हिसाब से मैं वास्तव में आप सब की चिन्ता से सहमत हूँ और उसको दूर करने के लिए आप सब के और भी जो सुझाव होंगे, केवल यहां जितना एक सीमित समय मिलता है उसमें पूरी बातें कई बार नहीं आ सकती. मैं विशेषकर हमारे माननीय वरिष्ठ नेता मुकेश नायक जी, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनका दीर्घकालीन अनुभव है, उनसे भी आग्रह करुंगा, कमलेश्वर जी भी इस क्षेत्र में लगातार बरसों से काम कर रहे हैं और भी मेरे साथी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,मुझे अलग से भी लिखकर इस संबंध में कुछ सुझाव देंगे, मैं उसको बहुत गंभीरता से लूंगा क्योंकि जितनी चिन्ता आपने व्यक्त की है, मैं सोचता हूँ कि उससे ज्यादा जवाबदारी सरकार के प्रतिनिधि के रुप में मेरी है. हमने कुछ निर्णय शुरु किये हैं. इस बार लगभग दो लाख जो विद्यार्थी प्रवेश लेंगे उनको स्मार्ट फोन दे रहे हैं, आज की टेक्नीक से वे जुड़ें, देखें, यह एक सुविधा हमने की है. एक समस्या आयी है. आज विद्यार्थी कंफ्यूज्ड है, क्या करुंगा और इसलिए विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना को और प्रभावी हम कर रहे हैं. जगह जगह उनकी काउंसलिंग करना, इस वर्ष हमने लगभग 21 जिलों में कालेजों में केरियर मेले लगायें जिसमें 23111 विद्यार्थी उपस्थित हुए, उनकी काउंसलिंग हुई और करीब 1860 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट भी इन मेलों के माध्यम से कराने में हमें सफलता मिली है. इस बार हमारी यह कोशिश है कि हम मध्यप्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के मेले लगायें, विद्यार्थियों के काउंसलिंग की बात करें. कौशल विकास के कार्यक्रम में भी हमने करीब 2050 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया, 1300 विद्यार्थियों का एमईएस कोर्सेस में प्रशिक्षण चल रहा है. विद्यार्थी को अपने् भविष्य की चिन्ता से मुक्त करके कहीं न कहीं विश्वास पैदा करने की जरुरत है

कि आगे जाकर मुझे कुछ न कुछ रोजगार मिल जाएगा, कहीं न कहीं मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा. मेरी योग्यता इस प्रकार की है कि नौकरी अगर नहीं मिली तो मैं अपना काम धण्धा कर सकूंगा, यह विश्वास पैदा करने की जरुरत है. एक हमने और एक नया प्रयोग किया है, आदरणीय मुकेश नायक जी का ध्यान में अवश्य चाहूंगा, शायद आप सुनकर इसको प्रसन्न होंगे , राज्य स्तर पर एक व्यक्तिव विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है, संभाग स्तर पर कमेटी बनायी है हर जिले में एक संयोजक बनाया है जिसमें महीने में एक बार अभी प्रारंभिक रुप से किसी अतिथि विद्वानों को बुलाकर, एक जो विद्यार्थी में डिप्रेशन है,एक कांफीडेंस क्रियेट करने के लिए हमारी सारी बातों को लेकर प्रवचन टाइप उनका कोई एक बौद्धिक सत्र हो, महीने में एक बार, इसमें अतिथि लोगों को हम बुलाये और उस हमारी रेग्युलर क्लासेस नहीं, सब्जेक्ट की टेस्ट बुक नहीं, एक जनरल उनमें कांफीडेंस क्रियेट करने के लिए उनके मन का जो एक डिप्रेशन है उसको दूर करने के लिए यह एक नया प्रयोग शु शुरु कर रहे हैं. 21 जुलाई को पूरे मध्यप्रदेश में सभी कालेजों में उसकी हम शुरुआत एक साथ करने जा रहे हैं. एक बहुत बड़ी समस्या थी, कई बार गरीब परिवारों के मुखिया का निधन हो गया, बीमार हो गया,ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कमाने वाला कोई नहीं रहा, इसके लिए हमने एक उच्च शिक्षा कोष बनाया है और इसमें जिनकी आय साढ़े 4 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है उन नीचे की आय वाले सभी परिवारों को शामिल करेंगे.

6.34 बजे (अध्यक्ष महोदय(डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय,किसी मुखिया का अगर निधन हो गया है,या वह अपंग हो गया है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करेगी,यह निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है. एक क्वालिटी के हिसाब से ही एक हमने योजना बनायी है कि इन्टरनेशनल और नेशनल स्तर के जो अच्छे संस्थान हैं उनके साथ मिलकर उनकी साझेदारी में हम शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरु करें और इसके लिए अभी हमने 12 महाविद्यालयों के पूरे प्रदेश से चयनित किया है और जिसका उल्लेख माननीय मुकेश

नायक जी ने भी कहा था, ख्यातिप्राप्त एक्सीलेंस कालेज जो हमारा भोपाल का है इसको इसका हमने सेन्टर बनाया है, वहां से इस योजना को हम संचालित करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ जुड़कर उनके अनुभव और बाकी चीजों का लाभ लेकर इस स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे. आप जानते हैं कि पिछले वर्षों से लक्ष्मणसिंह गौड़ पुरस्कार हमने स्थापित किया है. अभी वह सीमित था केवल 5 प्राचार्य, 20 शिक्षक और 20 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता था इसको हम अब बढ़ाने जा रहे हैं ताकि जो अच्छे काम करने वाले विद्यार्थी और शिक्षक हैं उन्हको प्रोत्साहित करके प्रेरित किया जा सके. रूसा(राष्टीय उच्चतर शिक्षा अभियान) करके जो एक नई योजना आई है ,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उसमें भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया है. रूसा की टीम ने विजिट भी कर लिया है ,उनके सामने प्रेजेन्टेशन भी हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका फायदा हमें मिलेगा और उसके कारण मध्यप्रदेश के 39 जिलों में हम महाविद्यालयों की अधोसंरचना विकास , प्रयोगशाला, लायब्रेरी जिसकी चिंता व्यक्त की गई थी उसके सुदृढ़ीकरण की हमने योजना बनाई है और उस पर तेजी से काम करेंगे. वर्ल्ड बैंक की भी एक योजना स्वीकृत हो गई है. करीब 25 सौ करोड़ का सॉफ्ट लोन सरकार ले रही है जो अगले पांच वर्ष में क्रमशः प्राप्त होगा और इस योजना के तहत महाविद्यालय की संख्या बढ़ाएंगे . अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थी और महिलाओं के लिए हॉस्टल और शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा. दो विश्वविद्यालयों के लिए लगभग चार-चार सौ करोड़ की राशि, एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने जो एक कल्पना है, उसके लिए उसमें व्यवस्था कर रहे हैं. प्रयोगशाला,पुस्तकालय और प्रशिक्षण, इस कार्यक्रम को भी वर्ल्ड बैंक की इस योजना के तहत हम मध्यप्रदेश में चलाएंगे इसके लिए भी सरकार ने सहमति दी है और वर्ल्ड बैंक में भी लगभग इसकी सारी फार्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और बहुत जल्दी इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा. हर जिले में मॉडल कॉलेज बनाने की एक योजना हमने और बनाई है, सबको तो एक साथ नहीं बना सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं जिले में एक कल्पना देने

के लिए कि कैसा एक कॉलेज होना चाहिए , कैसा एक शिक्षा परिसर होना चाहिए . हर जिले में एक एक मॉडल कॉलेज हम बना रहे हैं लेकिन इसके साथ यह भी चिंता करेंगे कि कई बार मॉडल कॉलेज बनने के बाद पूरे जिले के अच्छे नंबर वाले विद्यार्थी वहाँ आ जाते हैं लेकिन वहीं के जो चल रहे कॉलेज हैं, उसको अगर हम मॉडल कॉलेज बनाते हैं तो फिर जो सामान्य विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ने में तकलीफ होती है. पिछले दिनों का अनुभव रहा है.उसको भी हम ध्यान में रखकर इस व्यवस्था को लागू करेंगे. अध्यक्ष महोदय, इस समय कामर्स विषय की काफी मांग है या तो रोजगार के अवसर के कारण कह लीजिये और इसलिए हमने तय किया है कि हर संभाग स्तर पर केवल कामर्स का एक उत्कृष्ट महाविद्यालय होगा,जिसमें केवल कामर्स की पढ़ाई होगी, अच्छी फैकल्टीज हम लाएंगे, यह भी हम हर संभाग में शुरु करने जा रहे हैं. विश्वविद्यालय की बहुत-सी समस्या बताई थी. जैसे कि कॉलजों में पद खाली हैं , वह तो हम भर्ती कर रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालयों में भर्ती का अधिकार सरकार को नहीं है औऱ अभी राज्यपाल महोदय जी ने भी इस विषय में एक पत्र हमको लिखा था.हम विश्वविद्यालयों को इस विषय में लिखते हैं लेकिन अभी हमने एक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया है, जिस पर अगले दिनों चर्चा इस विधानसभा में होगी औऱ उसमें हमने व्यवस्था की है कि अगर विश्वविद्यालय हमारे कहने के बाद भी पदों को नहीं भरेंगे तो हम किसी भी संस्था के माध्यम से उन पदों को भरवाकर यूनिवर्सिटी को दे देंगे. सरकार को यह अधिकार होगा औऱ एक बात बहुत अच्छी आई है कि बहुत से ऐसे विषय हैं, जिनका कोई उपयोग ही नहीं है और बहुत से ऐसे नये विषय हैं, जो चालू किये जा सकते हैं. तो कई बार किसी यूनिवर्सिटी में उस विषय के प्राध्यापक हैं, जिसका वहाँ उपयोग नहीं है लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में उसका पद खाली है अभी हम उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. उस संशोधन में हम यह भी व्यवस्था ला रहे हैं कि अगर उस विश्वविद्यालय में उपयोगी नहीं हैं या अधिक हैं तो उनको हम दूसरे विश्वविद्यालय में डेपुटेशन पर भेज सकेंगे और इसी के साथ साथ केवल विश्वविद्यालय नहीं

हम कॉलजेस में भी विषयों का युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं. अभी हम सागर, रीवा का कर रहे हैं, भोपाल में भी हमने कई महाविद्यालयों में , अब भोपाल में 9 महाविद्यालय सरकार के हैं . एक-एक विषय़ के चार-चार, पांच-पांच , आठ-आठ, दस-दस विद्यार्थी 9 कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके कारण हमारी अधिक एऩर्जी खत्म हो रही है , फैकल्टीज ज्यादा लग रही हैं . इसके बजाय अगर हम 9 की जगह 2 महाविद्यालय में अगर 50-50 विद्यार्थियों की सीट कर देंगे, अच्छी फैकल्टी को वहाँ रखेंगे. यहाँ स्पेयर लोग होंगे तो खाली पदों पर उनका उपयोग हो जायेगा . हम यह विषयों का युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, पदों का युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं और इस पर हमारा लगातार काम चल रहा है . यूनिवर्सिटी पर एक संशोधन हम और ला रहे हैं . चयन का कोई सिस्टम नहीं है और इसीलिए हमने कुलपति की अध्यक्षता में , उनकी स्वायत्ता में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो वहाँ के खाली पदों को भरने के लिए कार्यवाही करेगी. इसी प्रकार हर यूनिवर्सिटी से आग्रह किया था कि आप दो दो विषय सिलेक्ट करिए,जिसमें आप एक्सीलेंस प्राप्त करेंगे. वहाँ अच्छी फैकल्टी दें, अच्छे संसाधन दें क्योंकि एकदम हम सबको ठीक कर पाएँगे यह तो शायद कपोल कल्पना होगी. मैं बताना चाहता हूँ कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में बायो टेक्नालॉजी एवं भौतिक शास्त्र, विक्रम विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जीवाजी विश्वविद्यालय में प्राणिकी एवं रसायन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र और फार्मेसी, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिसर्च सेंटर को, दो दो विषय को हम उत्कृष्ठ बना रहे हैं. उसके लिए योजना बनी है. वहाँ क्या जरूरतें हैं, क्या कमी है, कैसी फैकल्टी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय, सरकार विश्वविद्यालयों को हम अनुदान देती है. लेकिन अभी इसका कोई मापदंड नहीं था. अब हमने कुछ आधार बनाए हैं. वहाँ की वर्किंग कैसी है, वहाँ का रिजल्ट कैसा है, वहाँ के पदों की स्थिति क्या है, वहाँ की आवश्यकता क्या है, हमने प्रोफेसर्स और प्राचार्य की एक

कमेटी बनाई थी, उसमें कुलपति थे, उनसे सुझाव लिए हैं, कुछ मानक तय किए हैं कि सरकार जो भी सहायता यूनिवर्सिटी को देगी, उन मानक के आधार पर उनका मूल्यांकन करने के बाद फिर सरकार उसमें अपना अनुदान देगी. आप जानते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए, एक हमारे साथी शायद दिलीप सिंह जी शेखावत ने कहा था कि इन्वेस्टर्स मीट में, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स मीट में शिक्षा के क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं और उनसे एमओयू साइन हुए हैं. सिंबायसिस यूनिवर्सिटी का अभी भूमि पूजन इन्दौर में हुआ है. एमआईटी की भी कार्यवाही चल रही है. ऐसे जो हमारे इस देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त बाहर विश्वविद्यालय हैं, उनको भी हम यहाँ सहूलियत देकर,सस्ती जमीन देकर, उनको हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें हमें सफलता भी मिल रही है. आज के समय के हिसाब से हमारे जो प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, इनके कहीं न कहीं प्रशिक्षण की निरंतर जरूरत है और इसलिए यह भी हमने एक योजना बनाई है और नई प्रणालियाँ आ रही हैं, नये सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, उससे वे परिचित हों, प्रदेश के 387 जो हमारे महाविद्यालय हैं, इन शिक्षकों का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया है. उसके मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार किए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो गई है और हर संभाग स्तर पर अब यह ट्रेनिंग प्रोग्राम हम निरंतर चलाकर अपडेट करने की कोशिश करेंगे.

अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की पूर्ति, मैंने बताया ही कि पीएससी से हमारा विज्ञापन जारी हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम पदों को भर लेंगे और मेरी ऐसी मान्यता है कि अतिथि विद्वान व्यवस्था, यह टेम्परेरी व्यवस्था थी, यह स्थायी व्यवस्था नहीं है. कोई पद अगर खाली हुए हैं तो साल भर में उनको भरना चाहिए. लेकिन ऐसा लगने लगा कि स्थायी व्यवस्था बन जाएगी. मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि दो साल के अन्दर हम सारे पदों को भर देंगे और कहीं कोई इस कमी को हम रहने नहीं देंगे. (मेजों की थपथपाहट) लेकिन अतिथि विद्वान इतने दिन से

काम कर रहे हैं आप लोगों को भी ज्ञापन देते हैं, हमें भी मिलते हैं इसलिए अभी जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पीएससी से भर्ती कर रहे हैं उसमें चार अंक प्रति वर्ष, जितनी उन्होंने सेवा की है, मैग्जीमम 20 अंक का हम उनको बोनस दे रहे हैं (मेजों की थपथपाहट) कि वहाँ सिलेक्शन में उनको हम प्रायर्टी देंगे और इसी प्रकार जब तक यह व्यवस्था चल रही है उनके मानदेय को भी हमने अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया है ताकि महँगाई जो बढ़ती है उसके हिसाब से उनके मानदेय में भी वृद्धि करेंगे और इस बार करीब 183-184 रुपये प्रति पीरियड उनको मानदेय करेंगे और हर साल के लिए वह व्यवस्था हमने कर दी है. बार बार उसके लिए उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालयों का नेक से मूल्यांकन, यह बड़ी समस्या है और इसमें हम बहुत पीछे हैं. हमने तय किया है हम हमारे हंड्रेड परसेंट 387 जो महाविद्यालय हैं सबका नेक से परीक्षण कराएँगे और हमने यह तय किया है कि नेक आए परीक्षण करे उसके पहले हमारे स्टेट के भी बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स हैं, कुलपति हैं,जो उस मूल्यांकन कमेटी में बाकी जगह जाते हैं, जिनको उसका अभ्यास है, हम उनकी एक कमेटी बना रहे हैं और उनसे हम हमारा इंटर्नल कि नेक के लिए क्या क्या जरूरत होती है, उन कॉलेजेस का हम हंड्रेड परसेंट निरीक्षण कराएँगे, उन कमियों को आयडेंटीफाय करेंगे, उन कमियों को आयडेंटीफाय करके कब कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं इसकी पूरी योजना बनाएँगे और अभी तक 85 महाविद्यालयों का ऐसा परीक्षण हो चुका है और इस वर्ष हमने 100 महाविद्यालयों के परीक्षण की योजना बनाई है और हम पूरे 387 जो महाविद्यालय हैं उसको नेक के अंतर्गत लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे.

अभी पद खाली हैं नये-नये कॉलेज खुल जाते हैं, सुदूर क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार प्राध्यापकों की पदस्थापना बड़ी कठिन होती है इसलिये वर्चुअल क्लासेस आज की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है. हमने तय किया है कि प्रत्येक जिले में 2 कॉलेज में यह करेंगे ऐसे हम 100

कॉलेज आईडेंटीफाई कर रहे हैं इनको वर्चुअल क्लासेस से जोड़ेंगे अभी 54 महाविद्यायलों में यह कक्षायें शुरु हो सकी हैं 46 में इस साल हम और शुरु कर देंगे. लायब्रेरी की समस्या बताई गई है. हमने 15 महाविद्यालयों में ई-लायब्रेरी और 28 महाविद्यालयों में प्रयोग शालाओं की स्थापना विधिवत सुदृढ़ता के साथ कर दी है. लेकिन यह भी कम है निरन्तर इसमें काम करने की जरुरत है और इस सत्र में करीब 15 महाविद्यालयों में ई-लायब्रेरी और 22 महाविद्यालयों में आदर्श प्रयोगशालायें और बनायेंगे जिसकी व्यवस्था इस बार के बजट में हमने की है. हम सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कैंपस को वाई-फाई करेंगे, स्मार्ट फोन दे रहे हैं, सुविधायें हैं इनका विद्यार्थी उपयोग कर सकें. अभी तक 127 महाविद्यालयों को वाई-फाई कर दिया गया है बाकी जो बचे हैं उनको भी हम इसी साल वाई-फाई से जोड़ देंगे ताकि उसका लाभ विद्यार्थी उठा सकें.

अध्यक्ष महोदय, अभी 18 नवीन महाविद्यालय और 8 संकाय अतिरिक्त रूप से खोले जायेंगे. मेरी एक मान्यता है शायद आप इससे सहमत होंगे, कुछ सदस्यों को तकलीफ हो सकती है. कई बार जीरो बजट में कॉलेज खोल दिये जाते हैं उसका परिणाम भुगतना पड़ता है. कॉलेज खोलें तो भवन, स्टाफ की स्वीकृति के साथ खोले जाने चाहिये. हम देखते हैं कि हमारे कॉलेजों में कई जगह प्रोफेसर्स की कमी है, बिल्डिंग की कमी है. माननीय मुख्यमंत्रीजी की जो पिछली घोषणायें हैं वही कॉलेज हम इस सत्र में खोलेंगे, मैं सभी सदस्यों से बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि हमने यह तय किया है कि हमारे जो विद्यमान कॉलेज हैं उनको सुदृढ़ करेंगे, उनके पदों की पूर्ति करेंगे, वहां लायब्रेरी ठीक करेंगे, वहां प्रयोगशालायें ठीक करेंगे उनको सुदृढ़ बनायेंगे. एक बार इन कॉलेजों को लाइन पर लाने के बाद फिर कोई नये कॉलेज हम इस प्रदेश में खोलेंगे. एक दो साल आप लोग मेरे साथ सहयोग करें इस कष्ट को उठायें. मैं सोचता हूँ आप इससे सहमत होंगे कि पहले पुराने कॉलेजों की व्यवस्थाओं को हम ठीक कर लें.

अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस विभाग ने जो काम किया है उसके लिये बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकास हेतु हमें ई संभाग का पुरस्कार मिला है. डिपार्टमेंट ऑफ इनफारमेशन एंड टेक्नालॉजी, भारत सरकार द्वारा आयोजित आठ देशों एवं 30 राज्यों के प्रतिभागियों में से ई-गवर्नेंस पर विभाग "ई-संवाद" प्रोजेक्ट के लिये दी मंथन अवार्ड साउथ एशिया द्वारा भी हमारे विभाग को पुरस्कृत किया गया है. मध्यप्रदेश शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी "बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन एमपी" हेतु 50 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार शिक्षा विभाग को मिला है. मध्यप्रदेश के ई-सूचना विभाग को 2010-11 एवं 2011-12 में बेस्ट एप्लीकेशन का पुरस्कार मिला है और 2012-13 में स्काच अवार्ड विभागीय ई-प्रवेश कार्यों हेतु मिला है. जो ऑनलाइन प्रवेश हमने किये हैं उसके लिये मिला है.

अध्यक्ष महोदय, बाकी योजनाओं के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने बताया है मैं उन्हें नहीं दोहराउंगा. कौशल विकास आज की बहुत बड़ी चुनौती है. रोजगार के लिये अवसर क्रियेट करने वाला काम, कौशल विकास के अन्तर्गत होता है. माननीय नव निर्वाचित प्रधानमंत्री महोदय ने भी अपने पहले भाषण में कहा है कि स्किल डेवलपमेंट को हमें प्रायरटी पर लेना पड़ेगा ताकि रोजगार मिल सके. इसके लिये मैं यह बताना चाहता हूँ कि 2003 में शासकीय आईटीआई कुल 151 और निजी आईटीआई 26 थीं, 2014 में शासकीय आईटीआई 187 एवं निजी आईटीआई 224 हो चुकी हैं. प्रवेश क्षमता 15157 से बढ़कर आज 61982 पर हम पहुंच रहे हैं जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. इसी प्रकार इंजीनियरिंग महाविद्यालय पहले केवल 49 थे और पॉलिटेक्निक 44 थे आज वे बढ़कर इंजीनियरिंग महाविद्यालय 220 व पॉलिटेक्निक 108 चल रहे हैं. हमारी प्रवेश क्षमता जो है जो 2003 में कुल 24231 थी. अब बढ़कर 2 लाख 25 हजार 719 हो गई है. 2003 में आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी 1714 थे जो अब बढ़कर 4105 किये हैं. उसी प्रकार 5 वर्षों में 21 नये पोलीटेक्निक इस सरकार के द्वारा खोले गये हैं और अभी आगर जिला नया बना है वहां भी एक नया

पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है. गत वर्ष 2013-14 में हमने 12 नवीन संस्थाएं खोलीं. खेड़ी,कसरावद,चकल्दी,पिपरिया,पाटन,पालडोंगरी,रेहली,बिरसिंहपुर,देवसर,गरोठ,पिछोर एवं बरगवां. दो आई.टी.चकल्दी एवं खेड़ी एकलव्य योजना और पालडोंगरी में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बालाघाट जिले में है वहां एक आई.टी.आई. हमने खोली है. वर्ल्ड बैंक के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत् पूर्व वर्षों में विभाग का अच्छा प्रदर्शन हुआ और उसके कारण हमें 36 आई.टी.आई.में 44.70 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि मिली है मैं सोचता हूं कि अच्छे काम के लिये यह राशि मिली है तो हम उसका और उपयोग कर पाएंगे. जो हमारे यहां ट्रेनर्स हैं उनके ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है. जो हैं एक बार सर्टिफिकेट ले आए हैं. उनको आधुनिक करने के लिये हमने एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनर , यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने बनाया है और यह अगस्त माह से इसी वर्ष भोपाल में प्रारंभ हो जाएगा. जहां हमारे प्रशिक्षणकर्ता उनके प्रशिक्षण की रेगुलर व्यवस्था हम पहली बार कर रहे हैं.

मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर पर कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिये राष्ट्रीय स्तर का स्काच प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त हुआ है मध्यप्रदेश को यह भी हमारे लिये गौरव की बात है. मध्यप्रदेश व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद को ई गवर्नेंस के लिये रनर अप अवार्ड भी प्राप्त हुआ है. 2013 से प्रवेश की कार्यवाही सब एम.पी.आनलाईन के माध्यम से हुई है और इसमें भी उनको एडमीशन की जानकारी मोबाईल पर एस.एम.एस. से मिल जाएगी और उनको इधर-उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. यह व्यवस्था भी की गई है. 190 प्रशिक्षण अधिकारियों को हमने 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिये क्राफ्ट्समेन टेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर,मुंबई,लुधियाना,देहरादून तथा कोलकाता भेजा है वे वहां जाकर ट्रेंड होकर आएं और अपडेट होकर यहां आकर ट्रेनिंग का कार्यक्रम करें. इसके सेल में भी टेक्नीकल एजुकेशन,आई.टी.आई. में भी हमने प्लेसमेंट ड्राईव चलाई है और उसके अंतर्गत

105 कंपनियां हमारे यहां आईं और लगभग 7332 प्रशिक्षणार्थियों का साक्षात्कार किया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय,इनमें से 2131 का प्लेसमेंट हमने किया है. हमें गौरव है है कि अच्छे संस्थान आ रहे हैं जैसे टाटा मोटर्स, बी.एच.ई.एल.भोपाल, क्राम्पटन ग्रीव्ज, होंडा मोटर्स, आयशर ट्रेक्टर्स, ब्रिजस्टोन,ऐसी अनेक अच्छी-अच्छी कंपनियां अब हमारे संस्थानों में आ रही हैं. पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत आई.टी.आई. हम चला रहे हैं और इसके अंतर्गत मैनेजिंग कमेटी को सीटों की संख्या का 20 प्रतिशत, और अतिरिक्त प्रवेश की हमने व्यवस्था उसमें की है. जिसमें से 15 हजार रुपये एक वर्षीय पाठ्यक्रम और 20 हजार दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये अधिकृत किया गया है. यह प्रणाली प्रथम बार क्रियान्वित की गई और इस प्रणाली के तहत् 109 प्रशिक्षणार्थियों ने इस बार प्रवेश माननीय अध्यक्ष महोदय, लिया है. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 48 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है. उसमें हमने एक मिशन बनाया है. राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन, 25 विभागों को उसमें जोड़ा गया है. इसके 2014 तक 6 लाख और गत वर्ष 3 लाख 87 हजार व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत हमने प्रशिक्षित किया है. ग्रामीण युवा, ग्रामीण क्षेत्र में नियमित प्रशिक्षण पाने से वंचित नही रहें.इसलिये हमारे जो 135 कौशल विकास केन्द्र हैं वहां पर 2 से लेकर 4 मॉड्यूल्स में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं. कौशल विकास केन्द्र प्रायरटी पर वहां खोले हैं जहां पर आईटीआई नहीं हैं. पहले हमने उन क्षेत्रों को चुना है जहां पर आईटीआई नहीं वहां हमारा काम कौशल विकास केन्द्र कर रहे हैं. इस वर्ष कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से पिछले वर्ष 15800 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित हुए थे इस बार 29 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है और माड्यूलर एम्पलाईवल स्किल योजनान्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और माड्यूलर एम्पलाईवल स्किल योजनान्तर्गत पिछले वर्ष 40 हजार की तुलना में इस बार 1 लाख 83 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है. बीटीपी यह कुछ संस्थाएं हमारी प्रायवेट चलाती हैं, निजी संस्थाएं एवं रजिस्टर्ड संस्थाएं, लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि जो निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं

या उद्योग हैं वह भी अपना बी.टी.पी. चलायें और अपने उद्योगों की आवश्यकता के हिसाब से वहां पर उनके कोर्स रखे जायें और हमें खुशी है कि इस प्रयास के कारण उद्योगों ने और निजी ट्रेनिंग सेन्टर्स जो हैं इन्होंने 2028 बीटीपी पंजीकृत हुई है और वहां भी उनके काम करने वाले लोगों को एवं बाहर के लोगों को प्रशिक्षण लेने का मौका मिल रहा है महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी इसमें रही है. 32002 कुल प्रवेश हुए उसमें से 12 हजार 442 महिलाओं के स्थान पर 8736 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है. घरेलू कामकाजी जो हमारी माताएं-बहिनें हैं उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और पंचायतों में जो कई घोषणाएं की थीं हमने उसके अंतर्गत उनके प्रशिक्षण की योजना भी चलाई है और लगभग 7 हजार 974 महिलाओं ने जो घर में हमारी माताएं-बहिनें काम करती हैं उन्होंने भी एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण यहां प्राप्त किया है. अगस्त 2014 से हम इस सत्र में 36 संस्थाओं में 65 ट्रेड यूनिटें प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें 1816 नयी सीट इस सत्र में हम और बढ़ा रहे हैं इसमें कुछ नये व्यवसाय जिसका उल्लेख हमारे कई वक्ताओं ने कहा था कि नये व्यवसाय जोड़ना चाहिये उसमें हमने टर्नर मशीनिष्ट, मल्टी मीडिया, एनीमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग अस्सिटेन्ट, कम्प्यूटर हार्डवेयर, हॉस्पीटल हाऊस कीपिंग, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, आर्कीटेक्ट अस्सिटेन्ट आदि यह नये 65 ट्रेड हम शुरू कर रहे हैं. नवकरणीय ऊर्जा में रोजगार की प्रचुर संभावनाओं को देखते हुए कुशल तकनीशियनों की उपलब्धता हेतु आईटीआई नीमच में, क्योंकि नीमच में हमारा सोलर का बहुत बड़ा एशिया का प्लांट लगा है तो नीमच में हम आईटीआई में नवकरणीय ऊर्जा के पाठ्यक्रम को इस बार प्रारंभ कर रहे हैं ताकि वहां के नौजवान यह ट्रेनिंग लेकर वहां रोजगार प्राप्त कर सकें. 10 संभागीय स्तर की आईटीआई क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, रीवा शहडोल, ग्वालियर तथा मुरैना को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में जैसे हम कॉलेजों को कर रहे हैं, संभाग स्तर की 10 आईटीआई को एक्सीलेंस के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं जिसमें कम से कम 10 ट्रेक चलाएंगे वहां पर

उसको राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण से भी संबद्ध करेंगे, यह कोशिश हम कर रहे हैं, भवनों का निर्माण भी हम कर रहे हैं. नाबार्ड की सहायता से 70 हमारे भवनविहीन आईटीआई हैं उसमें से 40 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और तीस अन्य जो रह गये थे उसके लिये भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है 40 में जो काम चल रहा है और 30 में भी जो नया काम हुआ है. 40 में से उम्मीद है कि 32 का काम पूरा हो जायेगा हमारी बात पीडब्ल्यूडी से चल रही है और बाकी 30 संस्थाएं हैं उनका भी 2 साल में पूरा कर लेंगे. एक नयी हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका पारम्परिक व्यवसाय आप गांव में देखेंगे कि कारपेन्टर है, लोहार है, सुनार है, कुम्भार है यह अपना परम्परागत व्यवसाय करते हैं, वह आज के काम्पीटीशन के युग में टिक नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों को भी प्रमाणीकरण करने के लिये उनकी दक्षता का कोई प्रमाण-पत्र तो होता ही नहीं है काम में तो वह ट्रेन्ड लोगों से ज्यादा अच्छा काम करते हैं उनका अल्पकालीन कोर्स हम चलाएंगे, आधुनिक कोई ज्ञान देना हो तो वह भी देंगे और उनको एक सर्टीफिकेट देंगे तो कहीं पर भी उनको लोन लेने में आसानी हो. बैंक में कितना भी ट्रेंड व्यक्ति हो, अगर उसके पास में यह सर्टीफिकेट न हो तो बैंक वगैरह में सहायता नहीं मिलती है. इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी एक प्रोग्राम नेशनल स्किल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन के माध्यम से हम मध्यप्रदेश में चला रहे हैं. एक हम माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमाणीकरण के मानक नेशनल स्किल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन तथा सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा कन्स्ट्रक्शन सेक्टर से संबंधित 5 हजार व्यक्तियों के प्रमाणीकरण की हम व्यवस्था कर रहे हैं, जो कन्स्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं और यह योजना प्रथमत: इन्दौर, भोपाल, सीहोर तथा जबलपुर जिले में संपादित की जायेगी. इसी प्रकार हर जिले के मुख्यालय में स्थित जो 50 आई.टी.आई. हैं, इनको आदर्श आई.टी.आई. के रूप में हम उन्नयन कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक एक्सीलेन्स के रूप में हम दर्जा दे सकें. हर जिला मुख्यालय की आई.टी.आई. को हमने एक नोडल सेंटर बनाया है, ताकि उस जिले में और जो आई.टी.आई. हैं, उसमें कहीं कोई कमी

है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, इधर-उधर करें. अन सर्विस जो विकास खंड अभी 134 बचे हैं, जहां हमें कौशल विकास केन्द्र खोलना है, उसमें से 130 विकास खंडों में भूमि का चयन, चिन्हांकन हो गया है मिल जायेंगी, 4 अभी रह गये हैं वहां भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मध्यप्रदेश में जो एक नया प्रयोग हमने किया है, 74 आई.टी.आई. में इंस्टीट्यूट मैनेजिंग कमेटी जो उद्योगों के साथ मिलकर हमने बनाई है, संचालन के लिये इसको भी हमने अभी रिव्यू किया है, काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन 15 आई.आई.टी. जहां काम ठीक नहीं हो रहा था, हम उसको पुनर्गठित कर रहे हैं. आई.टी.आई. की परीक्षा में भी बहुत सुधार करने की हमने कोशिश की है, कलेक्टर की सहायता से एक उड़नदस्ता और परीक्षा केन्द्रों में पर्याप्त व्यवस्था, जो प्रेक्टिकल परीक्षायें होती हैं, उसमें बाहर के इंजीनियरिंग कालेज वगैरह पोलीटेक्निक के एक्सटर्नल को बुलाने की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं. बी .टी.पी. में अनेक शिकायतें मिलती थीं लेकिन अब हमने यह तय किया है कि बी.टी.पी. का भुगतान जो है, वह हम पंजीकृत सोसायटी को बैंक के माध्यम से ही करेंगे और भुगतान करने के पहले उनकी आडिट रिपोर्ट लेंगे और कई बार यह शिकायत भी आ रही थी कि एक बी.टी.पी. में एक ही विद्यार्थी और अलग-अलग जगह से उसका वह लाभ ले लेते हैं, तो यह उनसे भी हम एफीडेविट लेंगे कि उनको और कहीं से इस संबंध में लाभ नहीं मिलता है. इंजीनियरिंग में तकनीकी शिक्षा में 48 नये पाठ्यक्रम इस बार हम शुरू करेंगे, जिसमें मल्टी मीडिया एन्ड एनीमेशन, मेकाट्रानिक्स इंडस्ट्रियल इलैक्ट्रानिक इत्यादि जैसे विषय हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं. 4 इंजीनियरिंग और 5-6 पोलीटेक्निक महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना कर दी गई है, इस बार 11 और पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास से हम उनको जोड़ देंगे. ई. वाणि योजना एक चलती है इसको 25 पोलीटेक्निक महाविद्यालय में विस्तार हम इस बार कर देंगे और इन सारे परिसरों को भी वाई-फाई से हम करेंगे. इस सत्र में जो बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश होता था उसको हमने अब जी.ई. मेन से जोड़ दिया है राष्ट्रीय स्तर पर यह परीक्षा होती है

उसी से यहां के विद्यार्थियों की भी इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश की व्यवस्था हमने कर दी है. हमें एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि हमने 10 इंजीनियरिंग पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में सोलर पावर स्टेशन की स्थापना की और मुझे यह बताते खुशी है कि इन संस्थाओं में 1 लाख से 2 लाख रूपये तक का भी विद्युत का जो बिल आता था, उसमें कमी आई है सोलर का उपयोग करने से. पोलीटेक्निक महाविद्यालय में इस साल 20 पाठ्यक्रम खोले जायेंगे और 1300 सीट बढ़ाई जा रही हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और 4 पोलीटेक्निक कालेज भोपाल, खंडवा, जबलपुर और ग्वालियर में स्कूल ड्राप आउट एवं नौकरी कर रहे दसवीं पास युवाओं को आई.टी.आई. पास युवाओं को इंजीनियरिंग में डिप्लोमा देने की एक नई कमेटी कालेज की स्थापना का हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि कई बार किन्हीं भी परिस्थितियों में युवा अगर ड्राप आउट हो जाता है, पढ़ नहीं पाता है रेगुलर विद्यार्थी नहीं रह पाता, या जो लोग नौकरियां कर रहे हैं विभिन्न उद्योगों में आई.टी.आई. पास हैं आगे वह लेना चाहते हैं और इसकी अवधारणा है इसको 2 वर्ष की अवधि में हम ट्रेनिंग देंगे और एसोसियेट डिग्री उनको देंगे, इसका संचालन जो हम करेंगे, जो हमारे वर्तमान पोलीटेक्निक हैं, उसमें सेकेंड शिफ्ट में जब वह खाली रहते हैं, उस भवन का उपयोग करके और उद्योगों के नजदीक जहां पोलीटेक्निक हैं, उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको एक अपना शिक्षा का स्तर बढ़ाने का इसके कारण एक मौका उनको मिल जायेगा.रुसा के अंतर्गत भी जबलपुर एवं इन्दौर को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग की आप और हम सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश के लिये एक ही यूनिवर्सिटी आरजीवीपी है और पूरे प्रदेश के सारे इंजीनियरिंग कालेज की परीक्षा वह करते हैं. मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा प्रदेश है. इसलिये रुसा के अंतर्गत हमने तय किया है कि जबलपुर और इन्दौर के इन्जीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिये हमने प्रस्ताव रखा है. बच्चों को अभी यूनिवर्सिटी से संबंधित इंजीनियरिंग का कोई भी छोटा मोटा काम होता है, तो भोपाल में आना पड़ता है. तो

जब तक ये यूनिवर्सिटीज बनेंगी,हम नये और नोडल सेंटर आरजीवीपी के खोल रहे हैं. इन्दौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर, ताकि यूनिवर्सिटी से संबंधित काम के लिये भोपाल नहीं भागना पड़ेगा और यह अगस्त,2014 से हम नोडल सेंटर शुरु कर देंगे. राज्य में तकनीकी शिक्षा शोध विश्वविद्यालय की स्थापना भी रुसा के अंतर्गत हमने प्रपोजल में ली है. इसके अंतर्गत केवल स्नातकोत्तर और पीएचडी उपाधि के लिये ही हम एक कालेज खोलने जा रहे हैं. राजीव गांधी विश्ववविद्यालय में भी हमने बहुत से सुधार किये हैं. एक हमने जो विशेष निर्णय लिया है, एक तो ये सारे सेंटर्स जो हम दे रहे हैं इंजीनियरिंग कालेज के, वहां सीसी टीवी केमरा..

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, बड़ा विभाग है, पर काफी समय भी हो गया है.

श्री उमाशंकर गुप्ता -- जी, मैं समाप्त कर रहा हूं. वह कर रहे हैं और एक हमने कहा है कि अब जो इंजीनियरिंग कालेज चाहे प्रायवेट कालेज हो, हम फेकल्टी रखेंगे, उस फेकल्टी को आरजीवीपी के द्वारा आयोजित जो हमारी परीक्षा एक है, उसको उनको क्लीयर करना पड़ेगा, वह पास जो होंगे, उन्हीं में से फिर वह अपनी फेकल्टी के लिये रखेंगे. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं. सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं. एक लॉ कालेज के बारे में समस्या आ रही है, सरकार ने तो कई जगह स्वीकृति दे दी है. लेकिन अब बार कौंसिल ऑफ इंडिया की स्वीकृति का हमें इंतजार है. मुकेश नायक जी ने एकेडिमिक केलेण्डर की बात की थी और यह केलेण्डर हम लगातार बना रहे हैं. मुकेश जी, उसको पूरा करवा रहे हैं. अभी कुछ हमारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय इस सत्र में जरा पीछे था, बाकी यूनिवर्सिटी सब लाइन अप हो गये हैं. लेकिन मुझे विश्वास है कि इस साल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को एकेडिमिक केलेण्डर के अंतर्गत ही चलाने के लिये हम कोशिश करेंगे और सारा काम फिर केलेण्डर से होगा. निश्चित ही आप सब के सहयोग से इन प्रयासों से यह मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ठीक करने की हम कोशिश करेंगे. आप सबके

सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं. इसी के साथ आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि शिक्षा के इस बजट को आप सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करें. धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय -- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा. प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 44,47 एवं 70 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं, मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिए एक हजार दो सौ उनचास करोड़, आठ लाख, बारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए पाँच सौ पाँच करोड़, सत्तर लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बारह करोड़, पचपन लाख रूपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 15 जुलाई, 2014 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 7.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 15 जुलाई, 2014 (24 आषाढ़, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक : 14 जुलाई,2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा